



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1



## विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
कार्यपालन सारांश		v
<b>अध्याय I—विहंगावलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन	1.3	4
बजटीय प्रक्रियायें	1.4	8
वित्त के मुख्य बिंदु	1.5	9
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां	1.6	11
भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधारियों के संबंध में राज्य शासन का प्रदर्शन	1.7	15
लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा	1.8	15
लेखापरीक्षा के बाद—कुल बकाया ऋण	1.9	16
राज्य वित्त आयोग	1.10	17
<b>अध्याय II—राज्य के वित्त</b>		
प्रस्तावना	2.1	19
2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान महत्वपूर्ण राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.2	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	19
राज्य के संसाधन	2.4	21
राज्य की प्राप्तियां	2.5	21
राजस्व प्राप्तियां	2.6	22
चौदहवां/पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान	2.7	33
पूँजीगत प्राप्तियां	2.8	34
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.9	35
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.10	35
लोक लेखा	2.11	50
राज्य की संचित निधि/लोक लेखे एवं समर्पित निधि से बाहर निधियां	2.12	54
लोक देयता प्रबंधन	2.13	57
ऋण संधारणीयता विश्लेषण	2.14	63
निष्कर्ष	2.15	74
अनुशंसाएं	2.16	74
<b>अध्याय III—बजटीय प्रबंधन</b>		
प्रस्तावना	3.1	75
विनियोग लेखे	3.2	79
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा	3.3	79
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता	3.4	97
निष्कर्ष	3.5	127
अनुशंसाएं	3.6	128

<b>अध्याय IV—लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता</b>		
प्रस्तावना	4.1	129
राज्य शासन के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना (बजटेंतर उधारियाँ)	4.2	129
ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना	4.3	131
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि	4.4	132
स्थानीय निधियों का जमा	4.5	135
उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.6	136
अनुदानग्राही संस्थान का "अन्य" के रूप में अभिलेखन	4.7	137
व्यक्तिगत जमा खाते	4.8	138
लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.9	139
उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	142
लेखों का मिलान	4.11	143
रोकड़ शेष का मिलान	4.12	144
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	144
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.14	146
दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि	4.15	146
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.16	148
निष्कर्ष	4.17	149
अनुशंसाएं	4.18	149
<b>अध्याय V—राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन</b>		
प्रस्तावना	5.1	151
सरकारी कंपनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	151
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	151
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान	5.4	151
सरकारी कंपनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	153
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	5.6	154
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	156
ऋण सेवा	5.8	157
सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता	5.9	159
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि	5.10	162
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका	5.11	166
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	167
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निगरानी— लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	168
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम	5.14	169
लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5.15	182
प्रबंधन पत्र	5.16	183
निष्कर्ष	5.17	184
अनुशंसाएं	5.18	185
<b>परिशिष्ट</b>	<b>187 से 269</b>	

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, वित्त के मुख्य बिंदु, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों का अनुपालन, प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा, इत्यादि की प्रवृत्तियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** एवं **3** में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन के क्रमशः वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों की जाँच से उद्भूत तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन से, जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।

**अध्याय 4** वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

**अध्याय 5** मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन और सांविधिक लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणामों की चर्चा करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (यथा संशोधित) की धारा 19क के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश के विधानमण्डल के समक्ष रखने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।





---

## कार्यपालन सारांश

---



## कार्यपालन सारांश

### प्रतिवेदन के बारे में

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन प्रथाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यपालन सारांश इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों एवं पहलुओं को मुख्य बिंदुओं के माध्यम से, राजकोषीय संधारणीयता, बजट प्रयोजन के विरुद्ध प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की गहन जानकारी प्रदान करता है।

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद

मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2018-19 और 2022-23 के मध्य राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के समान उतार-चढ़ाव से गुजरी। इस उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण वर्ष 2020-21 में वैश्विक स्तर पर फैलने वाली कोविड-19 महामारी को माना जा सकता है। महामारी के दौरान, वर्ष 2020-21 में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में 11.82 प्रतिशत से गिरकर 3.64 प्रतिशत हो गई थी, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (-)1.36 प्रतिशत थी। हालाँकि, महामारी के बाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर 2020-21 में 3.64 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 18.15 प्रतिशत हो गई, जो इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की राष्ट्रीय वृद्धि दर 18.36 प्रतिशत के लगभग बराबर थी। यद्यपि, वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 1.72 प्रतिशत की कमी आई है, यह वृद्धि दर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (16.06 प्रतिशत) से अधिक थी।

### प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का स्वयं कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायतानुदान एवं हस्तांतरण तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य शासन के व्यय में राजस्व लेखों पर राजस्व व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, इत्यादि) शामिल हैं।

2018-19 से 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियां 2018-19 में ₹1,48,893 करोड़ से 2022-23 में ₹2,03,986 करोड़ तक 37 प्रतिशत से बढ़ी। 2018-23 के दौरान भारत सरकार से सहायतानुदान 29.10 प्रतिशत तक बढ़ी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 0.73 प्रतिशत से 2022-23 में 0.59 प्रतिशत तक कम हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता भी 2018-19 में 0.93 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 0.51 प्रतिशत हो गई।

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना एवं सेवा-संजाल में कोई इजाफा नहीं करता है। 2018-19 और 2022-23 के मध्य, राजस्व व्यय ₹1,42,149 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.13

प्रतिशत) से बढ़कर ₹1,99,895 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 15.11 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान इसने लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (80 से 84 प्रतिशत) बनाया, जो 8.10 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

### साधनों से अधिक व्यय के परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। 2019-21 के दौरान राज्य को राजस्व घाटे का अनुभव हुआ (2019-20 में ₹2,801 करोड़ और 2020-21 में ₹18,356 करोड़)। हालाँकि, 2021-22 से, राज्य में राजस्व अधिशेष रहा है और वर्तमान वर्ष (2022-23) में राजस्व अधिशेष ₹4,091 करोड़ था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष में पिछले वर्ष (0.42 प्रतिशत) की तुलना में 2022-23 (0.31 प्रतिशत) में मामूली कमी आई।

पूँजीगत व्यय जो 2018-19 में ₹29,424 करोड़ था 2022-23 में ₹44,438 करोड़ हो गया जिसमें 51.03 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 2018-19 में 3.55 प्रतिशत से 2022-23 में 3.36 प्रतिशत तक कम हो गया।

कुल व्यय ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और अन्य पर व्यय से बना है। राज्य का कुल व्यय 2018-19 में ₹1,72,664 करोड़ से 2022-23 में ₹2,46,692 करोड़ तक 43 प्रतिशत से बढ़ा। 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में यह 9.63 प्रतिशत से बढ़ा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 2018-23 के दौरान कुल व्यय 20.81 प्रतिशत से 18.65 प्रतिशत तक कम हुआ।

राज्य के कुल व्यय और कुल ऋणोत्तर प्राप्ति के बीच के अंतर का परिणाम राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है, जो 2021-22 में ₹37,487 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.30 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹41,202 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.11 प्रतिशत) तक हो गया।

प्राथमिक घाटा, जो ऋणोत्तर प्राप्ति पर प्राथमिक व्यय (शुद्ध ब्याज भुगतान का कुल व्यय) की अधिकता को इंगित करता है, 2018-19 में ₹10,992 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.32 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹21,749 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.64 प्रतिशत) हो गया।

राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2022-23 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के भीतर था। वर्ष 2022-23 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹41,202 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.11 प्रतिशत और कुल व्यय का 16.70 प्रतिशत था। 2021-22 में ₹19,041 करोड़ का प्राथमिक घाटा बढ़कर ₹21,749 करोड़ हो गया और 2021-22 में ₹4,815 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2022-23 में ₹4,091 करोड़ तक कम हुआ।

प्रतिबद्ध व्यय 2018-19 में ₹73,158 करोड़ (राजस्व व्यय का 51.47 प्रतिशत) से 2022-23 में ₹1,05,232 करोड़ (राजस्व व्यय का 52.64 प्रतिशत) तक बढ़ा। हालाँकि, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय में ₹9,363 करोड़ (9.77 प्रतिशत) से वृद्धि मुख्यतः पेंशन पर व्यय में 15.54 प्रतिशत से वृद्धि और वेतन एवं मजदूरी में 13.88 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनम्य व्यय के घटकों में निरंतर वृद्धि देखी गयी। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय 7.86 प्रतिशत से 13.99 प्रतिशत तक बढ़ा। आगें, पिछले वर्ष (₹15,291.21 करोड़) की तुलना में 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय (₹27,969.59 करोड़) 82.91 प्रतिशत से बढ़ा।

### प्रत्याभूति के कारण आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2023 तक, ₹39,788.47 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति, वर्ष 2021–22 की राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹1,85,875.85 करोड़) का 21.41 प्रतिशत थी जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है।

मध्य प्रदेश शासन ने 2022–23 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छः<sup>1</sup> इकाइयां (₹17,858 करोड़), नगरीय विकास एवं आवास के छः<sup>2</sup> संस्थान (₹7,332 करोड़), अन्य क्षेत्रों के सात<sup>3</sup> संस्थान (₹38,485 करोड़), सहकारिता (₹3,250 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम (₹700 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2022–23 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कुल प्राप्य ₹112.09 करोड़ में से ₹36.58 करोड़ प्राप्त किए।

### राजकोषीय संधारणीयता

राजकोषीय संधारणीयता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजटोत्तर उधार प्रत्याभूति, राजसहायताओं, इत्यादि के कारण प्रतिबद्धताओं, जैसे समष्टि-राजकोषीय मानदण्डों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का सवाल है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज, इत्यादि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को अंतरण, इत्यादि के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले व्यय भी शामिल हैं।

### राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन आवश्यकताएं एवं राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2016–17 से 2019–20) के दौरान राज्यों के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो। वर्ष 2022–23 के दौरान, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत पर सीमित किया जाए। वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के आधार पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सुविधा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया था। इसलिये, 2022–23 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लक्ष्य 4.00 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

राज्य ने 2018–19, 2021–22 और 2022–23 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष हासिल किया, लेकिन 2019–20 और 2020–21 के दौरान इसे बनाए नहीं रख सका। 2022–23 के दौरान, राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 15.04 प्रतिशत कम हो गया, जबकि 2022–23 के दौरान राजकोषीय घाटा 9.91 प्रतिशत से बढ़ गया।

<sup>1</sup> मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर।

<sup>2</sup> नगर निगम, नगर पालिका, राज्य विकास इकाई, मध्य प्रदेश नगरीय विकास कम्पनी लिमिटेड, नगर परिषद, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

<sup>3</sup> मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, उच्च शिक्षा और पशुपालन।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2018-19 में 18.97 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 23.78 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, 2022-23 में यह मामूली गिरावट के साथ 21.90 प्रतिशत हो गया।

2018-23 के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था। डोमर अंतर (g-r) 2018-19 से 2019-20 तक सकारात्मक रहा और 2020-21 के दौरान नकारात्मक में बदल गया, जो यह दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर परिवर्तित हुए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ेगा। हालाँकि, 2021-22 में डोमर अंतर पुनः सकारात्मक हो गया हालाँकि इसका मूल्य पिछले वर्षों से बढ़ गया। इस प्रकार, ऋण संधारणीयता के डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि लोक ऋण एक संधारणीय स्तर पर आ जाएगा। कोविड वर्ष (2020-21) के दौरान डोमर अंतर (g-r) नकारात्मक था। हालाँकि, कोविड के बाद के वर्षों में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उच्च विकास दर के कारण डोमर अंतर सकारात्मक हो गया। उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर अंतर को पिछले वर्ष की तुलना के लिए निम्न आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।

### **समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन**

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन ने संकेतिक किया कि ₹3,21,658.21 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹2,71,114.46 करोड़ का व्यय हुआ, जिसमें से ₹50,543.75 करोड़ (कुल बजट प्रावधान का 15.71 प्रतिशत) की बचत हुई उसमें से ₹27,559.07 करोड़ की राशि को व्यय होने दिया गया और विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹22,914.55 करोड़ (कुल समर्पण राशि ₹22,984.68 करोड़ का 99.69 प्रतिशत) समर्पित कर दिया, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए 53 अनुदानों और सात विनियोगों में ₹42,421.41 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुए जिनमें से ₹17,973.35 करोड़ अनावश्यक साबित हुए जो दर्शाता है कि बजट तैयार करते समय एक विश्वसनीय बजट प्रथा अपनाई जानी चाहिए।

### **बजट निष्पादन**

#### **कुल बजट परिणाम**

बजट निष्पादन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रयोजन की जांच यह आंकलन करने के लिए की जाती है कि कुल बजट व्यय का परिणाम मूल रूप से अनुमोदित राशि को किस हद तक दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, मूल स्वीकृत बजट अनुभाग की तुलना में बजट अनुमान में विचलन (-)1.41 प्रतिशत था। यह 41 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के बीच, और नौ अनुदानों में ±50 प्रतिशत से ऊपर के विचलन के कारण था। पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)7.04 प्रतिशत था। यह 16 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के बीच और 22 अनुदानों में ±50 प्रतिशत से ऊपर के विचलन के कारण था।

#### **व्यय संरचना परिणाम**

बजट निष्पादन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनर्आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह मापन मूल बजट एवं वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता का संकेत देता है। राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.09 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के बीच, और चार अनुदानों में ±50 प्रतिशत से ऊपर के विचलन के कारण था। पूंजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.00 प्रतिशत था। यह 29 अनुदानों

में 0 और  $\pm 25$  प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच और 15 अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से ऊपर के विचलन के कारण था।

### लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता उन वस्तुओं, लेनदेन और घटनाओं, को सम्मिलित करती है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों जैसे कि शासकीय लेखों के बाहर राशि को जमा करना, देनदारियों का गैर या कम निर्वहन एवं लेनदेन और डेटा अंतराल के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता है।

### राज्य शासन के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना (बजटेंतर उधारियाँ)

2022–23 के दौरान, बजटेंतर राजकोषीय संचालन जैसे कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, राज्य शासन की ओर से विशेष प्रयोजन साधन और अन्य समतुल्य साधन, जहाँ राज्य के बजट से मूलधन और/या ब्याज चुकाया जाना है, द्वारा ऋण ₹564.40 करोड़ था और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ₹30.62 करोड़ (5.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### अनुदान/विनियोजन से अधिक्य का नियमितीकरण

राज्य शासन को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205(1)(बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन में आधिक्य को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कराना होगा। यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक राशि ₹1,678.00 करोड़ का अधिक्य व्यय, विधायी अनुमोदन के बिना किया गया था, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया।

### लेखों में गलत वर्गीकरण

₹2,381.53 करोड़ के व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था, इसके कारण राजस्व व्यय ₹2,381.53 करोड़ से न्यूनोक्त था और पूंजीगत व्यय ₹2,381.53 करोड़ से अत्योक्त था। इसी प्रकार, ₹89.25 करोड़ की राशि को गलत तरीके से पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में बजट किया गया था, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹89.25 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹89.25 करोड़ से न्यूनोक्त था।

### मिलान (लेखों का मिलान)

मध्य प्रदेश बजट नियमावली में अपेक्षित है कि, सभी नियंत्रण अधिकारी शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ करें। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रण अधिकारियों के बजाय, संचालनालय कोष एवं लेखा मुख्य रूप से कार्यालय लेखा एवं हकदारी के साथ आंकड़ों का मिलान कर रहा है।

2022–23 के दौरान, संचालनालय, कोष एवं लेखा ने व्यय ₹2,36,395.56 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल व्यय ₹2,68,699.09 करोड़ का 87.98 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹1,77,121.05 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹2,64,357.62 करोड़ का 67 प्रतिशत) का मिलान किया है।

### **भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन**

भारतीय शासकीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य शासन ने भारतीय शासकीय लेखांकन मानक-2: सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण का अनुपालन नहीं किया।

### **व्यक्तिगत जमा खाते**

31 मार्च 2023 तक, 821 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में ₹2,353.57 करोड़ अंतशेष था। 31 मार्च 2023 तक 821 व्यक्तिगत जमा खातों में से 199 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें कुल शेष राशि ₹214.39 करोड़ थी, तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे।

### **सिंगल नोडल एजेंसी को निधि**

राज्य शासन को वर्ष 2022-23 के दौरान अपने कोषालय लेखे में केन्द्रांश ₹21,237.40 करोड़ प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2023, को राज्यांश ₹15,603.02 करोड़ था, सरकार द्वारा कोषालय लेखे में प्राप्त केन्द्रांश ₹19,883.83 करोड़ तथा राज्यांश ₹14,298.04 करोड़ सिंगल नोडल एजेंसी को अंतरित किया गया। महालेखाकार कार्यालय को सिंगल नोडल एजेंसी से वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक तथा समर्थित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। जैसा राज्य शासन/सिंगल नोडल एजेंसी द्वारा सूचित किया गया कि 31 मार्च 2023 तक सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में ₹12,081.03 करोड़ अव्ययित पड़े हुए हैं।

### **उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति में विलंब**

31 मार्च 2023 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदानों के विरुद्ध ₹20,685.36 करोड़ के 19,965 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

*प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा न करना; भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न करना; शासकीय लेखों से बाहर शेष धनराशि; और सिंगल नोडल एजेंसी से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।*

### **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली**

31 मार्च 2023 तक, मध्य प्रदेश में 73 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे, जिनमें 61 सरकारी कंपनियां (14 निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित), तीन सांविधिक निगमों (एक निष्क्रिय निगम सहित) और नौ सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 66 उपक्रम जिनके 258 लेखे बकाया थे, के द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत 11 उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹552.22 करोड़ के कुल लाभ में से 74.18 प्रतिशत का योगदान केवल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों द्वारा दिया गया था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 कार्यरत उपक्रमों द्वारा किए गए ₹1,940.50 करोड़ की कुल हानि में से, ऊर्जा क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों ने ₹1,779.26 करोड़ की हानि की।



राज्य शासन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन पर अपने वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अंतिम रूप से तैयार लेखों के अभाव में, ऐसे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य शासन घाटे में चल रहे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।



---

अध्याय I  
विहंगावलोकन

---



## अध्याय I—विहंगावलोकन

### 1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य 3,08,252 वर्ग किमी (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 प्रतिशत) के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 7.33 करोड़ व्यक्तियों (देश की जनसंख्या का छः प्रतिशत) का घर है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय (2013–2023) वृद्धि दर 15.29 प्रतिशत अखिल भारतीय दशकीय वृद्धि दर 11.68 प्रतिशत से अधिक थी। राज्य में 52 जिले हैं, जिन्हें 10 प्रशासनिक संभागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022–23 में ₹1,53,550 था, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ₹1,96,983 से कम था।

राज्य से संबंधित सामान्य और वित्तीय आंकड़े *परिशिष्ट 1.1* में दिए गए हैं।

#### 1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गयी समयावधि में राज्य के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को लक्षित करता है।

सकल मूल्य वर्धन एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह उत्पादित उत्पादन का कुल मूल्य है, जिसमें उनके उत्पादन में लगने वाली मध्यस्थ लागत शामिल नहीं है।

सकल मूल्य वर्धन का उपयोग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, सकल मूल्य वर्धन को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और राजसहायताओं के प्रभाव को नजर अंदाज करता है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद की गणना निजी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों को शामिल करने के तरीकों में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के नजरिए से बेहतर विश्लेषण एवं नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए सकल मूल्य वर्धन एवं सकल राज्य मूल्य वर्धन के आकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2018–19 से 2022–23 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन से सकल राज्य मूल्य वर्धन के रुझानों के मध्य तुलना नीचे *तालिका 1.1* में दिखाई गई है:—

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>भारत</b>					
वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
वर्तमान मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन (2011-12 श्रृंखला)	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	10.59	6.37	(-) 1.36	18.36	16.06
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धन की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	10.77	7.02	(-) 1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद	0.014	0.015	0.015	0.017	0.020
<b>मध्य प्रदेश</b>					
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)	8,29,805	9,27,855	9,61,643 (पी. ई.)	11,36,137 (क्यू. ई.)	13,22,821 (ए. ई.)
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (2011-12 श्रृंखला)	7,83,520	8,69,608	9,09,410 (पी. ई.)	10,66,160 (क्यू. ई.)	12,41,882 (ए. ई.)
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	14.25	11.82	3.64	18.15	16.43
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धन उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	14.64	10.99	4.58	17.24	16.48
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.010	0.011	0.011	0.012	0.015


स्रोत: आर्थिक सलाहकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी।

पी.ई.—अंतिम अनुमान; क्यू.ई.—त्वरित अनुमान; ए.ई.—अग्रिम अनुमान


जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के समान उतार-चढ़ाव से गुजरी है। इस उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण वर्ष 2020-21 में वैश्विक स्तर पर फैलने वाली कोविड-19 महामारी को माना जा सकता है। महामारी के दौरान, वर्ष 2020-21 में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में 11.82 प्रतिशत से गिरकर 3.64 प्रतिशत हो गई थी, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (-)1.36 प्रतिशत थी। महामारी के तुरंत बाद, वर्ष 2021-22 में ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर 3.64 प्रतिशत से बढ़कर 18.15 प्रतिशत हो गई, जिसने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था द्वारा अच्छे सुधार के संकेत दिखाए, जो इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की राष्ट्रीय वृद्धि दर 18.36 प्रतिशत के लगभग बराबर थी। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1.72 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन संवृद्धि दर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (16.06 प्रतिशत) से अधिक थी।

आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है।

अवधि 2018-19 से 2022-23 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल राज्य मूल्य वर्धन की प्रवृत्तियां नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं:



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी 2018-19 में 36.04 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 41.50 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि के दौरान, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19 में 24.58 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 20.39 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19 में 39.37 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 38.11 प्रतिशत हो गई है।

## 1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य शासन के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों एवं विभागों जो ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी हैं, के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणको, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों का संकलन करता है। इन लेखों की स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के लिए वर्ष 2022-23 के राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखों के प्रमुख आंकड़े शामिल हैं। निम्नलिखित अन्य स्रोतों को भी शामिल किया गया है:

- वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट भी अनुमान के सापेक्ष राजकोषीय मापदण्डों और आवंटन प्राथमिकताओं दोनों का आंकलन करने के लिए आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनुमान लगाता है;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश, राज्य सचिवालय के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा का परिणाम तैयार करता है;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों से प्राप्त अन्य आंकड़े (लेखांकन के साथ-साथ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली);
- संचालनालय, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े और अन्य राज्य से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े; एवं
- 2018-23 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रासंगिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

प्रतिवेदन के अध्याय I से V तक का लेखापरीक्षा विश्लेषण/निष्कर्ष नवंबर 2023 में राज्य शासन को सूचित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त (नवंबर 2023) नहीं हुए हैं।

## 1.3 शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

### 1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को



जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य शासन द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे—संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान, इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

## 2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि द्वारा स्थापित की जाती है, और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपर्दगी में रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे द्वारा की जाती है।

## 3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे—अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमाएं (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थायी शीर्ष है, अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है) शामिल होते हैं। लोक लेखे के अंतर्गत सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर/शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के सभी व्यय शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो सकते हैं) पर किए गए खर्चों से संबंधित हैं।

**पूँजीगत प्राप्तियों** में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार कर्ज, बंध-पत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से कर्ज और अग्रिम, इत्यादि;
- **ऋणेत्तर प्राप्तियां:** विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज और अग्रिम की वसूलियां;


**पूँजीगत व्यय** में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को कर्ज और अग्रिम पर किया गया व्यय शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है, जिसका विवरण निम्न है:

विवरण	लेन-देन का प्रकार	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों की मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (3 अंक)
राज्य के लिए छोड़ा लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2 अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2 अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण में आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय की व्यवस्था करना, सरकारी लेन-देन को राजस्व और पूंजीगत (लोक ऋण, कर्ज और अग्रिम सहित) अनुभागों में अंतर करना, क्षेत्र जैसे अन्य राजस्व और सहायतानुदान से कर राजस्व, उप क्षेत्रों जैसे आय और व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं, इत्यादि शामिल है। व्यय पक्ष में भी, लेन-देन को क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें और सहायतानुदान एवं अंशदान तथा इन क्षेत्रों के अंतर्गत लेखाओं के मुख्य शीर्ष में उप-विभाजित किया गया है। समेकित निधि में शामिल होने वाले लेखों के मुख्य शीर्ष सामान्यतः सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होते हैं, जैसे शिक्षा, जबकि मुख्य शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गये कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए "कार्यक्रम" की पहचान करते हैं। एक कार्यक्रम में कई योजनाएं या गतिविधियां शामिल हो सकती हैं और ये आम तौर पर "लघु शीर्ष" के अंतर्गत 'उप शीर्ष' के अनुरूप होते हैं। उप शीर्ष के अंतर्गत 'विस्तृत शीर्ष', मुख्य रूप से व्यय पर मदवार नियंत्रण के लिए होता है और आगत के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय के उद्देश्य या प्रकृति को इंगित करता है जैसे:- 'वेतन', 'कार्यालयीन व्यय', 'सहायतानुदान' इत्यादि।

शासकीय लेखों की संरचना का एक चित्रात्मक चित्रण चार्ट 1.3 में दिया गया है:



स्रोत: वित्त लेखे

**लोक ऋण और लोक देयताएं:** इस प्रतिवेदन में, 'लोक ऋण' में बाजार उधारियां, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कर्ज इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, मुख्य शीर्षों 6003 और 6004— लोक ऋण को ध्यान में रखते हुये लिये गये है।

इसके अलावा, लोक लेखा के अंतर्गत 'अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि', 'आरक्षित निधियां और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित ऐसे लेन—देन होते हैं कि प्राप्त धन को चुकाने का दायित्व सरकार का होता है या भुगतान की गई राशि को वसूल करने का दावा सरकार करती है। लोक लेखे के अंतर्गत 'प्रेषणों' और 'उचंत' से संबंधित लेन—देनों में केवल समायोजित शीर्षों जैसे—कोषालयो और करेंसी चेस्टों के बीच रोकड़ का प्रेषण के रूप में लेन—देन एवं विभिन्न लेखा सर्किलों के बीच हस्तांतरण को शामिल किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में, 'लोक देयता' में 'अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्षों 8001 से 8554 के अंतर्गत लेन—देनों के साथ—साथ मुख्य शीर्षों 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन—देनों को शामिल किया गया है।

## 1.4 बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में रखवाते हैं।

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपर्युक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 59 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया था, और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक धन का विनियोग प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल के द्वारा विनियोग विधेयक को पारित किया गया था।

जैसा कि पूर्व में **कड़िका 1.2** में वर्णित है, यह प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वित्त लेखों और विनियोग लेखों में उल्लिखित मुख्य आंकड़े शामिल हैं। ये लेखे वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं। यह विचार करते हुए कि इन प्राप्तियों और व्यय का बजट में अनुमान और व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, 2022-23 के लिए राज्य के बजट का सूक्ष्मता से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमान के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट निगरानी की प्रक्रिया का विवरण देता है। आगे, एक समेकित बजट के अलावा, राज्य शासन जेण्डर बजट, कृषि बजट और चाइल्ड बजट जैसे उप-बजट भी तैयार करती है।

**जेंडर बजट:** राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। जेंडर बजट दस्तावेज के अनुसार, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था— (1) योजनाएँ जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं, और (2) योजनाएँ जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं।

**कृषि बजट:** यह बजट कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर खर्च की जानकारी भी शामिल करता है।

**चाइल्ड बजट:** राज्य का चाइल्ड बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए रूपांकित किया गया है। चाइल्ड बजट दस्तावेज के अनुसार, बच्चों के विकास के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चाइल्ड बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: (1) ऐसी योजनाएँ जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान बच्चों से संबंधित हैं, और (2) ऐसी योजनाएँ जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत बच्चों से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त एक परिणामोन्मुखी बजट तैयार किया जाना आवश्यक है, जो वित्तीय परिव्यय से जुड़ी प्रत्येक योजना के तहत प्रस्तावित परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा योजना और योजनेत्तर योजनाओं के बीच विभेद को समाप्त<sup>1</sup> किये जाने से राज्य सरकार द्वारा 2015-16 से परिणामोन्मुखी बजट तैयार करना बंद कर दिया गया। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा (जनवरी 2021) परिणामोन्मुखी बजट के तैयार न करने का कारण योजना और योजनेत्तर योजनाओं का बंद होना बताया।

<sup>1</sup> महालेखा-नियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायतानुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया, हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखाओं में यह पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ।

बजट की लेखापरीक्षा जांच और राज्य शासन की अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में विस्तृत रूप से दिये गये हैं।

### 1.5 वित्त के मुख्य बिंदु

2022-23 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण निम्न तालिका 1.2 प्रदाय करती है:

तालिका 1.2: 2022-23 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संघटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1	कर राजस्व (2+3)	1,35,778.84	1,47,153.40	1,36,966.68	107.44	11.12
2	स्वयं के कर राजस्व	66,237.34	72,610.55	72,859.69	99.66	5.49
3	केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश	69,541.50	74,542.85	64,106.99	116.28	5.64
4	करेक्टर राजस्व	15,304.88	19,878.34	13,618.20	145.97	1.50
5	सहायतानुदान और अंशदान	34,792.13	36,954.45	44,594.81	82.87	2.79
6	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4+5)	1,85,875.85	2,03,986.19	1,95,179.69	104.51	15.42
7	कर्जों और अग्रियों की वसूली	62.17	1,458.12	24.42	5971.01	0.11
8	अन्य प्राप्तियां	1,597.70	46.77	--	--	0.00
9	उधार और अन्य देयतायें <sup>(अ)</sup>	37,487.38	41,202.22	53,947.79	76.37	3.11
10	पूंजीगत प्राप्तियां (7+8+9)	38,104.14	48,414.86	53,972.21	89.70	3.66
11	कुल प्राप्तियां (6+10)	2,23,979.99	2,52,401.05	2,49,152.21	101.30	19.08
12	राजस्व व्यय	1,81,061.30	1,99,895.26	1,98,915.70	100.49	15.11
13	ब्याज भुगतान	18,445.91	19,453.27	22,166.43	87.76	1.47
14	पूंजीगत व्यय	40,733.11	44,438.37	45,685.98	97.27	3.36
15	कर्ज तथा अग्रिम	3,228.69	2,360.17	3,113.76	75.80	0.18
16	कुल व्यय (12+14+15)	2,25,023.10	2,46,693.80	2,47,715.44	99.59	18.65
17	राजस्व घाटा(-) / अधिशेष(+)	4,814.55	4,090.93	(-3,736.01)	209.50	0.31
18	राजकोषीय घाटा	37,487.38	41,202.22	52,511.34	78.46	3.11
19	प्राथमिक घाटा	19,041.46	21,748.95	30,344.91	71.67	1.64

स्रोत: वित्त लेखे और बजट पुस्तिकाएं 2022-23

(अ) उधार और अन्य देयतायें: निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक लेखा + निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष।

### 1.5.1 सरकार की सम्पत्ति और दायित्वों के मुख्य बिंदु

शासकीय लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से संपत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम एवं रोकड़ शेष भी शामिल हैं। इस संदर्भ में वर्ष 2022-23 में राज्य की स्थिति को नीचे तालिका 1.3 में देखा जा सकता है:

तालिका 1.3: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				सम्पत्तियां			
	2021-22	2022-23	वृद्धि(+)/ कमी(-) प्रतिशत में		2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ कमी(-) प्रतिशत में
<b>संचित निधि</b>							
आंतरिक ऋण	2,23,013.14	2,51,427.60	12.74	सकल पूंजीगत परिव्यय	3,13,487.91	3,57,926.28	14.18
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	41,351.31 <sup>2</sup>	49,797.93	20.43	कर्ज तथा अग्रिम	46,923.67	47,825.72	1.92
आकस्मिकता निधि	1,000.00	1,000.00	0.00				
<b>लोक लेखा</b>							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	19,310.64	18,019.74	(-6.68)	अग्रिम	3.48	3.49	0.29
जमाएं	19,182.08	21,711.25	13.19	प्रेषण	--	--	--
आरक्षित निधियां	21,334.71	23,969.69	12.35				
उर्ध्व तथा विविध शेष	880.60	2,330.93	164.70	उर्ध्व तथा विविध	--	--	--
प्रेषण	4,782.10	5,677.34	18.72	रोकड़ शेष (उद्यिष्ट निधि में निवेश सहित)	17,296.25	19,151.56	10.73
				<b>योग</b>	<b>3,77,711.31</b>	<b>4,24,907.05</b>	<b>12.50</b>
				शासकीय लेखों में कमी	(-46,856.73)	(-50,991.97)	(-8.83)
<b>योग</b>	<b>3,30,854.58</b>	<b>3,73,934.48</b>	<b>13.02</b>	<b>योग</b>	<b>3,30,854.58</b>	<b>3,73,915.08*</b>	<b>13.01</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹19.40 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति नही होने के कारण अंतर है।

<sup>2</sup> भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में कमी के बदले में राज्य शासन द्वारा प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹11,553 करोड़ (2021-22 के लिए ₹7,011 करोड़ और 2020-21 के लिए ₹4,542 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण) भी शामिल है (31 मार्च 2022 तक)।

## 1.6 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां

मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और कुल/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुंचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और मध्यम कालिक रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया। इस संदर्भ में, यह अधिनियम घाटे के मापदण्डों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

### 1.6.1 मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मुख्य लक्ष्यों पर राजकोषीय मापदण्ड और उनकी उपलब्धियां

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था, 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम करना था एवं उसके बाद समान स्तर को बनाए रखना था। आगे, अधिनियम में यह भी परिकल्पित था कि राज्य शासन 31 मार्च 2015 तक कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 40 प्रतिशत तक सीमित कर देगी।

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2016-17 से 2019-20) के दौरान राज्यों के लिए अनुशासित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो। वर्ष 2022-23 के दौरान, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत पर सीमित किया जाए। वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के आधार पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सुविधा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया था। इसलिये, 2022-23 के लिए, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लक्ष्य 4.00 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

2018-19 से 2022-23 तक की पांच साल की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/राज्य शासन के नियम के अन्तर्गत मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित पुनरीक्षित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां तालिका 1.4(अ) में दी गई है:

तालिका 1.4(अ): मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091
		✓	X	X	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	संबंधित वर्षों के अंतर्गत कोष्ठक में दिया गया है।	2.85 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24% से अधिक नहीं)	3.55 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.34% से अधिक नहीं)	5.19 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.99% से अधिक नहीं)	3.30 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.50% से अधिक नहीं)	3.11 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% से अधिक नहीं)
		✓	X	X	✓	✓

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देनदारी का अनुपात (प्रतिशत में)		23.42 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 26.34% से अधिक नहीं)	24.85 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43% से अधिक नहीं)	29.61 <sup>3</sup> (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 28.83% से अधिक नहीं)	27.48 <sup>4</sup> (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 28.52% से अधिक नहीं)	26.68 <sup>5</sup> (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 33.31% से अधिक नहीं)
		✓	X	X	✓	✓

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में राज्य के बजट में अनुमानों के सापेक्ष उपलब्धियों की जानकारी तालिका 1.4(ब) दी गई है।

तालिका 1.4(ब): वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियां

राजकोषीय चर	15 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशत में भिन्नता	
				15 वें वित्त आयोग में लक्ष्य	बजट में लक्ष्य
राजस्व अधिशेष/घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(-)-2.60	(-)-0.32	0.31	2.91	0.63
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	4.00	4.56	3.11	0.89	1.45
कुल बकाया देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	32.90	33.31	26.85	6.05	6.46

स्रोत: 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें एवं वित्त लेखें

राज्य ने 2018-19, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष हासिल किया, लेकिन 2019-20 और 2020-21 के दौरान इसे बनाए नहीं रख सका। 2022-23 के दौरान, राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 15.04 प्रतिशत से कम हो गया, जबकि 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 9.91 प्रतिशत से बढ़ गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में स्वयं के कर राजस्व के तहत ₹6,374 करोड़ की वृद्धि के कारण 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में ₹18,110 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से राज्य उत्पाद शुल्क (₹2,621 करोड़ की वृद्धि), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (₹1,534 करोड़ की वृद्धि) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹1,369 करोड़ की वृद्धि) के तहत थी। वर्तमान वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष

<sup>3</sup> ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹2,89,298 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैंक टू बैंक लोन की राशि ₹4,542 करोड़ को छोड़कर कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर की गयी है।

<sup>4</sup> ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹3,23,218 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैंक टू बैंक लोन की राशि ₹11,553 करोड़ को छोड़कर एवं बजटेंतर उधारी ₹576 करोड़ को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,12,241 करोड़ पर की गयी है।

<sup>5</sup> ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹3,63,952 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैंक टू बैंक लोन की राशि ₹11,553 करोड़ को छोड़कर एवं बजटेंतर उधारी ₹564 करोड़ को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,52,963 करोड़ पर की गयी है।



की तुलना में करेत्तर राजस्व में ₹4,573 करोड़ से वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों के अंतर्गत ₹2,925 करोड़ (177.92 प्रतिशत), फसल कर्म में ₹2,197 करोड़ से (8788 प्रतिशत) और अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹1,180 करोड़ (19.09 प्रतिशत) से वृद्धि के तहत थी।

वर्तमान वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता राज्य वस्तु एवं सेवा कर (32.22 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (24.40 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (17.84 प्रतिशत) थे।

2022–23 में करेत्तर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (37.03 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियां (22.99 प्रतिशत) और फसल कर्म (11.18 प्रतिशत) थे।

### 1.6.2 मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक वित्त वर्ष में, बजट के साथ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा, जिसमें राज्य शासन के राजकोषीय उद्देश्यों और बजट के साथ पंचवर्षीय चलित लक्ष्य निहित होंगे।


**तालिका 1.5** 2022–23 के वार्षिक बजट के साथ राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में 2022–23 के लिये किये गये अनुमानों और वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के मध्य भिन्नता को प्रदर्शित करती है।

**तालिका 1.5: 2022–23 के लिए मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े**


राजकोषीय चर	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2022–23)	(₹ करोड़ में)
			भिन्नता (प्रतिशत में)
स्वयं के कर राजस्व	72,859.69	72,610.55	(-)0.34
करेत्तर राजस्व	13,618.20	19,878.34	45.97
केन्द्रीय कर का अंश	64,106.99	74,542.85	16.28
भारत सरकार से सहायतानुदान	44,594.81	36,954.45	(-)17.13
राजस्व प्राप्तियां	1,95,179.69	2,03,986.19	4.51
राजस्व व्यय	1,98,915.70	1,99,895.26	0.49
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)0.32	0.31	196.88
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.56	3.11	(-)31.80
ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	33.31	26.68	(-)19.90
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	11.10	16.43	48.01

स्रोत: वित्त लेख एवं बजट दस्तावेज 2022–23

2018–19 से 2022–23 तक पांच साल की अवधि में अधिशेष और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अधिशेष या घाटे की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 1.5 में दी गई है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

**राजस्व अधिशेष** राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है, जो 2018-19 में ₹6,744 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.81 प्रतिशत) से घटकर 2022-23 में ₹4,091 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.31 प्रतिशत) हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष (0.42 प्रतिशत) की तुलना में 2022-23 (0.31 प्रतिशत) में मामूली कमी आई।

**राजकोषीय घाटा** सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है, जो 2021-22 में ₹37,487 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.30 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹41,202 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.11 प्रतिशत) हो गया।

**प्राथमिक घाटा**, जो ऋणोत्तर प्राप्तियों पर प्राथमिक व्यय (शुद्ध ब्याज भुगतान का कुल व्यय) की अधिकता को इंगित करता है, जो 2018-19 में ₹10,992 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.32 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹21,749 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.64 प्रतिशत) हो गया।

राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2022-23 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के भीतर था। वर्ष 2022-23 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹41,202 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.11 प्रतिशत और कुल व्यय का 16.70 प्रतिशत था। 2021-22 में ₹19,041 करोड़ का प्राथमिक घाटा बढ़कर ₹21,749 करोड़ हो गया और 2021-22 में ₹4,815 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2022-23 में ₹4,091 करोड़ तक कम हुआ।

### 1.7 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधारियों के संबंध में राज्य शासन का प्रदर्शन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 (3) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि एक राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिया गया ऋण का कोई हिस्सा, अभी भी बकाया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य शासन की शुद्ध उधार सीमा ₹52,913 करोड़ निश्चित की (मार्च 2022) और राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिशील उधारियां इस सीमा के भीतर रहें। ₹52,913 करोड़ की उधार सीमा में ₹6,614 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत) की अतिरिक्त सीमा शामिल थी, जिसकी अनुमति तब दी जानी थी जब राज्य शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किए हो। बजट दस्तावेजों के अनुसार, राज्य शासन ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किए थे, इस प्रकार राज्य शासन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा के लिए पात्र थी।

वित्त लेखों के विवरण 6 अर्थात् उधार और अन्य देयताओं के विवरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन की वृद्धिशील उधारियां और अन्य देयताएं ₹40,734 करोड़ थी, जो ₹52,913 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत ₹13,22,821 करोड़) की उधार सीमा के भीतर रहीं।

### 1.8 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों जैसे घाटे, ऋण पर एवं प्रत्याभूति पर निश्चित सीमा इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए अनुमानित किये गये राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियां जैसे कि राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण और बजटोत्तर राजकोषीय संचालन के कारण प्रभावित होता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, ऋणमोचन निधि और प्रत्याभूति मोचन निधि इत्यादि में कम अंशदान करना भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय के गलत वर्गीकरण के प्रभाव और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को कम करने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटे का विश्लेषण **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6: वास्तविक राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्युक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)
राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(ii), वित्त लेखे खंड-1)	2,378.00	--
ब्याज का गैर-भुगतान (लेखों पर टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(viii), वित्त लेखे खंड-1)	307.39	307.39
प्रत्याभूति मोचन निधि का गैर-हस्तांतरण (लेखों पर टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(ii)(B)(b), वित्त लेखे खंड-1)	15.72	15.72
उपकर/शुल्क/अधिभार का गैर-हस्तांतरण (लेखों पर टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(v), वित्त लेखे खंड-1)	389.02	389.02
<b>योग</b>	<b>3,090.13</b>	<b>712.13</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति क्रमशः ₹3,090.13 करोड़ और ₹712.13 करोड़ से थी। वित्त लेखों के अनुसार, राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹4,090.93 करोड़ और ₹41,202.22 करोड़ था, जो वास्तव में क्रमशः ₹1,000.80 करोड़ और ₹41,914.35 करोड़ होगा।

### 1.9 लेखापरीक्षा के बाद-कुल बकाया ऋण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य की समेकित निधि और लोक लेखों खाते के अंतर्गत देयताएं हैं। बकाया ऋण/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारियां और अन्य देयताएं	31 मार्च 2023 तक शेष
<b>क</b>	<b>आंतरिक ऋण</b>	<b>2,51,427.60</b>
1	बाजार ऋण	1,95,625.66
2	क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र	6,624.44
3	अन्य संस्थानों से कर्ज, इत्यादि	13,255.77
4	केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत कोष को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां	35,921.73
<b>ख</b>	<b>केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>	<b>49,797.93</b>
1	आयोजनेतर ऋण	14.36
2	राज्य आयोजित योजनाओं के लिए ऋण	10,705.20
3	1984-85 से पहले के ऋण	1.88
4	अन्य	39,076.49
<b>ग</b>	<b>लोक लेखों पर देयताएं</b>	<b>62,726.91</b>
1	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	18,019.74
2	ब्याज सहित आरक्षित निधियां	8,963.55
3	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	14,032.37
4	ब्याज सहित जमाएं	204.43
5	ब्याज रहित जमाएं	21,506.82

क्र. सं.	उधारियां और अन्य देयताएं	31 मार्च 2023 तक शेष
घ	बजटेंतर ऋण (2019–20 में ₹801.05 करोड़, 2020–21 में ₹1,255 करोड़, 2021–22 में ₹533.78 करोड़ और 2022–23 में ₹564.40 करोड़)	3,154.23
ड	बैंक टू बैंक लोन (2020–21 में ₹4,542 करोड़ और 2021–22 में ₹7,011 करोड़)	11,553.00
	योग (क+ख+ग+घ-ड)	3,55,553.67

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

वर्ष 2022–23 के अंत में, राज्य का कुल बकाया ऋण/देयताएं ₹8,398.77 करोड़ से अत्युक्ति थीं। हालांकि, उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बजटेंतर उधारियां और बैंक टू बैंक ऋण को समायोजित करने के बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण 27.48 प्रतिशत (2021–22) से घटकर 26.68 प्रतिशत (2022–23) हो गया।

## 1.10 राज्य वित्त आयोग

संवैधानिक आवश्यकता की प्रतिक्रिया में, अनुच्छेद 243 (आई) और 243 (वाई) के तहत, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम के तहत, 1995 में, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया। आयोग ने जून 1999 में, पहला पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित और दूसरा नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों में अप्रैल 1996 से मार्च 2001 तक की अवधि शामिल थी।

### 1.10.1 निधियों का हस्तांतरण एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

73वें और 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 1992, के लागू होने के बाद, नगरीय स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारियों को उन्हें सौंपकर स्थानीय स्वशासन को पूर्ण विकसित और जीवंत संस्थान बनाया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली<sup>6</sup> को संगठित किया।

### 1.10.2 पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों का हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार फरवरी 2010 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष<sup>7</sup> का चार प्रतिशत एवं एक प्रतिशत क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। वर्ष 2018–2023 के दौरान, राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय स्थानीय निकायों को किया गया था, जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

<sup>6</sup> नगरीय स्थानीय निकाय: बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषदें और संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर परिषदें। पंचायती राज संस्थाएँ: जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।

<sup>7</sup> विभाजनीय निधि का अर्थ है, करों के संग्रह के लिए किये गये व्यय के दस प्रतिशत की कटौती, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकाय को सौंपे गए राजस्व को घटाने के बाद पिछले वर्ष का निवल राज्य कर राजस्व।

तालिका 1.8: पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाएं		कम जारी	नगरीय स्थानीय निकाय		कम जारी
	हस्तांतरित की जाने वाली निधि	वास्तविक हस्तांतरित निधि		हस्तांतरित की जाने वाली निधि	वास्तविक हस्तांतरित निधि	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7 (5-6)
2018-19	1,284.41	923.68	360.73	321.10	309.22	11.88
2019-20	1,473.77	381.26	1,092.51	368.44	305.98	62.46
2020-21	1,711.37	329.62	1,381.75	427.78	300.79	126.99
2021-22	1,660.08	295.67	1,364.41	415.02	330.00	85.02
2022-23	1,985.91	1,884.44	101.47	576.56	530.82	45.74
<b>योग</b>	<b>8,115.54</b>	<b>3,814.67</b>	<b>4,300.87</b>	<b>2,108.90</b>	<b>1,776.81</b>	<b>332.09</b>

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹101.47 करोड़ और ₹45.74 करोड़ की निधि का कम हस्तांतरण हुआ था।

---

## अध्याय II

### राज्य के वित्त

---





## अध्याय II—राज्य के वित्त

### 2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों पर आधारित राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य, और पिछले वर्ष के सापेक्ष होने वाले मुख्य राजकोषीय क्रांतिक परिवर्तनों, पाँच वर्ष की अवधि 2018–19 से 2022–23 के दौरान समग्र प्रवृत्तियाँ, राज्य की ऋण संधारणीयता और मुख्य लोक लेखा लेन-देनों का विश्लेषण प्रदान करता है।

### 2.2 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान महत्वपूर्ण राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है:—

तालिका 2.1: 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 9.74 प्रतिशत से बढ़ी।</li><li>➤ राज्य के स्वयं के कर की प्राप्तियाँ 8.38 प्रतिशत से बढ़ी।</li><li>➤ स्वयं की करेतर प्राप्तियाँ 29.88 प्रतिशत से बढ़ी।</li><li>➤ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश 7.19 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ भारत सरकार से सहायतानुदान 6.21 प्रतिशत से बढ़ा।</li></ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ राजस्व व्यय 10.40 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 10.81 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 14.57 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 4.35 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ सहायतानुदान एवं अंशदान पर राजस्व व्यय 10.55 प्रतिशत से बढ़ा।</li></ul>
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 27.18 प्रतिशत से बढ़ी।</li><li>➤ ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ 9.45 प्रतिशत से कम हुई।</li></ul>
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ पूँजीगत व्यय 9.10 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 17.80 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 1.95 प्रतिशत से बढ़ा।</li><li>➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 12.80 प्रतिशत से बढ़ा।</li></ul>
कर्ज एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 2245.38 प्रतिशत से बढ़ीं।</li><li>➤ कर्जों एवं अग्रिमों के संवितरण पर पूँजीगत व्यय 26.91 प्रतिशत से कम हुआ।</li></ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ लोक ऋण प्राप्तियाँ 27.18 प्रतिशत से बढ़ी।</li><li>➤ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 45.15 प्रतिशत से बढ़ा।</li></ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ लोक लेखा प्राप्तियाँ 14.98 प्रतिशत से बढ़ी।</li><li>➤ लोक लेखों का संवितरण 15.05 प्रतिशत से बढ़ा।</li></ul>
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ रोकड़ शेष ₹1,855.31 करोड़ (10.73 प्रतिशत) से बढ़ा।</li></ul>

उपर्युक्त प्रत्येक संकेतकों का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

### 2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

तालिका 2.2 2022–23 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना 2021–22 के आंकड़ों से करती है, जबकि चार्ट 2.1 और 2.2, 2022–23 के दौरान संचित निधि में प्राप्तियाँ और उसमें से होने वाले व्यय का विवरण प्रतिशतता के संदर्भ में देते हैं।

तालिका 2.2: 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान संसाधनों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)


	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि (+) / कमी (-) (प्रतिशत)
संसाधनों के संघटक	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रारंभिक रोकड़ शेष	18,069.31	17,296.25	(-)4.28
	राजस्व प्राप्तियां	1,85,875.85	2,03,986.19	9.74
	पूंजीगत प्राप्तियां	1,597.70	46.77	(-)97.07
	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	62.17	1,458.12	2245.38
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	31,122.54 <sup>8</sup>	36,861.08	18.44
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	5,542.49	6,216.19	12.16
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.14	(-)0.78	(-)168.42
	<b>योग</b>	<b>2,42,271.20<sup>#</sup></b>	<b>2,65,863.82*</b>	9.74
संसाधनों के अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,81,061.30	1,99,895.26	10.40
	पूंजीगत व्यय	40,733.11	44,438.37	9.10
	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	3,228.69	2,360.17	(-)26.90
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.20	(-)0.95	(-)179.17
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अंतिम रोकड़ शेष	17,296.25	19,151.56	10.73
	<b>योग</b>	<b>2,42,320.55</b>	<b>2,65,844.41</b>	9.71

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

# ₹49.35 करोड़ का अंतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि पर ब्याज के पुनर्निवेश के कारण है।

\*अंतर का कारण राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹19.40 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति का न होना है।

परिशिष्ट 2.1 वर्तमान वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष के दौरान प्राप्तियां और संवितरण एवं राज्य की कुल राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रदान करती है।



<sup>8</sup> ₹7,011 करोड़ का वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैंक दू बैंक ऋण शामिल है।


## 2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:-

- राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान शामिल हैं;
- पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण एवं ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों) में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थान/वाणिज्यिक बैंको से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम समाविष्ट है। राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग हैं।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** निश्चित लेन-देनों के संदर्भ में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाएँ, उच्चत, प्रेषण, इत्यादि जो संचित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधान सभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

## 2.5 राज्य की प्राप्तियां

चार्ट 2.3 2022-23 के दौरान समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है।



## 2.6 राजस्व प्राप्तियां

### 2.6.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और संवृद्धि

**तालिका 2.3** पाँच वर्षों की अवधि 2018–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां एवं संवृद्धि प्रदान करती है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और राजस्व प्राप्तियों के संघटक क्रमशः **चार्ट 2.4** एवं **2.5** में दिये गये हैं।

**तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां**

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)</b>	<b>1,48,893</b>	<b>1,47,643</b>	<b>1,46,377</b>	<b>1,85,876</b>	<b>2,03,986</b>
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	10.39	(-)0.84	(-)0.86	26.98	9.74
<b>कर राजस्व (₹ करोड़ में)</b>	<b>1,08,369</b>	<b>1,05,342</b>	<b>1,01,373</b>	<b>1,35,779</b>	<b>1,47,154</b>
स्वयं के कर राजस्व	50,882	55,824	54,459	66,237	72,611
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	57,487	49,518	46,914	69,542	74,543
<b>करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)</b>	<b>11,899</b>	<b>10,349</b>	<b>9,902</b>	<b>15,305</b>	<b>19,878</b>
राजस्व की संवृद्धि दर (कर एवं करेत्तर राजस्व) (प्रतिशत)	14.84	(-)3.81	(-)3.82	35.78	10.56
<b>भारत सरकार से सहायतानुदान (₹ करोड़ में)</b>	<b>28,625</b>	<b>31,952</b>	<b>35,102</b>	<b>34,792</b>	<b>36,954</b>
<b>सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)</b>	<b>8,29,805</b>	<b>9,27,855</b>	<b>9,61,643</b>	<b>11,36,137</b>	<b>13,22,821</b>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	14.25	11.82	3.64	18.15	16.43
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.94	15.91	15.22	16.36	15.42
<b>उत्प्लावकता अनुपात<sup>9</sup></b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.73	--*	--*	1.49	0.59
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता	0.93	--*	--*	1.87	0.51

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी (\*नकारात्मक आंकड़ों को इंगित करता है)

**तालिका 2.3** दर्शाती है कि राजस्व प्राप्तियां 2018–19 में ₹1,48,893 करोड़ से 2022–23 में 37 प्रतिशत से बढ़कर ₹2,03,986 करोड़ तक हो गई। 2018–19 के दौरान, राज्य के कर राजस्व संसाधनों से लगभग 73 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आयीं, जबकि करेत्तर राजस्व एवं सहायतानुदान ने 27 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2022–23 में, राज्य के कर राजस्व संसाधनों से लगभग 72 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आयीं, और करेत्तर राजस्व एवं सहायतानुदान ने मिलकर 28 प्रतिशत का योगदान दिया।


2018–23 के दौरान भारत सरकार से सहायतानुदान 29.10 प्रतिशत तक बढ़ा। 2021–22 को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार से सहायतानुदान में लगातार वृद्धि हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2018–19 में 0.73 प्रतिशत से 2022–23 में 0.59 प्रतिशत तक कम हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता भी 2018–19 में 0.93 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 0.51 प्रतिशत हो गई।

<sup>9</sup> उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तनीयता की लोच या डिग्री की गतिशीलता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, 2022–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 0.59 का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत से वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.59 प्रतिशत से वृद्धि होती है।


सतत राजकोषीय स्थिरता और विकास के लिए राजस्व स्रोतों में विविधता लाना और स्थानीय कर आधार को मजबूत करना आवश्यक है।

चार्ट 2.4 में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

चार्ट 2.5 में राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियां दी गयी हैं:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


## 2.6.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार से सहायतानुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा एवं योजनाओं के लिये प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता के द्वारा होता है। अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में राज्य का प्रदर्शन इसके स्वयं के संसाधनों जिसमें इसके कर एवं करेत्तर स्रोतों से राजस्व शामिल है, के संदर्भ में आंकलित करना चाहिए।

2018–23 के दौरान मुख्य कर एवं करेत्तर राजस्व के संदर्भ में सकल संग्रहण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका सापेक्ष अंश **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

### 2.6.2.1 स्वयं के कर राजस्व

पांच साल की अवधि 2018–23 के दौरान राज्य शासन का स्वयं के कर राजस्व **चार्ट 2.6** में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018–23 के दौरान एकत्र किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है:

**तालिका 2.4: 2018–23 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व**

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	9,903	11,258	13,296	16,185	17,719
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	18,508	20,448	17,258	22,028	23,397
राज्य उत्पाद शुल्क	9,542	10,829	9,526	10,334	12,955
वाहन कर	3,008	3,251	2,749	3,029	4,028
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	5,278	5,569	6,817	8,098	8,812
भू-राजस्व	384	562	504	733	956
माल तथा यात्री पर कर	118	145	75	64	59
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,616	2,268	2,608	4,582	3,498

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अन्य कर <sup>10</sup>	1,525	1,494	1,626	1,184	1,187
<b>योग</b>	<b>50,882</b>	<b>55,824</b>	<b>54,459</b>	<b>66,237</b>	<b>72,611</b>
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8,29,805	9,27,855	9,61,643	11,36,137	13,22,821
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वयं के कर राजस्व	6.13	6.02	5.66	5.83	5.49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018–23 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 42.70 प्रतिशत से वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व में 2019–20 में ₹55,824 करोड़ से 2020–21 में ₹54,459 करोड़ तक मामूली कमी आई थी। 2020–21 को छोड़कर, पांच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई।

वर्तमान वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता (चार्ट 2.7) राज्य वस्तु और सेवा कर (32.22 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (24.40 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (17.84 प्रतिशत) थे।




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

### 2.6.2.2 केंद्र से निधियों का अंतरण

केंद्र सरकार से धन का अंतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र से अनुदान के रूप में होता है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पहले प्राप्त 32 प्रतिशत की बजाय, चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 2015–16 से 42 प्रतिशत निर्धारित किया। इसलिए, 2015–16 के बाद से केंद्र से धन के अंतरण में वृद्धि हुई, जैसा कि चार्ट 2.8 में दिखाया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2020–21 से केंद्रीय करों के 41 प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की।

<sup>10</sup> अन्य करों में कृषि भूमि के अलावा अचल संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर और वस्तुओं तथा सेवाओं पर शुल्क शामिल हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

### केंद्रीय कर अंतरण

2018–23 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को किए गए अंतरण का विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है:

**तालिका 2.5: केंद्रीय कर अंतरण की प्रवृत्तियां**

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	14,188	14,052	13,947	19,855	21,064
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	1,132	-	-	-	-
निगम कर	19,990	16,884	14,155	20,563	24,991
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	14,722	13,229	14,512	20,589	24,399
सीमा शुल्क	4,075	3,139	2,495	4,950	2,930
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2,708	2,182	1,577	2,647	919
सेवा कर	531	-	203	863	117
सम्पत्ति पर कर	7	1	-	4	-
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	30	31	25	71	123
आय और व्यय पर अन्य कर	104	-	-	-	-
<b>कुल केंद्रीय कर अंतरण</b>	<b>57,487</b>	<b>49,518</b>	<b>46,914</b>	<b>69,542</b>	<b>74,543</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	13.05	(-)13.86	(-)5.26	48.23	7.19
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	38.61	33.54	32.00	37.41	36.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

केंद्रीय कर अंतरण 2018–19 में ₹57,487 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव (2019–20 एवं 2020–21 के दौरान) के साथ ₹74,543 करोड़ तक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 में केंद्रीय कर अंतरण में ₹5,001 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर (₹4,428 करोड़ की वृद्धि) एवं निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (₹3,810 करोड़ की वृद्धि) के अंतर्गत थी।



### 2.6.2.3 राज्य वस्तु और सेवा कर

वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तु और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक) के लिए वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करेगी। अधिनियम की धारा 5(5) के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के लिये मध्य प्रदेश के अनुमानित राजस्व की गणना ₹15,398 करोड़ की गई थी। अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर आधार वर्ष के राजस्व पर लागू करते हुए अगले वर्षों के लिये अनुमानित राजस्व नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

क्षतिपूर्ति अवधि (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक) तक, अनुमानित राजस्व ₹1,36,902 करोड़ है जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने राज्य वस्तु और सेवा कर एवं वस्तु और सेवा कर में शामिल अन्य अधिनियमों के अंतर्गत ₹98,129 करोड़ संग्रहित किये। वर्ष 2022-23 के लिए, राज्य शासन ने राज्य वस्तु और सेवा कर एवं वस्तु और सेवा कर में शामिल अन्य अधिनियमों के अंतर्गत अनुमानित बजट ₹25,000 करोड़ के विरुद्ध ₹23,397 करोड़ एकत्रित किए। इस अवधि में भारत सरकार ने वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुयी राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹22,868 करोड़ जारी किए। इस प्रकार भारत सरकार से राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुमानित राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति ₹15,905 करोड़ से कम थी।

भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार क्षतिपूर्ति अवधि के लिये राज्य वस्तु और सेवा कर की राशि ₹42,037 करोड़ है वित्त लेखों के अनुसार इसी अवधि के लिये राज्य वस्तु और सेवा कर की राशि ₹41,739 करोड़ है। अंतर पुनर्मिलान के अधीन है।

तालिका 2.6: आधार वर्ष राजस्व की समीक्षा के बाद मध्य प्रदेश शासन को भुगतान योग्य निवल क्षतिपूर्ति राशि

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	आधार वर्ष राजस्व पर 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से अनुमानित राजस्व	संगृहीत एवं महालेखाकार द्वारा प्रमाणित वास्तविक राजस्व	प्राप्त योग्य क्षतिपूर्ति राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि (वित्त लेखों के अनुसार)	अभी तक प्राप्त नहीं हुई क्षतिपूर्ति राशि
01.07.17 से 31.03.18	15,008.03	12,213.98	2,794.05	2,511.00	283.05
2018-19	22,812.21	19,410.05	3,402.16	2,866.00	536.16
2019-20	26,005.92	19,270.78	6,735.14	4,530.78	2,204.36
2020-21	29,646.74	18,307.11	11,339.63	5,293.23	6,046.40
2021-22	33,797.29	22,191.98	11,605.31	3,094.90	8,510.41
2022-23 (जून 22 तक)	9,632.23	6,735.37	2,896.86	4,571.80	(-)1,674.94
योग (2017-18 से 2022-23 तक)	1,36,902.42	98,129.27	38,773.15	22,867.71	15,905.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

हालांकि, वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के कारण संसाधन अंतर को पूरा करने के लिये भारत सरकार से ₹4,542 करोड़ (2020-21) एवं ₹7,011 करोड़ (2021-22) का बैंक टू बैंक ऋण भी राज्य शासन को प्राप्त हुआ।

### 2.6.2.4 बकाया राजस्व और कर आंकलन के बकाया का विश्लेषण

राजस्व की बकाया राशि का कारण शासन के राजस्व आंकलन में देरी को इंगित करता है। इसी प्रकार, कर आंकलन का बकाया संभावित राजस्व को इंगित करता है, जो आंकलन में देरी के कारण अवरूद्ध है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

#### बकाया राजस्व

31 मार्च 2023 तक, प्रमुख राजस्व शीर्षों के संदर्भ में राजस्व की बकाया राशि ₹8,611.86 करोड़ थी, जिसमें से ₹4,603.18 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थी, जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि	31 मार्च 2023 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1	स्टांप एवं पंजीयन शुल्क	404.65	211.51
2	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर वैट/कर	5,755.49	4,386.90
3	वस्तु और सेवा कर	2,450.91	4.77
	<b>योग</b>	<b>8,611.05</b>	<b>4,603.18</b>

स्रोत: विभागीय जानकारी

अन्य विभागों से अनुरोध किये जाने (जुलाई 2023) इसके बाद अगस्त 2023 में अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद बकाया राजस्व एवं आंकलन से संबंधित विवरण प्रस्तुत (नवंबर 2023) नहीं किये।

#### आंकलन में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या, आंकलन के कारण बनने वाले प्रकरणों, वर्ष के दौरान निपटाये गये मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित प्रकरणों की संख्या, जैसा कि स्टाम्प एवं पंजीयन और वाणिज्यिक विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी को तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: आंकलन में बकाया

राजस्व शीर्ष	2022-23 के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या	2022-23 के दौरान आंकलन के लिए देय नये प्रकरण	आंकलन के लिए देय कुल प्रकरण	2022-23 के दौरान निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	33,762	1,215	34,977	1,757	33,220	5.02
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर वैट/कर	31,923	22,269	54,192	45,931	8,261	84.76
वस्तु एवं सेवा कर	10,062	14,543	24,605	17,422	7,183	70.81

स्रोत: विभागीय जानकारी

### 2.6.2.5 कर अपवंचन

राजस्व विभागों द्वारा कर अपवंचन के प्रकरणों का पता लगाना, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग उठाना राज्य शासन के राजस्व संग्रहण के लिए किये गये प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वापसी प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता विभागीय निष्पादन का एक संकेतक है। वापसी के प्रकरणों का उच्च अवलंबन, लाल फीताशाही, निहित स्वार्थों, स्पीड मनी की व्यापकता, इत्यादि का संकेत हो सकते हैं।

31 मार्च 2023 तक स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा प्रतिवेदित, कर अपवंचन के प्रकरणों की जांच, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग को उठाने संबंधी विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9: कर अपवंचन जाँच

राजस्व की प्रकृति	31.03.2022 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	2022-23 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया		31.03.2023 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
स्टांप एवं पंजीयन शुल्क	13,295	12,169	25,464	11,651	81.82	13,813

स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

तालिका 2.10 स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क विभाग के वापसी प्रकरणों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.10: वापसी प्रकरणों का विवरण

स. क्र.	विवरण	स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में बकाया दावे	4,029	15.20
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	13,089	59.24
3	वर्ष के दौरान की गई वापसी	11,972	51.37
4	वर्ष के दौरान खारिज की गई वापसियां	0	0
5	वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया शेष	5,146	23.07

स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

### 2.6.2.6 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2018-23 के दौरान एकत्र किए गए करेत्तर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है:

तालिका 2.11: 2018-23 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व


(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	3,934	4,320	4,557	6,180	7,360
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,366	2,060	1,383	3,019	1,840
वानिकी एवं वन्य जीवन	1,043	833	1,240	1,406	1,395
ब्याज प्राप्तियां	880	443	243	1,644	4,569
लाभांश एवं लाभ	347	476	288	139	160

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	3,329	2,217	2,191	2,917	4,554 <sup>11</sup>
<b>योग</b>	<b>11,899</b>	<b>10,349</b>	<b>9,902</b>	<b>15,305</b>	<b>19,878</b>
राजस्व प्राप्तियां	1,48,893	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	7.99	7.01	6.76	8.23	9.74


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

करेत्तर राजस्व, पाँच वर्षों की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान जो अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ (2019-20 एवं 2020-21 के दौरान) राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का सात से 10 प्रतिशत के मध्य था। 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में यह ₹4,573 करोड़ से बढ़ा, और करेत्तर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (37.03 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियां (22.99 प्रतिशत), फसल कर्म (11.18 प्रतिशत) और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (9.26 प्रतिशत) थे।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

<sup>11</sup> फसल कर्म (₹2,221.62 करोड़), लघु सिंचाई (₹331.97 करोड़), ऊर्जा (₹329.07 करोड़), पुलिस (₹263.05 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹195.06 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹179.78 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹179.31 करोड़) और अन्य प्राप्तियां (₹854.14 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।



2022-23 के दौरान, करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत थी।

- “सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज” में वृद्धि के कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹2,925 करोड़ (177.92 प्रतिशत) से;
- “अन्य प्रप्तियां” में वृद्धि के कारण फसल कर्म में ₹2,197 करोड़ (8797 प्रतिशत) से एवं
- “खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी” में वृद्धि के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹1,180 करोड़ (19.09 प्रतिशत) से वृद्धि हुई।

### 2.6.2.7 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के अंश प्राप्त करती है। राज्य को भारत सरकार से सहायतानुदान का विवरण नीचे तालिका 2.12 में दिया गया है:

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतानुदान

विवरण <sup>2</sup>	(₹ करोड़ में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आयोजनेत्तर अनुदान	4,921	-	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	20,821	-	-	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	17	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	-	19,548	21,340	25,488	26,291
राज्यों को अन्य अनुदान (वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए एवं राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि में अंशदान के लिए अनुदान)	2,866	6,327	7,185	3,695	5,169
वित्त आयोग अनुदान	-	6,078	6,577	5,609	5,495
<b>योग</b>	<b>28,625</b>	<b>31,953</b>	<b>35,102</b>	<b>34,792</b>	<b>36,955</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	(-)5.06	11.63	9.86	(-)0.88	6.22

<sup>12</sup> लेखा-महानियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायता अनुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया है। हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखों में 1 अप्रैल 2019 से पुनरीक्षण प्रभावी किया गया।

विवरण <sup>2</sup>	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां	1,48,893	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	19.23	21.64	23.98	18.72	18.12

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायतानुदान में 2018-19 में ₹28,625 करोड़ से 2022-23 में ₹36,955 करोड़ तक की वृद्धि हुई। आयोजना एवं आयोजनेत्तर वर्गीकरण को वित्त वर्ष 2019-20 से वार्षिक लेखों से समाप्त कर दिया गया था एवं भारत सरकार से दिया जाने वाला सहायतानुदान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अनुदानों की निधियों के रूप में दिया गया।

2022-23 में भारत सरकार से सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,163 करोड़ (6.22 प्रतिशत) की वृद्धि, मुख्यतः "वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति" एवं "अन्य हस्तांतरण/राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान" के अंतर्गत ("केन्द्रीय सड़क एवं अवसरचना निधि से अनुदान") में वृद्धि के कारण थी।

### केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2022-23 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹26,291 करोड़ के अनुदान में से मुख्य राशियां दी गईं:

- सामान्य शिक्षा-सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा अभियान (₹2,774-करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में 97 प्रतिशत की कमी);
- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-औषधीय पादप मिशन सहित आयुष का राष्ट्रीय मिशन (₹595 करोड़-पिछले वर्ष की तुलना में 210 प्रतिशत की वृद्धि);
- जलापूर्ति तथा सफाई-पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (₹1,264 करोड़-पिछले वर्ष की तुलना में 96 प्रतिशत की कमी);
- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-समेकित बाल विकास सेवाएँ (₹805 करोड़-पिछले वर्ष की तुलना में 108 प्रतिशत की वृद्धि);
- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-समग्र शिक्षा कार्यक्रम (₹1,208 करोड़-पिछले वर्ष की तुलना में 167 प्रतिशत की वृद्धि)।

### 2.6.2.8 सिंगल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधियों के उपयोग की निगरानी तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधि के जारी होने की प्रक्रिया अधिसूचित की थी। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रत्येक केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु सिंगल नोडल एजेंसी की, अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापना की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने लेखे में प्राप्त केन्द्रांश को संबंधित राज्यांश के साथ संबंधित सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरण करना होता है।

राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के दौरान अपने कोषालय लेखे में केन्द्रांश ₹21,237.40 करोड़ प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2023, को राज्यांश ₹15,603.02 करोड़ था, सरकार द्वारा कोषालय लेखे में प्राप्त केन्द्रांश ₹19,883.83 करोड़ तथा राज्यांश ₹14,298.04 करोड़ सिंगल नोडल एजेंसी को अंतरित किया गया। महालेखाकार कार्यालय को सिंगल नोडल एजेंसी से वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक तथा समर्थित

दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। जैसा राज्य सरकार/सिंगल नोडल एजेंसी द्वारा सूचित किया गया कि 31 मार्च 2023 तक सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में ₹12,081.03 करोड़ अव्ययित पड़े हुए हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए सिंगल नोडल एजेंसी को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) में पंजीकृत किया जाये और प्रत्येक सिंगल नोडल एजेंसी का बैंक में खाता खोला जाए तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में प्रतिचित्रण किया जाए।

## 2.7 चौदहवां/पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा मोचन निधि के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है। स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय स्थानीय निकायों) के लिए अनुदान, पहले भारत सरकार से राज्य के लिये अंतरित होते हैं और वही अनुदान तब राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अंतरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिये गये अनुदानों का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है:

तालिका 2.13: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी एवं अंतरित सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			राज्य शासन द्वारा जारी		
	2018-22	2022-23	योग	2018-22	2022-23	योग	2018-22	2022-23	योग
(i) पंचायती राज संस्थानों को अनुदान	14,085.89	3,050.00	17,135.89	12,121.56	2,387.00 <sup>@</sup>	14,508.56	12,121.56	2,387.00	14,508.56
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	13,296.92	3,050.00	16,346.92	11,824.92	2,387.00	14,211.92	11,824.92	2,387.00	14,211.92
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	788.97	-	788.97	296.64	-	296.64	296.64	-	296.64
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	6,132.35	1,502.00	7,634.35	5,440.65	948.85 <sup>#</sup>	6,389.50	5,440.65	948.85	6,389.50
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	2,161.80	-	2,161.80	2,161.80	-	2,161.80	2,161.80	-	2,161.80
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	602.55	-	602.55	229.75	-	229.75	229.75	-	229.75
(स) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर	1,050.00	468.00	1,518.00	1,030.50	132.45	1,162.95	1,030.50	132.45	1,162.95
(द) दस लाख से कम आबादी वाले शहर	2,318.00	1,034.00	3,352.00	2,018.60	816.40	2,835.00	2,018.60	816.40	2,835.00
स्थानीय निकायों का योग	20,218.24	4,552.00	24,770.24	17,562.21	3,335.85	20,898.06	17,562.21	3,335.85	20,898.06
राज्य आपदा मोचन निधि*	5,514.00	1,911.00	7,425.00	5,201.50	1,719.90	6,921.40	5,201.50	1,719.90	6,921.40

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

<sup>@</sup> वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹1,472 करोड़ सहित वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थानों के लिए अनुदान

<sup>#</sup> वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹314.10 करोड़ सहित वित्त वर्ष 2022-23 में नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

\* कुल अनुदान का राज्य का 25 प्रतिशत अंश भी शामिल है।

2018-23 की अवधि के लिये चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की स्थानीय निकायों के लिए ₹24,770.24 करोड़ के अनुशंसित अनुदान के विरुद्ध भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को ₹3,872.18 करोड़ कम जारी किए।

इसके अलावा, चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 2018-23 की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹7,425.00 करोड़ की अनुशंसा की, जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य को ₹503.60 करोड़ कम जारी किये।

## 2.8 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्तियां, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋणों, वित्त संस्थानों एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं।

पांच साल की अवधि 2018-23 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन की पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 2.14 में दिया गया है:

तालिका 2.14: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	13	14	14	1,598	47
2	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-	-	-	1	(-1)
3	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	70	46	58	62	1,458
4	<b>ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)</b>	<b>83</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>1,661</b>	<b>1,504</b>
5	ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)98.37	(-)27.71	20.00	2,206.94	(-)9.45
6	आंतरिक ऋण	28,701	29,496	54,242	33,671	48,202
7	आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	43.68	2.77	83.90	(-)37.92	43.16
8	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्ज और अग्रिम	3,796	4,868	10,929 <sup>13</sup>	12,614 <sup>14</sup>	10,665
9	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्जों और अग्रिमों की वृद्धि दर	98.02	28.24	124.51	15.42	(-)15.45
10	<b>लोक ऋण प्राप्तियां (6+8)</b>	<b>32,497</b>	<b>34,364</b>	<b>65,171</b>	<b>46,285</b>	<b>58,867</b>
11	<b>पूंजीगत प्राप्तियां (4+10)</b>	<b>32,580</b>	<b>34,424</b>	<b>65,243</b>	<b>47,946</b>	<b>60,371</b>
12	लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	48.44	5.75	89.65	(-)28.98	27.18
13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.25	11.82	3.64	18.15	16.43
14	पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.75	5.66	89.53	(-)26.51	25.91

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन की पूंजीगत प्राप्तियां 2021-22 में ₹47,946 करोड़ से 2022-23 में ₹60,371 करोड़ तक 25.91 प्रतिशत से वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण में 2021-22 में ₹33,671 करोड़ से 2022-23 में ₹48,202 करोड़ तक (43 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

<sup>13</sup> ₹4,542 करोड़ का वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैंक दू बैंक ऋण शामिल है।

<sup>14</sup> ₹7,011 करोड़ का वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैंक दू बैंक ऋण शामिल है।



## 2.9 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन वर्ष 2022–23 के लिए स्वयं के कर और करेत्तर स्रोत शामिल कर उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है।

तालिका 2.15: अनुमान के सापेक्ष स्वयं के कर एवं करेत्तर प्राप्ति

विवरण	पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	(₹ करोड़ में)	
				वास्तविक से भिन्नता का प्रतिशत	बजट अनुमान
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	
स्वयं के कर राजस्व	64,211	72,860	72,611	13.08	(-)0.34
करेत्तर राजस्व	17,035	13,618	19,878	16.69	45.97
<b>योग</b>	<b>81,246</b>	<b>86,478</b>	<b>92,489</b>	<b>13.84</b>	<b>6.95</b>

स्रोत: वित्त लेख 2022–23, पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और बजट अनुमान

तालिका 2.15 से, यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन ने संसाधन जुटाने के लिए बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों को 6.95 प्रतिशत से अधिक कर दिया, जिसमें, प्रमुख योगदान करेत्तर राजस्व से था, जहां वास्तविक, अनुमान से ₹6,260 करोड़ (45.97 प्रतिशत) अधिक था।

## 2.10 संसाधनों का अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के अन्तर्गत व्ययों को उठाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार में निहित है, जबकि उसी समय पर यह सुनिश्चित करना कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में किये गये व्यय की कीमत पर नहीं हो। यह कंडिका, उप-कंडिकाओं के साथ, राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है।

### 2.10.1 व्यय की संवृद्धि और संरचना

**राजस्व व्यय:** रखरखाव, मरम्मत, वस्तुओं के रखरखाव एवं कामकाजी व्यय पर शुल्क, जो कि संपत्तियों को चालू अवस्था में बनाये रखने के लिए आवश्यक है साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गये अन्य सभी व्ययों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

**पूंजीगत व्यय:** किसी परियोजना के पहले निर्माण के सभी शुल्कों के साथ-साथ सेवा के लिए नहीं खोले जाने वाले कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव के लिए शुल्क और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधारों के लिए शुल्क जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों के तहत स्वीकृत किये जा सकते हैं, उन्हें पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

**कर्ज एवं अग्रिम:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों के लिए सरकार द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिम।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.16 में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसके संघटक


(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>कुल व्यय</b>	<b>1,72,664</b>	<b>1,80,672</b>	<b>1,96,319</b>	<b>2,25,024</b>	<b>2,46,692</b>
राजस्व व्यय	1,42,149	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895
पूंजीगत व्यय	29,424	29,241	30,356	40,733	44,438
कर्ज और अग्रिम	1,090	987	1,230	3,229	2,360
अंतर्राज्यीय समाशोधन	1	(-)0.62	(-)0.25	1	(-)0.95
<b>सकल राज्य घरेलू उत्पाद</b>	<b>8,29,805</b>	<b>9,27,855</b>	<b>9,61,643</b>	<b>11,36,137</b>	<b>13,22,821</b>
<b>सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में</b>					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.81	19.47	20.41	19.81	18.65
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.13	16.21	17.13	15.94	15.11
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.55	3.15	3.16	3.59	3.36
कर्ज तथा अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.13	0.11	0.13	0.28	0.18


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय 2018-19 में ₹1,72,664 करोड़ से 2022-23 में ₹2,46,692 करोड़ तक 43 प्रतिशत से बढ़ा। 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में यह 9.63 प्रतिशत से बढ़ा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 2018-23 के दौरान कुल व्यय 20.81 प्रतिशत से 18.65 प्रतिशत तक कम हुआ।


चार्ट 2.12 और 2.13, 2018-23 की अवधि में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करते हैं जबकि चार्ट 2.14 कुल व्यय में घटकों के हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूंजीगत व्यय 2018-19 में ₹29,424 करोड़ से 2022-23 में ₹44,438 करोड़ हो गया जिसमें 51.03 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 2018-19 में 3.55 प्रतिशत से 2022-23 में 3.36 प्रतिशत तक कम हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान वृहद् सिंचाई (₹1,987 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹651 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में ₹3,705 करोड़ (9.10 प्रतिशत) से वृद्धि हुई।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय सामान्य सेवाओं, ब्याज भुगतान सहित, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय से अंगभूत हैं। 2022-23 के दौरान कुल व्यय ₹2,46,692 करोड़ (संदर्भ परिशिष्ट 2.1) में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा तालिका 2.17 में दिया गया है:

तालिका 2.17: व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष अंश


(प्रतिशत में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं	22.49	22.59	24.88	22.42	22.69
सामाजिक सेवाएं	37.31	39.38	39.17	38.22	39.21
आर्थिक सेवाएं	35.12	34.22	32.32	34.76	33.96
अन्य (स्थानीय निकायों के लिये अनुदान और कर्ज एवं अग्रिम)	5.08	3.81	3.63	4.60	4.14

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के उपरोक्त घटकों के सापेक्ष अंशों से संकेत मिलता है कि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं के अंश में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान क्रमशः 0.27 प्रतिशत एवं 0.99 से वृद्धि हुई। हालांकि, ये बढ़ोतरी आर्थिक सेवाओं के संबंधित हिस्से में कमी से प्रति संतुलित हुयी।

2022-23 के दौरान व्यय की संरचना चार्ट 2.15 में चित्रित है।



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

### 2.10.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना एवं सेवा संजाल में कोई इजाफा नहीं करता है।

समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, इसका कुल व्यय से अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका 2.18 में संकेतिक है। 2022-23 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार वितरण चार्ट 2.16 में दिया गया है:


तालिका 2.18: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय	1,72,664	1,80,672	1,96,319	2,25,024	2,46,692
राजस्व व्यय	1,42,149	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895
राजस्व व्यय की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.14	5.84	9.50	9.91	10.40
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	82.33	83.27	83.91	80.46	81.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8,29,805	9,27,855	9,61,643	11,36,137	13,22,821
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.13	16.21	17.13	15.94	15.11
राजस्व प्राप्तियां	1,48,893	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	95.47	101.90	112.54	97.41	97.99
<b>राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.64	0.49	2.61	0.55	0.63
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.88	(-)6.95	(-)11.08	0.37	1.07

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ राजस्व प्राप्तियों (अनुपात) में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान 0.70 से वृद्धि हुई।



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2022-23 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 0.83 प्रतिशत से कमी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ₹1,86,684 करोड़ से (16.43 प्रतिशत) वृद्धि के कारण आयी। इसके अलावा, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (₹1,98,916 करोड़) में किए गए आंकलन की तुलना में राजस्व व्यय ₹979 करोड़ से अधिक था।

### 2.10.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नता का विवरण तालिका 2.19 में वर्णित है।

तालिका 2.19: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा का मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	भिन्नता (प्रतिशत)
2049-ब्याज भुगतान	18,445.91	19,453.27	1,007.36(5.46)
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ	17,042.13	19,690.62	2,648.49(15.54)
2202-सामान्य शिक्षा	28,573.06	31,256.22	2,683.16(9.39)
2216-आवास	6,102.20	10,817.73	4,715.53(77.28)
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,308.11	8,520.75	1,212.64(16.59)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2,771.83	1,873.82	-898.01(32.40)
2408-खाद्य, भंडारण एवं वेयरहाउस	3,780.40	1,225.97	-2,554.43(67.57)
2505-ग्रामीण रोजगार	3,756.03	1,558.79	-2,197.24(58.50)
2801-ऊर्जा	23,413.43	27,135.71	3,722.28(15.90)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष 2216-आवास के अन्तर्गत राजस्व व्यय में ₹4,715 करोड़ से वृद्धि, "ग्रामीण आवास" के अन्तर्गत "ग्राम पंचायतों को सहायता" पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। आगे, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 2801-ऊर्जा के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि, "ग्रामीण विद्युतीकरण" के अन्तर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। मुख्य शीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण एवं वेयरहाउस में "खाद्य" के अन्तर्गत "खाद्य सब्सिडी" पर व्यय में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,554 करोड़ से राजस्व व्यय में कमी आयी।

### 2.10.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य शासन के राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें सामान्यतः बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता या वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं, पूंजीगत व्यय इत्यादि जैसे परिवर्तनीय लेन-देन से भिन्न उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (क) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण- वेतन और भत्तों के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण);
- (ख) आरक्षित निधि में अंशदान की वैधानिक आवश्यकताएं-समेकित ऋण शोधन निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि, राज्य आपदा शमन/मोचन निधि इत्यादि में अंशदान;
- (ग) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति- वर्ष के अंदर प्रतिपूर्ति की गई राशि;
- (घ) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में अंतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है;
- (ङ) प्राप्त केन्द्रीय निधि के विरुद्ध केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अंश योगदान-राज्य के हिस्से की राशि सिंगल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित करना/ राज्य द्वारा खर्च करना;
- (च) ब्याज देने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसा कि उनका निवेश किया जा सकता था एवं लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत व्यय के रूप में किया जा सकता था-ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय पर बढ़ती प्रवृत्ति सरकार को विकासात्मक क्षेत्र के लिए कम लचीलापन छोड़ती है। प्रतिबद्ध व्यय और अनम्य व्यय एवं इसके संघटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तालिका 2.20 में वर्णित है और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश चार्ट 2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	27,256	31,160	37,759	41,096	46,799
पेंशन पर व्यय	11,984	12,053	14,671	17,042	19,691
ब्याज भुगतान	12,696	14,217	15,918	18,446	19,453
राजसहायताएं	21,222	12,642	13,669	19,285	19,289
<b>योग</b>	<b>73,158</b>	<b>70,072</b>	<b>82,017</b>	<b>95,869</b>	<b>1,05,232</b>
<b>अनम्य व्यय के संघटक</b>					
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	7,671.66	5,900.24	5,900.29	7,125.46	7,877.50
आरक्षित निधि को अंशदान	2,231.96	9,012.96	8,284.84	7,232.00	5,030.36
आकिस्मकता निधि को प्रतिपूर्ति	225.96	256.48	386.97	49.30	263.69
आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का अंतरण	1,037.45	442.45	1,065.00	884.45	500.00
प्राप्त केन्द्रीय निधि के विरुद्ध केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अंश योगदान*	--	--	--	--	14,298.04
ब्याज देने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसा कि उनका निवेश किया जा सकता था एवं लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में किया जा सकता था—ब्याज भुगतान।	--	--	--	--	--
<b>योग</b>	<b>11,167.03</b>	<b>15,612.13</b>	<b>15,637.10</b>	<b>15,291.21</b>	<b>27,969.59</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय</b>					
वेतन एवं मजदूरी	18.31	21.10	25.80	22.11	22.94
पेंशन पर व्यय	8.05	8.16	10.02	9.17	9.65
ब्याज भुगतान	8.53	9.63	10.87	9.92	9.54
राजसहायताएं	14.25	8.56	9.34	10.38	9.46
<b>योग</b>	<b>49.13</b>	<b>47.46</b>	<b>56.03</b>	<b>51.58</b>	<b>51.59</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय</b>	<b>7.50</b>	<b>10.57</b>	<b>10.68</b>	<b>8.23</b>	<b>13.71</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय</b>					
वेतन एवं मजदूरी	19.17	20.71	22.92	22.70	23.41
पेंशन पर व्यय	8.43	8.01	8.91	9.41	9.85
ब्याज भुगतान	8.93	9.45	9.66	10.19	9.73
राजसहायताएं	14.93	8.40	8.30	10.65	9.65
<b>योग</b>	<b>51.47</b>	<b>46.58</b>	<b>49.79</b>	<b>52.95</b>	<b>52.64</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय</b>	<b>7.86</b>	<b>10.38</b>	<b>9.49</b>	<b>8.45</b>	<b>13.99</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* आंकड़े उपलब्ध नहीं

प्रतिबद्ध व्यय 2018-19 में ₹73,158 करोड़ (राजस्व व्यय का 51.47 प्रतिशत) से 2022-23 में ₹1,05,232 करोड़ (राजस्व व्यय का 52.64 प्रतिशत) तक बढ़ा। हालांकि, 2021-22 की तुलना में 2022-23

में प्रतिबद्ध व्यय में ₹9,363 करोड़ (9.77 प्रतिशत) से वृद्धि मुख्यतः पेंशन पर व्यय में 15.54 प्रतिशत से वृद्धि और वेतन एवं मजदूरी में 13.88 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय (₹1,05,232 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹1,99,895 करोड़) का 52.64 प्रतिशत लेखांकित (चार्ट 2.17) था।

### अनम्य व्यय

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनम्य व्यय के घटकों में निरंतर वृद्धि देखी गयी। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय 7.86 प्रतिशत से 13.99 प्रतिशत तक बढ़ा। आगें, पिछले वर्ष की तुलना में (₹15,291.21 करोड़) 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय (₹27,969.59 करोड़) 82.91 प्रतिशत से बढ़ा।

### 2.10.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान में अन-उन्मोचित दायित्व

2022-23 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹19,690.61 करोड़ था, जिसमें से ₹3,390.24 करोड़ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय हुआ जो 1 जनवरी 2005 या उसके बाद भर्ती हुये कर्मचारियों पर लागू होती है।

### राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

नवीन पेंशन योजना को 1 जनवरी 2005 से प्रारंभ में शासकीय कर्मचारियों के लिये अभिकल्पित किया गया था। आगे इसे 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में पुनर्संरचित किया गया। योजना के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, जिसमें राज्य शासन द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के माध्यम से अंतरित की जाती है। 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान के रूप में नियोक्ता का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया।

1 अक्टूबर 2009 से प्रभावी, मध्य प्रदेश शासन ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान को शीर्ष 0071-01-500-अन्य लघु शीर्ष को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां' के अंतर्गत एवं शासन के अंशदान को शीर्ष 2071-01-117-में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान से विकलित कर एवं उसके बाद शासकीय अंशदान



को 0071-01-500 शीर्ष 'अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियों में' अंतरण हेतु वर्गीकृत करना शुरू किया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए कुल अंशदान ₹5,862.80 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹2,472.56 करोड़ शासन का अंशदान ₹3,390.24 करोड़) था। शासकीय अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखों के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। वर्ष के दौरान शासन ने संपूर्ण राशि को मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत लघु शीर्ष 500—'प्रतीक्षित प्राप्तियों में अंतरण' में अंतरित किया एवं ₹5,865.24 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित किये।

#### 2.10.2.4 राजसहायताएं

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं 2021-22 में 10.38 प्रतिशत से 2022-23 में 9.46 प्रतिशत तक कम हुईं और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2021-22 में 10.65 प्रतिशत से 2022-23 में 9.65 प्रतिशत तक कम हुईं, जिसे तालिका 2.21 में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है।

तालिका 2.21: 2018-23 के दौरान राजसहायताओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरणियां	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजसहायताएं	21,222	12,642	13,669	19,285	19,289
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	14.25	8.56	9.34	10.38	9.46
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	14.93	8.40	8.30	10.65	9.65
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-)	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-) के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	315	(-)451	(-)74	401	471

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान, राजसहायताओं में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई।

#### 2.10.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता

2018-23 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता की प्रमात्रा को तालिका 2.22 में प्रस्तुत किया है:

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>(अ) स्थानीय निकाय</b>					
पंचायती राज संस्थान	26,301.03	18,828.94	19,103.09	16,889.40	20,441.40
नगरीय स्थानीय निकाय	11,408.89	6,204.28	6,873.93	7,001.23	6,989.61
<b>योग (अ)</b>	<b>37,709.92</b>	<b>25,033.22</b>	<b>25,977.02</b>	<b>23,890.63</b>	<b>27,431.01</b>
<b>(ब) अन्य</b>					
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	661.03	93.50	51.84	100.17	107.86
स्वायत्त निकाय	2,245.30	3,099.07	3,223.99	4,632.80	4,265.04
सहकारी समितियाँ और सहकारी संस्थाएं	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर-सरकारी संगठन	1,280.38	689.03	880.53	1,090.95	1,047.81
अन्य	11,368.55	35,292.46	33,310.86	35,983.70	38,626.00

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
₹10 करोड़ से कम व्यय वाली अन्य योजनाएं	1,082.58	1,051.05	826.71	899.72	1,029.08
<b>योग (ब)</b>	<b>16,718.12</b>	<b>40,225.11</b>	<b>38,293.93</b>	<b>42,707.34</b>	<b>45,075.79</b>
<b>महायोग (अ+ब)</b>	<b>54,428.04</b>	<b>65,258.33</b>	<b>64,270.95</b>	<b>66,597.97</b>	<b>72,506.80</b>
राजस्व व्यय	1,42,149.21	1,50,444.30	1,64,733.01	1,81,061.30	1,99,895.26
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	<b>38.29</b>	<b>43.36</b>	<b>39.02</b>	<b>36.78</b>	<b>36.27</b>


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2018-19 में ₹54,428.04 करोड़ से 2022-23 में ₹72,506.80 करोड़ तक ₹18,078.76 करोड़ से बढ़ी। 2022-23 के दौरान, स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,540.38 करोड़ से बढ़ी।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2018-19 में 38.29 प्रतिशत से 2019-20 में 43.36 प्रतिशत तक बढ़ी और उसके बाद 2022-23 में लगातार 36.27 प्रतिशत तक कम हुई।

### 2.10.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में प्राथमिक रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों, जैसे- भवन, सड़कें, पुलों, इत्यादि के निर्माण पर व्यय शामिल होता है। पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान बजट के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण चार्ट 2.18 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य का पूंजीगत व्यय 2019-20 को छोड़कर 2018-19 में ₹29,424 करोड़ से 2022-23 में ₹44,438 करोड़ तक बढ़ा।

#### 2.10.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.23 विगत वर्ष के सापेक्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी के प्रकरणों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.23: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	भिन्नता (प्रतिशत)
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,493.87	2,145.07	651.20(43.59)
4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	962.76	1,609.82	647.06(67.21)
4215—जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	8,928.65	6,739.49	-2,189.16(24.52)
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,831.03	2,339.13	508.10(27.75)
4225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	571.06	1,114.14	543.08(95.10)
4700—वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,575.14	10,562.18	1,987.04(23.17)
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	989.02	1,202.37	213.35(21.57)
<b>योग</b>	<b>23,351.53</b>	<b>25,712.20</b>	<b>2,360.67(10.11)</b>
<b>वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय</b>	<b>40,733.11</b>	<b>44,438.37</b>	<b>3,705.26(9.10)</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹10,562.18 करोड़ वृहद् सिंचाई पर व्यय किया गया जो कुल पूंजीगत व्यय ₹44,438.37 करोड़ का 24 प्रतिशत है, और पिछले वर्ष की तुलना में वृहद् सिंचाई पर व्यय में 23 प्रतिशत से वृद्धि हुई। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय नौ प्रतिशत से बढ़ गया है।

### 2.10.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही ऐसी शासकीय कंपनियों में निवेश करना जारी रखती है जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, निवेश पर प्रतिलाभ की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह, अनुभव ने घाटे में चल रहे निगमों एवं अन्य निकायों, जैसे—चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिये गये कर्जों को बट्टे खाते में डालने की अनिवार्यता को दिखाया है। ऐसी वित्तीय प्रक्रियाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कदम उठाने होंगे। यह अनुभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, में पूंजीगत व्यय संवहनीय नहीं है।

ऐसी कंपनियों, निगमों एवं सहकारिताओं में निवेश करना एवं कर्ज देना, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये पूंजीगत निवेश के अंश में निवेश पर प्रतिलाभ और विभिन्न निकायों को दिये जाने वाले कर्जों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

### निवेश एवं प्रतिलाभ

2022-23 के वित्त लेखों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने 2022-23 के दौरान राज्य में 35 सांविधिक निगमों, 52 शासकीय कंपनियों, 24 संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां, एक बैंक एवं 129 सहकारी संस्थाओं में ₹43,384.04 करोड़ का निवेश किया था। 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने इन निवेशों पर ₹159.58 करोड़ का प्रतिलाभ अर्जित किया। पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा किये गये निवेश का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.24: 31 मार्च 2023 तक निवेश एवं निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण

(₹ करोड़ में)

इकाइयां	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सांविधिक निगम (इकाइयों की संख्या)	9,259.66 (34)	10,038.35 (35)	10,892.35 (35)	12,019.7 2 (35)	13,018.59 (35)
शासकीय कंपनियां (इकाइयों की संख्या)	24,349.56 (41)	24,713.23 (41)	26,544.84 (44)	26,657.7 0 (44)	27,992.26 (52)
संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (इकाइयों की संख्या)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)
बैंक <sup>15</sup> (इकाइयों की संख्या)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)
सहकारी संस्थाएं (इकाइयों की संख्या)	1,629.57 (130)	1,620.63 (130)	1,653.36 (129)	2,380.15 (129)	2,371.88 (129)
<b>वर्ष के अंत में निवेश</b>	<b>35,240.10</b>	<b>36,373.52</b>	<b>39,091.86</b>	<b>41,058.88</b>	<b>43,384.04</b>
निवेश पर प्रतिलाभ	347.26	475.96	288.44	138.73	159.58
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.99	1.31	0.74	0.34	0.37
शासकीय उधारियों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.92	6.69	6.18	6.13	5.66
निवेश पर प्रतिलाभ एवं शासकीय उधार पर ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.93	5.38	5.44	5.79	5.29
शासकीय उधारियों पर लागत निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर	2,089.74	1,956.90	2,126.60	2,377.31	2,295.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, निवेश पर औसत प्रतिलाभ दर 0.75 प्रतिशत थी, जबकि राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.32 प्रतिशत से भुगतान किया। पिछले पाँच वर्षों में, शासकीय उधारियों पर लागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर ₹10,845.57 करोड़ था।

### राज्य शासन द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

राज्य शासन ने सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त कई संस्थानों/संगठनों को भी कर्ज एवं अग्रिम प्रदान किया है। तालिका 2.25, 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकाया कर्ज एवं अग्रिमों के साथ-साथ पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान ब्याज प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.25: बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा राज्य शासन द्वारा ब्याज प्राप्तियां एवं भुगतान

(₹ करोड़ में)

कर्ज/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत की मात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>कर्ज एवं अग्रिमों का प्रारंभिक शेष (1)</b>	<b>41,124<sup>16</sup></b>	<b>42,144</b>	<b>42,585<sup>17</sup></b>	<b>43,757</b>	<b>46,924</b>
वर्ष के दौरान संवितरित राशि (2)	1,090	987	1,230	3,229	2,360
वर्ष के दौरान वसूल राशि (3)	70	46	58	62	1,458
<b>कर्ज तथा अग्रिमों का अंतिम शेष (4)</b>	<b>42,144</b>	<b>43,085</b>	<b>43,757</b>	<b>46,924</b>	<b>47,826</b>
कर्ज तथा अग्रिमों का निवल संयोजन (5)=(2-3)	1,020	941	1,172	3,167	902
ब्याज प्राप्तियां (6)	235	130	88	1,432	4,033

<sup>15</sup> इसमें ग्रामीण एवं शहरी बैंक तथा औद्योगिक सहकारी बैंक शामिल हैं।

<sup>16</sup> छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्म अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹345.35 करोड़ से कम हुआ।

<sup>17</sup> प्रोफॉर्म सुधार के कारण प्रारंभिक शेष ₹500 करोड़ से कम हुआ।

कर्ज/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत की मात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां (7)	0.56	0.30	0.20	3.05	8.43
शासकीय उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत) (8)	6.92	6.69	6.18	6.13	5.66
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत) (9)	6.36	6.39	5.98	3.08	2.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2023 तक बकाया कर्ज एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹47,826 करोड़ थी, जो मुख्यतः शासकीय कंपनियों (₹27,059 करोड़), सांविधिक निगमों (₹6,781 करोड़) एवं नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम (₹2,522 करोड़) के अंतर्गत थी। आर्थिक सेवा क्षेत्र<sup>18</sup> (₹39,880 करोड़) में बकाया कर्ज एवं अग्रिम बहुत ज्यादा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹345 करोड़ से कमी हुई। वर्ष के दौरान संवितरित कर्ज की राशि 2018-19 में ₹1,090 करोड़ से वर्तमान वर्ष में ₹2,360 करोड़ तक 116.51 प्रतिशत से बढ़ी।

2022-23 के दौरान राज्य को ₹4,033 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,601 करोड़ से वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र से ब्याज प्राप्ति में वृद्धि के कारण थी।

2022-23 के दौरान 5.66 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से उधारियों पर भुगतान किया गया, जबकि शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर 8.43 प्रतिशत की औसत ब्याज दर प्राप्त हुई।

#### 2.10.4 अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी का अवरुद्धीकरण

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आंकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा।

अपूर्ण कार्यों पर अवरुद्ध पूंजी, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नमूना जाँच के अनुसार 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका 2.26 में सारांशीकृत किया है:

तालिका 2.26: 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की संचयी वास्तविक लागत	परियोजनाओं की संख्या जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई	परियोजना की अनुमानित लागत जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी		
					प्रारंभिक	पुनरीक्षित अनुमानित लागत	बढ़ी हुयी लागत
लोक निर्माण विभाग	718	5,411.45	2,882.63	9	248.43	388.87	140.44
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	31	2,640.09	1,670.27	0	0	0	0
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	16	26,459.64	7,060.97	5	2,330.53	2,871.10	540.57
शहरी प्रशासन एवं विकास	27	1,155.86	435.03	8	232.20	238.74	6.54
<b>योग</b>	<b>792</b>	<b>35,667.04</b>	<b>12,048.90</b>	<b>22</b>	<b>2,811.16</b>	<b>3,498.71</b>	<b>687.55</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

<sup>18</sup> आर्थिक सेवा क्षेत्र में मुख्यतः बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण (₹35,143 करोड़), पेट्रो रसायन उद्योगों को ऋण (₹1,602 करोड़) और सहकारिता के लिए ऋण (₹1,479 करोड़) शामिल हैं।

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 22 परियोजनाओं में ₹687.55 करोड़ की लागत बढ़ गई। इसके अलावा इन अपूर्ण परियोजनाओं से मिलने वाले लाभों में विलम्ब हुआ।

इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं को आगे बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि समय सीमा के कारण लागत बढ़ने से बचा जा सके।

### 2.10.5 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच ढांचा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था है, जो उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2023 तक प्रारम्भ की गई 194 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (परियोजना लागत ₹20,855.37 करोड़) में से, ₹14,522.99 करोड़ लागत की 141 परियोजनाओं (72.68 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था, जबकि ₹1,206.99 करोड़ लागत वाली 12 परियोजनाओं (6.19 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था तथा ₹5,125.39 करोड़ लागत वाली 41 परियोजनाएं (21.13 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन एवं बोली के अंतर्गत थी। विवरण निम्न तालिका 2.27 में दिया गया है:

तालिका 2.27: 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजनाधीन/ प्रक्रियाधीन		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		कार्यान्वयनाधीन/ निर्माणाधीन		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	3	176.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	176.48
2	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
3	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	138.50
4	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	0	0.00	1	125.00	0	0.00	1	249.92
5	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
6	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	47.00
7	चिकित्सा शिक्षा	1	105.73	1	105.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
9	लोक निर्माण कार्य	138	14,418.46	12	2,209.37	0	0.00	6	145.48	120	12,063.61
10	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
11	पर्यटन	6	84.22	3	49.22	1	15.00	0	0.00	2	20.00
12	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00
13	नगरीय	30	2,869.68	20	2,427.13	1	13.94	4	145.83	5	282.78

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजनाधीन/ प्रक्रियाधीन		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		कार्यान्वयनाधीन/ निर्माणाधीन		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
	विकास										
	<b>योग</b>	<b>194</b>	<b>20,855.37</b>	<b>37</b>	<b>4,921.45</b>	<b>4</b>	<b>203.94</b>	<b>12</b>	<b>1,206.99</b>	<b>141</b>	<b>14,522.99</b>

स्रोत: संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी

### 2.10.6 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तरों को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

2018–19 से 2022–23 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण नीचे तालिका 2.28 में किया गया है:

तालिका 2.28: 2018–19 एवं 2022–23 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2018–19	16.38	67.24	36.60	30.65	15.58	14.76	5.07
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2018–19	20.81	73.03	37.46	35.57	17.67	15.55	4.48
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2022–23	15.79	67.28	38.11	29.17	15.22	14.85	5.68
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2022–23	18.65	74.10	39.71	34.38	18.97	13.90	5.68

स्रोत: आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदाय जानकारी

2022–23 के दौरान मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए आवंटन इन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में सामान्य संवर्ग राज्यों के द्वारा औसत आवंटन की तुलना में कम रहा है यद्यपि 2018–19 के दौरान यह अधिक था। 2018–19 के साथ-साथ वर्तमान वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के विकास व्यय के लिए आवंटन का अनुपात सामान्य संवर्ग राज्यों द्वारा आवंटित औसत मात्रा से अधिक था।

### 2.10.7 उद्देश्य शीर्ष-वार व्यय

वित्त लेखे केवल लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। इसलिए, उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए खर्च का बजटीय आवंटन एवं व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से अधिक) की गहन समीक्षा नीचे तालिका 2.29 में दी गयी है:

तालिका 2.29: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्राधिकार के सापेक्ष उद्देश्य शीर्ष-वार व्यय  
(₹ करोड़ में)

शीर्ष	बजट	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
11-वेतन	45,349.69	44,529.23	98.19
12-मजदूरी	2,436.34	2,269.88	93.17
13-पेंशन तथा पेंशन हितलाभ	17,269.31	16,320.76	94.51
15-सामाजिक सुरक्षा पेंशन	2,634.22	2,634.23	100.00
19-कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन	1,249.83	1,112.72	89.03
22-कार्यालयीन व्यय	1,301.87	1,215.99	93.40
31-पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	3,857.86	3,591.04	93.08
33-अनुरक्षण	4,045.39	3,398.58	84.01
34-सामग्री एवं आपूर्ति	2,610.38	2,450.89	93.89
41-शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	3,428.30	3,241.82	94.56
42-सहायतानुदान	72,542.94	69,746.08	96.14
43-अंशदान	4,151.20	3,441.28	82.90
44-राजसहायताएं	22,676.18	19,288.77	85.06
46-शर्तानुसार सहायतानुदान	1,766.40	1,798.20	101.80
64-मुख्य निर्माण कार्य	43,968.63	37,740.65	85.84
65-निवेश	2,161.15	2,371.94	109.75
73-अंतर लेखा हस्तांतरण	5,766.73	5,015.26	86.97
<b>योग</b>	<b>2,37,216.42</b>	<b>2,20,167.32</b>	<b>92.81</b>

स्रोत: वित्त लेखे एवं व्ही.एल.सी. आंकड़े 2022-23

जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है, उपरोक्त उद्देश्य शीर्षों पर कुल बजटीय आवंटन ₹2,37,216.42 करोड़ में से, 2022-23 के दौरान विभिन्न उद्देश्य शीर्षों पर वास्तविक व्यय ₹2,20,167.32 करोड़ (92.81 प्रतिशत) था। उपरिलिखित 17 उद्देश्य शीर्षों में से, पांच उद्देश्य शीर्षों (11-वेतन, 15-सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 42-सहायतानुदान, 46-शर्तानुसार सहायतानुदान एवं 65-निवेश) ने अपने आवंटन का 95 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया।

## 2.11 लोक लेखा

कुछ लेन-देन जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाएं, उचन्त, प्रेषण, इत्यादि के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरण जो कि समेकित निधि का भाग नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। सरकार इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

### 2.11.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2023 के अन्त तक राज्य के लोक लेखा में संघटक-वार निवल शेष नीचे तालिका 2.30 में दिया गया है:



तालिका 2.30: 31 मार्च 2023 को लोक लेखा में संघटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)


क्षेत्र	उपक्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
झ. अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि, राज्य भविष्य निधियां एवं अन्य लेखा	16,577.33	19,033.74	19,894.09	19,310.64	18,019.74
	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियां	75.43	5,199.92	5,684.40	7,997.82	8,963.55
ज. आरक्षित निधियां	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	5,998.52	6,699.66	10,144.49	12,363.12	14,032.37
	<b>योग</b>	<b>6,073.95</b>	<b>11,899.58</b>	<b>15,828.89</b>	<b>20,360.94</b>	<b>22,995.92</b>
ट. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	(-)31.54	(-)44.45	(-)66.79	(-)94.80	204.43
	(ख) ब्याज रहित जमा	14,291.74	18,853.92	20,400.20	19,276.88	21,506.83
	(ग) अग्रिम	(-)3.40	(-)3.48	(-)3.48	(-)3.48	(-)3.49
<b>योग</b>	<b>14,256.80</b>	<b>18,805.99</b>	<b>20,329.93</b>	<b>19,178.60</b>	<b>21,707.77</b>	
ठ. उचन्त एवं विविध	(ख) उचन्त	(-)222.35	(-)1,391.42	(-)862.43	251.45	573.27
	(ग) अन्य लेखे	(-)7,762.72	(-)10,774.66	(-)20,177.29	(-)16,810.90	(-)21,389.80
	(घ) विदेशी देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15
	(ङ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>(-)7,985.22</b>	<b>(-)12,166.23</b>	<b>(-)21,039.87</b>	<b>(-)16,559.60</b>	<b>(-)20,816.68</b>	
ड. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	2,885.48	2,855.74	3,820.37	5,499.15	6,402.02
	(ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा	(-)655.57	(-)694.37	(-)655.74	(-)717.05	(-)724.69
<b>योग</b>	<b>2,229.91</b>	<b>2,161.37</b>	<b>3,164.63</b>	<b>4,782.10</b>	<b>5,677.33</b>	
<b>महायोग</b>		<b>31,152.77</b>	<b>39,734.45</b>	<b>38,177.67</b>	<b>47,072.68</b>	<b>47,584.08</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: धनात्मक आंकड़ें नामे शेष को प्रदर्शित करती है एवं ऋणात्मक जमा शेष को प्रदर्शित करते है।

संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक लोक लेखा में संघटक-वार निवल शेष 2018-23 में उत्तरोत्तर 52.74 प्रतिशत से बढ़ा। विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में लोक लेखा के निवल शेषों में ₹511.40 करोड़ से वृद्धि हुई।

पाँच वर्षों की अवधि 2018-23 में लोक लेखा में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.19 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

### 2.11.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखों के अंतर्गत पूर्ण परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की जाती है। इन निधियों को भारत या राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों के अंशदान या अनुदानों से पूरा किया जाता है। इसमें ब्याज सहित आरक्षित निधियां और ब्याज रहित आरक्षित निधियां शामिल हैं।

आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों के विवरण पत्रक संख्या 21 एवं 22 में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को ब्याज सहित तीन एवं ब्याज रहित पांच आरक्षित निधियां थीं। 31 मार्च 2023 को इन आरक्षित निधियों में पड़े हुए शेषों को तालिका 2.31 में दिया गया है:

तालिका 2.31: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	आरक्षित निधियों का नाम	31 मार्च 2023 को शेष
<b>अ</b>	<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियां</b>	<b>8,963.55</b>
1	राज्य आपदा मोचन निधि	1,825.51
2	राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि	6,739.99
3	राज्य आपदा शमन निधि	398.05
<b>ब</b>	<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियां</b>	<b>14,032.37</b>
1	सूखा राहत निधि	5.93
2	मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	4.96
3	राजस्व आरक्षित निधि	24.09
4	विकास एवं कल्याण निधि	13,814.34
5	सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	183.05
	<b>कुल योग</b>	<b>22,995.92</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

### 2.11.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 'राज्य आपदा मोचन निधि' का संचालन 2010-11 में शुरू किया। दिशानिर्देशों के संदर्भ एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान किया जाना आवश्यक है। यह अंशदान मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत लोक लेखा में अंतरित किया जाना है तथा वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष 2245 के संचालन द्वारा किया जाता है। दिशानिर्देशों के संदर्भ में, गंभीर आपदाओं के मामलों में, जहां राज्य आपदा मोचन निधि में शेष राशि आवश्यकता से कम होती है, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तत्काल राहत प्रदान कर सकती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य शासन ने ₹1,528.80 करोड़ केन्द्रांश के रूप में प्राप्त किए थे। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹509.60 करोड़ था। राज्य शासन ने ₹2,043.12 करोड़ (राज्य आपदा मोचन निधि का केन्द्रांश ₹1,528.80 करोड़, राज्यांश ₹509.60 करोड़ एवं ब्याज ₹4.72 करोड़) मुख्य शीर्ष 8121-122 के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित किया।

राज्य आपदा मोचन निधि पर भारत व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.32 में दिया गया है:

तालिका 2.32: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारत व्यय का विवरण

			(₹ करोड़ में)
लेखा का मुख्य शीर्ष	लेखा का उप मुख्य शीर्ष	लेखा का लघु शीर्ष	राशि
2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	01-सूखा	101- आनुग्रहिक राहत	27.78
		102-पेय जलापूर्ति	5.92
	02-बाढ़, चक्रवात, इत्यादि	101-आनुग्रहिक राहत	381.25
		101-आरक्षित निधि और जमा लेखों को अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि	2,293.20 <sup>19</sup>
	05-राज्य आपदा मोचन निधि	901-घटाएं-राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	-1,342.18 <sup>20</sup>
		80-सामान्य	001-निदेशन और प्रशासन
		102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	192.03
		103-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्य को सहायता	--
		800-अन्य व्यय	314.06
	<b>योग</b>		

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

### 2.11.2.2 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2005-06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। प्रत्याभूति विमोचन निधि के दिशानिर्देशानुसार, निधि को राज्य शासन द्वारा, पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क के साथ समरूप अंशदान जमा किया जाना आवश्यक है। हालांकि, यह राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है,

<sup>19</sup> केंद्र का हिस्सा ₹1,52,880.00 लाख और राज्य का हिस्सा ₹50,960.00 लाख मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा मोचन निधि और केंद्र का हिस्सा ₹19,110.00 लाख और राज्य का हिस्सा ₹6,370.00 लाख को मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा शमन निधि में हस्तांतरित किया गया (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21)।

<sup>20</sup> मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा मोचन निधि से ₹85,400.53 लाख की प्रतिपूर्ति की गई एवं मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा शमन निधि से ₹48,816.97 लाख की प्रतिपूर्ति की गई (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21)

जिसमें प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन प्रत्याभूतियों के जोखिम भार से पहले किया जाना है। इसके अलावा, राज्य शासन को निधि के गठन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत अंशदान करना आवश्यक है एवं तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत तक का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत अंशदान करें। निधि का सही आकार विगत वर्ष की बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम तीन प्रतिशत हो सकता है।

31 मार्च 2023 तक, ₹39,788.47 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति जो वर्ष 2021-22 की राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹1,85,875.85 करोड़) का 21.41 प्रतिशत थी जो कि निर्धारित सीमा के अंदर है।

2022-23 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने ₹31.44 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹15.72 करोड़ का निधि में अंशदान किया। 31 मार्च 2023 तक निधि का कुल संचय ₹1,051.16 करोड़ (31 मार्च 2022 तक ₹1,035.44 करोड़) था, जिसमें से ₹966.12 करोड़ निवेश किया गया। 2022-23 के दौरान, ₹15.72 करोड़ के कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया।

## 2.12 राज्य की संचित निधि/लोक लेखे एवं समर्पित निधि से बाहर निधियां

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, संबंधित सरकार द्वारा कोषालय देयक जारी कर उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से लिए गए सभी ऋण और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी राशियों से एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" कहलाएगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी धनराशियां जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखों में जमा किया जाएगा।

राज्य शासन ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न उपकर लगाए हैं। लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरों के संबंध में जानकारी/आंकड़ें एकत्रित किए हैं, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

### 2.12.1 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत लगाया जाता है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, के प्रावधानों के संदर्भ में, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों और उनसे संबंधित अन्य मामले या उनके तत्संबंधी आकस्मिक मामलों के लिए कर्तव्य सौंपे गए थे। मण्डल ने अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग के लिए नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर को संग्रहित करना नियत किया था। विभिन्न सरकारी विभाग उपकर एकत्र करते हैं और संग्रहण/कटौती के एक माह के भीतर इसे मण्डल को प्रेषित करना चाहिए।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को उचित लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा निर्धारित प्रपत्र में लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करना आवश्यक है।

प्रधानुसार, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एकत्रित श्रम उपकर को मण्डल के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल ने 2013-14 से लेखों के वार्षिक पत्रक तैयार नहीं किये थे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष-दर-वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद स्थिति यथावत बनी हुई है।

2018-23 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण तालिका 2.33 में दिया गया है।

तालिका 2.33: 2018-23 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	संग्रहित उपकर की राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	पूँजीगत राशि एवं अन्य प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत
2018-19	2,026.10	548.32	0.00	112.93	7.59	2,694.94	314.15	2,380.79	11.66
2019-20	2,380.79	565.38	0.00	147.91	(-)6.84	3,087.24	584.43	2,502.81	18.93
2020-21	2,502.81	437.39	0.00	139.29	0.00	3,079.49	453.09	2,626.40	14.71
2021-22	2,626.40	522.51	0.00	108.73	0.69	3,258.33	1,119.72	2,138.61	34.36
2022-23	2,138.61	623.00	0.00	108.60	2.04	2,872.25	483.40	2,388.85	16.83

स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

प्रमाणित वार्षिक लेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा लेखों की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर सकता। शासन को इन तथ्यों के आलोक में मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए कि लेखे तैयार नहीं किए गए हैं और/या महालेखाकार को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा निधियाँ अनुपयोगी बनी रहीं।

### 2.12.2 ऊर्जा विकास उपकर

प्रत्येक उत्पादन कंपनी राज्य सरकार को निर्धारित समय पर और निर्धारित तरीके से वितरण लाइसेंस या मध्य प्रदेश राज्य में उपभोक्ता को विक्रित या आपूर्ति की गई या स्वयं के द्वारा या इसके कर्मचारियों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की कुल इकाइयों पर 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान करेगी। पिछले वर्ष में एकत्रित ऊर्जा विकास उपकर को आगामी वर्ष में निधि में अंतरित किया जाना चाहिए। एकत्रित ऊर्जा विकास उपकर राज्य शासन की संचित निधि में जमा किया जाता है।

2022-23 के दौरान, 2021-22 में कुल संग्रहण ₹889.02 करोड़ में से राज्य शासन द्वारा ₹500 करोड़ की राशि विद्युत विकास निधि में अंतरित की गई। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा (₹389.02 करोड़) तक राजस्व व्यय कम बताया गया। परिणामतः राजस्व अधिशेष को ₹389.02 करोड़ से अधिक बताया गया और राजकोषीय घाटे को ₹389.02 करोड़ से कम बताया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने ₹710.25 करोड़ का ऊर्जा विकास उपकर एकत्रित किया।

### 2.12.3 बिना अनुमति के बैंक खातों का संचालन एवं संचित निधि से राशि बाहर रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक का नियम 9 में प्रावधान है कि एक शासकीय कर्मचारी, सरकार की विशेष अनुमति के बिना, राज्य की संचित निधि और लोक लेखों से आहरित राशि को बैंक में जमा नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के नियम 284 में प्रावधान है कि कोषालय से कोई भी राशि तब तक आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। आगे, वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कार्यालयों में संचालित बैंक खातों को बंद करने और इन खातों में पड़ी राशि को 28 फरवरी 2009 तक शासकीय खातों में जमा करने के निर्देश जारी

(फरवरी 2009) किए। यदि कोई अधिकारी ऐसा करने में विफल रहता है, बैंक खाते में जमा पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

जिलाधीश, रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2023) से पता चला कि प्रभारी अधिकारी और नाजिर के नाम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित में एक खाता (क्रमांक 684621867311) 1997 से संचालित था और वित्त विभाग के उपरिलिखित निर्देशों के बावजूद इसे बंद नहीं किया गया।

हमने देखा कि 2018-23 के दौरान संचित निधि से ₹6.21 करोड़ आहरित किए गए एवं इस खाते में जमा किए गए। ₹6.21 करोड़ में से, ₹3.08 करोड़ मुख्यमंत्री/मंत्रियों द्वारा स्वीकृत विवेकाधीन अनुदान से संबंधित थे, जिनकी मंजूरी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाभार्थियों के नाम पर जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 को बैंक विवरण में ₹59.79 लाख का अंतिम शेष दिखाया गया, जबकि रोकड़ बही में केवल ₹36.69 लाख अभिलेखित था। इस प्रकार, बैंक विवरण और रोकड़ बही के मध्य ₹23.10 लाख का अंतर था, जिसका मिलान नहीं किया गया था।

जिलाधीश, रीवा द्वारा, संचित निधि से धन आहरित करने एवं उन्हें बैंक खाते में रखने की अपनायी गयी प्रथा, अत्यधिक अनियमित है और मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के नियम 9 एवं 284 का उल्लंघन है। यह वित्तीय प्रबंधन में कमी और नियमों एवं निर्देशों का पालन करने में विफलता को भी इंगित करती है।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2023); उनके उत्तर की प्रतीक्षा (सितंबर 2023) थी।

#### 2.12.4 राज्य की संचित निधि में प्रशासनिक लागत ₹29.77 लाख जमा न करना

राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी अधिसूचना (मार्च 2019) में निर्दिष्ट किया कि राज्य और भारत सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों से भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की लागत का 2.5 प्रतिशत की प्रशासनिक लागत वसूल की जाएगी। राजस्व विभाग ने भी “भूमि अधिग्रहण से प्राप्त प्रशासनिक प्रक्रिया लागत” के तहत प्रशासनिक लागत को शीर्ष 0029-800-0018 में जमा करने का निर्देश (मार्च 2019) दिया।

जिलाधीश, ग्वालियर के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जिला न्यायालय के निर्माण के लिए ओहदपुर गांव, ग्वालियर में भूमि के अधिग्रहण के लिए 3 जनवरी को ₹11.88 करोड़ की मुआवजा राशि का निर्णय पारित किया गया था और ₹29.71 लाख की प्रशासनिक लागत भी प्रभारित और प्राप्त की गई थी। हालांकि, इसे अगस्त 2023 तक शीर्ष 0029-800-0018 के अंतर्गत राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2020-21 के दौरान प्रशासनिक लागत के रूप में एकत्र किए गए ₹0.06 लाख को भी अगस्त 2023 तक उपरोक्त शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। यह स्थापित नियमों का उल्लंघन था, इससे वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 के लिए राज्य के कर राजस्व में क्रमशः ₹0.06 लाख और ₹29.71 लाख की कमी हुई।

इंगित किए जाने पर, जिलाधीश, ग्वालियर ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि राशि शीघ्र ही जमा कर दी जायेगी। आगे के विवरण सूचित नहीं किए (नवंबर 2023) गए हैं।

#### 2.12.5 वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए बैंक खाते में ₹8.47 करोड़ जमा

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक का नियम 284 बताता है कि कोषालय से कोई भी राशि तब तक आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 6 में प्रावधान है कि वित्त विभाग की सहमति के बिना निवेश के लिए अथवा कहीं अन्य जमा करने के लिए संचित निधि से राशि हटाई नहीं जाएगी।

वित्त विभाग ने निर्देशित (फरवरी 2009 एवं मार्च 2019) किया कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए बैंक खाते बंद किए जाए। ये खाते क्रमशः 28 फरवरी 2009 एवं 25 मार्च 2019 तक बंद किए जाने थे एवं राशि को तब राज्य की संचित निधि में अंतरित किया जाना था।

जिलाधीश, ग्वालियर के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 जनवरी 2000 को भारतीय स्टेट बैंक में जिलाधीश, ग्वालियर (मुख्य मंत्री राहत कोष खाता) के नाम से एक चालू खाता क्रमांक 10554232197 खोला गया था। इस खाते में 31 मार्च 2023 तक ₹8.47 करोड़ का शेष था। वित्त विभाग के निरंतर निर्देशों के बावजूद, न तो खाता बंद किया गया और न ही खाते की राशि को राज्य की संचित निधि में अंतरित किया गया।


वित्त विभाग की अनुमति के संबंध में पूछे जाने पर, जिलाधीश, ग्वालियर ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वित्त विभाग से जैसे ही अनुमति प्राप्त होगी वैसे ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विवरण सूचित नहीं किए (नवंबर 2023) गए।

हालांकि, बिना प्राधिकार के खाता खोलने एवं बिना अनुमति के इसे लगातार संचालित करने के कारणों से लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विवरण प्रस्तुत नहीं किया (दिसंबर 2023) गया।

### 2.13 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन सरकार की देयताओं के प्रबंधन के लिए निधियन की आवश्यक राशि जुटाने हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जो अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करें जो सरकार ने अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हो।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ राज्य की बकाया देयताओं के प्रतिशतता का चित्रण चार्ट 2.20 में किया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

नोट: ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैंक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को हटाने के बाद कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2020-21) की गणना की गयी है।

नोट: ₹3,23,218 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैंक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को हटाने के बाद एवं बजटेंतर ऋण ₹576 करोड़ को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,12,241 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2021-22) की गणना की गयी है।

नोट: ₹3,63,952 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैंक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को हटाने के बाद एवं बजटेंतर ऋण ₹564 करोड़ को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,52,963 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2022-23) की गणना की गयी है।

### 2.13.1 देयता रूपरेखा: संघटक

राज्य सरकार की कुल देनदारियां आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, मुआवजा और अन्य बंध पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण), केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देनदारियों से बनती है। 2018-19 से प्रारंभ पिछले पांच वर्षों की राज्य की संघटक-वार देयताओं की प्रवृत्तियां निम्न तालिका 2.34 में प्रदर्शित हैं:

तालिका 2.34: संघटक-वार देयताओं की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>कुल बकाया देयता</b>	<b>1,94,309</b>	<b>2,30,572</b>	<b>2,89,298</b>	<b>3,23,794</b>	<b>3,64,516</b>
लोक ऋण	1,57,398	1,80,829	2,33,242	2,64,364	3,01,226
आंतरिक ऋण	1,40,009	1,59,793	2,02,719	2,23,013	2,51,428
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	17,389	21,036	30,523 <sup>21</sup>	41,351 <sup>22</sup>	49,798
लोक लेखा देयताएं <sup>23</sup>	36,911	49,743	56,056	58,854	62,726
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	16,577	19,034	19,894	19,311	18,020
ब्याज सहित आरक्षित निधियां	75	5,200	5,684	7,998	8,964
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	5,999	6,700	10,144	12,363	14,032
ब्याज सहित जमाएं	(-)32	(-)44	(-)67	(-)95	204
ब्याज रहित जमाएं	14,292	18,854	20,400	19,277	21,507
बजटेंतर ऋण	-	-	-	576	564
कुल बकाया देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.73	18.66	25.47	11.92	12.58
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8,29,805	9,27,855	9,61,643	11,36,137	13,22,821
देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.42	24.85	30.08	28.50	27.56
<b>उधारियां एवं अन्य देयताएं</b>					
कुल प्राप्तियां	71,063	85,613	1,37,196	88,536	1,19,552
कुल पुनर्भुगतान	49,087	49,351	78,470	54,616	78,818
कुल उपलब्ध निधियां	21,976	36,262	58,726	33,920	40,734
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	69.08	57.64	57.20	61.69	65.93

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन की कुल देयताओं में 2018-19 में ₹1,94,309 करोड़ से 2022-23 में ₹3,64,516 करोड़ तक 87.60 प्रतिशत से निरंतर बढ़ोत्तरी हुयी। लोक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में ₹36,862 करोड़ (13.94 प्रतिशत) से वृद्धि हुई। ऊपर दिखाए गए कुल बकाया देयताओं में बजटेंतर ऋण ₹1,140 करोड़ एवं राज्य शासन (पुनर्भुगतान दायित्व के बिना) को ऋण प्राप्ति के रूप में वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के बदले में ₹11,553 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

अवधि 2018-23 के दौरान लोक लेखा देयताओं में ₹25,815 करोड़ (69.94 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धि 'ब्याज सहित आरक्षित निधियां' (₹8,889 करोड़), 'ब्याज रहित आरक्षित निधियां' (₹8,033 करोड़) एवं 'ब्याज रहित जमाओं' (₹7,215 करोड़) के अंतर्गत थी।


<sup>21</sup> वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण ₹4,542 करोड़ शामिल है।

<sup>22</sup> वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण ₹11,553 करोड़ (₹4,542 करोड़ 2020-21 के लिये एवं ₹7,011 करोड़ 2021-22 के लिये) शामिल है।

<sup>23</sup> लोक लेखों पर देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि, ब्याज सहित आरक्षित निधियां, ब्याज रहित आरक्षित निधि एवं ब्याज सहित जमाएं और ब्याज रहित जमाएं शामिल हैं।




2022-23 के अंत में कुल बकाया देयताओं का घटक-वार विभाजन नीचे चार्ट 2.21 में दर्शाया गया है:




स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

निम्न चार्ट 2.22 पिछले पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान को दर्शाता है, जबकि चार्ट 2.23 राज्य शासन द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन का आंतरिक ऋण 2018-19 में ₹1,40,009 करोड़ से 2022-23 में ₹2,51,428 करोड़ तक ₹1,11,419 करोड़ (79.58 प्रतिशत) से बढ़ा।

### 2.13.1.1 राजकोषीय घाटा और उसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

राजकोषीय घाटा, राज्य को राजस्व और ऋणोत्तर प्राप्तियों पर राजस्व और पूंजीगत व्यय (कर्ज और अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यक (मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने नकदी और निवेश शेष को आहरित करने एवं उधारी द्वारा) कुल वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान तालिका 2.35 में परिलक्षित होता है:

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)23,688	(-)32,970	(-)49,870	(-)37,487	(-)41,202
(राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	(2.93)	(3.64)	(5.44)	(3.21)	(3.12)
राजकोषीय घाटा/आधिक्य के घटक					
1 राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-)29,411	(-)29,228	(-)30,342	(-)39,135	(-)44,391
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	(-)1,021	(-)941	(-)1,172	(-)3,167	(-)902
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान					
1 बाजार उधारियां	15,001	16,550	38,773	13,900	27,585
2 भारत सरकार से कर्ज	2,647	3,647	9,487	10,829	8,447
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,086	2,970	3,582	4,129	1,360
4 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	334	310	572	2,265	205
5 आरक्षित निधियां	590	5,827	3,929	4,532	2,635
6 अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	2,249	2,456	860	(-)583	(-)1,291
7 जमा एवं अग्रिम	164	4,550	1,524	(-)1,151	2,529
8 उचंत एवं विविध	(-)677	(-)1,552	640	1,128	1,448
9 प्रेषण	642	(-)69	1,003	1,617	895

विवरण		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
10	अन्य <sup>24</sup>	(-)94	(-)47	0	0	(-)755
11	रोकड़ में वृद्धि (+)/कमी(-)	1,746	(-)1,672	(-)10,500	822	(-)1,856
12	<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>23,688</b>	<b>32,970</b>	<b>49,870</b>	<b>37,487</b>	<b>41,202</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹724 करोड़ (15.04 प्रतिशत) से कम हुआ एवं राजकोषीय घाटा 9.91 प्रतिशत से अधिक हुआ।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण को तालिका 2.36 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	प्राप्तियां	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारियां	40,158.00	12,573.05	27,584.95
2	भारत सरकार से कर्ज	10,665.20	2,218.58	8,446.62
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,845.57	4,485.74	1,359.83
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	2,198.55	1,992.87	205.68
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	4,057.27	5,348.17	(-)1,290.90
6	जमा एवं अग्रिम	51,597.17	49,068.00	2,529.17
7	उचंत एवं विविध	1,82,733.97	1,81,286.28	1,447.69
8	प्रेषण	20,288.18	19,392.93	895.25
9	आरक्षित निधियां	5,030.36	2,395.37	2,634.99
10	अन्य	0.00	755.40	(-)755.40
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमी(-)	16,324.17	18,179.83	(-)1,855.66
12	<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>3,38,898.44</b>	<b>2,97,696.22</b>	<b>41,202.22</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

### 2.13.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

लोक ऋण एवं उसकी परिपक्वता रूपरेखा का विवरण तालिका 2.37 एवं चार्ट 2.24 में नीचे दिया गया है:


तालिका 2.37: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	राशि			कुल लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	कुल	
2023-24 तक	0-1 वर्ष	16,990.17	635.14	17,625.31	5.85
2024-25 एवं 2025-26 के मध्य	1-3 वर्ष	40,909.98	470.20	41,380.18	13.74
2026-27 एवं 2027-28 के मध्य	3-5 वर्ष	42,874.08	293.72	43,167.80	14.33
2028-29 एवं 2029-30 के मध्य	5-7 वर्ष	29,379.77	204.99	29,584.76	9.82
2030-31 से आगे	7 वर्ष से अधिक	1,08,017.38	283.77	1,08,301.15	35.95
अन्य (राज्य शासन के साथ मिलान के अंतर्गत/ऋण पुनर्भुगतान का विवरण अपेक्षित)		13,256.22	47,910.11	61,166.33	20.31
<b>योग</b>		<b>2,51,427.60</b>	<b>49,797.93</b>	<b>3,01,225.53</b>	-

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

<sup>24</sup> आकस्मिक निधि एवं निवेश तथा बंधपत्र के अधीन लेन-देन।



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

31 मार्च 2023 तक लोक ऋण की बकाया मात्रा की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि ₹3,01,225.53 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से, 43.74 प्रतिशत (₹1,31,758.05 करोड़) आगामी सात वर्षों के भीतर देय है जबकि शेष 56.26 प्रतिशत (₹1,69,467.48 करोड़) सात वर्षों से अधिक की परिपक्वता अवधि में देय है। कुल बकाया लोक ऋण में से, आंतरिक ऋण में बाजार उधारियां, क्षतिपूर्ति एवं बंधपत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज और केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों का 83.47 प्रतिशत (₹2,51,427.60 करोड़) शामिल है।

2021-22 की हमारे पिछले प्रतिवेदनों में दर्शाए गए और 2022-23 में वास्तविक किये गये भुगतान के सापेक्ष विवरण निम्न तालिका 2.38 में तालिकाबद्ध है:

**तालिका 2.38: लोक ऋण का भुगतान**

वर्ष	(₹ करोड़ में)		
	31 मार्च को बकाया ऋण	सांकेतिक भुगतान	वास्तविक पुनर्भुगतान
2021-22	2,64,364.46	11,271.05	15,162.44
2022-23	3,01,225.53	18,430.25	22,006.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

### 2.13.3 बाजार उधारियों एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

राज्य शासन के उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होते हैं। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राजकोषीय देनदारियों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।


वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2023-24 से आगे के लिए इन ऋणों पर ब्याज सहित बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुसूची नीचे तालिका 2.39 और चार्ट 2.25 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.39: बाजार ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	ब्याज	कुल
2023-24 तक	11,500	8,740	20,240
2024-25	15,458	7,829	23,287
2025-26	14,700	6,583	21,283
2026-27	18,100	5,364	23,464
2027-28	15,000	4,049	19,049
2028-29	10,550	2,913	13,463
2029-30	10,500	2,068	12,568
2030-31	9,000	1,310	10,310
2031-32	10,000	688	10,688
योग	1,14,808	39,544	1,54,352

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23 एवं ब्याज की गणना लेखापरीक्षा द्वारा की गयी



जैसा कि उपरोक्त तालिका और चार्ट से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को 2031-32 तक ₹1,14,808 करोड़ का बाजार ऋण और बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान ₹39,544 करोड़ कुल ₹1,54,352 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा।

## 2.14 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदण्डों के आधार पर किया गया है; डोमर दृष्टिकोण राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों के लिए समष्टि-राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं:

### (अ) ऋण संधारणीयता विश्लेषण में परिवर्तनों का विश्लेषण

ऋण संधारणीयता संकेतक भविष्य में राज्य के अपने ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करती है। यह अनुभाग, डोमर मॉडल और अन्य संकेतकों के संदर्भ में अर्थात्, जैसे ऋण की संरचना, कुल ऋण में लोक लेखा देयताओं का अंश, ऋण की परिपक्वता रूपरेखा, लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि, ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात एवं ऋण के औसत ब्याज लागत की प्रवृत्तियां, का उपयोग करके राज्य शासन की ऋण संधारणीयता का आंकलन करता है।

ऋण संधारणीयता का तात्पर्य राज्य की अभी और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को चुकाने की क्षमता से है। ऋण संधारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 2.40 एवं चार्ट 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.40: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण संधारणीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण	1,57,398	1,80,829	2,33,242 <sup>25</sup>	2,64,364 <sup>26</sup>	3,01,226 <sup>27</sup>
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	13.71	14.89	28.98	13.34	13.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8,29,805	9,27,855	9,61,643	11,36,137	13,22,821
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	14.25	11.82	3.64	18.15	16.43
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.97	19.49	23.78 <sup>28</sup>	22.25 <sup>29</sup>	21.90 <sup>30</sup>
राज्य के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा-चूक इतिहास सहित, यदि कोई हो	13,524	10,934	12,757	15,162	22,006
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियां	32,497	34,364	65,171	46,285	58,867
लोक ऋण पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.76	7.54	6.83 <sup>31</sup>	6.97 <sup>32</sup>	6.52
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	11,483	12,755	13,987	16,937	18,073
ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा/अधिशेष	(-),4,739	9,954	(-),4,369	(-),11,582	(-),13,982
ब्याज भुगतान का राजस्व घाटा/अधिशेष से प्रतिशत	170.27	(-),21.96	(-),76.20	351.76	441.77
ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	7.71	8.64	9.56	9.14	8.86
ऋण पुनर्भुगतान का ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	41.62	31.82	19.57	32.76	37.38
राज्य को निवल ऋण की उपलब्धता <sup>#</sup>	7,490	10,675	38,427	14,186	18,788
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ऋण की उपलब्धता <sup>#</sup>	23.05	31.06	58.96	30.65	31.92
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-),10,992	(-),18,753	(-),33,952	(-),19,041	(-),21,749
ऋण संधारणीयता (प्रमात्रा प्रसार <sup>\$</sup> +प्राथमिक घाटा)	(-),776.87	(-),11,013.52	(-), 41,392.42	10,514.90	8,102.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

<sup>#</sup> राज्य शासन के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण प्राप्तियों की लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की अधिकता के रूप में की जाती है।

<sup>\$</sup>प्रमात्रा प्रसार=(ऋण\*दर प्रसार) जहां दर प्रसार=(सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर-ब्याज दर)

तालिका 2.40 से यह देखा जा सकता है कि लोक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 27.18 प्रतिशत से बढ़ी। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 2018-19 में 7.71 प्रतिशत से 2022-23 में 8.86 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव से बढ़ा।

<sup>25</sup> वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण ₹4,542 करोड़ शामिल है।

<sup>26</sup> वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण ₹11,553 करोड़ शामिल है।

<sup>27</sup> वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण ₹11,553 करोड़ शामिल है।

<sup>28</sup> लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,33,242 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,28,700 करोड़ पर की गयी है।


<sup>29</sup> लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,64,364 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,52,811 करोड़ पर की गयी है।

<sup>30</sup> लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹3,01,226 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,89,673 करोड़ पर की गयी है।

<sup>31</sup> औसत ब्याज दर की गणना ₹4,542 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर बकाया लोक ऋण पर की गयी है।

<sup>32</sup> औसत ब्याज दर की गणना ₹11,553 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर बकाया लोक ऋण पर की गयी है।

नीचे चार्ट 2.26 में ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में राज्य की ऋण संधारणीयता को दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,33,242 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,28,700 करोड़ पर की गयी है।

नोट: ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,64,364 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,52,811 करोड़ पर की गयी है।

नोट: ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹3,01,226 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,89,673 करोड़ पर की गयी है।

- एक गिरते हुए ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिरता की ओर ले जाने वाला माना जा सकता है। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2018-19 में 18.97 प्रतिशत से 2020-21 में बढ़कर 23.78 प्रतिशत तक हो गया। हालांकि, 2022-23 में यह मामूली गिरावट के साथ 21.90 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, ऋण संधारणीयता की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की प्रवृत्ति स्थिर रहने की होगी या अंततः ऋण स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिर जाएगा। मध्य प्रदेश के मामले में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2020-21 से लगातार गिर रहा है।
- लोक ऋण पर ब्याज भुगतान 2021-22 में राजस्व अधिशेष का 351.76 प्रतिशत से 2022-23 में 441.77 प्रतिशत तक हो गया।

- ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात भी ऋण संधारणीयता का एक अच्छा मापदण्ड है। 2018-23 की अवधि के दौरान यह अनुपात 7.71 प्रतिशत और 9.56 प्रतिशत के मध्य था, जो काफी अधिक है।
- लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उत्पादक उद्देश्य के बजाय ऋण भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले ऋण का अनुपात उतना ही अधिक होगा। 2018-23 के अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों का पुनर्भुगतान से अनुपात 19.57 प्रतिशत और 41.62 प्रतिशत के मध्य था, जिसका आशय है कि लोक ऋण का बड़ा हिस्सा पूर्व की उधारियों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था, जिससे उसे उत्पादक रूप से उपयोग करने के लिए कम गुंजाईश बची थी।

### (ब) डोमर मॉडल का उपयोग करते हुए राज्य की ऋण संधारणीयता

ई. डी. डोमर द्वारा एक अध्ययन के माध्यम से ऋण संधारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दरें सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दर पर निर्भर लोक ऋण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एवं प्राथमिक बजट शेष की गतिशीलता निम्न प्रकार है:

<b>g-r (g-वास्तविक आर्थिक संवृद्धि दर; r- वास्तविक ब्याज दर)</b>	<b>S&lt;0 (प्राथमिक घाटा)</b>	<b>S&gt;0 (प्राथमिक अधिशेष)</b>
<b>g-r&gt;0 (मजबूत आर्थिक संवृद्धि)</b>	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिरता के स्तर पर लाने के लिए शून्य से अधिक होना चाहिए।	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिरता के स्तर की ओर उन्मुख होने के लिए शून्य से कम होना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत की ओर अग्रसर हो।
<b>g-r&lt;0 (धीमी आर्थिक संवृद्धि)</b>	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिरता के स्तर की ओर उन्मुख हुए बिना अनिश्चित रूप से बढ़ना चाहिए।	अनिर्धारित स्थिति

मध्य प्रदेश के संबंध में उपरोक्त मापदण्डों को लागू करने वाले परिणाम तालिका 2.41 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 2.41: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण संधारणीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक संवृद्धि दर (g)	वास्तविक ब्याज दर (r)	g-r (डोमर अंतर)	S= प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
2018-19	9.29	3.42 (6.92-3.50)	5.87	-10,992	g-r>0 एवं s<0 के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिरता स्तर की ओर उन्मुख होना चाहिए।
2019-20	4.46	1.22 (6.69-5.47)	3.24	-18,753	g-r>0 एवं s<0 के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक



वर्ष	वास्तविक संवृद्धि दर (g)	वास्तविक ब्याज दर (r)	g-r (डोमर अंतर)	S= प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	रिमार्क
					ऋण शून्य से अधिक स्थिरता स्तर की ओर उन्मुख होना चाहिए।
2020-21	-4.16	-0.65 (6.18-6.83)	-3.51	-33,952	$g-r < 0$ एवं $s < 0$ के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिरता स्तर की ओर उन्मुख हुए बिना अनिश्चित रूप से बढ़ना चाहिए।
2021-22	10.43	-0.32 (6.13-6.45)	10.75	-19,041	$g-r > 0$ एवं $s < 0$ के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिरता स्तर की ओर उन्मुख होना चाहिए।
2022-23	7.06	-1.80 (5.66-7.46)	8.86	-21,749	$g-r > 0$ एवं $s < 0$ के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिरता स्तर की ओर उन्मुख होना चाहिए।

स्रोत: आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदाय जानकारी

\*वास्तविक वृद्धि की गणना स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए की जाती है।

# वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नाम मात्र की ब्याज दर है।

2018-23 के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था। डोमर अंतर (g-r) 2018-19 से 2019-20 तक सकारात्मक रहा और 2020-21 के दौरान नकारात्मक में बदल गया, जो यह दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर परिवर्तित हुए बिना अनिश्चित रूप से बढ़ेगा। हालांकि, 2021-22 में डोमर अंतर पुनः सकारात्मक हो गया, हालांकि इसका मूल्य पिछले वर्षों से बढ़ गया। इस प्रकार, ऋण संधारणीयता के डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि लोक ऋण एक स्थिरता स्तर पर आ जाएगा। कोविड वर्ष (2020-21) के दौरान डोमर अंतर (g-r) नकारात्मक था। हालांकि, कोविड के बाद के वर्षों में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उच्च संवृद्धि दर के कारण डोमर अंतर सकारात्मक हो गया। उच्च संवृद्धि दर के कारण सकारात्मक डोमर अंतर को पिछले वर्ष<sup>33</sup> की तुलना के लिए निम्न आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।

(स) वित्त आयोग प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

राजकोषीय मापदण्ड		वित्त आयोग प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	0.03	0.08	-1.85	-0.73	-0.32
	उपलब्धि	0.81	-0.30	-1.91	0.42	0.31
राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	3.24	3.34	4.99	4.50	4.56
	उपलब्धि	2.85	3.55	5.19	3.30	3.11
कुल बकाया ऋण देयता का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	26.34	24.43	28.83	28.52	33.31
	उपलब्धि	23.42	24.85	29.61	27.48	26.68
पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में प्रत्याभूतियां	लक्ष्य	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	उपलब्धि	22.81	20.77	25.07	23.91	21.41

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

<sup>32</sup> 2020-21 कोविड-19 महामारी से प्रभावित था जिसने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का काफी प्रभावित किया।

2018-23 के दौरान, राजस्व घाटा/अधिशेष-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात में (-)1.91 एवं 0.81 के मध्य उतार-चढ़ाव आया, राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5.19 से 2.85 के मध्य रहा एवं बकाया देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद 23.42 एवं 29.61 के मध्य बदलता रहा। हालांकि राज्य शासन 2019-20 एवं 2020-21 के लिए राजकोषीय समेकन रोडमैप में निर्धारित राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं बकाया देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान इसके प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार हुआ। राज्य शासन द्वारा 2018-23 के दौरान दी गई प्रत्याभूति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय में 2018-19 में 49.13 प्रतिशत से 2022-23 में 51.59 प्रतिशत तक अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। हालांकि, यह लगातार 52 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है, जिससे ऋण भुगतान सहित अन्य उद्देश्यों के लिए राजस्व संसाधनों की सीमित उपलब्धता दिखाई देती है।

राजकोषीय संधारणीयता जोखिम:

- i) उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विभिन्न राजकोषीय एवं ऋण मापदण्डों के अनुसार, ऋण स्थिरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- ii) डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, ब्याज दर की वृद्धि आम तौर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक/कम होती है। यह इंगित करता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर और ब्याज दर मध्यम अवधि में परिवर्तित हो जाएंगी/अल्प से मध्यम अवधि में परिवर्तित नहीं होंगी।
- iii) व्यापक राजकोषीय मापदण्डों, जैसे कि लोक ऋण, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की सीमा और किसी विशेष वर्ष में और उस वर्ष के 31 मार्च को, राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति की सीमा, के अनुसार सरकार की राजकोषीय संधारणीयता उचित प्रतीत होती है जैसा कि राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं बकाया देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूझानों द्वारा इंगित किया गया है। ये रूझान सरकार की मौजूदा राजकोषीय संधारणीयता को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए सतत् वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

उपरोक्त के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य की राजकोषीय संधारणीयता 31 मार्च 2023 तक उचित प्रतीत होती है। हालांकि, वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए, व्यय को तर्कसंगत बनाने, आगें के स्रोतों की खोज करने, राजस्व आधार का विस्तार करने, और राजस्व सृजन संपत्ति में निवेश करने जैसी पहलों पर विचार किया जाना चाहिए।

#### 2.14.1 उधार लिए गए धन का उपयोग


उधार लिए गए धन का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए एवं बकाया कर्ज पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार लिए गए धन का उपयोग करना संधारणीय नहीं है। 2018-23 के दौरान उधार लिए गए धन के उपयोग की प्रवृत्तियां और विवरण तालिका 2.42 एवं चार्ट 2.27 में दिया गया है:

तालिका 2.42: उधार लिए गए धन का उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल उधारियां	32,497.42	34,364.41	65,170.50	46,284.98	58,867.32
पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशत)	13,523.72 (41.61)	10,933.62 (31.82)	12,757.30 (19.58)	15,162.44 (32.76)	22,006.24 (37.38)
उधारियों की निवल उपलब्ध निधि	18,973.70	23,430.79	52,413.20	31,122.54	36,861.08
निवल पूंजीगत व्यय	29,411.17	29,227.82	30,341.31	39,135.41	44,391.60
निवल कर्ज एवं अग्रिम	1,019.78	941.30	1,172.00	3,166.52	902.05
राजस्व व्यय का भाग जो निवल उपलब्ध उधारियों से मिलता है	निरंक	निरंक	20,899.89	निरंक	निरंक

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका/चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने 2022-23 (पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत व्यय का 32.63 प्रतिशत) के दौरान अपने कुल उधार का 37 प्रतिशत पिछले ऋण/देयताओं को चुकाने के लिए खर्च किया, जिससे उधार ली गई धनराशि में से पूंजीगत व्यय के लिए कम गुंजाइश बची। 2018-23 की अवधि के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान करने के बाद ऋण की निवल उपलब्ध निधि 58.39 प्रतिशत से 80.42 प्रतिशत के मध्य रही, जिससे विकासात्मक गतिविधियों के लिए सीमित धन राशि बची।

#### 2.14.2 प्रत्याभूतियों—आकस्मिक देयताओं की स्थिति

प्रत्याभूतियां उधारकर्ता की चूक के कारण राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं, जिसके लिए प्रत्याभूति बढ़ाई गई है। राज्य शासन की कुल बकाया प्रत्याभूतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम<sup>34</sup> के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर थी। 2018-23 के दौरान राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां नीचे तालिका 2.43 में दर्शायी गयी हैं:


<sup>34</sup> कुल प्रत्याभूतियां, पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तालिका 2.43: राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां

प्रत्याभूतियां	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि लागू सीमा तक (मानदण्ड)	1,07,900	1,19,114	1,18,115	1,17,101	1,48,701
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	30,763	30,930	37,010	35,006	39,788

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गयी बकाया प्रत्याभूतियां एवं अधिकतम प्रत्याभूति राशि का विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को बकाया प्रत्याभूतियों के क्षेत्र-वार संघटक को चार्ट 2.28 में दर्शाया गया है।



मध्य प्रदेश शासन ने 2022-23 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छः<sup>35</sup> इकाइयां (₹17,858 करोड़), नगरीय विकास एवं आवास के छः<sup>36</sup> संस्थान (₹7,332 करोड़), अन्य क्षेत्रों के सात<sup>37</sup> संस्थान (₹38,485 करोड़), सहकारिता (₹3,250 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम (₹700 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2022-23 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कुल प्राप्य ₹112.09 करोड़ में से ₹36.58 करोड़ प्राप्त किए।

### 2.14.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए एक समझौते के अनुसार, राज्य शासन को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹1.96 करोड़ बनाए रखना है। यदि यह शेष राशि निश्चित न्यूनतम से किसी दिन कम हो जाती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की

<sup>35</sup> मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर।


<sup>36</sup> नगर निगम, नगर पालिका, राज्य विकास इकाई, लिमिटेड, मध्य प्रदेश नगरीय विकास कम्पनी लिमिटेड, नगर परिषद, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

<sup>37</sup> मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, उच्च शिक्षा और पशुपालन।

जाती है। 1 फरवरी 2016 से राज्य शासन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹1,600 करोड़ थी और बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को पुनरीक्षित किया जाता है।

### 2.14.3.1 रोकड़ शेष

मध्य प्रदेश शासन के 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 को रोकड़ शेषों का विवरण चार्ट 2.29 में दर्शाया गया है:



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2022-23 के दौरान राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष को बनाए रखा एवं वर्ष के दौरान कोई साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण नहीं लिया गया।

### 2.14.3.2 रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 2.44 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष एवं इनमें से किए गए निवेशों का चित्रण करती है:

तालिका 2.44: रोकड़ शेष एवं उनका निवेश

विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष
(₹ करोड़ में)		
<b>(अ) सामान्य रोकड़ शेष</b>		
कोषालयों में रोकड़	--	--
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,117.71	(-)4,969.81 <sup>38</sup>
पारगमन में प्रेषण—स्थानीय	--	--
<b>योग</b>	<b>(-)1,117.71</b>	<b>(-)4,969.81</b>
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	<b>17,441.88</b>	<b>23,149.64</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>16,324.17</b>	<b>18,179.83</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश</b>		

<sup>38</sup> मार्च 2023 के अंत में "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹4,969.81 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹119.04 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹4,850.77 करोड़ (जमा) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

विभागीय रोकड़ शेष	(-)2.53	(-)2.88
स्थायी पेशगी	0.85	0.85
उद्दिष्ट निधि में से निवेश	973.76	973.76
<b>योग (ब)</b>	<b>972.08</b>	<b>971.73</b>
<b>महायोग (अ)+(ब)</b>	<b>17,296.25</b>	<b>19,151.56</b>
<b>प्राप्त ब्याज</b>	<b>196.99</b>	<b>166.17</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य शासन के रोकड़ शेष में 2021-22 में ₹17,296 करोड़ से 2022-23 में ₹19,152 करोड़ तक की उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। ₹1,856 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण कोषालय देयकों में निवेश 2021-22 में ₹17,442 करोड़ से 2022-23 में ₹23,150 करोड़ तक ₹5,708 करोड़ से वृद्धि के कारण था।

राज्य शासन अपने रोकड़ शेष अधिशेष को भारत सरकार की अल्प और दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों और कोषालय देयकों में निवेश करती है। इस प्रकार के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। 2022-23 के दौरान, राज्य शासन ने कोषालय देयकों में किए गए निवेश से ₹166.17 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

2018-19 से 2022-23 तक की संपूर्ण अवधि के लिए अर्जित ब्याज तालिका 2.45 में दिया गया है:


**तालिका 2.45: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)**

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी(-)	(₹ करोड़ में)
				अर्जित ब्याज
2018-19	7,412.19	8,638.46	1,226.27	146.45
2019-20	8,638.46	11,270.17	2,631.71	145.29
2020-21	11,270.17	20,788.72	9,518.55	144.73
2021-22	20,788.72	17,441.88	(-)3,346.84	196.99
2022-23	17,441.88	23,149.64	5,707.76	166.17

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अंतिम शेष का प्रवृत्ति विश्लेषण 31 मार्च 2019 को ₹8,638.46 करोड़ से 31 मार्च 2023 को ₹23,149.64 करोड़ तक ₹14,511.18 करोड़ से वृद्धि को दर्शाता है।

2018-23 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखों में उपलब्ध शेषों एवं राज्य द्वारा लिए गए बाजार कर्ज की तुलना निम्न चार्ट 2.30 करता है। बाजार कर्ज अधिक ब्याज दरों पर लिया गया जबकि कोषालय देयकों में किए गए निवेश से कम दरों पर ब्याज प्राप्त हुआ।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान बाजार कर्ज एवं रोकड़ शेष निवेश का माह-वार चित्रण नीचे चार्ट 2.31 में दर्शाया गया है।



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक राज्य शासन द्वारा माह-वार रोकड़ शेष निवेश ₹5,880 करोड़ एवं ₹23,150 करोड़ के मध्य था, जबकि बाजार कर्ज ₹2,000 करोड़ एवं ₹15,158 करोड़ के मध्य था। इसके अलावा, 2022-23 में राज्य शासन द्वारा उधारियों पर ₹19,453 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया, जबकि रोकड़ शेष निवेश पर केवल ₹166.17 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया था।

राज्य शासन को आवश्यकता आधारित उधारी की नीति अपनानी चाहिए और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना चाहिए। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

## 2.15 निष्कर्ष

राज्य ने तीनों मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों अर्थात् राजस्व अधिशेष को बनाये रखना, राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और कुल बकाया दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात को प्राप्त किया। वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य ने राजस्व अधिशेष (₹4,091 करोड़) दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व दोनों में वृद्धि हुई।

राज्य शासन द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में रखा गया निवेश 2021-22 एवं 2022-23 के अंत में क्रमशः ₹17,296.25 करोड़ एवं ₹19,151.53 करोड़ था। रोकड़ शेष निवेश लेखे में ब्याज की न्यूनतम दर पर वृहद् राशि रखना जबकि ब्याज की उच्च दर पर उधारी लेना वित्तीय दुविधा है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में रखा गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022-23 तक सांविधिक निगमों, कम्पनियों, सहकारी समितियों, इत्यादि में किए गए ₹43,384.04 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹159.58 करोड़) वर्ष के दौरान, औसत उधारी लागत 5.66 प्रतिशत के विरुद्ध केवल 0.37 प्रतिशत था। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों (₹47,826 करोड़) पर प्राप्त ब्याज की दर भी केवल 9.12 प्रतिशत थी।

## 2.16 अनुशंसाएं

- राज्य शासन को राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों (उधार) के उपयोग से बचने के लिए स्वयं के राजस्व में वृद्धि के माध्यम से बढ़े हुए राजकोषीय अंतराल को सृजित करने के उपाय शुरू करने होंगे। बजट तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी हो, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच के अंतर को कम किया जा सके।
- राज्य शासन को विभिन्न इकाइयों में अपने निवेशों एवं कर्जों अग्रिमों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं कर्जों पर प्रतिलाभ कम से कम शासकीय उधारी लागतों से साम्य रखें।
- राज्य शासन को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो भारी नुकसान उठा रहे हैं के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और उनके पुनरुद्धार की रणनीति तैयार करें।
- नए उधार लेने से पहले राज्य शासन आवश्यकता-आधारित उधार लेने और मौजूदा नकदी शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।



---

**अध्याय III**  
**बजटीय प्रबंधन**

---



## अध्याय III—बजटीय प्रबंधन

### 3.1 प्रस्तावना


प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि नीतिगत स्तर पर लिये गये निर्णयों के बिना किसी अपव्यय या निधियों के व्यपवर्तन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हैं। यह अध्याय राज्य शासन की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजट निरूपण की पारदर्शिता एवं उसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां करता है।

#### 3.1.1 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)” कहा जाता है, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना है। व्यय का अनुमान व्यय की भारित और दत्तमत मदों को अलग-अलग दिखाता है और राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय अनुमान तैयार किया जाता है तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसे ‘अनुदान की मांग’ कहा जाता है। राज्य के बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं जैसा कि चार्ट 3.1 में दिया गया है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट के दस्तावेजों का विवरण



वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), और अनुदान की मांगें क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 199, 202 और 203 के अंतर्गत आवश्यक हैं।

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग प्रदान किया जाता है।


राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय वहन करने के लिए विधायी प्राधिकरण अनिवार्य शर्त है। प्रत्येक शासकीय विभागों के मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार वित्तीय नियम बनाती है और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान करती है। ये शक्तियां विनियोग और पुनर्विनियोजन पर प्रतिबंधों के साथ-साथ व्यय करने की सीमा और ऐसे व्यय को मंजूरी देने के लिए अधिकृत स्तरों की स्थापना करते हैं।

राज्य शासन अपने वार्षिक बजट तथा अनुदानों/विनियोगों की 59 मांगों की प्रस्तुती द्वारा राज्य की समेकित निधि में से व्यय के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करता है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग के पास अनुदान के लिए एक मांग होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष नीति निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और सार्वजनिक धन को इच्छित उद्देश्यों के लिए व्यय करता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बजट राशि के आधिक्य में व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन वर्ष के दौरान विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहां बचतें प्रत्याशित हैं, एक ही खंड (राजस्व-दत्तमत, राजस्व-भारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-भारित) से उन इकाइयों को जहां अतिरिक्त व्यय परकल्पित है, (उसी अनुदान/विनियोग के भीतर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनर्आवंटन किया जाता है।

सामान्यतः, मध्य प्रदेश का बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के फरवरी-मार्च के महीने में पारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तीन अनुपूरक देयक क्रमशः 15 सितम्बर 2022, 21 दिसम्बर 2022 एवं 15 मार्च 2023 को लाए गए।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित चार्ट 3.2 में नीचे दिये गए हैं:



स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

### 3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचतों का सारांश

विनियोग लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत और भारित व्यय के लेखे हैं, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान और भारित विनियोग की राशि की तुलना में हैं, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है।

कुल 59 अनुदानों/विनियोगों के लिए 2022-23 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की एक सारांशीकृत स्थिति, आगे इनका दत्तमत/भारित विभाजन तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचतें

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+) (प्रतिशत)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	2,12,973.29	24,677.50	1,80,621.33	21,466.37	(-)32,351.96	(-)3,211.13
पूंजीगत	55,635.37	464.20	44,288.08	373.22	(-)11,347.29	(-)90.98
कर्ज एवं अग्रिम	3,793.76	0.00	2,359.22	0.00	(-)1,434.54	0.00
लोक ऋण	0.00	24,114.09	0.00	22,006.24	0.00	(-)2,107.85
<b>योग</b>	<b>2,72,402.42</b>	<b>49,255.79</b>	<b>2,27,268.63</b>	<b>43,845.83</b>	<b>(-)45,133.79</b>	<b>(-)5,409.96</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

### 3.1.3 भारत और दत्तमत संवितरण

पिछले पांच वर्षों (2018–23) के दौरान भारत और दत्तमत में किए गए कुल संवितरण का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2018–23 के दौरान दत्तमत एवं भारत में कुल बजट प्रावधान एवं संवितरण

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+) (प्रतिशत)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत	दत्तमत	
					दत्तमत	भारत
2018-19	2,10,639.84	27,662.83	1,59,729.03	28,101.14	(-)50,910.81 (24.17)	(+)438.31 (1.58)
2019-20	2,24,923.47	32,001.93	1,68,171.91	26,621.87	(-)56,751.56 (25.23)	(-)5,380.06 (16.81)
2020-21	2,00,259.26	35,667.76	1,82,689.33	30,294.31	(-)17,569.93 (8.77)	(-)5,373.45 (15.06)
2021-22	2,38,758.86	44,020.75	2,07,213.45	35,779.90	(-)31,545.41 (13.21)	(-)8,240.85 (18.72)
2022-23	2,72,402.42	49,255.79	2,27,268.63	43,845.83	(-)45,133.79 (16.57)	(-)5,409.96 (10.98)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका से देखा जा सकता है, कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दत्तमत बजट में बचतें 16.57 प्रतिशत (दत्तमत प्रावधान का) थी, जबकि भारत बजट में बचतें लगभग 10.98 प्रतिशत (भारत प्रावधान का) थी।

### 3.1.4 लक्ष्यवेधित्व बजट

#### 3.1.4 (अ) कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में, अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल बजट परिणाम

व्यय की प्रकृति	मूल अनुमोदित बजट अनुमान	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं बजट अनुमान
			में अंतर
राजस्व अनुभाग	2,04,982.50	2,02,087.70	(-) 2,894.80
पूंजीगत अनुभाग	74,254.30	69,026.76	(-) 5,227.54
<b>योग</b>	<b>2,79,236.80</b>	<b>2,71,114.46</b>	<b>(-) 8,122.34</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)1.41 प्रतिशत था। यह 41 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के बीच, और नौ अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)7.04 प्रतिशत था। यह 16 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के बीच और 22 अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

### 3.1.4 (ब) व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच कौन सा पुनर्आवंटन किस सीमा तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान किया है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुमोदित बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक परिणाम	पुनरीक्षित अनुमान एवं बजट अनुमान में अंतर	वास्तविक और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर
राजस्व अनुभाग	2,04,982.50	2,08,538.59	2,02,087.70	(-) 3,556.09	(-) 6,450.89
पूंजीगत अनुभाग	74,254.30	71,158.63	69,026.76	3,095.67	(-) 2,131.87
<b>योग</b>	<b>2,79,236.80</b>	<b>2,79,697.22</b>	<b>2,71,114.46</b>	<b>(-) 460.42</b>	<b>(-) 8,582.76</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.09 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के बीच और चार अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

पूंजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.00 प्रतिशत था। यह 29 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के बीच और 15 अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

## 3.2 विनियोग लेखे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारित अनुदानों की राशि और विनियोग अधिनियम की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय लेखे हैं, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में हैं, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोजन प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध हैं। वे विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय का संकेत भी देते हैं, जो कि बजट के दोनों मदों भारित एवं दत्तमत के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है। इस प्रकार, विनियोग लेखें, निधियों की उपयोगिता की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाता है, इसलिए वित्त लेखों का अनुपूरक है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत व्यय भारित होने के लिए आवश्यक है इसलिए यह भारित व्यय है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

## 3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा

### 3.3.1 बिना बजट प्रावधान के व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी। राज्य की आकस्मिकता निधि से पुनर्विनियोजन,

अनुपूरक अनुदान या विनियोग या अग्रिम द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ प्रकरणों में, बिना बजट प्रावधान के ₹2.37 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखा का शीर्ष-वार विवरण नीचे तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: 2022-23 के दौरान बिना बजट प्रावधान के व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष (विस्तृत शीर्ष तक)	द.म./भा.	मूल बजट	पुनर्विनियोग और समर्पण	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
1	3	गृह	2070-107-0492-21-004	द.म.	0.10	(-) 0.10	0.00	0.23	0.23
2	3	गृह	2216-80-001-5347-11-009	द.म.	0.03	(-) 0.03	0.00	0.01	0.01
3	3	गृह	2216-80-001-5347-11-025	द.म.	0.11	(-) 0.11	0.00	0.05	0.05
4	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0103-7788-64-001	द.म.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
5	23	जल संसाधन	2702-80-800-0102-0207-12	द.म.	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36
6	23	जल संसाधन	4702-101-0101-3803-64-001	द.म.	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64
7	CH-I	भारत विनियोग-लोक ऋण	6003-101-65-66	भा.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
8	6	वित्त	7610-201-9085-67	द.म.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
<b>योग</b>					<b>0.24</b>	<b>(-) 0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>


स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे 2022-23

### 3.3.2 बजट अनुमान में लेखा शीर्ष का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार के लेखा मानक-2 को 2011 में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्राप्त या दी गई सहायतानुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार लेखा मानक-2 के अनुसार सहायतानुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थानों या व्यक्ति को दी गयी सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति का भुगतान है। इसके अलावा, सहायतानुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। पूंजीगत व्यय को किसी सामग्री या स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा पूर्ण रूप से भारत सरकार के लेखा मानक-2 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के प्रभाव का विवरण तालिका 3.6 में दर्शाया गया है, जबकि चार्ट 3.3 पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालता है।





स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


तालिका 3.6 और चार्ट 3.4 इंगित करते हैं कि 2018–23 के दौरान राज्य द्वारा भारत सरकार के लेखा मानक-2 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन न करने का प्रभाव यह हुआ कि इस अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष को अधिक बताया गया और राजस्व घाटा को कम बताया गया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय को भी उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था।

तालिका 3.6: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	541	257	250	280	256
कुल पूंजीगत व्यय	29,999	29,241	30,357	40,733	44,661
पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	1.80	0.88	0.82	0.69	0.57
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव, यदि सहायतानुदान से किये गये व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।	6,203	(-)3,058	(-)18,606	4,535	3,835

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

हालांकि, 2022-23 के दौरान राशि ₹2,381.53 करोड़ को राजस्व व्यय के अंतर्गत लेखांकन के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकृत किये गये थे। इसमें से ₹256.18 करोड़ सहायतानुदान से संबंधित और ₹2,125.35 करोड़ अन्य व्यय से संबंधित है। इसके कारण, राजस्व व्यय ₹2,381.53 करोड़ से न्यूनोक्त और पूंजीगत व्यय ₹2,381.53 करोड़ से अत्योक्त था। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

इसी प्रकार, राज्य शासन द्वारा ₹89.25 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में गलत बजट और व्यय ('वाहनों की खरीद'<sup>39</sup> 'मशीनरी' एवं 'सर्वेक्षण, अन्वेषण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन' के लिए) किया गया, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹89.25 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹89.25 करोड़ से न्यूनोक्त था। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

### 3.3.3 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं। जब ऐसा अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाया जाता है और पुनर्विनियोजन द्वारा आधिक्य का बचाव करने के लिए अनुदान के भीतर बचत करने की कोई संभावना नहीं होती है, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देते हैं।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 अनुपूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि बजटीय प्रावधान कम रह जाता है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत व्यय के लिए प्रतिबद्धता पहले से ही की गई है।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य विधानसभा ने 15 सितम्बर 2022, 21 दिसम्बर 2022 एवं 15 मार्च 2023 में कुल ₹42,421.41 करोड़ (53 अनुदानों एवं सात विनियोगों) का अनुपूरक बजट अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में दर्शाया कि इन अनुपूरक प्रावधानों की 28 अनुदानों एवं चार विनियोगों में उपयोग हेतु केवल ₹24,448.10 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता थी, जहां अंतिम व्यय मूल बजट प्रावधानों से अधिक था

<sup>39</sup> वित्त मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 16.12.2022 के अनुसार वाहनों की खरीद को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है। इस प्रकार, ₹17,973.31 करोड़ का अधिक अनुपूरक प्रावधान किया गया था। आगे 52 अनुदानों एवं सात विनियोगों में अनुपूरक प्रावधानों की राशि ₹17,973.35 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है। 12 अनुदानों में जहां मूल बजट प्रावधान में ₹1,000 करोड़ एवं अधिक की महत्वपूर्ण बचतें थीं एवं फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था, **तालिका 3.7** में नीचे वर्णित है।

**तालिका 3.7: प्रकरण जहां मूल बजट प्रावधान में से बचतें ₹1,000 करोड़ एवं अधिक थी, वहां अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	राज.द./पूंजी.द.	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
1	3	गृह	राज.द.	8,745.19	7,665.84	1,145.69	66.34
2	6	वित्त	राज.द.	21,783.12	19,916.98	3,846.56	1,980.42
3	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज.द.	7,444.52	5,218.26	2,362.50	136.24
4	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	15,690.34	19,196.05	3,204.80	6,710.51
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.द.	9,472.28	9,875.56	1,273.62	1,676.90
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी.द.	7,781.52	6,728.35	1,073.17	20.00
7	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.द.	9,299.24	10,913.23	1,218.38	2,832.37
8	27	स्कूल शिक्षा	राज.द.	26,332.47	23,515.07	2,820.65	3.25
9	30	ग्रामीण विकास	राज.द.	17,498.92	14,797.70	4,822.73	2,121.51
10	33	जनजातीय कार्य	राज.द.	8,860.64	7,992.31	1,319.55	451.22
11	40	पंचायत	राज.द.	6,536.12	5,461.92	2,546.20	1,472.00
12	55	महिला एवं बाल विकास	राज.द.	5,715.17	5,583.23	1,209.80	1,077.86
<b>योग</b>				<b>1,45,159.53</b>	<b>1,36,864.50</b>	<b>26,843.65</b>	<b>18,548.62</b>

स्रोत: विनियोग लेख 2022-23

संक्षेपाक्षर: राजस्व दत्तमत (राज.द.), पूंजीगत दत्तमत (पूंजी.द.)

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.7** से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण एवं कृषि विकास (मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में, ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर किसानों की ब्याज माफी समाधान योजना में), अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, स्वास्थ्य अस्पतालों एवं औषधालयों के भवन निर्माण योजना में), अनुदान संख्या 22—शहरी विकास एवं आवास (15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार दस लाख शहरों को अनुदान, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान योजना में), अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास (प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला स्वयं सहायता समूह को अतिरिक्त ब्याज भुगतान 2018 योजना में), अनुदान संख्या 40—पंचायत (15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान योजना में) और अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास (आंगनवाड़ी सेवाएँ “सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0” योजना) में किए गये व्यय को इन योजनाओं में पूरी तरह से व्यय नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य शासन द्वारा अनुपूरक अनुदान प्रशासन द्वारा आवश्यकता और निगरानी के पर्याप्त मूल्यांकन के बिना थे जो खराब बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

### 3.3.4 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित होती है, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, को पहचान कर निधियों का अंतरण होता है। वित्त विभाग के पास अनुदान के भीतर किसी भी पुनर्विनियोजन की मंजूरी/अधिकृत करने की शक्ति है, जिसमें आवर्ती देयता का दायित्व लेना शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 की कंडिका 26.6 के अनुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति की शक्तियां वित्त विभाग द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विनियमित होती है।

2022-23 के दौरान, 18 अनुदानों एवं दो विनियोगों से संबंधित कुल 42 उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में वर्णित है। छः अनुदानों एवं दो विनियोगों से संबंधित 12 उप-शीर्षों में ₹1,130.04 करोड़ के पुनर्विनियोजन के बाद भी ₹1,069.35 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया था। 14 अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित शेष 30 उप-शीर्षों में, जहां ₹1,368.10 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था, उन्ही उप-शीर्षों में अंतिम बचतें ₹1,218.01 करोड़ थीं। अनुदान संख्या 10-वन, अनुदान संख्या 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अनुदान संख्या 30-ग्रामीण विकास के अंतर्गत वृहद् बचतें थीं। CH-I भारत विनियोग-लोक ऋण, CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा और अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण कार्य में, ₹1,033.94 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल तथा अनुपूरक प्रावधान ₹645.70 करोड़ से अधिक था।

### 3.3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/या वृहद् बचतें/समर्पण

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविवेक की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों को बजट में हर उस चीज के लिए प्रावधान करने का प्रयास करना चाहिए जिसकी कल्पना की जा सकती है और केवल उतना ही प्रदान करना चाहिए जितना आवश्यक हो, प्रशासनिक और वित्त विभाग को अनुमानों पर अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण वित्तीय वर्ष के अंत में धन जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ मदों में अत्यधिक बचतें अन्य विभागों को उस धनराशि से भी वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

#### 3.3.5.1 सारभूत समर्पण

2022-23 के दौरान, 22 अनुदानों से संबंधित 217 उप-शीर्षों में राशि ₹7,391.48 करोड़ (₹10,357.23 करोड़ के मूल बजट प्रावधान का 71.37 प्रतिशत) 50 प्रतिशत या अधिक का सारभूत समर्पण किया गया था जिसमें 20 अनुदानों से संबंधित 124 उप-शीर्षों (₹2,085.46 करोड़) में 100 प्रतिशत समर्पण शामिल है जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत है। भू-राजस्व से संबंधित व्यय, जिला प्रशासन एवं आपदा राहत विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सहकारिता विभाग और ग्रामीण विकास से संबंधित अनुदानों, जहां प्रत्येक अनुदान में ₹200 करोड़ और उससे अधिक के सारभूत समर्पण के कुछ कारण जैसे कि भारत सरकार से धन जारी न करना और व्यय पर प्रतिबंध के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश, वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त न होना, भारत सरकार से केंद्रीय हिस्से की अप्राप्ति, इत्यादि थे।

### 3.3.5.2 समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें

2022–23 के दौरान, बजट अनुमानों के विरुद्ध कुल बचतें ₹50,543.75 करोड़ थी। 95 प्रकरणों में कुल राशि ₹47,984.81 करोड़ थी जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ एक करोड़ एवं अधिक की थी। इसमें से, राशि ₹27,556.42 करोड़ समर्पित (परिशिष्ट 3.7) नहीं की गई। यह राशि उपरिलिखित 95 प्रकरणों की बचत का 57.43 प्रतिशत और कुल बचत (₹50,543.75 करोड़) का 54.52 प्रतिशत थी।

राशि ₹50,543.75 करोड़ की बचतों के कुल प्रकरणों में से 39 प्रकरणों (₹13,498.89 करोड़ की बचतों) में से, इन प्रकरणों में बचतों का कोई भाग संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है।

यह पाया गया कि 31 मार्च 2023 को राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत एक अनुदान में अर्थात्, अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत समर्पित की गई कुल राशि बचतों से अधिक थी। विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है।

**तालिका 3.8: बचतों के विरुद्ध अधिक समर्पण**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूँजी.द.	बचतें	समर्पण	अधिक समर्पण
1	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज.द.	280.37	280.42	0.05

स्रोत: विनियोग लेखे 2022–23

यह बहुत ही अवास्तविक है और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम के आंकड़ों के साथ विभागीय आंकड़ों के मिलान न किये जाने के कारण हुआ।

### 3.3.5.3 निधियों के समर्पण का विवरण

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड—। की कंडिका 26.11 के अनुसार, संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्याशित बचतों की गणना जल्द से जल्द 15 दिसम्बर से पूर्व की जाना चाहिए, जबकि मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड—। की कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सभी प्रत्याशित बचतों को वित्त विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 जनवरी के पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वित्त विभाग द्वारा अनुदान की अन्य मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

प्रत्येक प्रकरण में ₹1,000 करोड़ और अधिक की धनराशि के समर्पण का विवरण, जो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2023 को समर्पण किया गया था **तालिका 3.9** में दिया गया है।

**तालिका 3.9: प्रत्येक प्रकरण में ₹1,000 करोड़ और अधिक की धनराशि के समर्पण का विवरण**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं वर्गीकरण	राज.द./ पूँजी.द./ रा.भा./ पूँजी.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय (+)/ बचतें (-)	31 मार्च 2023 को समर्पित राशि
1	3-गृह	राज.द.	8,745.19	66.34	8,811.53	7,665.84	1,145.69	1,128.68
2	8-भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा	राज.द.	7,444.52	136.24	7,580.76	5,218.26	2,362.49	1,269.48

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं वर्गीकरण	राज.द./ पूँजी.द./ रा.भा./ पूँजी.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय (+)/ बचतें (-)	31 मार्च 2023 को समर्पित राशि
	आपदा राहत पर व्यय							
3	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	15,690.34	6,710.51	22,400.85	19,196.05	3,204.80	3,204.41
4	17-सहकारिता	पूँजी.द.	1,020.12	0.00	1,020.12	0.08	1,020.05	1,020.05
5	27-स्कूल शिक्षा	राज.द.	26,332.47	3.25	26,335.72	23,515.07	2,820.65	2,812.68
6	30-ग्रामीण विकास	राज.द.	17,498.92	2,121.51	19,620.43	14,797.70	4,822.73	4,790.66
7	33-जनजातीय कार्य	राज.द.	8,860.64	451.22	9,311.86	7,992.31	1,319.55	1,311.11
8	55-महिला एवं बाल विकास	राज.द.	5,715.17	1,077.86	6,793.03	5,583.23	1,209.80	1,209.57
	<b>योग</b>		<b>91,307.37</b>	<b>10,566.93</b>	<b>1,01,874.30</b>	<b>83,968.54</b>	<b>17,905.76</b>	<b>16,746.64</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

उपरोक्त तालिका 3.9 से यह देखा जा सकता है कि आठ प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंतिम दिन ₹1,000 करोड़ और अधिक की धनराशि ₹16,746.64 करोड़ समर्पित की गई थी। इससे पता चलता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी ने वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना और संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के प्रस्ताव के बिना बजट अनुमान तैयार किया था।

### 3.3.5.4 प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश

राज्य शासन के निर्देशों (फरवरी 2012) के अनुसार पुनर्विनियोजनों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए। जिन शीर्षों में समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किये गये हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

हमने पाया कि 16 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित राशि ₹3,298.75 करोड़ के समर्पण के लिए 16 स्वीकृतियां, उपरोक्त राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन था एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम द्वारा लेखाओं में शामिल किये जाने के लिए स्वीकार नहीं की थी। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

### 3.3.5.5 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

2022-23 के दौरान, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ और अधिक) के अन्तर्गत 81 प्रकरणों में कुल ₹19,105.10 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहां अप्रयुक्त बजट प्रावधान ₹500 करोड़ और अधिक था, का विवरण नीचे तालिका 3.10 में दिया गया है। प्रमुख अनुदान/विनियोग जहां प्रावधान ₹13,241.12 करोड़ की सीमा तक अप्रयुक्त रहे, वित्त, ऊर्जा, लोक ऋण, ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा थे।

तालिका 3.10: योजनाएं जिनमें ₹500 करोड़ एवं अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	दत्तमत/भारित	कुल प्रावधान (मूल+अनु.+पुनर्वि.)	व्यय	बचत (प्रतिशत)
1	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-110-0637-66-उपाय तथा साधन अग्रिम	भारित	736.11	0.00	736.11 (100%)
2	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-110-0779-66-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	भारित	2,000.00	0.00	2,000.00 (100%)
3	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-7284-52-प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि पर ब्याज भुगतान	भारित	550.00	0.00	550.00 (100%)
4	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-0716-विविध ऋण भुगतान	भारित	776.88	0.00	776.88 (100%)
5	6	वित्त	2054-095-5329-51-लंबित देयकों का भुगतान	दत्तमत	1,983.00	0.00	1,983.00 (100%)
6	6	वित्त	6075-800-6787-66-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	दत्तमत	793.13	0.00	793.13 (100%)
7	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-7837-44-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	1,860.00	0.00	1,860.00 (100%)
8	12	ऊर्जा	2801-80-101-0102-7837-44-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	660.00	0.00	600.00 (100%)
9	12	ऊर्जा	2801-80-101-0103-7837-44-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	1,767.00	0.00	1,767.00 (100%)
10	12	ऊर्जा	4801-05-190-0102-7837-64-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	627.00	0.00	627.00 (100%)
11	12	ऊर्जा	4801-05-190-0701-9542-64-रीवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	दत्तमत	930.00	0.00	930.00 (100%)
12	12	ऊर्जा	4801-05-190-0901-9542-64-रीवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	दत्तमत	558.00	0.00	558.00 (100%)
<b>योग</b>					<b>13,241.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,241.12 (100%)</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया था, जो अवास्तविक बजट अनुमान को दर्शाता है।

### 3.3.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के अनुसार मध्य प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम 1957 के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो विधि द्वारा किए गए विनियोग के तहत राज्य शासन द्वारा इस तरह के व्यय के प्राधिकृति के लिए लंबित है। निधि की स्थापना के समय अग्रदाय के रूप में ₹40 करोड़ थी। 27 मार्च 2021 को एक अध्यादेश के माध्यम से निधि को बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया था।

2022-23 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा सात अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹264.39 करोड़ की 10 स्वीकृतियां जारी की गईं, ₹283.09 करोड़ के 10 आहरण आकस्मिकता निधि से किये गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹10 करोड़ की मंजूरी के विरुद्ध, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹29.40 करोड़ का व्यय किया गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की पूर्वानुमति के बिना आकस्मिकता निधि से अनुदान संख्या 1-सामान्य प्रशासन में ₹19.40 करोड़ की अधिक निकासी की गई, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के प्रावधानों का उल्लंघन है यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 8-भू-राजस्व, जिला प्रशासन एवं आपदा राहत पर व्यय में ₹89.06 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध ₹89.01 करोड़ का व्यय किया गया तथा अनुदान संख्या 23-जल संसाधन में ₹28.00 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध ₹27.35 करोड़ का व्यय हुआ। राज्य सरकार की इस प्रकार की गतिविधि से वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था खराब होती है तथा वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। राज्य की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2023 तक नहीं की गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरण का विवरण तालिका 3.11 में दिया गया।

तालिका 3.11: आकस्मिकता निधि के स्वीकृति आदेशों और स्वीकृतियों के विरुद्ध उपयोग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	निकासी का उद्देश्य	स्वीकृत राशि	व्यय	प्रतिपूर्ति माह
1	889/आर-1005593/बी-7/डी.एम.सी/4/2022/भोपाल, दिनांक 09.12.2022	1-सामान्य प्रशासन	2013	मुख्यमंत्री स्वैच्छिक अनुदान	10.00	29.40	03/2023
2	691/आर-395/बी-7/डी.एम.सी/4/2022/भोपाल, दिनांक 29.08.2022	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	2029	परिसमापक की संपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान के लिए सहायता अनुदान	14.03	14.03	03/2023
3	614/348/बी-7/डी.एम.सी/4/2022/भोपाल, दिनांक 20.07.2022	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	2029	परिसमापक की संपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान के लिए सहायता अनुदान	6.51	6.51	03/2023
4	824/आर-487/बी-7/डी.एम.सी/4/2022/भोपाल, दिनांक 04.11.2022	2-विमानन	2052	स्पेयर पार्ट्स के लिए विमानन विभाग	6.00	6.00	01/2023 से 02/2023
5	888/आर-1006974/बी-7/डी.एम.सी.	2-विमानन	2052	विमानन प्राधिकरण की परिवहन व्यवस्था	5.00	5.00	03/2023



स. क्र.	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	निकासी का उद्देश्य	स्वीकृत राशि	व्यय	प्रतिपूर्ति माह
	/4/2022/भोपाल, दिनांक 09.12.2022						
6	412/आर-215/बी-7/डी.एम. सी./4/2022/भोपाल, दिनांक 04.05.2022	8-भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2053	डिक्रीटल निधि का भुगतान	89.06	89.01	12/2022
7	560/आर-318/बी-7/डी.एम. सी./4/2022/भोपाल, दिनांक 29.06.2022	3-गृह	4055	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	20.00	20.00	12/2022
8	610/आर-344/बी-7/डी.एम. सी./4/2022/भोपाल, दिनांक 18.07.2022	53-अल्प संख्यक कल्याण	4255	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	11.55	11.55	12/2022
9	768/आर-440/बी-7/डी.एम. सी./4/2022/भोपाल, दिनांक 30.09.2022	53-अल्प संख्यक कल्याण	4255	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	74.24	74.24	12/2022
10	540/आर-306/बी-7/डी.एम. सी./4/2022/भोपाल, दिनांक 22.06.2022	23-जल संसाधन	4701	डिक्रीटल निधि का भुगतान	28.00	27.35	12/2022
<b>योग</b>					<b>264.39</b>	<b>283.09</b>	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी

### 3.3.7 बजट बनाने में त्रुटि

भारत सरकार, विशेष सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि के तहत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, मुख्य शीर्ष "1601—सहायता अनुदान" के तहत अनुदानों को प्रारंभ में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात् प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय के मुख्य शीर्ष "3054—सड़क एवं पुल" के माध्यम से मुख्य शीर्ष "8449—अन्य जमा—103 केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेसन" के तहत लोक लेखा को हस्तांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान प्राप्तियों, लेखाओं में राजस्व अधिशेष को अधिक या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दर्शाती है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण पर व्यय प्रथमतः राजस्व अथवा पूंजीगत व्यय अनुमान (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत दर्ज किया जाएगा एवं लोक लेखे में से उसकी प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 8449 के अंतर्गत एवं संबंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जो भी संबंधित हो) में से व्यय को घटाकर की जायेगी।

वर्ष 2022—23 के दौरान, यह देखा गया कि राज्य शासन को केन्द्रीय सड़क निधि के लिए अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य की योजना 0948 में ₹800.00 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹573.96 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से जमा शीर्ष 8449—अन्य जमा—103 सबवेसन को हस्तांतरित नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि को लोक लेखे के माध्यम से संचालित नहीं किया गया है। राज्य शासन ने ₹725.69 करोड़ का व्यय लोक लेखा के माध्यम से नहीं करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष 5054 से किया।

### 3.3.8 अनुदान/विनियोग जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था

2022-23 के दौरान, 59 अनुदानों/विनियोगों में से दो अनुदानों में बचतें देखी गईं, जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था और बजट प्रावधान ₹100 करोड़ एवं अधिक था। अवधि 2018-19 से 2022-23 के लिए दो अनुदानों में बजटीय आवंटन का उपयोग नीचे तालिका 3.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.12: अनुदान/विनियोग जहां बजट प्रावधान ₹100 करोड़ एवं अधिक के विरुद्ध बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)


स. क्र.	अनुदान	2018-19 (प्रतिशत में)	2019-20 (प्रतिशत में)	2020-21 (प्रतिशत में)	2021-22 (प्रतिशत में)	2022-23 (प्रतिशत में)	बजट 2022-23	कुल बजट (पांच वर्षों का)
1	16-मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	79.90	79.18	87.54	79.79	47.61	254.20	771.18
2	26-संस्कृति	85.82	64.75	89.66	53.51	45.10	694.90	1,668.84

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी

2022-23 के दौरान अनुदान संख्या 16-मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास में बजट का कम उपयोग वित्त विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण, जबकि अनुदान संख्या 26-संस्कृति में पद रिक्त रहने तथा देयकों के प्राप्त न होने के कारण हुआ।

#### 3.3.8.1 उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहबद्ध अनुदान/विनियोजन की संख्या का वितरण

उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहबद्ध अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट 3.5 में दिया गया है।



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, 18 अनुदानों/विनियोगों में बजट का उपयोग 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच था और 26 अनुदानों/विनियोगों में, बजट का उपयोग 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था और छः अनुदानों/विनियोगों में, आवंटित बजट के विरुद्ध बजट का उपयोग 100 प्रतिशत हुआ। 2022-23 के दौरान ऐसे पांच अनुदान/विनियोग थे जहां बजट का उपयोग बजट आवंटन के 50 प्रतिशत से कम था और वे अनुदान संख्या 2-विमानन, 16-मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास, 26-संस्कृति, 41-प्रवासी भारतीय और 45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन थे।

### 3.3.9 बचतें

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में अनुमानित बचतें 15 जनवरी तक (मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9) वित्त विभाग को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, ताकि जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, वहां उनका उपयोग किया जा सके। ₹10 करोड़ और अधिक एवं बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरणों का सारांश नीचे तालिका 3.13 में दिया गया है और परिशिष्ट 3.11 में विस्तृत है।

तालिका 3.13: ₹10 करोड़ और अधिक एवं कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक की बचत सीमा के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बचत सीमा	उप-शीर्ष	अनुदानों/विनियोगों की कुल संख्या	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	कुल अनुदानों के सापेक्ष बचतों का प्रतिशत	समर्पित राशि
1	10 करोड़ से < 100 करोड़	13	12	1,323.50	906.25	417.23	31.52	94.81
2	100 करोड़ से < 500 करोड़	15	15	12,706.45	8,569.64	4,136.82	32.56	1,917.45
3	500 करोड़ एवं अधिक	10	9	52,650.32	33,106.88	19,543.44	37.12	8,981.06
<b>योग</b>		<b>38</b>	<b>36</b>	<b>66,680.27</b>	<b>42,582.77</b>	<b>24,097.49</b>	<b>36.14</b>	<b>10,993.32</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि, वर्ष 2022-23 के दौरान 38 उप-शीर्षों में ₹24,097.49 करोड़ की बचतें थी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ एवं अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹24,097.49 करोड़ की कुल बचतों में से ₹10,993.32 करोड़ (46 प्रतिशत) समर्पित किये गये।

38 प्रकरणों में ₹11.34 करोड़ से ₹4,822.73 करोड़ तक की बचतों का अनुदान-वार विस्तृत विश्लेषण परिशिष्ट 3.11 प्रस्तुत करता है। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 17 अनुदानों और चार विनियोगों से संबंधित 21 प्रकरणों में तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 16 अनुदानों और एक विनियोग से संबंधित 17 प्रकरणों में बचतें ₹10 करोड़ एवं ₹500 करोड़ एवं अधिक के मध्य थी।

परिशिष्ट 3.11 में उल्लेखित अनुदानों में से, राजस्व अनुभाग लेखा शीर्ष के अंतर्गत 12 अनुदानों में अनुदान संख्या 1-सामान्य प्रशासन, 8-भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय, 14-पशुपालन एवं डेयरी, 16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास 23-जल संसाधन, 24-लोक निर्माण कार्य, 29-विधि और विधायी कार्य, 30-ग्रामीण विकास, 35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, 40-पंचायत, 44-उच्च शिक्षा और 50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और दो विनियोग अर्थात् 6-वित्त और 22-नगरीय विकास एवं आवास के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतें हुई थी।

इसी प्रकार, पूंजीगत अनुभाग लेखा शीर्ष में 11 अनुदानों में अनुदान संख्या 2-विमानन, 6-वित्त, 8-भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय, 12-ऊर्जा, 17-सहकारिता, 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 26-संस्कृति, 27-स्कूल शिक्षा, 33-जनजातीय कार्य, 45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और 49-अनुसूचित जाति कल्याण के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतें हुई थी।

2021-22 और 2022-23 के दौरान चार अनुदानों में ₹500 करोड़ और अधिक की वृद्धि बचतें हुईं जैसा कि नीचे तालिका 3.14 में वर्णित है:

तालिका 3.14: ₹500 करोड़ और अधिक की बचतों को दर्शाने वाली अनुदानें


(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान का नाम	बचतें (₹500 करोड़ से अधिक)	
		2021-22	2022-23
1	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	1,091.45 (55.58)	1,325.91 (96.51)
2	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	1,296.62 (39.48)	4,771.71 (73.67)
3	पंचायत (राजस्व दत्तमत)	1,825.24 (34.65)	2,546.20 (31.80)
4	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	572.97 (20.40)	664.10 (22.74)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं।

विभाग द्वारा बचतों के उपलब्ध कराए गए कारण, वित्त विभाग द्वारा राशि जारी न करना एवं व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना था। इन अनुदानों के अंतर्गत वृद्धि बचतें, अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के गलत अनुमान और व्यय पर नियंत्रण की कमी का संकेत है। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व समर्पित बचतों का विवरण चार्ट 3.6 में नीचे दिया गया है:



स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

### 3.3.10 उचित लेन-देन का असंचालन

“उचित” में अस्थायी प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। उचित शीर्ष के अंतर्गत चार उप-खण्ड होते हैं (i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचित।

प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-

- (i) **क्रय**—राज्य में 1983–84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उप-शीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
- (ii) **भण्डार**—इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।
- (iii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम**—इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।
- (iv) **कार्यशाला उचंत**—किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

यह देखा गया कि राजस्व दत्तमत के अंतर्गत अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अनुदान संख्या 23—जल संसाधन में लेखांकित 'उचंत लेन-देन' के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 2018–19 से 2022–23 में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों में प्रारंभिक और अंतिम शेष में कोई लेन-देन नहीं किया गया, विवरण तालिका 3.15 में दिया गया है।

तालिका 3.15: वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व दत्तमत में उचंत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

अनुदान और नामावली	उप-भाग	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंत शेष नामे (+) जमा (-)
20-2215—जल पूर्ति तथा सफाई	(i) क्रय	(-) 44.10	0.00	0.00	(-) 44.10
	(ii) भण्डार	(+) 9.44	0.00	0.00	(+) 9.44
	(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 203.09	0.00	0.00	(+) 203.09
	<b>योग</b>	<b>(+) 168.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+) 168.43</b>
23-2701—मध्यम सिंचाई	(i) क्रय	(-) 23.10	0.00	0.00	(-) 23.10
	(ii) भण्डार	(+) 5.34	0.00	0.00	(+) 5.34
	(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 37.57	0.00	0.05	(+) 37.52
	(iv) कार्यशाला उचंत	(+) 6.64	0.00	0.00	(+) 6.64
<b>योग</b>	<b>(+) 26.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>(+) 26.40</b>	
<b>निवल योग</b>	<b>(+) 194.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>(+) 194.83</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे 2022–23

इसी प्रकार, अनुदान संख्या 23—जल संसाधन और अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास में पूंजीगत दत्तमत के तहत उचंत लेन-देन में, पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 2018–19 से 2022–23, में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों में प्रारंभिक और समापन शेष में कोई लेन-देन नहीं किया गया विवरण तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16: वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत दत्तमत में उचंत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

अनुदान और नामावली	उप-भाग	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंत शेष नामे (+) जमा (-)
23-4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(i) क्रय	(-) 22.89	0.00	0.00	(-) 22.89
	(ii) भण्डार	(+) 40.23	0.00	0.00	(+) 40.23
	(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 11.89	0.00	0.00	(+) 11.89
	(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 2.11	0.00	0.00	(-) 2.11
<b>योग</b>		<b>(+) 27.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+) 27.12</b>
23-4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	(i) क्रय	(-) 0.13	0.00	0.00	(-) 0.13
	(ii) भण्डार	(+) 0.63	0.00	0.00	(+) 0.63
	(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 0.13	0.00	0.00	(+) 0.13
	(iv) कार्यशाला उचंत	(+) 0.02	0.00	0.00	(+) 0.02
<b>योग</b>		<b>(+) 0.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+) 0.65</b>
23-4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(i) क्रय	(-) 1.95	0.00	0.00	(-) 1.95
	(ii) भण्डार	(+) 11.80	0.00	0.00	(+) 11.80
	(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 8.02	0.00	0.00	(+) 8.02
	(iv) कार्यशाला उचंत	(+) 0.50	0.00	0.00	(+) 0.50
<b>योग</b>		<b>(+) 18.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+) 18.37</b>
23-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(i) क्रय	(-) 1.32	0.00	0.00	(-) 1.32
	(ii) भण्डार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
	(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 0.65	0.00	0.00	(+) 0.65
<b>योग</b>		<b>(-) 0.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 0.93</b>
48-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(i) भण्डार	(+) 0.14	0.00	0.00	(+) 0.14
	(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 0.04	0.00	0.00	(-) 0.04
<b>योग</b>		<b>(+) 0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+) 0.10</b>
48-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(i) क्रय	(-) 0.55	0.00	0.00	(-) 0.55
	(ii) भण्डार	(-) 21.12	0.00	0.00	(-) 21.12
	(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 1.03	0.00	0.00	(-) 1.03
	(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 2.59	0.00	0.00	(-) 2.59
<b>योग</b>		<b>(-) 25.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 25.28</b>
48-4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	(i) भण्डार	(+) 0.67	0.00	0.00	(+) 0.67
	(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2.38	0.00	0.00	(-) 2.38
<b>योग</b>		<b>(-) 1.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 1.71</b>
<b>निवल योग</b>		<b>(+) 18.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+) 18.30</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.15 और तालिका 3.16 से देखा जा सकता है, राजस्व दत्तमत अनुभाग के तहत उचंत लेन-देन ₹194.83 करोड़ था और पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के तहत ₹18.30 करोड़ था जो लंबी अवधि में अनुदान के तहत अप्रयुक्त रहा। यह बजटीय एवं वित्तीय प्रणाली को विकृत करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

### 3.3.11 उप-शीर्ष स्तर पर बजट से वृहद् अंतर का अस्पष्ट रहना

जैसा कि पहले बताया गया है, बजटीय प्रावधानों से व्यय में भिन्नता की सीमा, जिसके परे विनियोग लेखों में स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना है, लोक लेखा समिति द्वारा सितंबर 2004 में निर्धारित की गई थी।

केंद्र सरकार के विनियोग लेखों के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां सीमाएं केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित की गई थी। लोक लेखा समिति (17वीं लोकसभा, 2019-20) ने दिसंबर 2019 के अपने पहले प्रतिवेदन में 'विनियोग लेखों में अपवाद रिपोर्टिंग के लिए सीमा का संशोधन शीर्षक में, विनियोग लेखों में उप-शीर्ष स्तर की टिप्पणियों के लिए सीमा की समीक्षा की थी और सीमाएं बढ़ा दी थीं। वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन के प्रस्ताव को इस आधार पर सूचित किया गया था कि वर्तमान सीमाएँ 1993-94 से प्रभावी थी, और तब से, केंद्रीय बजट का आकार 28 गुना बढ़ गया था, जिससे विनियोग लेखों में टिप्पणी/स्पष्टीकरण के लिए अधिकतम सीमा एवं भौतिक स्तर पर ऊपर की ओर संशोधन की आवश्यकता हुई।

मध्य प्रदेश शासन के मामले में संबंधित आंकड़ों के साथ उप-शीर्ष स्तर पर भिन्नता को समझाने के लिए संशोधित और पिछली सीमाएं तालिका 3.17 में दी गई हैं।

तालिका 3.17 उप-शीर्ष स्तर पर भिन्नता की व्याख्या के लिए मानदंड

केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड		राज्य लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड
पूर्व-संशोधित मानदंड (1994-95 से)	संशोधित मानदंड (2018-19 से)	मौजूदा मानदंड (सितंबर 2004 से)
₹100 लाख से अधिक की भिन्नता (आधिक्य या बचत) के बारे में बताया गया है।	₹500 लाख से अधिक की भिन्नता (आधिक्य या बचत) के बारे में बताया गया है।	ऐसे मामलों में टिप्पणियाँ की जानी हैं, जहां कुल बचतें 10 प्रतिशत या अधिक हैं और ऐसे मामलों में जहां आधिक्य ₹10 लाख से अधिक है और उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत भी है।
ऐसे सभी मामले जहां भिन्नता (आधिक्य या बचत) स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹50 लाख जो भी अधिक हो, से अधिक है, समझाया गया है।	ऐसे सभी मामले जहां भिन्नता (आधिक्य या बचत) स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹250 लाख जो भी अधिक हो, से अधिक है, समझाया गया है।	ऐसे मामले जहां भिन्नता (आधिक्य या बचत) है: अ) ₹40 लाख से अधिक जहां कुल प्रावधान उप-शीर्ष में ₹30 करोड़ से अधिक है। ब) ₹20 लाख से अधिक जहां उप-शीर्ष में कुल प्रावधान ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच है। स) ₹10 लाख से अधिक जहां उप-शीर्ष में कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।
यदि कोई अनुपूरक है, तो ऐसे सभी मामले जहां बचत अनुपूरक के 10	यदि कोई अनुपूरक है, तो ऐसे सभी मामले जहां बचत अनुपूरक के 10	कोई समान मानदंड नहीं

केन्द्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड		राज्य लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड
पूर्व-संशोधित मानदंड (1994-95 से)	संशोधित मानदंड (2018-19 से)	मौजूदा मानदंड (सितंबर 2004 से)
प्रतिशत या ₹5 लाख, जो भी अधिक हो, से अधिक है, समझाया गया है।	प्रतिशत या ₹100 लाख, जो भी अधिक हो, से अधिक है, समझाया गया है।	
जब अनुदान समग्र रूप से अधिक हो जाता है, तो ₹1 लाख से अधिक वाले उप-शीर्षों को लिया जाता है।	जब अनुदान समग्र रूप से अधिक हो जाता है, तो ₹25 लाख से अधिक वाले उप-शीर्षों को लिया जाता है।	जब समग्र रूप से अनुदान अधिक हो जाता है, तो सभी मामलों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23 एवं लेखा-महानियंत्रक, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा संचारित जानकारी

जैसा कि देखा जा सकता है, केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड उन मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करती हैं जिनमें भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। जहां मानदंड समान हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बजट आकार में अंतर और संबंधित लोक लेखा समिति द्वारा मानदंड निर्धारित किए जाने पर अलग-अलग समय अवधि के कारण सीमाएं स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

मध्य प्रदेश के मामले में तत्काल प्रासंगिकता विचलन के सुनिश्चित/आकार के आधार पर स्पष्टीकरण के लिए और अनुदान स्तर पर बड़ी बचत के स्पष्टीकरण के लिए कोई भी मानदंड उपस्थित नहीं है। इस प्रकार, जबकि केंद्रीय लोक लेखा समिति ने बजट प्रावधान से विचलन के प्रतिशत के बावजूद भिन्नता (आधिक्य या बचत) को स्पष्ट करने के लिए ₹100 लाख की सीमा निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹500 लाख कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में कोई समान मानदंड नहीं है। इस प्रकार, भारत व्यय के प्रकरणों में, यदि अनुदान की कुल बचतें ₹10 लाख से कम नहीं हैं तो टिप्पणियाँ की जानी हैं, जबकि आधिक्य के प्रकरणों में, यदि विशिष्ट उप-शीर्ष ₹10 लाख से अधिक और साथ ही उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है तो टिप्पणियाँ की जानी हैं।

### 3.3.12 तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड-1 (भाग-बी) के कंडिका बी-7 और बी-8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को एकत्र करने के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान संभावित बजट निधि के अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों को एकत्र करना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

2022-23 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विस्तृत विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 25 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 285 उप-शीर्षों में, टोकन मनी आवंटित की गई थी और टोकन मनी को या तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में समर्पित कर दिया गया था या पुनर्विनियोजन किया गया था। यह इंगित करता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय, बजट अनुमान को अंतिम रूप देने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से जानकारी एकत्र नहीं की गई थी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि बजट अनुमान उक्त नियमावली के प्रावधानों का पालन किए बिना तदर्थ आधार पर बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उक्त प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है।



### 3.3.13 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा विनियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य शासन ने 2011-21 की अवधि से संबंधित 12 अनुदानों एवं सात विनियोगों को शामिल करते हुए राशि ₹1,678.00 करोड़ के आधिक्य व्यय को नियमित नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दिया गया है।

हालांकि, 2022-23 के दौरान, अनुदान और विनियोग में कोई आधिक्य व्यय नहीं पाया गया, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत पूर्व के वर्षों के दौरान किये आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। आगे, यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जो प्रावधान करता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप राज्य विधान सभा द्वारा कानूनी रूप से किए गए विनियोग के अलावा कोई राशि समेकित निधि से आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

## 3.4 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता

### 3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अनुमान तथा वास्तविक के बीच का अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन होता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

2022-23 के दौरान, 59 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचतों सहित राज्य बजट की स्थिति नीचे **तालिका 3.18** में दी गई है:

**तालिका 3.18: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय**

(₹ करोड़ में)

दत्तमत / भारत	व्यय की प्रकृति	बजट (मूल)	बजट (अनुपूरक)	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (प्रतिशत)	समर्पित राशि (प्रतिशत)	असमर्पित राशि (प्रतिशत)
दत्तमत	राजस्व	1,80,743.43	32,229.86	2,12,973.29	1,80,621.33	(-) 32,351.96 (15.19)	19,141.54 (8.99)	13,210.42 (6.20)
	पूँजीगत परिव्यय	46,625.25	9,010.12	55,635.37	44,288.08	(-) 11,347.29 (20.40)	3,660.82 (6.58)	7,686.47 (13.82)
	कर्ज एवं अग्रिम	3,113.76	680.00	3,793.76	2,359.22	(-) 1,434.54 (37.81)	109.58 (2.89)	1,324.96 (34.92)
	<b>योग दत्तमत</b>	<b>2,30,482.44</b>	<b>41,919.98</b>	<b>2,72,402.42</b>	<b>2,27,268.63</b>	<b>(-) 45,133.79 (16.57)</b>	<b>22,911.94 (8.41)</b>	<b>22,221.85 (8.16)</b>
भारत	राजस्व व्यय	24,239.07	438.43	24,677.50	21,466.37	(-) 3,211.13 (13.01)	70.58 (0.28)	3,140.55 (12.73)
	पूँजीगत	401.20	63.00	464.20	373.22	(-)90.98 (19.60)	0.45 (0.10)	90.53 (19.50)
	लोक ऋण	24,114.09	0.00	24,114.09	22,006.24	(-) 2,107.85 (8.74)	1.71 (0.01)	2,106.14 (8.73)
	<b>योग भारत</b>	<b>48,754.36</b>	<b>501.43</b>	<b>49,255.79</b>	<b>43,845.83</b>	<b>(-) 5,409.96 (10.98)</b>	<b>72.74 (0.15)</b>	<b>5,337.22 (10.83)</b>
<b>महायोग</b>	<b>2,79,236.80</b>	<b>42,421.41</b>	<b>3,21,658.21</b>	<b>2,71,114.46</b>	<b>(-) 50,543.75 (15.71)</b>	<b>22,984.68 (7.14)</b>	<b>27,559.07 (8.57)</b>	


स्रोत: व्ही.एल.सी. आंकड़ें एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-23

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़ें बचतों एवं समर्पणों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

₹50,543.75 करोड़ की कुल बचतें, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 57 अनुदानों एवं 50 विनियोगों में ₹35,563.09 करोड़ की बचतों तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 48 अनुदानों एवं चार विनियोगों में ₹11,438.27 करोड़ की बचतों के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप कुल अनुदानों और विनियोगों की राशि में 15.71 प्रतिशत की कुल बचतें हुईं। तथापि, विभागों ने ₹22,914.55 करोड़ (कुल समर्पित राशि ₹22,984.68 करोड़ का 99.69 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया था जबकि ₹27,559.07 करोड़ को व्यय होने दिया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं में बचतें/आधिव्यय (विस्तृत विनियोग लेखा) के कारण विभागीय नियंत्रण अधिकारियों से (जुलाई-अगस्त 2023) मांगे गए थे और उनसे सार्थक भिन्ताओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, विभाग से केवल आंशिक उत्तर (अगस्त 2023) प्राप्त हुए थे। यह सवाल उठाता है कि राज्य शासन ने बढ़ा-चढ़ाकर बजट तैयार किया था अथवा उसके विभागों ने परिकल्पित समय सीमा के भीतर आवंटित धन का उपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया था।

### 3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य शासन द्वारा बजट के उपयोग में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 90 प्रतिशत तक का सुधार हुआ जबकि 2021-22 में 86 प्रतिशत तक आंशिक कम हो गया और आगे 2022-23 में ओर कम होकर 84 प्रतिशत हो गया, जैसा नीचे चार्ट 3.7 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान, वास्तविक व्यय में रुझान नीचे तालिका 3.19 में दिये गये हैं।

तालिका 3.19: 2018-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)


	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	2,04,643	2,33,606	2,05,397	2,41,375	2,79,237
अनुपूरक बजट	33,660	23,320	30,530	41,404	42,421
कुल बजट	2,38,303	2,56,926	2,35,927	2,82,779	3,21,658
पुनरीक्षित अनुमान	1,94,430	1,92,542	2,07,710	2,37,909	2,79,697
वास्तविक व्यय	1,87,830	1,94,794	2,12,983	2,42,993	2,71,114

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बचतें	50,473	62,132	22,944	39,786	50,544
मूल बजट से अनुपूरक का प्रतिशत	16.45	9.98	14.86	17.15	15.19
कुल बजट से कुल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	21.18	24.18	9.73	14.07	15.71
कुल बजट-पुनरीक्षित अनुमान	43,873	64,384	28,217	44,870	41,961
पुनरीक्षित अनुमान-वास्तविक व्यय	6,600	(-)2,252	(-)5,273	(-)5,084	8,583
कुल बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान के अंतर का कुल बजट से प्रतिशत	18.41	25.06	11.96	15.87	13.05
पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय के अन्तर का कुल बजट से प्रतिशत	2.77	(-)0.88	(-)2.24	(-)1.80	2.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और विनियोग खाते

**तालिका 3.19** से दर्शाती है कि 2022-23 के दौरान ₹42,421 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 15.19 प्रतिशत पिछले वर्ष में 17.15 प्रतिशत के विरुद्ध था।

उपरोक्त **तालिका 3.19** से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 तक के वर्षों में, पुनरीक्षित अनुमान राज्य के कुल बजट से हमेशा कम था। पुनरीक्षित अनुमान और कुल बजट के बीच का अंतर 11.96 प्रतिशत और 25.06 प्रतिशत के बीच था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, पुनरीक्षित अनुमान बनाम कुल बजट में निरंतर उतार-चढ़ाव ने खराब बजटीय पद्धति का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान संबंधी त्रुटियां हुईं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और विनियोग खाते

उपरोक्त **चार्ट 3.8** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक, कुल बजट हमेशा राज्य के पुनरीक्षित अनुमान से अधिक था और वास्तविक व्यय, पुनरीक्षित अनुमान के बराबर था। इसके अलावा, उपरोक्त **तालिका 3.19** के अनुसार, संबंधित वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय हमेशा कुल बजट से कम था जो इंगित करता है कि संबंधित वर्षों के दौरान किए गए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं हुआ था।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्ताव पर आधारित थे क्योंकि राज्य का बजट अनुमान हमेशा बढ़ा-चढ़ाकर रखा जाता रहा है और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

### 3.4.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

एकमुश्त प्रावधान वे प्रावधान है जहां विस्तृत उद्देश्य शीर्ष परिभाषित नहीं है। हालांकि, कुछ प्रकरणों में, जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है और उन प्रकरणों को छोड़कर जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय को स्थायी स्वीकृतियों, निर्देशों या नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराते हुए विस्तृत विवरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट टिप्पणी में दिया जाएगा।

2022-23 के दौरान, सात अनुदानों से सम्बंधित 23 प्रकरणों (जहां समर्पण ₹50 करोड़ एवं अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से भी अधिक था) में ₹6,744.70 करोड़ का अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से ₹4,464.93 करोड़ (66.20 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही और वर्ष के अंत में समर्पित की गयी। छः अनुदानों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक के एकमुश्त प्रावधान के महत्वपूर्ण प्रकरणों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है जबकि पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 3.14** में दिया गया है।

**तालिका 3.20: ₹100 करोड़ एवं अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक एकमुश्त प्रावधानों का विवरण**

(₹ करोड़ में)					
अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-80.102.6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं	(मूल) 105.00 (अनु.) 136.24 241.24	144.59	59.94%
		4250-101.6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं	(मूल) 890.00	498.48	56.01%
		4250-101.7667- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मूल) 157.30	110.33	70.14%
		4250-101.8030-पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	(मूल) 105.00	105.00	100.00%
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102.0701.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 142.10	112.61	79.25%
17	सहकारिता	4425-107.0101.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	(मूल) 800.00	800.00	100.00%
		4425-107.0102.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	(मूल) 115.00	115.00	100.00%
30	ग्रामीण विकास	2215-02.198.0701.5206-निर्मल भारत अभियान	(मूल) 146.40	87.50	59.77%
		2505-01.198.0701.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 1,601.25	847.82	52.95%
		2505-01.198.0702.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 603.75	323.30	53.55%
		2505-01.198.0703.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 420.00	224.91	53.55%
		2505-01.198.0704.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 533.75	275.41	51.60%
		2505-01.198.0705.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 201.25	104.53	51.94%

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
33	जनजातीय कार्य	2225-02.102.0802.6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	(मूल) 100.00	78.16	78.16%
		2225-02.102.0802.7881-अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1)	(मूल) 123.87	123.16	99.43%
49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01.277.0103.4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	(मूल) 100.00	70.00	70.00%
योग			<b>6,280.91</b>	<b>4,020.80</b>	<b>64.02%</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

वर्ष के दौरान प्रमुख छः अनुदानों में जहां एकमुश्त प्रावधान किया गया था, जो ऊपर सारणीबद्ध है, में कुल 23 प्रकरणों में से 16 ऐसे प्रकरण शामिल थे जो कुल एकमुश्त प्रावधानों का 93.12 प्रतिशत था। इन छः अनुदानों में राशि ₹4,020.80 करोड़ (64.02 प्रतिशत) के अनुपयोगी रहने के कारण भारत सरकार द्वारा विलम्ब से राशि जारी करना, एजेंसियों द्वारा आवंटित कार्य करने में देरी, वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं किया जाना और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबंधों की अनुपलब्धता, इत्यादि था।

### 3.4.4 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा किये गये व्यय की समीक्षा करके बजट की निगरानी करनी चाहिए। इस तरह की निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य का बजट, वास्तविक व्यय के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे। निगरानी में चालू वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय शामिल होना चाहिए।

यह देखा गया कि 2022-23 के दौरान शुरू हुई 18 नई योजनाओं में ₹ पांच करोड़ और अधिक की बचतें हुईं, जैसा कि तालिका 3.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.21: योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान ₹50 करोड़ एवं अधिक था

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल+अनु. +पुनर्वि.)	व्यय	बचत
1	3	गृह	03-2055-001-9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	90.00	61.41	28.59
2	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	08-2245-80-102-9594-एसडीआरएफ/एसडीएमएफ फंड (ब्याज भुगतान)	50.00	14.50	35.50
3	12	ऊर्जा	12-4801-05-190-9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर. डी.एस.एस.)	930.00	0.00	930.00
4	14	पशुपालन एवं डेयरी	14-2403-101-9570-चलित पशु कल्याण सेवाएं	142.16	64.96	77.20

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल+अनु. +पुनर्वि.)	व्यय	बचत
5	14	पशुपालन एवं डेयरी	14-2403-101-9612-मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	99.81	47.21	52.60
6	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	16-2405-101-9613-मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना	50.00	3.92	46.08
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-01-001-9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	161.66	154.26	7.40
8	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-4215-01-001-9551-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	178.50	0.02	178.48
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-4215-01-102-5468-जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	6,320.00	5,581.70	738.30
10	23	जल संसाधन	23-4700-80-001-9551-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	500.00	0.00	500.00
11	24	लोक निर्माण कार्य	24-5054-03-337-9609-नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण	58.00	0.00	58.00
12	33	जनजातीय कार्य	33-2225-01-001-9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	191.94	114.59	77.35
13	33	जनजातीय कार्य	33-2225-02-102-9604-अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	60.00	18.00	42.00
14	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	45-4070-190-9549-म.प्र. राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता	100.00	16.09	83.91
15	48	नर्मदा घाटी विकास	48-4801-80-001-9551-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	500.00	0.00	500.00
16	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	54-2225-03-800-9607-पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	50.00	0.00	50.00
17	55	महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-001-9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	84.01	40.48	43.53
18	55	महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-103-9614-महिलाओं के लिये रोजगार मूलक सहायता	50.00	0.00	50.00
<b>योग</b>				<b>9,616.08</b>	<b>6,117.14</b>	<b>3,498.94</b>


स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

उपरोक्त तालिका 3.21 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू की गई नई योजनाओं में ₹500 करोड़ और उससे अधिक पर्याप्त बचतें मुख्यतः चार अनुदानों में अर्थात् अनुदान संख्या 12-ऊर्जा, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मुख्य शीर्ष 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 23-जल संसाधन, मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 48-नर्मदा घाटी विकास, मुख्य शीर्ष 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय था। आगे, यह देखा गया कि 14 अनुदानों में ₹3,498.94 करोड़ की बचत राशि में से राशि ₹948.66 करोड़ समर्पित की गई, जो योजना की संभावित कमी, अनुमानित व्यय का अवास्तविक अनुमान और अपर्याप्त बजटीय निगरानी का संकेत दर्शाती है।

### 3.4.5 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में व्यय की अत्यधिकता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही, वित्त विभाग के स्थायी आदेशों के अनुसार, प्रभावी बजट निष्पादन के लिए कुल व्यय का प्रशासनिक विभागों को अपने वार्षिक व्यय को चार तिमाहियों के दौरान पहली दो तिमाहियों में 45 प्रतिशत तक, तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत तक लक्षित करना चाहिए।

2022-23 के दौरान राज्य के राजकोष में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित चार्ट 3.9 में दिया गया है।



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, कि अन्य महीनों की तुलना में नवंबर के महीने में व्यय में अचानक कमी आई, जबकि प्राप्तियों में मार्च को छोड़कर सभी महीनों में कमोबेश समान गति रही। नवंबर महीने में अचानक आई कमी का कारण वेतन मद और व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान मद में कम खर्च होना था।

राज्य शासन ने अकेले मार्च 2023 में कुल व्यय ₹2,68,699.09 करोड़<sup>40</sup> का लगभग 20.22 प्रतिशत ₹54,335.95 करोड़ व्यय किया, इसमें से 17 अनुदानों/विनियोगों के 40 प्रकरणों<sup>41</sup> में राशि ₹12,042.96 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय मार्च 2023 के दौरान किया गया था। विवरण तालिका 3.22 में दिया गया है।

<sup>40</sup> लोक ऋण पर व्यय सहित।

<sup>41</sup> जहां पिछली तिमाही के दौरान व्यय ₹10 करोड़ से अधिक हो गया।

तालिका 3.22: मार्च 2023 में व्यय की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किये गये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च 2023
1	CH-I भारत विनियोग-लोक ऋण	9927	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	CH-I भारत विनियोग-लोक ऋण	9930	4,473.00	4,473.00	4,473.00	100.00	100.00
3	CH-I भारत विनियोग-लोक ऋण	9032	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00
4	CH-I भारत विनियोग-लोक ऋण	9497	736.00	736.00	736.00	100.00	100.00
5	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9623	71.30	71.30	71.30	100.00	100.00
6	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9326	116.10	116.10	116.10	100.00	100.00
7	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9835	50.17	50.17	50.17	100.00	100.00
8	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7824	288.50	288.50	288.50	100.00	100.00
9	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9318	102.43	102.43	102.43	100.00	100.00
10	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9125	86.40	86.40	86.40	100.00	100.00
11	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9321	41.25	41.25	41.25	100.00	100.00
12	CH-II भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9897	70.80	70.80	70.80	100.00	100.00
13	6-गृह	1416	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
14	6-वित्त	6857	15.72	15.72	15.72	100.00	100.00
15	7-वाणिज्यिक कर	2359	178.28	178.28	178.28	100.00	100.00
16	7-वाणिज्यिक कर	2360	396.81	396.81	396.81	100.00	100.00
17	10-भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	9597	992.23	992.23	992.23	100.00	100.00
18	12-ऊर्जा	3218	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
19	12-ऊर्जा	7254	38.53	38.53	38.53	100.00	100.00
20	12-ऊर्जा	7861	14.18	14.18	14.18	100.00	100.00
21	12-ऊर्जा	7253	55.50	55.50	55.50	100.00	100.00
22	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	9576	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
23	14-पशुपालन एवं डेयरी	5418	20.19	20.19	20.19	100.00	100.00
24	14-पशुपालन एवं डेयरी	9570	64.96	64.96	64.96	100.00	100.00
25	22-नगरीय विकास एवं आवास	8333	11.50	11.50	11.50	100.00	100.00
26	22-नगरीय विकास एवं आवास	9492	32.00	32.00	32.00	100.00	100.00



स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किये गये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च 2023
27	25-खनिज साधन	6606	813.05	813.05	813.05	100.00	100.00
28	30-ग्रामीण विकास	7660	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
29	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1299	361.80	361.80	361.80	100.00	100.00
30	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	3837	27.20	27.20	27.20	100.00	100.00
31	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	9848	48.06	48.06	48.06	100.00	100.00
32	48-नर्मदा घाटी विकास	9539	27.17	27.17	27.17	100.00	100.00
33	48-नर्मदा घाटी विकास	9663	30.58	30.58	30.58	100.00	100.00
34	48-नर्मदा घाटी विकास	5177	22.00	22.00	22.00	100.00	100.00
35	49-अनुसूचित जाति कल्याण	7765	38.39	38.39	38.39	100.00	100.00
36	49-अनुसूचित जाति कल्याण	8844	21.43	21.43	21.43	100.00	100.00
37	55-महिला एवं बाल विकास	9586	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
38	55-महिला एवं बाल विकास	4065	10.51	10.51	10.51	100.00	100.00
39	55-महिला एवं बाल विकास	9499	73.90	73.90	73.90	100.00	100.00
40	55-महिला एवं बाल विकास	7660	23.02	23.02	23.02	100.00	100.00
योग			12,042.96	12,042.96	12,042.96	100.00	100.00

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

यह भी देखा गया कि 2022-23 के दौरान, 103 प्रकरणों (34 अनुदानों/विनियोगों) में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2023 में किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.15** में बताया गया है।

इसके अलावा, सरकारी धन पूरे वर्ष समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है। लेखापरीक्षा में पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 59 अनुदानों/विनियोगों में से, तीन अनुदानों में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय अकेले मार्च 2023 में किया गया था, 16 अनुदानों/विनियोगों में, व्यय 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच मार्च 2023 में किया गया जबकि अन्य 29 अनुदानों/विनियोगों में मार्च 2023 में 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.16** में बताया गया है।

वर्ष के अंत में व्यय की अत्यधिकता व्यय एवं बजटीय प्रबंधन पर नियंत्रण की अपर्याप्तता को दर्शाती है।

### 3.4.6 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण


स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अलावा, विनियोग लेखें उन मामलों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहां व्यय बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों में उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस तरह की भिन्नता की सीमा निर्धारित (सितंबर 2004) की गयी है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखा प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

<p><b>बचतें</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान के अंतर्गत कुल बचतें कुल प्रावधान का पांच प्रतिशत या अधिक है।</li> <li>• टिप्पणियां की जानी है यदि उप-शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचतें उप-शीर्ष के कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या अधिक है, बशर्ते बचतों की राशि: (क) ₹40 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है, (ख) ₹20 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है, अथवा (ग) ₹10 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।</li> <li>• टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचतें ₹10 लाख से कम नहीं है।</li> </ul>
<p><b>आधिक्य</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उन सभी प्रकरणों में जहां किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो पर प्रावधान से आधिक्य के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणी की जानी है।</li> <li>• ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप-शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक और उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से भी अधिक है।</li> <li>• ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप-शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप-शीर्ष के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है बशर्ते: (क) प्रत्येक उप-शीर्ष में आधिक्य ₹40 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है; (ख) प्रत्येक उप-शीर्ष में आधिक्य ₹20 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है; अथवा (ग) प्रत्येक उप-शीर्ष में आधिक्य ₹10 लाख से अधिक है जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।</li> </ul>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा और अंतर्निहित लेखांकन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि सभी 59 अनुदानों/विनियोगों में बजट से भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी। हालांकि, 17 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में सरकारी विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जबकि शेष 31 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में आंशिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। शामिल किये गये उप-शीर्षों के संदर्भ में कुल 4,705 उप-शीर्षों में से भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण की प्राप्ति या अन्यथा को नीचे चार्ट 3.10 में दर्शाया गया है। इस संबंध में विवरण परिशिष्ट 3.17 में दिया गया है।



स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

2022-23 के दौरान, कुल 4,705 उप-शीर्षों में से, 84 प्रकरणों में, कुल आवंटित बजट ₹23,748.70 करोड़ के विरुद्ध ₹30,896.57 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹7,147.87 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जबकि 18 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 33 उप-शीर्षों में बिना उचित/पर्याप्त विश्लेषण एवं अनुमान के समर्पण एवं पुनर्विनियोजन किया गया था जिसके कारण उप-शीर्षों में अधिक व्यय हुआ। विवरण **परिशिष्ट 3.18** में दिया गया है। बजट आवंटन और उसके उपयोग के बीच अधिक व्यय और भिन्नता के कारणों के स्पष्टीकरण का अभाव, सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करता है।

### 3.4.7 गैर-परिचालन योजनाएं

लेखापरीक्षा में पाया कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 30 योजनाओं में, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय, बजट अनुमान को अंतिम रूप देने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारी से जानकारी एकत्र नहीं की गई थी क्योंकि विभाग ने आवंटित बजट ₹10,344.84 करोड़ के विरुद्ध व्यय नहीं किया था परिणामस्वरूप ₹10,344.84 करोड़ की कुल बचतें हुईं। यह इंगित करता है कि बजट अनुमान उक्त नियमावली के प्रावधानों का पालन किए बिना बनाया गया था और तदर्थ आधार पर अर्थात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना था जिसके परिणामस्वरूप राशि के रूकावट के साथ-साथ उक्त प्रावधानों का उल्लंघन भी हुआ। विवरण **तालिका 3.23** में दिखाया गया है।

तालिका 3.23: पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-परिचालन योजनाएं

(₹ करोड़ में)

स. क्र	योजनाओं	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल बजट (पाँच वर्षों का)	व्यय	बचतें
1	किचन शेड डिवाइस- (0656)	10.00	10.00	25.52	25.52	3.00	74.04	0.00	74.04
2	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम-(0779)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3	करंजिया मध्यम सिंचाई परियोजना-(1911)	25.00	टोकन	टोकन	1.00	0.01	26.01	0.00	26.01
4	नमामि देवी नर्मदे-(1952)	10.00	5.00	0.25	0.50	0.10	15.85	0.00	15.85
5	एन.सी.सी. का सुदृढीकरण एवं विकास- (2081)	0.45	0.45	0.31	5.40	4.27	10.88	0.00	10.88

स. क्र	योजनाओं	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल बजट (पाँच वर्षों का)	व्यय	बचतें
6	बी.एड./बी.पी.एड. विकलांगों के लिए-(2083)	0.13	0.12	0.12	टोकन	टोकन	0.37	0.00	0.37
7	बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन-(2104)	0.02	0.50	टोकन	0.50	0.50	1.52	0.00	1.52
8	पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम-(2553)	0.05	टोकन	टोकन	टोकन	टोकन	0.05	0.00	0.05
9	प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली जल की कमी के निवारण के लिए ऋण-(2750)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.01	4.01	0.00	4.01
10	भूमि एवं जल संरक्षण हेतु ऋण देना-(3128)	टोकन	टोकन	टोकन	1.87	टोकन	1.87	0.00	1.87
11	सरकारी कर्मचारी पारिवारिक लाभ निधि योजनाओं पर ब्याज-(4209)	2.22	4.88	2.00	2.00	टोकन	11.10	0.00	11.10
12	भूकंप पीड़ितों को राहत/वित्तीय सहायता-(5500)	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.53	0.00	0.53
13	फसलोत्तर प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन (एस.एम.ए.एम.)-(5907)	0.35	0.06	टोकन	टोकन	टोकन	0.41	0.00	0.41
14	राज्य वित्त आयोग के अनुसार पेयजल योजनाओं हेतु विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति-(6062)	10.00	0.40	0.40	0.20	टोकन	11.00	0.00	11.00
15	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विशिष्ट अनुदान-(6063)	10.00	0.40	0.40	0.20	टोकन	11.00	0.00	11.00
16	गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य-(6281)	5.00	2.04	टोकन	टोकन	टोकन	7.04	0.00	7.04
17	कोल जनजाति विकास अभिकरण-(6462)	1.00	0.18	0.01	0.50	टोकन	2.41	0.00	2.41
18	अल्प संख्यक सेवा राज्य पुरस्कार-(6626)	0.51	0.46	0.46	0.46	0.46	2.35	0.00	2.35
19	एन.ए.डी.आर.एस. योजना का कार्यान्वयन-(6641)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25	0.00	0.25
20	राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बांड्स के समाधान हेतु प्रावधान-(6788)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	0.00	50.00
21	निगम/सर्कल-के.पी.डी. का ब्याज खाता-(6848)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	0.00	1.00

स. क्र	योजनाओं	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल बजट (पाँच वर्षों का)	व्यय	बचतें
22	राष्ट्रीय आपदा प्रतिमोचन कोष–(6949)	7.00	7.32	टोकन	टोकन	टोकन	14.32	0.00	14.32
23	भीमा नायक प्रेरणा केंद्र–(7011)	0.08	0.07	टोकन	टोकन	टोकन	0.15	0.00	0.15
24	स्वर्गीय शीतला सहाय स्मृति पुरस्कार–(7214)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.00	0.05
25	खण्ड स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण–(7449)	13.52	13.52	टोकन	13.52	13.52	54.08	0.00	54.08
26	राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना–(7615)	9.00	5.00	0.10	टोकन	टोकन	14.10	0.00	14.10
27	रिजर्व फंड में हस्तांतरण तथा जमा लेखे–(8094)	1.00	0.91	0.95	0.95	1.00	4.81	0.00	4.81
28	महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन–(9073)	1.00	1.00	टोकन	10.00	10.00	22.00	0.00	22.00
29	ए.आई.एस. अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम–(9084)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50	0.00	2.50
30	पायरा बाढ़ नियंत्रण योजना दमोह–(9194)	0.50	0.50	टोकन	0.03	0.01	1.14	0.00	1.14
<b>योग</b>							<b>10,344.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,344.84</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे

### 3.4.8 राज्य विशिष्ट बजट की समीक्षा

#### 3.4.8.1 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जेण्डर बजट 2007–08 के दौरान पेश किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

श्रेणी 1: योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और

श्रेणी 2: योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

जेण्डर बजट को राज्य के बजट में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदान की मांगों के अंतर्गत जेण्डर के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.24 2018–23 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान का विवरण दर्शाती है:

तालिका 3.24: 2018–23 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
जेण्डर बजट	52,344	58,309	55,244	60,379	84,512
कुल बजट	2,38,303	2,56,925	2,35,927	2,82,780	3,21,658

स्रोत: बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जेण्डर बजट के अंतर्गत बजट आवंटन 2021-22 में ₹60,379 करोड़ से 2022-23 में ₹84,512 करोड़ तक ₹24,133 करोड़ से बढ़ा। यह आवंटन 33 विभागों में श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के तहत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं पर किया गया था। वर्ष 2018-23 की अवधि के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्ष-वार आवंटन एवं व्यय तालिका 3.25 में दिया गया है:

तालिका 3.25: 2018-23 के दौरान जेण्डर बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत
2018-19	3,396.34	3,396.34	100.00	48,948.00	36,574.24	74.72
2019-20	2,695.08	1,611.02	59.78	55,614.20	50,571.92	90.93
2020-21	3,375.37	3,424.08	101.44	51,868.72	64,217.26	123.81
2021-22	1,797.05	उपलब्ध नहीं *	-	58,582.69	उपलब्ध नहीं*	-
2022-23	3,776.88	उपलब्ध नहीं *	-	80,734.84	उपलब्ध नहीं*	-

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

\* जानकारी वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी

राज्य शासन ने महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान जेण्डर बजट के निष्पादन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। 2020-21 में, श्रेणी 1 में आवंटित परिव्यय बजट ₹3,375.37 करोड़ के विरुद्ध ₹3,424.08 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹48.71 करोड़ (101.44 प्रतिशत) का आधिक्य व्यय हुआ। इसी प्रकार, श्रेणी 2 में परिव्यय बजट ₹51,868.72 करोड़ के विरुद्ध, ₹64,217.26 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹12,348.54 करोड़ (123.81 प्रतिशत) का आधिक्य व्यय हुआ। वित्त विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2023) में कहा कि 2020-21 में ₹12,348.54 करोड़ के आधिक्य व्यय का कारण प्रथम अनुपूरक, द्वितीय अनुपूरक, तृतीय अनुपूरक में बजट आवंटन और पुनर्विनियोग के कारण भी हो सकता है।

वित्त विभाग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित विभाग चालू वर्ष के जेण्डर बजट के प्रस्ताव के साथ निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

### 3.4.8.2 कृषि बजट

राज्य का कृषि बजट किसानों को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं पर समग्र बजट के भीतर किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को उजागर करता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 2012-13 में कृषि बजट पेश किया गया था। यह बजट कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लाभ के लिए किसानों के हितों की गतिविधियों को सम्मिलित करता है। राज्य के बजट में कृषि बजट को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदानों की मांगों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.26 2018-23 के दौरान राज्य द्वारा किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत किये गए प्रावधान का विवरण दर्शाती है।

तालिका 3.26: 2018–23 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास अनुदान की तुलना में कृषि बजट का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13)	16,865	22,609	14,062	15,991	22,426
कृषि बजट	37,499	46,560	26,265	35,354	40,916

स्रोत: बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

कृषि बजट आवंटन 2021–22 में ₹35,354 करोड़ से 2022–23 में ₹40,916 करोड़ तक ₹5,562 करोड़ से बढ़ा। 2018–23 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13) में वर्ष-वार आवंटन एवं व्यय तालिका 3.27 में दिया गया है:

तालिका 3.27: किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2018-19	16,865	9,746	7,119 (42.21)
2019-20	22,609	15,021	7,588 (33.56)
2020-21	14,062	13,542	520 (3.70)
2021-22	15,991	15,389	602 (3.76)
2022-23	22,426	19,221	3,205 (14.29)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2020–21 और 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान अनुदान संख्या 13 के अंतर्गत बचतें वस्तुतः 14.29 प्रतिशत तक बढ़ीं, जबकि 2018–23 के दौरान यह 3.70 प्रतिशत से 42.21 प्रतिशत के मध्य थी।

### 3.4.8.3 चाइल्ड बजट

राज्य सरकार द्वारा 2022–23 में पहली बार बच्चों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत बच्चों के लिए चाइल्ड बजट लाया गया है। चाइल्ड बजट का मुख्य लक्ष्य देश, राज्य और समाज के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में बाल विकास के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद करना है, इसलिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समाज के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

बच्चों के विकास के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चाइल्ड बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

श्रेणी 1: योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान बच्चों से संबंधित है और

श्रेणी 2: योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान बच्चों से संबंधित है।

चाइल्ड बजट को राज्य के बजट में पहली बार शामिल करने के लिए अनुदान की मांगों के तहत विशेष रूप से बच्चों को समर्पित बजट आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

2022-23 के दौरान, श्रेणी 1 और 2 के तहत बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं पर 17 विभागों में ₹60,974.55 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। 2022-23 की अवधि के लिए श्रेणी 1 और 2 में आवंटन एवं व्यय तालिका 3.28 में दिया गया है:

तालिका 3.28: 2022-23 के दौरान चाइल्ड बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय आवंटन	व्यय	समाविष्ट की गई मांग का प्रतिशत (3 का 2 के साथ प्रतिशत)	परिव्यय आवंटन	व्यय	समाविष्ट की गई मांग का प्रतिशत (6 का 5 के साथ प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
2022-23	39,309.68	32,897.07	83.69	21,664.87	18,729.26	86.45

स्रोत: बजट दस्तावेज और वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि परिव्यय आवंटन श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के विरुद्ध श्रेणी 1 में 83.69 प्रतिशत व्यय हुआ जबकि 86.45 प्रतिशत का व्यय श्रेणी 2 में किया गया। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में बचतों के कारण वित्त विभाग द्वारा प्रदान नहीं किए गए।

#### 3.4.8.4 पर्यावरण बजट

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, निम्नीकरण की रोकथाम और समानता पर जोर देना है। 2020-21 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा अनुदान संख्या 57-पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण बजट पेश किया गया था जिसे अब 2022-23 के दौरान अनुदान संख्या 4 के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया गया है। बजट में राज्य शासन द्वारा प्रदान किये गए पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आदि से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।

2022-23 के दौरान अनुदान संख्या 4-पर्यावरण के अंतर्गत ₹22.15 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरुद्ध ₹14.21 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास में ₹7.94 करोड़ की बचत हुई। इसके अलावा, यह देखा गया कि ₹7.94 करोड़ की बचत के विरुद्ध वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई राशि समर्पित नहीं की गई, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में, मध्य प्रदेश शासन ने बजट आवंटन ₹25.25 करोड़ के विरुद्ध ₹25.03 करोड़ का व्यय मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास और 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय में किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि 2021-22 में अनुदान संख्या 57-पर्यावरण के अंतर्गत, मुख्य शीर्ष 4700 और 4701 के अंतर्गत राशि ₹0.02 करोड़ और ₹18.37 करोड़ का उचंत लेन-देन किया गया था जिसे अब उचंत लेन-देन के अंतर्गत अनुदान संख्या 23-जल संसाधन में अंतरित कर दिया गया है।

अनुदान संख्या 4-पर्यावरण के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 2022-23 के दौरान किए गए बजट आवंटन और व्यय को नीचे तालिका 3.29 में दिखाया गया है।



तालिका 3.29: अनुदान संख्या 4—पर्यावरण के अंतर्गत बजट आवंटन और उपयोग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या और नाम	लघु शीर्ष तक लेखे का शीर्ष और योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष उपयोग का प्रतिशत
1	4-पर्यावरण	2215-02-106-वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	3.33	2.30	1.03	69.07
2		2215-02-800-अन्य व्यय	1.00	1.00	0.00	100.00
3		2217-05-191-0101-स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों में सुधार, आदि को सहायता	11.35	9.00	2.35	79.30
4		2217-05-191-0701-स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों में सुधार, आदि को सहायता	3.88	1.14	2.74	29.38
5		2217-05-191-0704-स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों में सुधार, आदि को सहायता	2.59	0.77	1.82	29.73
योग			22.15	14.21	7.94	64.15

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

### 3.4.9 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान पूर्ण होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि में से आवश्यक धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति उपरान्त, विनियोग अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में दर्शायी गई राशियां, विभिन्न मांगों के अंतर्गत व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान बन जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए दो अनुदानों अर्थात् अनुदान संख्या 7—वाणिज्यिक कर और अनुदान संख्या 40—पंचायत में, निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और इन अनुदानों के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया।

#### 3.4.9.1 अनुदान संख्या 7—वाणिज्यिक कर

लेखापरीक्षा ने, अनुदान संख्या 7—वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल, आयुक्त उत्पाद शुल्क, ग्वालियर और अध्यक्ष वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल में, जो अनुदान संख्या 7—वाणिज्यिक कर के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं, से संबंधित बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (अगस्त 2023) की।

#### (i) बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2022-23 के दौरान अनुदान संख्या 7—वाणिज्यिक कर के अन्तर्गत बजटीय राशि एवं किये गये व्यय का विवरण नीचे तालिका 3.30 में सारांशीकृत है:

तालिका 3.30: 2022-23 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी बजट	व्यय		बचतें	
					विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	1,813.49	292.14	2,105.63	2,105.63	1,867.45	1,864.74	238.18	240.89
राजस्व (भारित)	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12
पूँजीगत (दत्तमत)	18.00	0.00	18.00	18.00	1.55	1.55	16.45	16.45
योग	1,831.61	292.14	2,123.75	2,123.75	1,869.00	1,866.29	254.75	257.46

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23 एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.30 से देखा जा सकता है, राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत, विनियोग लेखे के अनुसार बचतें ₹238.18 करोड़ (राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित आवंटित बजट ₹2,105.63 करोड़ के विरुद्ध) थी, जबकि वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी किये गए बजट ₹2,105.63 करोड़ के विरुद्ध बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार कुल बचतें ₹240.89 करोड़ थी।

- बचतों के ऐसे अंतर इंगित करते हैं कि बजट अनुमान तैयार करते समय बजट नियंत्रण अधिकारी ने उचित सावधानी नहीं बरती और बजट अनुमान तैयार करते समय मध्य प्रदेश बजट नियमावली के लागू होने वाले प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया गया।
- उपरोक्त तालिका 3.30 के अनुसार, राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में, कुल आवंटित बजट ₹2,105.63 करोड़ के विरुद्ध, बजट नियंत्रण अधिकारी और विनियोग लेखे के अनुसार क्रमशः ₹1,864.74 करोड़ और ₹1,867.45 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप बजट नियंत्रण अधिकारी एवं विनियोग लेखों के मध्य ₹2.71 करोड़ का अंतर हुआ। मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा संधारित लेखों का महालेखाकार की पुस्तकों में प्रदर्शित लेखों के साथ मिलान करने और गलत वर्गीकरणों की पहचान करने और सही करने के लिए बजट नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम और बजट नियंत्रण अधिकारी के बीच आंकड़ों में अंतर आंकड़ों का मिलान न करने की प्रणाली के अभाव के कारण है जो मध्य प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन था।

## (ii) सतत् बचतें

लेखापरीक्षा में पाया कि मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के उल्लंघन से पिछले तीन वर्षों, 2020-21 से 2022-23 के दौरान, 10 योजनाओं में ₹0.20 करोड़ और ₹360.78 करोड़ के बीच सतत् बचतें कुल बजट आवंटन का 2.10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी। जैसा कि तालिका 3.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.31: 2020–21 से 2022–23 के दौरान सतत् बचतें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष/योजना का नाम	बचतों की राशि (प्रतिशत)		
		2020-21	2021-22	2022-23
1	7-4059-01-051-0101-7382	3.22 (100.00)	3.08 (95.65)	2.68 (89.33)
2	7-2039-800-4034	0.00 <sup>42</sup> (100.00)	1.38 (95.17)	1.00 (100.00)
3	7-2039-102-1111	0.48 (48.00)	0.20 (20.00)	0.21 (21.00)
4	7-2039-001-0101-1470	20.38 (13.27)	33.57 (20.70)	35.43 (19.94)
5	7-2039-001-0101-0123	360.78 (23.92)	6.47 (2.10)	2.67 (26.12)
6	7-2039-001-0101-8808	6.77 (61.21)	9.34 (67.34)	11.71 (78.22)
7	7-2030-03-001-5815	0.66 (22.68)	1.06 (34.08)	0.86 (26.58)
8	7-2030-03-001-1480	4.70 (9.18)	9.68 (17.42)	7.94 (13.50)
9	7-2030-02-102-2455	10.13 (15.27)	72.98 (97.36)	90.96 (97.62)
10	7-2030-01-001-9858	1.93 (12.55)	0.51 (2.75)	1.80 (7.28)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेख

सतत् बचतें अवास्तविक बजटीय आवंटन, बजट निधियों के उप-इष्टतम उपयोग और संसाधन उपयोग की अपर्याप्त निगरानी का संकेत हैं। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय के रुझान पर विचार किए बिना किया गया था।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल ने बताया (अगस्त 2023) कि वित्त विभाग द्वारा व्यय पर लागू की गई त्रैमासिक सीमाओं के कारण, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी बजट का उपयोग नहीं कर सके। आयुक्त, उत्पाद शुल्क ने कहा कि ई-आबकारी परियोजना के लिए बजट प्रावधान किया गया था और परियोजना के पूरा होने के चरणों पर व्यय किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न पदों पर रिक्तियों के कारण भी बचतें हुईं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बचतें पिछले तीन वर्षों के दौरान 2.10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच बनी हुई थी।

### (iii) सारभूत बचतें

अनुदान संख्या 7—वाणिज्यिक कर के तहत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन विक्रेताओं को कर दायरे में लाना है जो कर दायित्व सीमा तक पहुंचते हैं, उन्हें वाणिज्यिक कर और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत करना, रिटर्न दाखिल करने की निगरानी करना और यदि देय हो तो स्वीकृत कर जमा करना है। लेखापरीक्षा में इसके अतिरिक्त, आकंलन, बकाया राशि की वसूली, धनवापसी से संबंधित मामले का निपटारा करना है।

<sup>42</sup> टोकन मनी

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2022–23 के दौरान 10 योजनाओं में ₹152.86 करोड़ की सारभूत बचतें थी, जहां बचतें ₹ दो करोड़ एवं अधिक थी, कुल बजट प्रावधान का 21.04 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि विवरण तालिका 3.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.32: सारभूत बचतें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष	बजट (मूल+अनु.+पुन.)	व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
1	7-2030-01-101-4612-59	10.00	7.27	2.73	27.30
2	7-2030-02-102-2455-31-008	93.17	2.21	90.96	97.63
3	7-2030-03-001-0801-9942-31-002	5.85	0.00	5.85	100.00
4	7-2030-03-001-9545-33-001	8.17	0.99	7.18	87.88
5	7-2039-001-0101-8808-27-001	3.00	0.00	3.00	100.00
6	7-2039-001-0101-8808-27-002	9.00	2.82	6.18	68.67
7	7-2039-001-1470-11-001	115.36	91.09	24.27	21.04
8	7-2039-001-1470-11-003	37.00	29.21	7.79	21.05
9	7-2039-001-9545-33-001	2.58	0.36	2.22	86.05
10	7-4059-01-051-0101-7382-64-002	3.00	0.32	2.68	89.33
योग		287.13	134.27	152.86	53.24

स्रोत: मासिक विनियोग लेखे

(iv) समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के खंड-1 की कंडिका 26.9 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि वित्त विभाग द्वारा अनुदान की अन्य मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदान संख्या 7-वाणिज्यिक कर में, ₹256.17 करोड़ (कुल प्रावधान का 16.54 प्रतिशत) की बचतों में से ₹77.24 करोड़ (कुल बचतों का 30.15 प्रतिशत) 15 जनवरी के बाद समर्पित की गई और ₹178.93 करोड़ (कुल बचतों का 69.85 प्रतिशत) की निवल बचतें वर्ष के अंत में समर्पित नहीं की गई थी। विवरण तालिका 3.33 में दिया गया है।

तालिका 3.33: समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनु.)	व्यय	बचतें	कुल समर्पण	समर्पित नहीं की गई बचतें
1	7- वाणिज्यिक कर	2043	284.40	223.14	61.26	62.19	(-) 0.93
2		4059	18.00	1.55	16.45	13.77	2.68
3		2030	1,030.61	907.84	122.77	निरंक	122.77
4		2039	208.01	154.62	53.39	निरंक	53.39
5		2040	7.63	5.33	2.30	1.28	1.02
योग			1,548.65	1,292.48	256.17	77.24	178.93

स्रोत: मासिक विनियोग लेखे

(v) सम्पूर्ण बजट प्रावधानों का उपयोग न होना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के खंड-1 (भाग-बी) की कंडिकाओं ए-6 और ए-8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों

के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली संभावित बजटेंतर निधियों के अनुमान तैयार करने के साथ-साथ उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों का मिलान और उसकी समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, मध्य प्रदेश बजट नियमावली के भाग बी-13 में बताया गया है कि बजट नियंत्रण अधिकारी व्यय पर नियंत्रण, बचत का समर्पण और वित्त विभाग को प्रस्तुत प्रत्याशित राजस्व और व्यय के मासिक विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

2022-23 के दौरान, तीन योजनाओं में जहां बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ और उससे अधिक था, प्रत्येक योजना में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग उस विशेष योजना/अभीष्ट प्रयोजन पर नहीं किया गया और ₹9.96 करोड़ की अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में न तो पुनर्विनियोजित किया गया और न ही समपिति किया गया, परिणामस्वरूप सम्पूर्ण बजट प्रावधान की बचत हुई, जैसा कि नीचे तालिका 3.34 में विस्तृत है:

**तालिका 3.34: सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न होना**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनु.)	व्यय	सर्मपण	कुल बचतें
1	7-2030-01-102-2455-31-008	1.11	0.00	निरंक	1.11
2	7-2030-03-001-0801-9942-31-002	5.85	0.00	निरंक	5.85
3	7-2039-001-0101-8808-27-001	3.00	0.00	निरंक	3.00
<b>योग</b>		<b>9.96</b>	<b>0.00</b>	<b>निरंक</b>	<b>9.96</b>

स्रोत: मासिक विनियोग लेखे

इस प्रकार, उपरोक्त तीन योजनाओं में सम्पूर्ण बजट प्रावधान अव्ययित रहा, यह विभागों के संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अवास्तविक बजट प्रावधान को इंगित करता है।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने बताया (अगस्त 2023) कि बजट अनुमान आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की मांग की आवश्यकता और विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए थे। वित्त विभाग द्वारा अंतिम तिमाही में निकासी पर प्रतिबंध के साथ-साथ खरीद की प्रक्रिया, बिल प्रस्तुत करने और भुगतान के लिए मंजूरी में देरी के कारण आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के स्तर पर बचत हुई और आयुक्त, उत्पाद शुल्क ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि कंट्रोल एण्ड कमांड सेंटर की स्थापना एवं हैण्ड होल्ड डिवाइस क्रय हेतु बजट का प्रावधान किया गया था परन्तु शासन से स्वीकृति न मिलने के कारण उक्त बजट सर्पण कर दिया गया।

बजट नियंत्रण अधिकारियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट अनुमान यथार्थवादी ढंग से नहीं बनाये गये थे। इसके अलावा, योजनाओं के तहत बजट और व्यय की बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर उचित निगरानी नहीं की गई, परिणामस्वरूप सारभूत/प्रत्याशित बचतें हुईं।

#### (vi) निर्माण एजेंसी से बजट प्रावधानों की मांग न किया जाना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बजट नियंत्रण अधिकारियों ने भवन निर्माण के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करने से पहले निर्माण एजेंसी से बजट प्रावधान की मांग नहीं की थी। इसलिए, बजट नियंत्रण अधिकारियों ने तदर्थ आधार पर बजट प्रावधान का अनुमान किया। इससे परिणामस्वरूप राशि ₹16.45 करोड़ की बचतें हुईं। इसके अलावा, यह देखा गया कि महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल ने न तो 15 जनवरी 2023 से पहले निधि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मांग और न ही व्यय पर नजर रखी और

साथ ही न ही निर्माण एजेंसी को अप्रयुक्त निधि को समय पर समर्पित करने के निर्देश जारी किए। विवरण तालिका 3.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.35: बिना मांग के बजट प्रावधान

(₹ लाख में)

स. क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी कोड	निधियों का प्रावधान	निर्माण एजेंसी को राशि जारी करना	व्यय	बचतें
1	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर	1,500.00	637.28	123.09	1,376.91
2	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल	300.00	300.00	31.50	268.50
<b>योग</b>		<b>1,800.00</b>	<b>937.28</b>	<b>154.59</b>	<b>1,645.41</b>

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

उक्त निष्कर्ष बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का संकेत देते हैं, परिणामस्वरूप 2022-23 के दौरान राज्य के अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग नहीं हो सका।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि नए कार्यालय भवनों के निर्माण के आधार पर बजट अनुमान तैयार किए गए थे और बजट लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया था, लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त बजट का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमोदन की प्रक्रिया में थे, इसलिए बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल ने बताया कि कार्यालय भवनों के निर्माण का अनुमान प्रक्रियाधीन था।

बजट नियंत्रण अधिकारियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट अनुमान तदर्थ आधार पर बनाया गया था और बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर योजनाओं के अंतर्गत व्यय की उचित रूप से निगरानी नहीं की गई थी।

### 3.4.9.2 अनुदान संख्या 40—पंचायत

लेखापरीक्षा ने पंचायत राज संचालनालय, भोपाल में अनुदान संख्या 40—पंचायत से संबंधित बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (जुलाई 2023) की। आयुक्त, पंचायत राज, अनुदान संख्या 40—पंचायत के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं।

#### (i) बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2022-23 के दौरान अनुदान संख्या 40—पंचायत के अंतर्गत बजटीय राशि और किए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 3.36 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.36: 2022–23 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी किया गया बजट	व्यय		बचतें	
					विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	6,536.12	1,472.00	8,008.12	6,469.44	5,461.92	5,461.98	2,546.20	1,007.46
राजस्व (भारित)	0.00 <sup>43</sup>	0.00	0.00 <sup>43</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00 <sup>43</sup>	0.00
<b>योग</b>	<b>6,536.12</b>	<b>1,472.00</b>	<b>8,008.12</b>	<b>6,469.44</b>	<b>5,461.92</b>	<b>5,461.98</b>	<b>2,546.20</b>	<b>1,007.46</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022–23 एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.36 से देखा जा सकता है, विधायिका ने ₹8,008.12 करोड़ के मूल बजट को मंजूरी दी, हालांकि, वित्त विभाग ने बजट नियंत्रण अधिकारी को ₹6,469.44 करोड़ आवंटित किए। इस प्रकार, विधायिका द्वारा अनुमोदित वास्तविक बजट से बजट नियंत्रण अधिकारी को ₹1,538.68 करोड़ कम जारी किये गए थे।

बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि व्यय विनियोग लेखों में दर्शाई गई राशि ₹0.06 करोड़ से अधिक है।

विनियोग लेखें 2022–23 के अनुसार, आवंटित ₹8,008.12 करोड़ में से ₹5,461.92 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹2,546.20 करोड़ (31.80 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान रह गया। पर्याप्त बचतों से पता चलता है कि बजट अनुमान प्रक्रिया के दौरान बजट नियंत्रण अधिकारी ने उचित सावधानी नहीं बरती और बजट नियमावली का पालन नहीं किया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹1,472.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि विभाग मूल प्रावधान भी व्यय नहीं कर सका। यह अनुपूरक अनुदान के प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच की कमी को इंगित करता है, परिणामस्वरूप अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान हुआ।

## (ii) पर्याप्त बचतें

अनुदान संख्या 40—पंचायत के अंतर्गत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत राज को मजबूत करना है। इसमें मुख्य रूप से जन प्रतिनिधियों और कार्यकारी सदस्यों के लिए क्षमता और प्रशिक्षण में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, ग्राम पंचायत अधिकारियों को मानदेय का प्रावधान, मौलिक जरूरतों को पूरा करना और संरचनात्मक और संस्थागत विकास को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

2022–23 के दौरान, हमने 13 योजनाओं में ₹2,543.37 करोड़ की पर्याप्त बचतें देखी, जहां बचतें ₹ एक करोड़ या अधिक थी, जो कुल बजट आवंटन के 1.13 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक थी। विवरण नीचे तालिका 3.37 में दिखाया गया है।

<sup>43</sup> ₹50,000

तालिका 3.37: पर्याप्त बचतें जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ एक करोड़ या अधिक थीं

स. क्र.	योजना का नाम	कुल बजट	व्यय	(₹ करोड़ में)	
				बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
1	0647-ग्राम स्वराज अभियान	170.00	24.89	145.11	85.36
2	2467-पंचायत संचालनालय	7.29	5.83	1.46	20.08
3	2474-पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रभार	227.96	188.24	39.72	17.42
4	4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	200.00	155.62	44.38	22.19
5	6107-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	4.00	1.43	2.57	64.25
6	6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	597.00	577.93	19.07	3.19
7	7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान	1,906.00	1,884.44	21.56	1.13
8	8214-सचिवालयीन व्यवस्था	176.00	172.56	3.44	1.95
9	8775-जिला स्तर प्रशासन योजना	48.00	1.94	46.06	95.95
10	9579-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान	5.00	0.00	5.00	100.00
11	9580-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर तामिया के लिये अनुदान	1.00	0.00	1.00	100.00
12	9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	79.00	0.00	79.00	100.00
13	9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	4,522.00	2,387.00	2,135.00	47.21
<b>योग</b>		<b>7,943.25</b>	<b>5,399.88</b>	<b>2,543.37</b>	<b>32.02</b>

स्रोत: मासिक विनियोग लेखे

निदेशालय ने (अगस्त 2023) बचतों का कारण भारत सरकार से धनराशि न मिलना, वित्त विभाग से अनुमोदन/अनुमति न मिलना और भारत सरकार द्वारा योजनाओं को बंद करना बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस अनुदान के अंतर्गत 2021-22 के दौरान भी ₹1,825.24 करोड़ की बचतें हुईं, जो इंगित करता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय पिछले वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। तथ्य यह है कि इन योजनाओं में पर्याप्त बचतों ने योजनाओं के उद्देश्यों को विफल कर दिया और लाभार्थियों को योजनाओं के लाभों से वंचित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सरकार के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।

### (iii) मूल प्रावधान का अप्रयुक्त रहना

2022-23 के दौरान, 15 उप-शीर्षों के अंतर्गत किए गए ₹2,479.30 करोड़ का मूल बजट प्रावधान अप्रयुक्त रह गया, जिसका विवरण नीचे तालिका 3.38 में दिया गया है। इसमें से ₹2,305.80 करोड़, 15वें वित्त आयोग अनुदान से संबंधित थे।



तालिका 3.38: विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बजट शीर्ष	मूल बजट	व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
1	40-3604-00-198-0101-9579-V-42-008-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान	3.05	0.00	3.05	100.00
2	40-3604-00-198-0102-9579-V-42-008-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान	1.15	0.00	1.15	100.00
3	40-2515-00-198-0702-0647-V-42-009-ग्राम स्वराज अभियान	26.59	0.00	26.59	100.00
4	40-2515-00-198-0703-0647-V-42-009-ग्राम स्वराज अभियान	18.50	0.00	18.50	100.00
5	40-2515-00-198-0705-0647-V-42-009-ग्राम स्वराज अभियान	12.51	0.00	12.51	100.00
6	40-2515-00-198-0706-0647-V-42-009-ग्राम स्वराज अभियान	8.70	0.00	8.70	100.00
7	40-2515-00-198-1302-9638-V-42-009-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	280.60	0.00	280.60	100.00
8	40-2515-00-198-1303-9638-V-42-009-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	195.20	0.00	195.20	100.00
9	40-3604-00-198-0103-4610-V-42-008-स्टाम्प शुल्क की वसूली के विरुद्ध	24.00	0.00	24.00	100.00
10	040-2515-00-198-1301-9638-V-42-011-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	1,116.30	0.00	1,116.30	100.00
11	40-2515-00-198-1302-9638-V-42-011-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	420.90	0.00	420.90	100.00
12	40-2515-00-198-1303-9638-V-42-011-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	292.80	0.00	292.80	100.00
13	40-3604-00-198-0101-9611-V-42-007-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	48.19	0.00	48.19	100.00
14	40-3604-00-198-0102-9611-V-42-007-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	18.17	0.00	18.17	100.00
15	40-3604-00-198-0103-9611-V-42-007-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	12.64	0.00	12.64	100.00
<b>योग</b>		<b>2,479.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479.30</b>	<b>100.00</b>

स्रोत: मासिक विनियोग लेखे

इस ओर इंगित करने पर, निदेशालय ने (अगस्त 2023) बचतों का कारण भारत सरकार से राशि न मिलना, वित्त विभाग से अनुमोदन/अनुमति न मिलना और भारत सरकार द्वारा योजनाओं को बंद करना बताया।

#### (iv) समर्पित न की गई बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के खंड 26.9 के अनुसार, व्यय में संभावित बचतों का विवरण बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को 15 जनवरी तक प्रस्तुत किया जाना है। वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिया (जुलाई 2021) कि जहां तक संभव हो 15 जनवरी से पहले सभी बचतों को समर्पित कर दिया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अन्यत्र उपयोग किया जा सके।

2022-23 के दौरान, कुल बजट ₹8,008.12 करोड़ में से ₹2,546.20 करोड़ की बचतें हुईं, हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक कोई राशि समर्पित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने संबंधित वर्षों के विनियोग लेखों के अनुसार 2018-19 से 2022-23 के दौरान भी इस अनुदान के अंतर्गत सतत बचतें देखी, हालाँकि, कोई राशि समर्पित नहीं की गई थी। 2018-19 से 2022-23 के दौरान समर्पित नहीं की गई बचतों का विवरण तालिका 3.39 में दिया गया है:

तालिका 3.39: समर्पित न की गई बचतों का विवरण

वर्ष	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	व्यय	बचतें	समर्पित की गई राशि
2018-19	196.48	0.00	196.48	171.60	24.88	0.00
2019-20	211.41	0.00	211.41	183.17	28.24	0.00
2020-21	200.27	0.00	200.27	180.27	20.00	0.00
2021-22	4,767.01	500.00	5,267.01	3,441.77	1,825.24	0.00
2022-23	6,536.12	1,472.00	8,008.12	5,461.92	2,546.20	0.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

इस ओर इंगित किये जाने पर, निदेशालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वित्तीय वर्ष के अंत में सर्वर के प्रदर्शन में कमी के कारण 2022-23 के दौरान बचतों को समर्पित नहीं किया जा सका। पूर्व के वर्षों में, समर्पण आदेश साधारण डाक द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश को भेजे जाते थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग बजट नियमावली में निर्धारित अनुसार 15 जनवरी तक प्रत्याशित बचतों को समर्पित करने में विफल रहा।

#### (v) व्यक्तिगत जमा खाते में ₹43.14 करोड़ का अव्ययित शेष निष्क्रिय पड़ा रहना

व्यक्तिगत जमा खाते को बैंकिंग जमा खाते की तरह कोषालय में रखा जाता है, एवं प्राप्तियां और भुगतान प्रशासकों के व्यक्तिगत लेखा में दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खातों में शेष राशि, जो राज्य की संचित निधि को नामे करके खाते में जमा की गई है, को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संचित निधि में वापस अंतरित किया जाना चाहिए और यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो व्यक्तिगत जमा खाते अगले वर्ष में फिर से खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 में यह भी प्रावधान है कि राज्य की संचित निधि से बिना तत्काल आवश्यकता के राशि निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वित्त विभाग ने (मार्च 2019) व्यक्तिगत जमा खातों के संचालन के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों को निर्देश भी जारी किए। जिसके बिंदु 1.1(ii) में प्रावधान है कि यदि व्यक्तिगत जमा खाते में अन्य मौजूदा योजनाओं की निधि के साथ-साथ किसी विशेष योजना से कोई अप्रयुक्त राशि है, तो अव्ययित राशि की गणना की जानी चाहिए और बाद में राज्य के संचित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

पंचायत राज, निदेशालय के अभिलेखों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त विभाग ने (मार्च 2015) विभाग को त्रिस्तरीय पंचायतों को विभाग की विभिन्न योजनाओं की राशि हस्तांतरित करने के लिए एक व्यक्तिगत जमा खाता संख्या 53 खोलने की अनुमति दी। 2017-23 के दौरान 18 योजनाओं<sup>44</sup> के ₹2,481.52 करोड़ इस व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित किये गये और इससे ₹2,437.95 करोड़ व्यय किये गये। शेष ₹43.57 करोड़ में से ₹43.15 करोड़ छः योजनाओं से संबंधित हैं जिन्हें 2017-20 के दौरान संचित निधि से इस व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित किया गया था। हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक केवल ₹0.01 करोड़ व्यय किए गए थे और ₹43.14 करोड़ अव्ययित पड़े हुए थे। विवरण तालिका 3.40 में दिया गया है:

तालिका 3.40: व्यक्तिगत जमा खाते में अव्ययित पड़ी योजनाओं की राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	वर्ष जिसमें व्यक्तिगत जमा खाते में राशि जमा की गई	राशि	किया गया व्यय	31 मार्च 2023 तक उपलब्ध शेष
1	एमपी स्टेप्स	2017-18	0.01	0.00	0.01
2	1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2017-18	0.27	0.00	0.27
3	6087-रख-रखाव हेतु अनुदान	2017-18	10.00	0.00	10.00
4	8293-8888-जिला पंचायत सम्मेलन	2017-18	0.00 <sup>45</sup>	0.00	0.00 <sup>45</sup>
5	2018-बाढ़ पीड़ितों को राहत	2019-20	26.44	0.00	26.44
6	6086-बुनियादी ढाँचा विकास अनुदान	2017-18	6.43	0.01	6.42
योग			43.15	0.01	43.14

स्रोत: निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी

तालिका 3.40 से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त छः योजनाओं से संबंधित ₹43.14 करोड़ तत्काल आवश्यकता के बिना संचित निधि से आहरित किये थे और तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह अव्ययित पड़े हुए है। यह मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 और वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन था।

<sup>44</sup> 1. सांसद कदम, 2. 1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, 3. 6093-नल जल योजना के बिजली बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान, 4. 0658-एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, 5. 1221-14वीं वित्त आयोग अनुदान, 6. 4610-197 (स्टाम्प शुल्क), 7. 6086-अवसंरचना विकास अनुदान, 8. 6087-रख-रखाव हेतु अनुदान, 9. 6098-पंचायत भवन निर्माण, 10. 6107-सामान्य प्रयोजन, 11. 6299-गौण खनिज, 12. 7668-स्थानीय निकायों को मूल अनुदान (राज्य वित्त आयोग), 13. 8209-196-8888 (जिला पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय, 14. 8209-197-8888-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय, 15. 8214-8888-सचिवीय प्रबंधन, 16. 8392-8888-जिला पंचायत सम्मेलन, 17. 0647- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 18. 2018-बाढ़ पीड़ितों को राहत।

<sup>45</sup> ₹12,400

**(vi) विभिन्न योजनाओं के ₹896.68 करोड़ बैंक खाते में जमा करना**

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड-1 के नियम 173 में प्रावधान है कि जब तक सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन है (i) अनुदान उस उद्देश्य पर यथोचित समय के भीतर व्यय किया जाएगा, यदि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और (ii) राशि का कोई भी हिस्सा जो अंततः उद्देश्य पर व्यय के लिए आवश्यक नहीं है, उसे सरकार को विधिवत समर्पित किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग ने (मार्च 2019) निर्देश दिया कि अनुमत बैंक खातों में न्यूनतम आवश्यकता से अधिक कोई भी राशि राज्य की संचित निधि में जमा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायत राज निदेशालय ने “राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान” के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा हिल्स, भोपाल शाखा में बैंक खाता क्रमांक 3245631946 खोला है। यह खाता वित्त विभाग के कार्योत्तर अनुमोदन के साथ इस शर्त के साथ खोला गया था कि द्वितीय अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान करने के बाद इस योजना को बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्राप्य राशि मुख्य रूप से राज्य की संचित निधि में प्राप्त होगी।

पंचायत राज निदेशालय के अभिलेखों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशालय ने जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं से अप्रयुक्त राशि को 29 जून 2020 तक उपरोक्त बैंक खाते में अंतरित करने का निर्देश दिया (जून 2020)। परिणामतः, इस खाते में ₹456.12 करोड़ जमा हो गए। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में पड़ी विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹440.78 करोड़ भी इस खाते में अंतरित किए गए। 31 मार्च 2023 को, बैंक स्टेटमेंट में ₹896.68 करोड़ का शेष दिखाया गया, जबकि निदेशालय के अभिलेखों में ₹896.90 करोड़ का शेष दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप बैंक और निदेशालय के बीच खाते की शेष राशि में ₹0.22 करोड़ का अंतर था। इस खाते में योजना-वार शेष राशि, अर्जित ब्याज सहित, जैसा कि निदेशालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, तालिका 3.41 में विवरण है।

**तालिका 3.41: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा विभिन्न योजनाओं की राशि का विवरण**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	राशि
1	पंच परमेश्वर योजना	18.11
2	एनआईसी रिफंड	0.83
3	पेसा अधिनियम	0.15
4	संयुक्त राष्ट्र महिला/प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2.45
5	सांसद आदर्श ग्राम योजना	0.23
6	प्रदर्शन अनुदान	0.20
7	12वाँ वित्त आयोग	0.58
8	मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना	0.23
9	बीआरजीएफ प्रशासनिक निधि	33.86
10	आरजीपीएसए	54.87
11	भारत सरकार एवं ग्राम पंचायतों द्वारा लौटाई गई राशि	51.51
12	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	23.00
13	2017-18 से 22.02.2023 तक ब्याज	82.85
14	प्रधानमंत्री आवास मिशन द्वारा लौटाई गई राशि (उधार ली गई)	171.43
15	स्वच्छ भारत मिशन द्वारा लौटाई गई राशि	0.48

स. क्र.	विवरण	राशि
16	जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा लौटाई गई विभिन्न योजनाओं की राशि (पंचायत सशक्तिकरण)	456.12
<b>योग</b>		<b>896.90</b>

स्रोत: संचालनालय, पंचायत राज, भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी

वित्त विभाग ने विभाग को यह भी निर्देश दिया (मई 2023) कि बैंक खाते में पड़ी राशि ब्याज सहित राज्य की संचित निधि में तुरंत जमा की जाए। यदि भविष्य में बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि की आवश्यकता पड़ी तो बजट में प्रावधान कर उसे उपलब्ध कराया जाएगा। हालाँकि, निदेशालय ने अगस्त 2023 तक राज्य की संचित निधि में राशि अंतरित नहीं की।

इंगित किये जाने पर, निदेशालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2023 तक जमा राशि राज्य की संचित निधि में अंतरित नहीं की गई थी। इसके अलावा, उपरोक्त बैंक खाते में जमा ₹896.68 करोड़, वित्त विभाग के निर्देशों और मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड-I के नियम 173 के विपरीत था। यह न केवल प्रमाणित नियमों/विनियमों के उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि उनके निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए धन के इच्छित प्रवाह को भी बाधित करता है।

**(vii) भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की संबंधित संचित निधि में सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में अर्जित ब्याज ₹8.49 करोड़ का गैर-प्रेषण**

नकदी प्रबंधन को अधिक प्रभावी करने और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने की दृष्टि से, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (भारत सरकार) ने निर्णय लिया (मार्च 2021) कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र प्रवर्तित योजना को लागू करने के लिए 1 जुलाई 2021 से एक सिंगल नोडल एजेंसी नामित करेगी। सिंगल नोडल एजेंसी प्रत्येक केंद्र प्रवर्तित योजना के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा। सिंगल नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी की गई निधि से अर्जित ब्याज अनिवार्य रूप से आनुपातिक आधार पर संबंधित संचित निधि में भेजा जाना चाहिए। सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियां अपने खातों में पड़ी सभी अप्रयुक्त राशि को सिंगल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगी।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (योजना कोड 0647) के संचालन के लिए पंचायत राज निदेशालय को सिंगल नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था और सिंगल नोडल एजेंसी के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में एक बैंक खाता संख्या 6310000100007970 खोला गया था।

अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते के विवरण और रसीद और भुगतान विवरण की जांच से पता चला कि उपरोक्त सिंगल नोडल एजेंसी खाते ने 2021-23 के दौरान खाते में जमा की गई राशि से ₹8.49 करोड़ का ब्याज अर्जन हुआ। इस प्रकार, सिंगल नोडल एजेंसी को भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि में क्रमशः ₹5.09 करोड़ और ₹3.40 करोड़ (60:40) प्रेषित करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, इन निधियों में कोई राशि प्रेषित नहीं की गई।

सिंगल नोडल एजेंसी के उपरोक्त कृत्य ने न केवल भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन दोनों के लिए गैर-कर राजस्व की वसूली भी नहीं हुई।

**(viii) ग्रामीण स्थानीय निकायों को बद्ध अनुदान देरी से जारी करने के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर ₹15.54 करोड़ का ब्याज का बोझ**

वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए (जुलाई 2021)। इसके बिंदु 6 में प्रावधान है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान प्राप्त करने पर उसे केवल 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों/छोड़े हुए क्षेत्रों में स्थानांतरित कर करेंगी। 10 कार्य दिवसों से अधिक की किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के अनुसार देरी की अवधि के लिए ब्याज के साथ अनुदान जारी करने की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों को बद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के लिए मध्य प्रदेश को ₹883.20 करोड़ जारी किए (अगस्त 2022)। यह संवितरण ग्रामीण स्थानीय निकायों पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों के बिंदु 6 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन था।

हालाँकि, यह पाया गया कि विभाग ने 92 दिनों की महत्वपूर्ण देरी के साथ 03 दिसंबर 2022 को जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत वाले ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹883.20 करोड़ जारी किए। ग्रामीण स्थानीय निकायों को राशि जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप, विभाग को ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹883.20 करोड़ जारी करने पड़े, साथ ही 6.98 प्रतिशत की दर से गणना की गई ₹15.54 करोड़ का ब्याज भी देना पड़ा।

इंगित किए जाने पर, निदेशालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के संबद्ध और असंबद्ध अनुदानों को अलग-अलग बजट लाइन के माध्यम से वितरित करने का निर्देश दिया था और संबद्ध और असंबद्ध अनुदानों के नए शीर्ष खोलने की प्रक्रिया के कारण ग्रामीण स्थानीय निकायों को निधि के वितरण में देरी हुई।

तथ्य यह है कि संवितरण में पर्याप्त देरी के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹15.54 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज लागत का सामना करना पड़ा, जो एक बड़े वित्तीय बोझ को दर्शाता है जिसे पूरी तरह से टाला जा सकता था।

**(ix) 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना**

निदेशालय ने 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए (जुलाई 2022)। इन दिशानिर्देशों के बिंदु 1.1 से 1.3 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्रमशः ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना नामक विकास योजनाएं तैयार करेंगे। इन योजनाओं को चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

इन दिशानिर्देशों के बिंदु 2.1.2 में प्रावधान है कि 2022-23 से राज्य स्तर से किसी भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। विद्युत विच्छेदन की स्थिति में संबंधित पंचायतें पूर्ण जिम्मेदारी वहन करेंगी। सभी बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया विशेष रूप से पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

अभिलेखों की जांच करने पर, हमने पाया कि कुल 23,377 ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों में से 23,086 (99 प्रतिशत) पंचायतों ने अपनी योजनाएं पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं की थीं। फिर भी, वर्ष 2022–23 के लिए बुनियादी सेवाओं (राज्य करों में हिस्सा) के लिए स्थानीय निकायों को एकमुश्त अनुदान –योजना 7668 के तहत आवंटित ₹1,906 करोड़ में से ₹1,884.44 करोड़ की राशि खर्च की गई। ₹1,884.44 करोड़ में से ₹569.29 करोड़ का भुगतान राज्य स्तर से सीधे बिजली वितरण कंपनियों को किया गया जो उपरोक्त दिशानिर्देशों के बिंदु 2.1.2 का स्पष्ट उल्लंघन था।

इससे संकेत होता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी ने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को बजट आवंटित करने और बिजली वितरण कंपनियों को भुगतान करने से पहले दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था। परिणामतः, इसके कारण बिना संबंधित योजनाओं के व्यय हुआ और ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को अनुदान जारी करने में ₹569.29 करोड़ की कमी आई।

इंगित किए जाने पर, संचालनालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि बिजली वितरण कंपनियों को भुगतान मध्य प्रदेश शासन के वित्त आयोग के निर्देशों के अनुसार किया गया था और ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना अपलोड करने के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को फिर से निर्देश जारी किए जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशासित अनुदान का उपयोग दिशानिर्देशों का पालन किए बिना किया गया था।

### 3.5 निष्कर्ष

कुल अनुदानों/विनियोगों और किए गए व्यय के बीच अंतर के कारण बचतें हुईं, जो शासन के विभिन्न स्तरों पर बजट अनुमानों की अनुचित जांच और खराब बजट प्रबंधन को इंगित करती हैं।

2022–23 के दौरान, ₹3,21,658.21 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध ₹50,543.75 करोड़ की कुल बचतें हुईं।

वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक ₹1,678.00 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय विधायी अनुमोदन के बिना किया गया था, जिसे अभी भी राज्य विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना है।

वर्ष 2022–23 के लिए 53 अनुदानों और 7 विनियोगों में ₹42,421.41 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुए, जबकि 28 अनुदानों और 4 विनियोगों में वास्तविक आवश्यकता ₹24,448.10 करोड़ थी, परिणामस्वरूप ₹17,973.31 करोड़ का अधिक अनुपूरक प्रावधान हुआ।

₹2,381.53 करोड़ के व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज किया गया था, इस कारण राजस्व व्यय ₹2,381.53 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया था और पूंजीगत व्यय ₹2,381.53 करोड़ से अत्योक्त बताया गया था। इसी प्रकार, ₹89.25 करोड़ की राशि को गलत तरीके से पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में बजट किया गया था, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹89.25 करोड़ से अत्योक्त बताया गया था और पूंजीगत व्यय ₹89.25 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया था।

कुल 4,705 उप-शीर्षों में से, 913 उप-शीर्षों में अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन केवल 430 मामलों (47.10 प्रतिशत) में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए थे।

### 3.6 अनुशंसाएं

- बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखें तैयार करने की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता को समझाने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचतों/आधिक्य व्यय को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- विधानसभा द्वारा अनुमोदित अनुदान से अधिक व्यय विधानसभा की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए इसे गंभीरता से लेने और जल्द से जल्द नियमित करने की जरूरत है।
- राज्य शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक अनुदान की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करना चाहिए, ताकि इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी ढंग से किया जा सकें।
- राज्य शासन को राजस्व व्यय से सम्बंधित मुद्दों के लिए पूंजीगत व्यय के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु उचित कदम उठाने चाहिए।



---

## अध्याय IV

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की  
गुणवत्ता

---



## अध्याय IV—लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

### 4.1 प्रस्तावना

राज्य शासन द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ सूचना की समयबद्धता और गुणवत्ता इस प्रकार, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में है, सामरिक योजना और उचित निर्णय लेने सहित अपने बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य शासन की सहायता करती है। यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन की वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रणाली, निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ परिपूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में अनुपालन एवं विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है।

### लेखों की पूर्णतः से संबंधित मुद्दे

### 4.2 राज्य शासन के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना (बजटेंतर उधारियां)

राज्य शासन की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) द्वारा शासित हैं। बजटेंतर उधारियां या बजटेंतर वित्तपोषण आमतौर पर किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो अनुदान/विनियोग की मांग के लिए उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में परिलक्षित नहीं होते हैं, इसलिए विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। वे विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम के सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से वित्तपोषित होते हैं, जो सरकार की ओर से बाजार उधारियों के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। इसलिए, बजटेंतर उधारियों/वित्तपोषण में आवर्ती आधार पर ब्याज का भुगतान और बजट से उधारी की चुकौती, जब भी यह देय हो, शामिल हैं।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन साधन और अन्य समतुल्य उपकरणों द्वारा उधारियां, जहां पिछले चार वर्षों के दौरान मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट और/या करों/उपकर या किसी अन्य राज्य के राजस्व के समनुदेशन द्वारा पूरा किया जाना है तालिका 4.1 में दिया गया है।

**तालिका 4.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों द्वारा उधारियां**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रम या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था का नाम	जुटाई निधि	राज्य के राजस्व/कर/उपकर का स्रोत जिससे मूलधन और/या ब्याज का भुगतान किया जाना है	उद्देश्य जिसके लिए धन जुटाया गया है
2019-20	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	474.48	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय चरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना।
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	50.32		मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना

वित्तीय वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रम या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था का नाम	जुटाई निधि	राज्य के राजस्व/कर/उपकर का स्रोत जिससे मूलधन और/या ब्याज का भुगतान किया जाना है	उद्देश्य जिसके लिए धन जुटाया गया है
	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	109.61	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	98.94	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	63.70	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	<b>योग</b>	<b>797.05</b>		
2020-21	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	151.33	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	24.99	स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना
	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	72.41	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	27.67	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	978.60	ऊर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	<b>योग</b>	<b>1,255.00</b>		
2021-22	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	223.20	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय एवं तृतीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	22.81		मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	287.77	ऊर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	<b>योग</b>	<b>533.78</b>		

वित्तीय वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रम या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था का नाम	जुटाई निधि	राज्य के राजस्व/कर/उपकर का स्रोत जिससे मूलधन और/या ब्याज का भुगतान किया जाना है	उद्देश्य जिसके लिए धन जुटाया गया है
2022-23	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	227.22	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय एवं तृतीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	5.60		मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	331.58	ऊर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	<b>योग</b>	<b>564.40</b>		

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

2022-23 के दौरान बजटोत्तर राजकोषीय संचालन जैसे कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विशेष प्रयोजन साधन और राज्य शासन की ओर से अन्य समतुल्य साधन, जहां राज्य के बजट से मूलधन और/या ब्याज चुकाया जाना है, द्वारा उधारियां ₹564.40 करोड़ थी और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ₹30.62 करोड़ (5.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

यह संबंधित उधारियां अंततः राज्य शासन की देनदारियों में बदल जाती है और सरकार पूंजीगत लेखे के अंतर्गत नियमित बजट प्रावधान के माध्यम से इन कंपनियों/निगमों द्वारा लिए गए ऋणों को ब्याज सहित चुकाती रही है।

#### 4.3 ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज देने वाली जमा राशियों में राशि पर ब्याज उपलब्ध कराये और भुगतान करें (लेखों के मुख्य शीर्ष 8336 से 8342)। आगे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय महालेखा नियंत्रक के आदेश दिनांक 2 सितंबर 2008 के आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान, साथ ही सरकार द्वारा भुगतान किए गए समतुल्य अंशदान को सरकार द्वारा भारत के लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8342-अन्य जमा-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में रखा गया था और सामान्य भविष्य निधि (सीएस) नियमों के अंतर्गत लागू नियमों पर ब्याज की अनुमति दी गई थी। ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के संबंध में देयता का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है:

## तालिका 4.2: ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

ब्याज सहित जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि का प्रावधान नहीं किया गया
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	20.29	20.29	सरकार द्वारा अधिसूचित/ सामान्य भविष्य निधि को देय ब्याज दर के अनुसार ब्याज की गणना 7.1 प्रतिशत की दर से की गयी है	1.44
राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा	13.42	22.26	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 3.35 प्रतिशत की दर से	0.45
<b>योग</b>	<b>33.71</b>	<b>42.55</b>		<b>1.89</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 1 अप्रैल 2022 तक ब्याज सहित जमा के अंतर्गत शेष ₹33.71 करोड़ पर ब्याज के रूप में ₹1.89 करोड़ का भुगतान करना आवश्यक था। राज्य शासन द्वारा ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप ₹1.89 करोड़ का राजस्व व्यय कम बताया गया।

## 4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/ गैर-सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त धनराशि अंतरित करती है। भारत सरकार की योजनाएं राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। अप्रैल 2014 में, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी सहायताएं राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी संसाधनों का पूरा चित्रण प्रदान करेंगे। 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने 29 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों को 2021-22 में जारी ₹64.96 करोड़ के विरुद्ध सीधे ₹15,466.75 करोड़ जारी किए। यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹2,03,986.19 करोड़) का 7.58 प्रतिशत और सहायतानुदान (₹36,954.45 करोड़) का 41.85 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के लेखों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रीय हिस्से के अन्तर्गत ₹26,290.90 करोड़ दर्शाया गया है। हालाँकि, ₹15,466.75 करोड़ की सीमा तक, सृजित संपत्तियों और जनता के लिए सृजित रोजगार, राज्य शासन के लेखों से बाहर थे, जिससे यह अधूरा रहा।

वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि का विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अन्तरित धनराशि

(₹ लाख में)

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम – पी.पी.जी. एण्ड पी.	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार संस्थान)	25.28
2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शर्करा सब्सिडी देयक	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (राज्य सरकार संस्थान)	1,293.11
3	हथकरघा संरक्षण एवं हथकरघा कार्यान्वयन के लिये योजना	निदेशक हथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार संस्थान)	19.51
4	संबल (वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयं सेवक महिला हेल्प लाइन स्वधार उज्ज्वला विधवा गृह इत्यादि)	जिला कलेक्टर महिला हेल्पलाइन, भोपाल (राज्य सरकार संस्थान)	15.64
5	संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयं सेवक महिला हेल्पलाइन नारी अदालत इत्यादि)	वन स्टॉप सेंटर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियां (राज्य सरकार संस्थान)	261.55
6	सामर्थ्य (शक्ति सदन स्वधार उज्ज्वला विधवा गृह) सखी निवास पालना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना महिला सशक्तिकरण जेंडर बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय केंद्र	एकीकृत बाल विकास सेवा निदेशालय, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार संस्थान)	18,218.70
7	सामर्थ्य (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शिशु गृह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जेंडर बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण)	एकीकृत बाल विकास सेवा निदेशालय, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार संस्थान)	2,183.00
8	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम. किसान)	कृषि विभाग, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार संस्थान)	4,93,038.86
9	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन म.प्र. (राज्य सरकार संस्थान)	308.41
10	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन निगरानी और अनुसंधान	अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (राज्य सरकार संस्थान)	6.80
11	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आवेदन	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, सतना (राज्य सरकार संस्थान)	2.30
12	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	नाना देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (एन.डी.व्ही.एस.यू.) जबलपुर म.प्र. (राज्य सरकार संस्थान)	63.08
13	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार (राज्य सरकार संस्थान)	595.00
14	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद, (राज्य सरकार संस्थान)	83.73
15	दवा की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना	एन.जी.ओ.-न्यू प्रताप शिक्षा समिति, मण्डीदीप (राज्य सरकार संस्थान)	25.13
16	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	आयुक्त एवं निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य सरकार संस्थान)	158.95

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त
17	पंचायत को प्रोत्साहन	ग्राम पंचायत जौरासी, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियां (राज्य सरकार संस्थान)	277.00
18	अन्य संस्थाओं को अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग— परमाणु ऊर्जा विभाग वैज्ञानिक अनुसंधान संकुल का इंदौर केन्द्र (राज्य सरकार संस्थान)	15.29
19	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिये खाद्य सब्सिडी	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (राज्य सरकार संस्थान)	9,47,149.68
20	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियां	निदेशक भू-विज्ञान और खनन, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार संस्थान)	800.00
21	सी.आई.सी. एवं आर.टी.आई.	आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, म.प्र. (राज्य सरकार संस्थान)	56.86
22	आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद (राज्य सरकार संस्थान)	66,572.85
23	अटल नवाचार मिशन स्व-रोजगार एवं प्रतिज्ञा के उपयोग सहित	प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर (विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियां) (राज्य सरकार संस्थान)	16.00
24	अटल भूजल योजना	परियोजना निदेशक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई अटल भूजल योजना (राज्य सरकार संस्थान)	6,284.32
25	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान	2.87
26	जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	उन्नत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र भोपाल (राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	23.01
27	कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी/कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	8.48
		आर.डी. सिलावट टी.आर.एस. (राज्य सरकार संस्थान)	5.30
28	बीज और रोपण सामग्री/बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय/ मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फर्म विकास निगम (राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	114.33
29	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (एम.पी.एल.पी.डी.सी.) (राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	8,937.43
		नाना देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश (राज्य सरकार संस्थान)	112.08
		<b>योग</b>	<b>15,46,674.55</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23



#### 4.5 स्थानीय निधियों का जमा

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 प्रदान करता है कि, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष-8448—स्थानीय निधि जमा-109—पंचायत निकाय निधि के अंतर्गत) का संधारण करेंगे जिसमें अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां शामिल होंगी एवं सभी राशियां अन्यथा पंचायती राज संस्थानों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य शासन से राज्य वित्त आयोग पुरस्कार और अपने स्वयं के राजस्व के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान, जिसमें पंचायत के कर एवं करेतर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 86 में परिकल्पित है कि नगर पालिका निधि को निगम द्वारा ट्रस्ट में रखा जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशि एवं नगर पालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि को नगर पालिका निधि में मुख्य शीर्ष-8448—स्थानीय निधि जमा-102—नगर पालिका निधि के अंतर्गत रखा जाना है। 2018-19 से 2022-23 तक पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिका निधि में स्थानीय निधियों के जमा की स्थिति तालिका 4.4 में दी गई है:

तालिका 4.4: स्थानीय निधियों का जमा

(₹ लाख में)

निधियों के नाम (मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष)		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
जिला निधियाँ (8448-101)	प्रारंभिक शेष	396.87	1,258.94	1,258.94	1,346.59	1,348.75
	प्राप्तियां	862.07	--	87.65	2.15	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1,258.94	1,258.94	1,346.59	1,348.75	1,348.75
नगर पालिका निधियाँ (8448- 102)	प्रारंभिक शेष	47.45	1,479.55	1,993.32	2,964.70	3,119.38
	प्राप्तियां	1,432.10	513.77	971.38	154.68	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1,479.55	1,993.32	2,964.70	3,119.38	3,119.38
पंचायत निकाय निधियाँ (8448- 109)	प्रारंभिक शेष	1,331.54	1,332.75	1,361.40	1,361.41	1,361.41
	प्राप्तियां	1.21	28.65	0.01	--	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1,332.75	1,361.40	1,361.41	1,361.41	1,361.41
अन्य निधियाँ (8448- 120)	प्रारंभिक शेष	4,19,882.11	5,48,203.10	6,95,251.96	9,49,270.35	10,60,360.45
	प्राप्तियां	1,71,789.38	1,98,276.57	2,55,156.85	1,17,131.72	1,44,047.30
	व्यय	43,468.39	51,227.71	1,138.46	6,041.62	5,811.36
	अंतिम शेष	5,48,203.10	6,95,251.96	9,49,270.35	10,60,360.45	11,98,596.39

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों में जिला निधियाँ, नगर पालिका निधियाँ एवं पंचायत निकाय निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा रहा है परन्तु इन शीर्षों में पिछले पाँच वर्षों में ₹40.54 करोड़ धनराशि जमा की गयी है। इन निधियों का उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप न केवल निधियों का संचय और निष्क्रियता हुई, बल्कि वांछित लाभार्थियों को योजनाओं से लाभ प्राप्त करने से भी वंचित रखा गया। 31 मार्च 2023 तक सभी निधियों (अन्य निधियों सहित) में संचयी अन्तशेष ₹12,044.26 करोड़ तक है।

वर्ष-दर-वर्ष कम खर्च के बावजूद निधियों का अंतरण जारी रहने का कारण लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया है (नवम्बर 2023)।

### पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

#### 4.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि अनुदान स्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में उसका उद्देश्य और साथ ही अनुदान को खर्च करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगी। सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभागीय अधिकारी, जहां आवश्यक हो, महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा करना और प्रमाण-पत्र (उपयोगिता प्रमाण-पत्र) को ऐसे रूप में और ऐसे अंतराल पर जमा करना जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और संबंधित विभाग प्रमुख के बीच सहमती से हो।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 एवं 184 के अनुसार, अनुदानग्राही को प्राप्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंची होगी।

31 मार्च 2023 तक, 28 विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायतानुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा ₹20,685.36 करोड़ के कुल 19,965 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जो देय हो गए हैं, प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आयु-वार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है:


तालिका 4.5: लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)			
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का आयु-वार विश्लेषण	अवधि	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
नौ वर्षों से अधिक	2013-14 तक	19,487	13,205.99
8-9	2014-16	11	440.67
6-7	2016-18	2	5.15
4-5	2018-20	21	480.26
1-3	2020-23	444	6,553.29
<b>योग</b>		<b>19,965</b>	<b>20,685.36</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 98 प्रतिशत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (19,487) 2014-15 से पहले की अवधि से संबंधित है। वर्ष 2022-23 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभाग-वार विभाजन परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि विगत वर्षों में राशि ₹20,685.36 करोड़ किस प्रकार व्यय की गई। इसलिए, यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रदान किया गया सार्वजनिक धन शामिल है और इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि इन निधियों को प्रदान करने से इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। पिछले नौ वर्ष या अधिक समय के लिये प्रदान की गई धनराशि से संबंधित व्यय के लिये जबाबदेही के अभाव में, इन निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब से भारत सरकार से निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है। 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति चार्ट 4.1 में दी गई है:

चार्ट 4.1: 2022-23 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया था जिसके लिये उन्हें दिया गया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुतिकरण में बड़ी संख्या में विलंबता धोखाधड़ी के जोखिम और निधियों के दुर्विनियोग से भरा है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष-दर-वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इसमें सुधार नहीं हुआ है।

राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने/देरी के कारणों की पहचान करने के लिए एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना, कि विभाग समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।

#### 4.7 अनुदानग्राही संस्थान का "अन्य" के रूप में अभिलेखन

सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने की एक प्रणाली है। इन अनुदानों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम के प्रमाणक स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्था हेतु बकाया राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुति की अनुवीक्षा की जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रणाली को कार्य करने के लिए अनुदानग्राही संस्थान का विवरण ठीक से दर्ज होना चाहिए।

वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान कुल सहायतानुदान ₹72,506.80 करोड़ में से ₹39,655.08 करोड़ (कुल का 54.69 प्रतिशत) की राशि अनुदानग्राही संस्थानों को प्रकार "अन्य" के रूप में संवितरित दिखाई गई थी। वर्ष 2018-23 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में जारी कुल राशि का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है:

तालिका 4.6: वर्ष 2018-23 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में जारी की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

अनुदानग्राही का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अन्य	12,451.13	36,343.51	34,137.57	36,883.42	39,655.08
कुल सहायतानुदान	54,428.05	65,258.33	64,270.95	66,597.97	72,506.80
सहायतानुदान के संबंध में अन्य का प्रतिशत	22.88	55.69	53.11	55.38	54.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2018–23 के दौरान कुल सहायतानुदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा "अन्य" प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2018–23 के दौरान अनुदानग्राही संस्थान को संवितरित राशि "अन्य" के रूप में 22.88 प्रतिशत से 55.69 प्रतिशत तक रही। सरकार द्वारा अनुदानग्राही संस्थानों का कोई और विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। उचित कोड के अभाव में, ऐसे सभी अनुदानग्राही संस्थानों के विरुद्ध बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

चूँकि सहायतानुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह आवश्यक है कि लेखों की पारदर्शिता के हित में सरकार अनुदानग्राही संस्थान का विवरण एवं प्रकृति प्रदान करें जिसे वह निधियाँ उपलब्ध करा रही है।

#### 4.8 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते होते हैं जो कोषालय में खातों के प्रशासकों के नाम पर रखे जाते हैं। धनराशि 8443-सिविल जमा-106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखी जाती है। ये खाते वित्त विभाग की स्वीकृति से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेष को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए तथा यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष में व्यक्तिगत जमा खाते पुनः खोले जा सकते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार-बार टिप्पणी की गई है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यय होने से बचाने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

2018–23 की अवधि के लिए व्यक्तिगत जमा खातों का आयु-वार विश्लेषण तालिका 4.7 में दिया गया है:

तालिका 4.7: व्यक्तिगत जमा खातों की आयु-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्ति राशि	वर्ष के दौरान व्यय राशि	वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते संख्या	अंतशेष	
	संख्या	राशि					संख्या	राशि
2018-19	847	5,370.06	168	4,868.83	6,300.41	284	731	3,938.48
2019-20	731	3,938.48	70	9,267.05	6,936.83	0	801	6,268.70
2020-21	801	6,268.70	23	7,561.86	8,867.97	8	816	4,962.59
2021-22	816	4,962.59	0	4,064.64	6,390.83	2	814	2,636.40
2022-23	814	2,636.40	10	5,417.63	5,700.45	3	821	2,353.57

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि, 2018–19 से 2022–23 के दौरान, कुल 271 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गए, जबकि अन्य 297 व्यक्तिगत जमा खाते बंद कर दिए गए थे। 31 मार्च 2023 तक, 821 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में ₹2,353.57 करोड़ अंतशेष था। 821 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 157 व्यक्तिगत जमा खातों में राशि ₹2,272.26 करोड़ का ऋणात्मक शेष प्रकट हुआ। 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों के अंतशेष में 10.73 प्रतिशत की कमी दर्शित की गई।

व्यक्तिगत जमा खातों का निरंतर अस्तित्व इंगित करता है कि प्रशासक, नियमों का उल्लंघन करते हुए, वित्त वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित शेष राशि को ऋण नामे के माध्यम से सुसंगत सेवा शीर्ष में स्थानांतरित करने में असफल रहे।

व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेषों को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

#### 4.8.1 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता बताता है कि प्रशासक उस योजना/परियोजना का विस्तृत लेखा संधारित रखेगा जिसके लिए इसे खोला गया है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्तिगत जमा खाता तीन साल की अवधि से संचालित नहीं किया जाता है और यह विश्वास किए जाने का कारण है कि ऐसे जमा खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा।


लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2023 तक कुल 821 व्यक्तिगत जमा खातों में से 199 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें कुल शेष राशि ₹214.39 करोड़ थी, तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे। हालाँकि, संबंधित कोषालयों द्वारा इन खातों को बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है।

#### 4.9 लघु शीर्ष 800 का उपयोग


अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का परिचालन मात्र उन प्रकरणों में किया जाना है जहां लेखों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का विवेकहीन पुस्तांकन लेनदेनों की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है, तथा लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2022–23 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹2,03,986.19 करोड़) के 4.59 प्रतिशत को दर्शाने वाले ₹9,366.41 करोड़ की प्राप्तियों को 50 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया था, और लेखों में लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 2022–23 के दौरान, 67 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये गये ₹36,879.90 करोड़ का व्यय, कुल व्यय (₹2,44,333.63 करोड़) का 15.09 प्रतिशत को लेखों में 42 राजस्व और 25 पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

2018–23 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा, कुल प्राप्तियों एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.2 एवं 4.3** में दी गयी है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु शीर्ष 800 के संचालन में प्राप्तियों में सारभूत कमी (प्रतिशत के रूप में) आई है। हालाँकि, व्यय के संबंध में, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन 2018-19 में ₹30,677 करोड़ से 2022-23 में ₹36,880 करोड़ (20 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुयी है। तथ्य यह है कि लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा लगातार पुस्तांकित किया जाना चिंता का कारण है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकरण **परिशिष्ट 4.3** एवं **4.4** में दिया गया है एवं **तालिका 4.8** में सारांशीकृत हैं:

तालिका 4.8: लघु शीर्ष 800—'अन्य प्राप्तियां' एवं 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकित राशि

विवरण	प्राप्तियां		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	727.42	0047, 0059, 0211, 0220, 0235, 0404, 0408, 0702, 0801, 0852, 1452	2,289.10	2250, 2705, 2852, 4401, 4408, 4705, 4853, 5475
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	2,372.26	0217, 0401, 0435, 0515, 0700, 0802	15,016.40	2217, 2702, 4700, 4701, 4875
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	95.47	0210	1,570.28	2075, 2851, 3454, 4406
50 प्रतिशत से कम	6,171.26	अन्य मुख्य शीर्ष	18,004.12	अन्य मुख्य शीर्ष
<b>योग</b>	<b>9,366.41</b>		<b>36,879.90</b>	

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

आगे, लेखापरीक्षा ने लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पुस्तांकित चयनित मामलों की जांच की, और पाया कि कुछ मामलों में, इन लेनदेन के पुस्तांकन के लिए 800 के अतिरिक्त मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में एक उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध था, जिसे तालिका 4.9 में सारांशीकृत किया गया है और विवरण परिशिष्ट 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.9: उपयुक्त लघु शीर्ष के स्थान पर लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय	मुख्य शीर्ष	मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार उपयोग किये जाने हेतु लघु शीर्ष
6693-मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना	10.05	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	104-वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण
5159-खेल अकादमियों की स्थापना	23.68	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
6703-खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	10.00		102- खेल स्टेडियम
0654-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	384.00	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	103-ग्राम विकास
7352-प्रशासकीय भवनों का निर्माण	52.86	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	207-राज्य पुलिस अथवा 211-पुलिस आवास
6345-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	1,671.00	2401-फसल कृषि कर्म	115-लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
5722-कॉल सेंटर की स्थापना	13.00	2053- जिला प्रशासन	094- अन्य स्थापनाएं
2087-आचार्य विद्यासागर गुरु संवर्धन योजना	3.20	2403- पशुपालन	102- पशु तथा भैंस विकास
<b>योग</b>	<b>2,167.79</b>		

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े

माप से संबंधित मुद्दे

4.10 उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

शासकीय लेखों में प्राप्ति और भुगतान के लेन-देन को दर्शाने के लिए खोले गये निश्चित मध्यस्थ/समायोजित लेखा शीर्षों को 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कोषालय/वेतन लेखा अधिकारियों द्वारा अनुसूची के निपटान की गैर-प्रस्तुती, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन की प्राप्ति न होने, प्रमाणक की अप्राप्ति, आदि जानकारी के अभाव में खाते के अंतिम शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है। खातों के इन शीर्षों को अंततः ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा समाशोधित (Clear) कर दिया जाता है, जब खातों को उनके संबंधित खातों के अंतिम शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित किया जाता है। यदि ये राशियां समाशोधित नहीं होती हैं, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाएगी एवं सरकार की प्राप्तियां और व्यय सही प्रदर्शित नहीं होगी।

प्रेषण सभी लेन-देनो को अंगीकार करते हैं जो लेखों के शीर्षों को समायोजित कर रहे हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट को अंततः उसी या लेखांकन के किसी अन्य चक्र में संबंधित क्रेडिट या डेबिट द्वारा समाशोधित किए जाते हैं।

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे (डेबिट) एवं जमा (क्रेडिट) शेषों को पृथक-पृथक समेकित कर निकाला गया है, 31 मार्च 2023 को, मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत (-)₹573.26 करोड़ (डेबिट) एवं मुख्य शीर्ष 8782 के अंतर्गत ₹6,402.02 करोड़ (क्रेडिट) बकाया शेष था। पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत मुख्य घटकों की स्थिति तालिका 4.10 में दी गई है:

तालिका 4.10: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य/लघु शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658-उचंत लेखे						
101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	394.24	93.49	545.43	(-)200.10	615.00	(-)116.75
निवल	डेबिट 300.75		डेबिट 745.53		डेबिट 731.75	
102-उचंत लेखा (सिविल)	0.19	0.01	0.19	0.01	0.19	0.01
निवल	डेबिट 0.18		डेबिट 0.18		डेबिट 0.18	
107-नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	141.60	28.05	141.60	28.05	141.60	28.05
निवल	डेबिट 113.55		डेबिट 113.55		डेबिट 113.55	
110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय	1,365.14	4.59	436.59	5.47	455.24	5.21
निवल	डेबिट 1,360.55		डेबिट 431.12		डेबिट 450.03	
112-स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	(-)297.06	233.26	(-)297.06	319.97	(-) 297.06	627.21
निवल	क्रेडिट 530.32		क्रेडिट 617.03		क्रेडिट 924.27	
113-भविष्य निधि उचंत	12.40	--	9.05	--	8.83	--



मुख्य/लघु शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23	
निवल	डेबिट 12.40		डेबिट 9.05		डेबिट 8.83	
123—ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	3.69	14.57	4.06	15.18	4.56	15.73
निवल	क्रेडिट 10.88		क्रेडिट 11.12		क्रेडिट 11.17	
129—सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	36.10	223.11	36.10	223.11	36.10	223.11
निवल	क्रेडिट 187.01		क्रेडिट 187.01		क्रेडिट 187.01	
139—वस्तु एवं सेवा कर—स्रोत पर कर कटौती उचंत	341.66	394.91	676.97	1,089.01	1,060.28	1,489.59
निवल	क्रेडिट 53.25		क्रेडिट 412.04		क्रेडिट 429.31	
<b>8782—नकद प्रेषण</b>						
102—लोक निर्माण प्रेषण	1,52,426.98	1,57,465.68	1,68,749.56	1,75,495.91	1,87,976.06	1,95,677.65
निवल	क्रेडिट 5,038.70		क्रेडिट 6,746.35		क्रेडिट 7,701.59	
103—वन प्रेषण	4,499.40	4,572.31	4,505.36	4,581.45	4,506.19	4,585.54
निवल	क्रेडिट 72.91		क्रेडिट 76.09		क्रेडिट 79.35	
110—विविध प्रेषण	8,708.39	7,417.03	8,826.65	7,503.25	8,984.61	7,604.80
निवल	डेबिट 1,291.36		डेबिट 1,323.40		डेबिट 1,379.81	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


उपरोक्त तालिका उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाती है। यदि इन उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशियां असमायोजित रहती हैं, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि संचित हो जाती है, परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति हो जाती है। आगे, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गैर निकासी राज्य सरकार के लेखों (जिन्हे वर्ष-दर-वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेषों की परिशुद्धता को प्रभावित करती है।

#### 4.11 लेखों का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 में अपेक्षित है कि, सभी नियंत्रण अधिकारी शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ करें। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रण अधिकारियों के बजाय, संचालनालय कोष एवं लेखा मुख्य रूप से कार्यालय लेखा एवं हकदारी के साथ आंकड़ों का मिलान कर रहा है।

2022-23 के दौरान, संचालनालय, कोष एवं लेखा ने व्यय ₹2,36,395.56 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल व्यय ₹2,68,699.09 करोड़ का 87.98 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹1,77,121.05 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹2,64,357.62 करोड़ का 67 प्रतिशत) का मिलान किया है।

पिछले तीन वर्ष की अवधि 2020-23 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को चार्ट 4.4 एवं 4.5 में दर्शाया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जुलाई 2020 में, संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा ऑनलाइन मिलान की प्रणाली की शुरुआत के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 से मिलान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

#### 4.12 रोकड़ शेष का मिलान

1. बैंक शाखाओं द्वारा कोषालयों को पेंशन भुगतान स्कॉल के साथ तिथि-वार मासिक पत्रक भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
2. भोपाल कोषालय द्वारा समेकित बैंक स्कॉल डेटा भेजा नहीं जा रहा है।
3. 31 मार्च 2023 की स्थिति में, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन का रोकड़ शेष (₹4,969.81 करोड़ (क्रेडिट)) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (₹119.04 करोड़ (डेबिट)) के मध्य ₹4,850.77 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था। ₹4,850.77 करोड़ का अंतर एंजेसी बैंकों एवं कोषालय अधिकारियों द्वारा गलत सूचना के कारण था।

#### प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

#### 4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा स्थापित शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार मण्डल जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए शासकीय लेखांकन एवं वित्तीय सूचना के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2023 के अंत तक, तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के विवरण तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण में इनके अनुपालन की सीमा तालिका 4.11 में दी गई है:

तालिका 4.11: लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारतीय शासकीय लेखा मानक	भारतीय शासकीय लेखा मानक का सार	स्थिति	गैर-अनुपालन का प्रभाव
भारतीय शासकीय लेखा मानक 1 शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	इस मानक के अंतर्गत शासन से वर्ष के दौरान अपने वित्तीय विवरण में परिग्रहितियाँ, हटाई गई, आमंत्रित, निपटाई गई एवं वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि प्रकट किया जाना अपेक्षित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने मार्च 2023 तक अंतिम लेखों में 2022-23 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूत राशि के साथ वर्ष के दौरान परिग्रहितियाँ, निपटाई गई, आमंत्रित एवं बकायों का प्रकटीकरण किया था।
भारतीय शासकीय लेखा मानक 2 सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अंतिम उपयोग के निरपेक्ष, सहायतानुदान प्रदाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदानगृहीता के लेखे में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	अनुपालन नहीं हुआ	राज्य शासन ने राशि ₹671.18 करोड़ की सहायतानुदान को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर-अनुपालन के कारण राजस्व अधिशेष को अत्युक्त एवं पूंजीगत व्यय को अत्युक्त बताया गया।
भारतीय शासकीय लेखा मानक 3 शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	यह मानक सम्पूर्ण, सटीक एवं एकरूप लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरण में किए गए ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मापन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन से संबंधित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	“अप्रतिलभ्य ऋणों एवं अग्रिमों का अपलेखन”, “बकाया में ब्याज भुगतान”, “ऋण के प्रकरणों में ऋण के रूप में स्थायी रूप से स्वीकृत किया गया”, “ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान”, “वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम” तथा “ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देनों को इंगित करने वाले प्रकटीकरण” वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी। इसलिए राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।

#### 4.13.1 सहायतानुदान में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारतीय शासकीय लेखा मानक-2 के अनुसार, सहायतानुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो, उन मामलों को छोड़कर जो विशेष रूप से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत हैं।

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा तालिका 4.12 में दी गई है:

तालिका 4.12: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	541.41	257.04	250.27	280.38	256.18
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतानुदान	207.95	237.64	82.73	316.04	415.00
<b>योग</b>	<b>749.36</b>	<b>494.68</b>	<b>333.00</b>	<b>596.42</b>	<b>671.18</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#### 4.14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

राज्य शासन ने कृषि, आवास, श्रम कल्याण, नगरीय विकास, इत्यादि के क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की स्थापना की है। इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और उनको लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य में सात स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लंबित लेखाओं की स्थिति तालिका 4.13 में दी गयी है:

तालिका 4.13: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे

स.क्र.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित	वित्त वर्ष 2022-23 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	2013-14	10
2	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	2022-23	01
3	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2022-23	01
4	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2020-21	03
5	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	2022-23	01

\*किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लंबित रहने की अंतिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ली जानी है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि लेखों को प्रस्तुत करने में लम्बितता एक से 10 वर्षों के बीच है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2013-14 से अपने लेखें प्रस्तुत नहीं किये हैं (नवम्बर 2023)। 2022-23 के दौरान, किसी भी स्वायत्त निकाय द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I एवं II) मध्य प्रदेश के कार्यालय में कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा ने वर्ष के दौरान लेखों पर कोई भी अभिमत नहीं बनाया। लेखों को अंतिम रूप देने में देरी से वित्तीय अनियमितताओं का खतरा रहता है, इसलिए, लेखों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

#### अन्य मुद्दे

#### 4.15 दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2023 तक ₹39.13 करोड़ से संबंधित दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के 3,123 प्रकरण सूचित किये थे जिन पर जून 2023 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। मुख्य प्रकरण वानिकी तथा वन्य जीवन (₹17 करोड़ के 2,589 प्रकरण), कोष एवं लेखा प्रशासन (₹8.30 करोड़ के 11 प्रकरण), स्कूल शिक्षा (₹6.94 करोड़ के 92 प्रकरण) तथा पुलिस विभाग (₹3.25 करोड़ के 314 प्रकरण) से संबंधित थे। 31 मार्च 2023 की स्थिति में दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष-वार विवरण तालिका 4.14 में दिया गया है:

तालिका 4.14: 31 मार्च 2023 को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/ हानियों/ चोरियों के प्रकरण		दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों के अंतिम निराकरण में विलंब के कारण की गयी कार्रवाई					
			विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई आरंभ लेकिन पूर्ण नहीं		आपराधिक कार्रवाई पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2210— चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	08	44.75	0	0.00	06	22.15	02	22.60
2211— परिवार कल्याण	03	47.67	0	0.00	02	47.35	01	0.32
2014— न्याय प्रशासन	07	31.02	02	14.45	05	16.57	0	0.00
2015—चुनाव	01	7.90	0	0.00	01	7.90	0	0.00
2055—पुलिस	314	324.99	158	182.54	156	142.45	0	0.00
2225—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	06	7.05	06	7.05	0	0.00	0	0.00
2235—महिला एवं बाल कल्याण	07	16.13	07	16.13	0	0.00	0	0.00
2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण	02	8.58	0	0.00	01	0.17	01	8.41
2202—स्कूल शिक्षा	92	693.63	21	277.99	54	390.80	17	24.84
2203—तकनीकी शिक्षा	33	78.12	09	8.43	16	40.24	08	29.45
2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	03	4.20	02	1.70	01	2.50	0	0.00
2501—ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	04	46.56	02	3.34	01	42.31	01	0.91
2054—कोषालय और लेखा	11	830.44	11	830.44	0	0.00	0	0.00
2853—अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	03	4.22	02	4.22	01	0.00	0	0.00
2040—बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	01	0.70	01	0.70	0	0.00	0	0.00
2401—कृषि कर्म	23	49.35	12	27.51	07	11.05	04	10.79
2403—पशुपालन	16	17.24	12	10.73	02	0.91	02	5.60
2406—वानिकी एवं वन्य जीवन	2589	1,700.18	1133	593.12	1425	1,085.60	31	21.46
<b>योग</b>	<b>3123</b>	<b>3,912.73</b>	<b>1378</b>	<b>1,978.35</b>	<b>1678</b>	<b>1,810.00</b>	<b>67</b>	<b>124.38</b>

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 3123 मामलों में से राशि ₹19.78 करोड़ के 1378 मामले विभागीय और आपराधिक जांच के लिए लंबित हैं। विभाग को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

#### 4.16 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, लोक लेखा समिति/वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के एक महीने के अन्दर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं पर स्वतः व्याख्यात्मक टीप प्रदान करने की आवश्यकता होती है। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के तीन महीने के अन्दर महालेखाकार को (जांच एवं लोक लेखा समिति को आगे प्रेषित करने हेतु) कार्यान्वयन टीप प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है।

राज्य के वित्त पर पृथक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से तैयार किये जा रहे हैं और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। वर्ष 2011-22 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा के लिए चयनित कंडिकाओं का विवरण तालिका 4.15 में दिया गया है:

तालिका 4.15: राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रतिवेदन वर्ष	क्या लोक लेखा समिति ने राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की	उस प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की बैठकों की संख्या	वित्त वर्ष में चर्चा	कार्रवाई के लिए लंबित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं की संख्या और प्रकृति	विभाग द्वारा कार्यान्वयन टीप
2011-12	हाँ	1	2018-19	1 कंडिका: • 2.3.6-आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 33 (₹10.87 करोड़)	-
2013-14	हाँ	1	2018-19	1 कंडिका: • 2.3.5-आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 2 (₹18.19 करोड़)	-
2014-15	हाँ	2	2018-19 2019-20	1 कंडिका: • 2.3.5-आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 2 (₹23.50 करोड़), अनुदान संख्या 42 (₹3.19 करोड़),	-
2016-17	हाँ	2	2021-22	3 कंडिकाएं: • 1.5.2.1-सभी कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना • 2.2.1-आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 2 (₹23.77 करोड़)	-
			2022-23	• 3.6-असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति	
2019-20	नहीं	--	--	1 कंडिका: • 3.8-आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	-
2020-21	नहीं	--	--	1 कंडिका: • 3.8.1-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा आधिक्य व्यय	-
2021-22	राज्य विधानसभा में राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 08.02.2024 को पेश किया गया				

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, विभाग द्वारा कार्यान्वयन टीप 2011-12 से लंबित है।

वित्त विभाग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी कंडिकाओं और समीक्षाओं पर सभी विभागों को स्वतः कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर सकते हैं, फिर चाहे प्रकरण लोक लेखा समिति द्वारा जांच के लिए उठाए गए हों या नहीं। आगे, लोक लेखा समिति की बैठकों में चर्चा की गई कंडिकाओं के संबंध में कार्यान्वयन टीप को अंतिम रूप देकर लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है।

#### 4.17 निष्कर्ष

2022-23 के दौरान, 2021-22 की तुलना में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतिम शेष 10.73 प्रतिशत से कम हुआ। आगे, 157 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 199 व्यक्तिगत जमा खाते ₹214.39 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेषों सहित) के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करें कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्तियों में लघु शीर्ष 800 के संचालन में पर्याप्त कमी आयी है। परन्तु, व्यय पक्ष में उल्लेखनीय कमी नहीं आयी।

विभागीय आंकड़ों का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान का कार्य संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा जुलाई 2020 में ऑनलाइन शुरू किया गया है और प्राप्तियों के संबंध में 67 प्रतिशत तथा व्यय के संबंध में 87.98 प्रतिशत की सीमा तक मिलान किया गया है।

#### 4.18 अनुशंसाएं

- राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय खातों में तत्काल अंतरित कर दिया गया है। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।
- राज्य शासन को वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता में सुधार के लिए सर्वग्राही लघु शीर्ष—800 का उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लेखा—पुस्तकों में लेन—देनों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय—सीमा की रूपरेखा बनाना चाहिए।
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय आंकड़ों का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान शत प्रतिशत होना चाहिये, चूंकि यह 2019-20 से शासकीय लेन—देन के लेखांकन में पारदर्शिता और सटीकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शुरू किया गया है।





---

## अध्याय V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का  
वित्तीय प्रदर्शन

---



## अध्याय V—राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

### 5.1 प्रस्तावना

प्रतिवेदन में दर्शाए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन को उनके वित्तीय विवरणों के साथ-साथ संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी से लिया गया है। वर्ष 2022-23 (या पूर्व के वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित एकमात्र लेखापरीक्षा/अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखों के पुनरीक्षण के प्रभावों के साथ-साथ जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों<sup>46</sup> को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### 5.2 सरकारी कंपनियों/निगमों की परिभाषा

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत परिभाषित है, एक कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केन्द्र सरकार, अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा एवं जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी शामिल है।

जैसा कि कंपनी (कठिनाईयों को दूर करना) के सातवे आदेश के अधीन, अधिसूचित 2014 (4 सितम्बर 2014) में परिभाषित है, कोई अन्य कंपनी जो केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व अथवा नियंत्रित की जाती है, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों कहलाती है। इसके अलावा, संसद/राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित कानून के अंतर्गत स्थापित किसी भी निगम को सांविधिक निगम कहा जाता है।

### 5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ सहपठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सनदी लेखाकारों को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में या संविधियों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है।

### 5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान

31 मार्च 2023 को, 61 सरकारी कंपनियों, तीन सांविधिक निगम<sup>47</sup> और सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियों<sup>48</sup> सहित मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रम थे जैसा कि *परिशिष्ट 5.1* में

<sup>46</sup> 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 तक जारी/अंतिमीकृत प्रमाणपत्रों के आधार पर।

<sup>47</sup> मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश स्टेट वेंचर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन और मध्य प्रदेश वित्त निगम।

<sup>48</sup> भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, बी-नेस्ट फाउण्डेशन एवं इंदौर आईडिया फैंक्री फाउण्डेशन।

वर्णित है। वर्ष के दौरान, किसी भी सरकारी कंपनी का विघटन/विलय नहीं हुआ, जबकि एक सरकारी कंपनी<sup>49</sup> भारत के नियंत्रक-महालेखारीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आयी। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के 15 उपक्रम<sup>50</sup>, जिन्होंने अपना परिचालन तीन से 33 वर्षों तक बन्द कर दिया था।

30 सितम्बर 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 46 उपक्रमों ने 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की अवधि के लिए कम से कम एक लेखा प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 32 कार्यरत उपक्रमों को ही शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 41 उपक्रमों (इनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रम ऐसे थे जिनके नवीनतम लेखे<sup>51</sup> उपलब्ध थे परन्तु पिछले तीन या अधिक वर्षों के लिए कारोबार शून्य था और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रम जो कि तीन से 33 वर्षों तक के लिए निष्क्रिय रहे और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रम ऐसे थे जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये) को शामिल नहीं किया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 32 उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियों सहित) को, इनकी गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर छः क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 32 उपक्रमों का कारोबार (₹95,645.11 करोड़) मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹13,22,821 करोड़) का 7.23 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार का 98 प्रतिशत से अधिक केवल ऊर्जा क्षेत्र के लेखों का है जैसा कि तालिका 5.1 में इंगित है:

तालिका 5.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भाग के सापेक्ष क्षेत्र-वार कारोबार

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	क्षेत्र का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए कारोबार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कारोबार के भाग का प्रतिशत
1	ऊर्जा	7	94,513.83	7.14
2	कृषि एवं संबद्ध	2	680.89	0.05
3	सेवा	2	30.92	0.01
4	अधोसंरचना	10	138.02	0.01
5	विनिर्माण	10	219.84	0.01
6	वित्त	1	61.61	0.01
	<b>योग</b>	<b>32</b>	<b>95,645.11</b>	<b>7.23</b>

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित जानकारी

पिछले वर्ष की तुलना में सकल कारोबार 7.67 प्रतिशत से मामूली घटकर 7.23 प्रतिशत तक हो गया है।

<sup>49</sup> मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड।

<sup>50</sup> मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड, मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र मिनरल्स व कैमिकल्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

<sup>51</sup> वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के लिए कोई/सभी लेखे।

## 5.5 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अधिदेश के अनुसार, सभी 70 कंपनियों (अर्थात् 61 सरकारी कंपनियां और सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियां) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है। तीन सांविधिक निगमों के मामले में, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है जबकि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश वित्त निगम के संबंध में, संबंधित कानूनों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों के द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और उसके बाद, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 73 उपक्रमों के लेखों की स्थिति, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर, जो 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त हुए थे, तालिका 5.2 में विस्तृत है और लेखों के विलंबता की कंपनी-वार स्थिति परिशिष्ट 5.2 में दर्शित है।

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके अंतिमीकृत लेखों की स्थिति

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि के दौरान प्राप्त हुए				योग	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 30 सितम्बर 2023 तक बकाया (कुल बकाया लेखे) है
		2022-23 के लिए लेखे	2021-22 के लिए लेखे	2020-21 के लिए लेखे	योग		
सरकारी कंपनियां	61	07	18	07	32	54(231) <sup>52</sup>	
सांविधिक निगम	03	00	01	00	01	03(17)	
<b>योग</b>	<b>64</b>	<b>07</b>	<b>19</b>	<b>07</b>	<b>33</b>	<b>57(248)</b>	
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	09	00	07	00	07	09(10)	
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योग</b>	<b>73</b>	<b>07</b>	<b>26</b>	<b>07</b>	<b>40</b>	<b>66(258)</b>	

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन के सारांश का विवरण तालिका 5.3 में विस्तृत है।

तालिका 5.3: इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम) के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या, जिनके	24
प्रदत्त पूँजी (₹ करोड़ में)	47,921.01
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	51,401.61
कुल सम्पत्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,58,382.49
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	(-)11,908.38
II. वित्तीय प्रदर्शन	
अर्जित लाभ (संख्या में)	09
शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	550.27
घोषित/भुगतान लाभांश (पाँच में)(₹ करोड़ में)	42.45

<sup>52</sup> सार्वजनिक क्षेत्र के 15 उपक्रमों सहित जिन्होंने अपने परिचालन अंतिम तीन से 33 वर्ष तक के लिए बन्द रखे।

हानि उठाने वाली (संख्या में)	11
शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	(-),940.45
न लाभ न हानि (संख्या में)	04 <sup>53</sup>
प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में)	05 <sup>54</sup>
<b>सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां</b>	
<b>I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या, जिनका</b>	<b>08</b>
प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	1,201.10
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	--
कुल सम्पत्तियां (₹ करोड़ में)	4,283.10
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	1,369.62
<b>II. वित्तीय प्रदर्शन</b>	
अर्जित लाभ (संख्या में)	02
शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	1.95
घोषित/भुगतान लाभांश	--
हानि उठाने वाली (संख्या में)	01
शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	(-)0.05
न लाभ न हानि (संख्या में)	05 <sup>55</sup>
प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में)	01 <sup>56</sup>

## 5.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

### 5.6.1 धारित अंश पूंजी और ऋण

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रमों में सरकार द्वारा अंश पूंजी और ऋण में किया गया निवेश तालिका 5.4 में दिया गया है:

तालिका 5.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी में निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2023 तक		
	अंश पूंजी	दीर्घ कालिक ऋण	योग	अंश पूंजी	दीर्घ कालिक ऋण	योग	अंश पूंजी	दीर्घ कालिक ऋण	योग
राज्य शासन	30,244.60	31,820.52	62,065.12	31,421.75	31,597.77	63,019.52	32,674.64	32,204.26	64,878.90
केन्द्र सरकार	221.88	0.00	221.88	649.79	419.09	1,068.88	649.79	653.85	1,303.64
अन्य	19,327.67	24,538.08	43,865.75	19,445.90	25,415.33	44,861.23	19,742.66	23,334.04	43,076.70
<b>योग</b>	<b>49,794.15</b>	<b>56,358.60</b>	<b>1,06,152.75</b>	<b>51,517.44</b>	<b>57,432.19</b>	<b>1,08,949.63</b>	<b>53,067.09</b>	<b>56,192.15</b>	<b>1,09,259.24</b>
कुल निवेश में राज्य शासन का अंश (प्रतिशत में)	60.74	56.46	58.47	60.99	55.02	57.84	61.57	57.31	59.38

स्रोत: 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदाय जानकारी

<sup>53</sup> मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड और जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड।

<sup>54</sup> बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस, रतलाम बस सर्विसेस लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।

<sup>55</sup> उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और बी-नेस्ट फाउंडेशन।

<sup>56</sup> इंदौर आईडिया फैक्ट्री फाउंडेशन।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में 2021-23 में किये गये कुल निवेश में आंशिक रूप से तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्षों से, अंश पूंजी में निवेश को ऋण संघटक के निकट लाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। 2021-23 के दौरान, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋण में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 31 मार्च 2023 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल ऋण में राज्य शासन से लिया गया ऋण ₹32,204.26 करोड़ (57.31 प्रतिशत) था।

2022-23 के दौरान, अंश पूंजी निवेश में ₹1,549.65 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें 36 प्रतिशत से अधिक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में थी। विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशित अंश पूंजी

(₹ करोड़ में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	राशि
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	568.10
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड	242.78
मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	74.95
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	41.00
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	73.00
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	58.86
मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	20.00
नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	302.42
सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	159.90
मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.00
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	(-)0.36 <sup>57</sup>
<b>योग</b>	<b>1,549.65</b>

स्रोत: 30 सितम्बर 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी

### 5.6.2 संपत्तियों की पर्याप्तता

ऋण चुका देने योग्य माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों/कर्जों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2023 को, इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 15 उपक्रम जिनमें बकाया दीर्घकालिक ऋण था, इस मानदण्ड को पूरा करते हैं जैसा कि तालिका 5.6 में दर्शित है:

तालिका 5.6: दीर्घ कालिक ऋण की कुल सम्पत्तियों के साथ व्याप्तता

(₹ करोड़ में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सकारात्मक व्याप्तता				नकारात्मक व्याप्तता			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	दीर्घ कालिक ऋण	कुल सम्पत्तियां	सम्पत्तियों का ऋण से प्रतिशत	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	दीर्घ कालिक ऋण	कुल सम्पत्तियां	सम्पत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कंपनियां	13	50,669.56	1,50,473.06	296.97	-	-	-	-
सांविधिक निगम	02	732.05	4,323.94	590.66	-	-	-	-

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

<sup>57</sup> कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ की शेयर पूंजी घटाई गयी।

31 मार्च 2023 को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के संबंध में, कोई दीर्घ कालिक ऋण बकाया नहीं है।

### 5.6.3 केन्द्र/राज्य शासन द्वारा राजसहायता, अनुदानों की जानकारी

मध्य प्रदेश शासन, वार्षिक बजट के माध्यम से राजसहायता और अनुदानों के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए प्रत्याभूति प्रदान करती है, जिसके लिए वह आधा प्रतिशत से एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेती हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों में वर्ष 2022-23 में बकाया प्रत्याभूति ₹5,548.58 करोड़ थी। विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है:

तालिका 5.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण <sup>58</sup>	2020-21		2021-22		2022-23	
		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
(i)	प्रदायित अनुदान/राजसहायता	13	20,414.17	09	32,768.78	06	37,592.06
(ii)	बकाया प्रत्याभूतियां	05	5,297.52	05	9,107.71	05	5,548.58
(iii)	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	04	9,022.50	03	2,160.10	05	10,211.87

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराये गए वार्षिक लेखे/जानकारी

## 5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

### 5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2021-22 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों ने ₹1,797.34 करोड़ के अर्जित लाभ की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों ने ₹552.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2022-23 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष तीन उपक्रमों ने कुल लाभ का 74.18 प्रतिशत योगदान दिया। विवरण तालिका 5.8 में दिया गया है:

तालिका 5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष उपक्रम जिन्होंने अधिकतम लाभ दिया

(₹ करोड़ में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	निवल अर्जित लाभ	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल लाभ से प्रतिशत
मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन	208.53	37.76
मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	141.66	25.65
मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	59.49	10.77
<b>योग</b>	<b>409.68</b>	<b>74.18</b>

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधार पर संकलित नवीनतम वित्तीय लेखे

<sup>58</sup> राशि केवल राज्य के बजट से व्यय को प्रदर्शित करती है।



## 5.7.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

राज्य शासन की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को कर के बाद लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है।

तालिका 5.9: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उपक्रम				लाभांश भुगतान (प्रतिशत में)
	जिन्होंने लाभ अर्जित किया		जिन्होंने लाभांश घोषित/भुगतान किया		
1	2	3	4	5	6=5*100/3
2020-21	18	671.29	6	25.29	3.78
2021-22	13	1,797.34	5	25.95	1.44
2022-23	11	552.22	5	42.45	7.68

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदायित जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों ने सकल लाभ ₹552.22 करोड़ अर्जित किया। ग्यारह में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र पांच उपक्रमों ने लाभांश घोषित/भुगतान किया। जिनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन<sup>59</sup> उपक्रमों ने न्यूनतम प्रतिफल भुगतान किया और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष दो<sup>60</sup> उपक्रमों ने राज्य शासन की लाभांश नीति का पालन नहीं किया।

## 5.8 ऋण सेवा

### 5.8.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। एक से कम अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 15 उपक्रमों पर ऋण की देनदारी है। एक से अधिक की ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2020-21 में चार से घट कर 2022-23 में दो हो गई जैसा की तालिका 5.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.10: ब्याज व्याप्ति अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर पूर्व आय	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या		
			ऋण के दायित्व वाले	ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक वाले	ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम वाले
2020-21	7,236.99	3,663.41	17	4	13
2021-22	5,674.47	184.44	13	2	11
2022-23	5,823.48	3,727.34	15	2	13

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

<sup>59</sup> मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम।

<sup>60</sup> मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड।

आगे, सरकारी कंपनियों के वार्षिक लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के उपलब्ध प्रतिवेदन भी यह दर्शाते हैं (जहां प्रतिवेदन 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हो गए) कि पांच सरकारी कंपनियों के द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में चूक की गई है जैसा कि विवरण नीचे तालिका 5.11 में वर्णित है:

**तालिका 5.11: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने ब्याज प्रभारों और मूल राशि की अदायगी में चूक की**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष	ऋण का स्रोत		चूक की राशि
			मध्य प्रदेश शासन	अन्य <sup>61</sup>	
1	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2022-23	3,589.08	5.82	3,594.90
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	5,722.34	176.65	5,898.99
3	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	6,195.04	5.97	6,201.01
4	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2021-22	1,002.98	2,203.83	3,206.81
5	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2022-23	5,290.88	2.31	5,293.19

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त सांविधिक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर संकलित

### 5.8.2 राज्य शासन के ऋण पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक, राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए दीर्घ कालिक ऋणों के विरुद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रमों में से सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों में ₹11,264.51 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी, जिसमें से 53.85 प्रतिशत तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। विवरण तालिका 5.12 में दिया गया है:

**तालिका 5.12: राज्य शासन के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्ष के लिए बकाया	तीन वर्ष से अधिक के लिए बकाया
1	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.74	0.97	1.78	2.99
2	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	37.21	4.64	8.23	24.34
3	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4.28	0.47	1.48	2.33
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2,714.15	135.38	225.30	2,353.47
5	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	4,000.69	895.84	2,461.65	643.20
6	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	4,502.44	309.27	1,153.67	3,039.50
	<b>योग</b>	<b>11,264.51</b>	<b>1,346.57</b>	<b>3,852.11</b>	<b>6,065.83</b>

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना

<sup>61</sup> अन्य के प्रमुख स्रोत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशियाई विकास बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इत्यादि हैं।

## 5.9 सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता

### 5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ प्रतिवेदन का विश्लेषण)

इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 लाभ प्रदाता उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पाँच उपक्रमों ने अपने परिचालन<sup>62</sup> गतिविधि से लाभ अर्जित किया और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया, जैसा कि **परिशिष्ट 5.3** में वर्णित है।

### 5.9.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना कंपनी की आय को ब्याज और करों से पहले नियोजित पूंजी<sup>63</sup> से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान कार्यरत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
<b>सरकारी कंपनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां</b>					
लाभ अर्जन	2020-21	17	4,027.28	26,367.14	15.27
	2021-22	12	3,475.95	24,961.21	13.93
	2022-23	10	2,535.27	23,945.41	10.59
हानि उठाने वाली	2020-21	13	-348.96	4,525.85	-7.71
	2021-22	10	-3,139.90	-3,999.67	--
	2022-23	11	1426.10	-4,593.48	-31.05
न लाभ/न हानि	2020-21	07	209.56	1,015.63	20.63
	2021-22	08	-32.65	18,311.45	-0.18
	2022-23	09	-359.37	18,785.21	-1.91
<b>सांविधिक निगम</b>					
लाभ अर्जन	2020-21	1	353.87	1,213.62	29.16
	2021-22	1	554.48	1,348.42	41.12
	2022-23	1	289.11	1,943.53	14.88
हानि उठाने वाली	2020-21	1	25.41	855.25	2.97
	2021-22	1	-6.92	782.18	-0.88
	2022-23	1	-6.92	782.18	-0.88
न लाभ/न हानि	2020-21	--	--	--	--
	2021-22	--	--	--	--
	2022-23	--	--	--	--
<b>कुल</b>	<b>2020-21</b>	<b>39</b>	<b>4,057.60</b>	<b>32,965.98</b>	<b>12.31</b>
	<b>2021-22</b>	<b>32</b>	<b>850.96</b>	<b>41,403.59</b>	<b>2.06</b>
	<b>2022-23</b>	<b>32</b>	<b>3,884.19</b>	<b>40,862.85</b>	<b>9.51</b>

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

<sup>62</sup> संचालन गतिविधियों से लाभ = कुल कारोबार-कुल व्यय।

<sup>63</sup> नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घ कालिक ऋण - संचित हानि - अस्थगित राजस्व व्यय।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि 2020-23 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 12.31 प्रतिशत से 9.51 प्रतिशत तक अधोमुखी प्रवृत्ति का है। आगे, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के 32 उपक्रमों में से 13 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के सभी सात<sup>64</sup> सार्वजनिक उपक्रम और गैर ऊर्जा क्षेत्र के छः<sup>65</sup> सार्वजनिक उपक्रम) का निवेशित पूंजी पर प्रतिफल, जो अपना स्वयं का राजस्व उत्पन्न करते हैं, और वाणिज्यिक लाइन पर चलते हैं, सकारात्मक (11.49 प्रतिशत) था। गैर ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 19 उपक्रमों जो गैर वाणिज्यिक लाइन पर चलते हैं, का वर्ष 2022-23 के लिए निवेशित पूंजी पर प्रतिफल नकारात्मक (0.55 प्रतिशत) था। वाणिज्यिक लाइन पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों में से सार्वजनिक क्षेत्र के छः<sup>66</sup> उपक्रमों (पाँच सरकारी कंपनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) को 2022-23 के दौरान हानि हुई।

### 5.9.3 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2023 तक, राज्य शासन का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत<sup>67</sup> के आधार पर किया गया कुल निवेश ₹59,922.45 करोड़ हो गया, जैसा कि तालिका 5.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.14: निवेश के ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में राज्य शासन द्वारा निवेशित निधियाँ	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में केंद्र सरकार द्वारा निवेशित निधियाँ	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में अन्य द्वारा निवेश की गई निधियाँ	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7 = 6/5*100
<b>सरकारी कंपनियाँ</b>						
2020-21	58,892.27	3.26	41,498.90	1,00,394.43	-3,541.98	-3.53
2021-22	56,033.54	1.39	41,483.98	97,518.91	-4,978.01	-5.10
2022-23	59,044.06	1.39	39,130.96	98,176.41	-1,549.41	-1.58
<b>सांविधिक निगम</b>						
2020-21	387.98	0	456.60	844.58	204.31	24.19
2021-22	503.74	0	267.82	771.56	251.85	32.64
2022-23	878.39	0	267.82	1,146.21	159.23	13.89
<b>सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ</b>						
2020-21	0.00	0.00	1,040.20	1,040.20	-0.06	-0.01
2021-22	0.00	0.00	1,041.20	1,041.20	0.38	0.01
2022-23	0.00	0.00	1,201.10	1,201.10	1.90	0.16
<b>महायोग</b>						
2020-21	59,280.25	3.26	42,995.70	1,02,279.21	-3,337.73	-3.26

<sup>64</sup> मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

<sup>65</sup> मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, मध्य प्रदेश वित्त निगम।

<sup>66</sup> मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम।

<sup>67</sup> डीमर्जर के कारण गठित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, अंश पूंजी और ऋणों में प्रारंभिक निवेश को उनके निगमन की तिथि के अनुसार अग्रणीत राशि पर माना गया था। इसके अलावा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्तराधिकारी के बीच संपत्ति और देनदारियों के विभाजन के परिणामस्वरूप एक पुनर्गठन/डिमर्जर एडजस्टमेंट रिजर्व (अधिशेष/घाटा) हुआ, जिसे राज्य शासन के निवेश के रूप में माना गया।

वर्ष	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में राज्य शासन द्वारा निवेशित निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में केंद्र सरकार द्वारा निवेशित निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में अन्य द्वारा निवेश की गई निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7 = 6/5*100
2021-22	56,537.28	1.39	42,791.61	99,330.28	-4,725.78	-4.76
2022-23	59,922.45	1.39	40,599.88	1,00,523.72	-1,388.28	-1.38

ऐतिहासिक लागत के आधार पर, राज्य शासन का निवेश 2020–21 में ₹59,280.25 करोड़ से 2022–23 में ₹59,922.45 करोड़ तक बढ़ा। इसके अलावा निवेश पर वास्तविक प्रतिलाभ की दर प्रतिशत भी 2020–21 में (-)3.26 प्रतिशत से बढ़कर (-)1.38 प्रतिशत हो गई।

#### 5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई है।

राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य शासन द्वारा ऋणों को निधि प्रवाह के रूप में माना गया है। हालांकि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, वर्तमान मूल्य की गणना अवधि के दौरान शेष ऋणों की राशि पर की गई थी। पूंजी अनुदान को छोड़कर, अनुदान/राजसहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने के योग्य नहीं हैं।
- संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>68</sup> के लिए शासन के ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर प्राप्ति के लिए रियायती दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वह इस वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए शासन द्वारा वहन लागत का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए सरकार द्वारा किये गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

आगे, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के इन 73 उपक्रमों से संबंधित राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की समान अवधि के लिए समेकित स्थिति तालिका 5.15 में संकेतिक है:

<sup>68</sup> संबंधित वर्ष के लिए राज्य के वित्त (मध्य प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को अपनाया गया था।

तालिका 5.15: राज्य शासन द्वारा किए गए निवेश एवं उस निवेश के वर्तमान मूल्य का 2013-14 से 2022-23 तक वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान निवेशित अंश पूंजी	राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त / चूक ऋण और पूंजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	शासन के ऋणों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	लागत वसूलने के लिए वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के दौरान कुल लाभ
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi}/100}	x
2013-14	28,926.08	923.44	3,833.47	4,756.91	6.69	33,682.99	35,936.38	2,253.39	-5,910.12
2014-15	35,936.38	1,298.63	9,474.37	10,773.00	6.73	46,709.38	49,852.92	3,143.54	-6,263.86
2015-16	49,852.92	678.95	2,399.57	3,078.52	6.86	52,931.44	56,562.54	3,631.10	-4,627.30
2016-17	56,562.54	146.2	4,610.38	4,756.58	6.72	61,319.12	65,439.77	4,120.64	-5,202.73
2017-18	65,439.77	5,073.94	-7,602.08	-2,528.14	6.67	62,911.63	67,107.83	4,196.21	-4,001.19
2018-19	67,107.83	1,863.90	1,084.32	2,948.22	6.92	70,056.05	74,903.93	4,847.88	-6,614.05
2019-20	74,903.93	1,447.69	502.45	1,950.14	6.69	76,854.07	81,995.61	5,141.54	-3,337.73
2020-21	81,995.61	1,742.23	437.74	2,179.97	6.12	84,175.58	89,327.12	5,151.55	-3,337.73
2021-22	89,327.12	1,179.83	-222.75	957.08	6.02	90,284.20	95,719.31	5,435.11	-4,725.78
2022-23	95,719.31	1,252.89	606.49	1,859.38	5.66	97,578.69	1,03,101.64	5,522.95	-1,388.28
		<b>15,607.70</b>	<b>15,123.96</b>	<b>30,731.66</b>					

राज्य शासन द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के इन उपक्रमों में 10 वर्षों की समयावधि 2013-23 में किया गया निवेश ₹28,926.08 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹59,657.74 करोड़ तक हो गया, क्योंकि राज्य शासन के अंश पूंजी और ऋण के रूप में ₹30,731.66 करोड़ का निवेश है जिसने पूरी समयावधि में ऋणात्मक प्रतिफल अर्जन किया है। 2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान नकारात्मक लाभ में लगभग 76 प्रतिशत की कमी आई है।

## 5.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि

### 5.10.1 हुई हानि

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से, 12 उपक्रमों को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानि हुई थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का नुकसान उनके अंतिम लेखों के अनुसार 2020-21 में (-)₹4,009.02 करोड़ से घटकर 2022-23 में (-)₹1,940.50 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य <sup>69</sup>
<b>सरकारी कंपनियाँ</b>				
2020-21	11	-3,970.75	-52,983.52	-34,076.56
2021-22	08	-6,473.77	-58,728.72	-39,924.63
2022-23	10	-1,891.15	-60,702.30	-41,622.36
<b>सांविधिक निगम</b>				
2020-21	01	-37.89	12.09	424.83
2021-22	01	-49.30	12.09	424.78
2022-23	01	-49.30	12.09	424.78
<b>सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ</b>				
2020-21	02	-0.38	-0.16	239.94
2021-22	02	-0.05	-0.07	498.33
2022-23	01	-0.05	-0.12	199.88
<b>योग</b>				
<b>2020-21</b>	<b>14</b>	<b>-4,009.02</b>	<b>-52,971.59</b>	<b>-33,411.79</b>
<b>2021-22</b>	<b>11</b>	<b>-6,523.12</b>	<b>-58,716.70</b>	<b>-39,001.52</b>
<b>2022-23</b>	<b>12</b>	<b>-1,940.50</b>	<b>-60,690.33</b>	<b>-40,997.70</b>

2022-23 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों को हुए कुल हानि ₹1,940.50 करोड़ में ऊर्जा क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन<sup>70</sup> उपक्रमों का योगदान ₹1,779.26 करोड़ था, जो कुल हानि का 91 प्रतिशत है। राज्य के आर्थिक विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए और इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बिजली क्षेत्र की कंपनियाँ सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान पर काम करती हैं।

तालिका 5.17: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश जिन्हें 2022-23 में घाटा हुआ है

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कंपनियों/निगम का नाम	प्रदत्त पूंजी				दीर्घकालिक ऋण				कर के बाद शुद्ध लाभ
		म.प्र. शा.	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र.शा.	भारत सरकार	अन्य	योग	
<b>सरकारी कंपनियाँ</b>										
1	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0	0	6,133.01	6,133.01	9,237.63	0	1,903.83	11,141.46	-617.84
2	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	36	0	5,785.83	5,821.83	7,976.62	0	1,492.86	9,469.48	-903.88
3	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0	0	6,072.7	6,072.7	8,022.65	0	3,891.47	11,914.12	-257.54
4	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	0	0	35	35	0	0	218.47	218.47	-12.69
5	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	13.40	13.40	0	0	0	0	-0.53

<sup>69</sup> निवल मूल्य = प्रदत्त पूंजी + मुक्त कोष व आधिक्य - (संचित हानि + अस्थगित राजस्व व्यय)।

<sup>70</sup> मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

स. क्र.	कंपनियों/निगम का नाम	प्रदत्त पूंजी				दीर्घकालिक ऋण				कर के बाद शुद्ध लाभ
		म.प्र. शा.	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र.शा.	भारत सरकार	अन्य	योग	
6	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	1.60	1.60	0	0	4.00	4.00	-3.74
7	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	0	0	112.86	112.86	0	0	260.54	260.54	-76.39
8	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	100	0	0	100	0	0	0	0	-0.28
9	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.80	0	0	0.80	2,581.72	0	50.39	2,632.11	-14.85
10	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	0	0	10	0	0	1,188.82	1,188.82	-3.41
	<b>योग</b>	<b>146.80</b>	<b>0</b>	<b>18,154.40</b>	<b>18,301.20</b>	<b>27,818.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9,010.38</b>	<b>36,829.00</b>	<b>-1,891.15</b>
<b>सांविधिक निगम</b>										
11	मध्य प्रदेश वित्त निगम	383.70	0	22.40	406.10	115.76	0.00	241.64	357.40	-49.30
	<b>योग</b>	<b>383.70</b>	<b>0</b>	<b>22.40</b>	<b>406.10</b>	<b>115.76</b>	<b>0.00</b>	<b>241.64</b>	<b>357.40</b>	<b>-49.30</b>
<b>सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां</b>										
12	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	200	200	0	0	0	0	-0.05
	<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0.05</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>530.50</b>	<b>0</b>	<b>18,376.80</b>	<b>18,907.30</b>	<b>27,934.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,252.02</b>	<b>37,186.40</b>	<b>-1,940.50</b>

स्रोत: 30 सितंबर 2023 को प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरणों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित

31 मार्च 2023 तक घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों में कुल निवेश ₹56,093.70 करोड़ था जिसमें 33.71 प्रतिशत अंशपूंजी और 66.29 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण था। कुल निवेश में से, राज्य शासन का निवेश और दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹28,464.88 करोड़ है। हालांकि, अन्य स्रोतों से ₹27,628.82 करोड़ का निवेश मिला है।

### 5.10.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी का क्षरण

निवल मूल्य से आशय है प्रदत्त पूंजी और मुक्त कोष व आधिक्य का योग जिसमें से संचित हानि और अस्थगित राजस्व व्यय को घटा दिया गया है। वास्तव में यह किसी इकाई के स्वामी के लिए उस इकाई का मूल्य मापने की एक माप है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किया गया पूरा निवेश, संचित घाटे और अस्थगित राजस्व व्यय से समाप्त हो चुका है।

31 मार्च 2023 को, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से, ₹63,830.51 करोड़ की संचित हानियों के साथ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 14 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रमों में 2022-23 के दौरान ₹1,876.07 करोड़ की हानि हुई और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पाँच उपक्रमों में हानि नहीं हुई, यद्यपि उन्होंने अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय लेखों के अनुसार ₹3,035.74 करोड़ की संचित हानि की थी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों में से छः का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक था। 31 मार्च 2023 को अंश पूंजी निवेश (-)₹42,410.39 करोड़ के विरुद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों की कुल संपत्ति (-)₹18,177.00



करोड़ थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों में, जिनकी पूंजी नष्ट हो गयी थी, 31 मार्च 2023 को राज्य शासन की बकाया ऋण राशि ₹25,236.90 करोड़ थी।

**तालिका 5.18: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनकी पूंजी नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार नष्ट हो गयी**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखों का वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि	संचित हानि	निवल मूल्य	लेखांकन अवधि के बाद से निवल मूल्य में गिरावट आई है	31 मार्च 2023 को राज्य शासन की अंश पूंजी	31 मार्च 2023 को राज्य शासन की बकाया ऋण राशि
1	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	6,072.70	-257.54	-24,854.81	-18,712.96	2007-08	0.00	8,022.65
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	6,133.01	-617.84	-22,621.39	-16,378.34	2007-08	0.00	9,237.63
3	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2022-23	5,821.83	-903.88	-13,107.28	-7,285.45	2007-08	36.00	7,976.62
4	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2021-22	112.86	-76.39	-125.12	-12.26	2021-22	0.00	0.00
5	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2021-22	35.00	-12.69	-53.79	-18.79	2020-21	0.00	0.00
6	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1.60	-3.74	-4.19	-2.59	2020-21	0.00	0.00
<b>योग</b>			<b>18,177.00</b>	<b>-1,872.08</b>	<b>-60,766.58</b>	<b>-42,410.39</b>		<b>36.00</b>	<b>25,236.90</b>

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों का निवल मूल्य संचित घाटे से पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। सार्वजनिक क्षेत्र के इन छः उपक्रमों का निवल मूल्य एक वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की अवधि के लिए नकारात्मक रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन छः उपक्रमों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत संचालन से राजस्व, मध्य प्रदेश शासन से सब्सिडी<sup>71</sup> से राजस्व और अन्य विविध प्राप्तियां थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन छः उपक्रमों में से, विद्युत क्षेत्र के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की निवल मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इन तीन डिस्कॉम के राजस्व और व्यय को बनाने वाले प्रमुख मापदंडों के विश्लेषण पर, यह देखा गया है कि बिजली खरीद, ट्रांसमिशन लागत, कर्मचारी लाभ व्यय और वित्त लागत के लिए प्रमुख व्यय किए गए हैं। जबकि प्राप्तियों वाले हिस्से में बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व और राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी शामिल है। यह भी देखा गया है कि बिजली की बिक्री से अर्जित राजस्व बिजली खरीद लागत और ट्रांसमिशन शुल्क के प्राथमिक खर्चों को पूरी तरह से कम नहीं करता। इसलिए, अन्य प्रमुख खर्चों जैसे ईबीई, वित्तीय लागत और अन्य खर्चों के लिए, राज्य शासन से सब्सिडी/अनुदान कम पड़ जाता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिजली की बिक्री और राज्य शासन से मिलने वाली सब्सिडी डिस्कॉम के बढ़ते प्रशासनिक खर्चों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है और

<sup>71</sup> 1. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, 2. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और 3. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

इसलिए संचित घाटा साल-दर-साल बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य में गिरावट आ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेष तीन उपक्रमों में क्षरण कम महत्वपूर्ण है।

## 5.11 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका

### 5.11.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनी (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक अन्य बातों के अलावा, कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिवस के अंदर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश वित्तीय निगम के संबंध में सनदी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (क) के प्रावधान ऐसे नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार एक सरकारी कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, के प्रकरण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

### 5.11.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक करते हैं। अधिनियम की धारा 139 (5) प्रावधान करती है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। अधिनियम की धारा 139(7) प्रावधान करती है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम लेखापरीक्षक कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है और यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो कंपनी का निदेशक मण्डल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होती है।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अक्टूबर 2023 के दौरान की गयी थी, सिवाय उन कंपनियों (मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड) के जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में पहली बार वर्ष 2022-23 में आयी।

## 5.12 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

### 5.12.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन इसकी वार्षिक आम सभा के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना है और जितनी जल्दी हो सके ऐसी तैयारी के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा उस पर या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक पर की गयी टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जाता है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह व्यवस्था राज्य की संचित निधि में से कंपनियों और निगमों में किए गए निवेश के सार्वजनिक उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

### 5.12.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिये प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक आम सभा आयोजित करना आवश्यक है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगले की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक नहीं बीतेंगे। इसके अलावा उक्त धारा प्रावधान करती है कि प्रथम वार्षिक आम सभा के मामले में, कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तारीख से नौ माह की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित की जायेगी। तदनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 30 सितम्बर 2023 तक वार्षिक आम सभा को आयोजित करने की आवश्यकता थी।

आगे, अधिनियम की धारा 129 निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए उक्त वार्षिक आम सभा में रखा जाना होगा। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7), अधिनियम की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड के आरोपण का भी प्रावधान करती है।

31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में 61 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियां और तीन सांविधिक निगम थे।

73 कंपनियों/निगमों में से, 66 कंपनियों/निगमों (54 सरकारी कंपनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियाँ तथा तीन निगम) के लेखें विभिन्न कारणों<sup>72</sup> से बकाया थे। आगे, निर्धारित समय के भीतर (30 सितंबर 2023 के पहले) सात सरकारी कंपनियाँ<sup>73</sup> द्वारा अपने लेखे (वर्ष 2022-23) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किए गए जबकि एक कंपनी हाल ही में शामिल की गयी हैं। बकाया लेखों की स्थिति तालिका 5.19 में दी गयी है:

<sup>72</sup> बकाया लेखों के कारणों में वार्षिक आम सभा और निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन न करना, मानव शक्ति की कमी (विशेष रूप से अक्रियाशील कंपनियों में) इत्यादि शामिल है।

<sup>73</sup> मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड, मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (नया), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड, एवं मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है।

तालिका 5.19: बकाया लेखों की स्थिति

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
31 मार्च 2023 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के दायरे के अंतर्गत कुल कंपनियों की संख्या	61	09	03	73
30 सितंबर 2023 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए लेखा (2022-23) प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	07	00	00	07

54 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों के बकाया लेखों का ब्यौरा नीचे तालिका 5.20 में वर्णित है:

तालिका 5.20: बकाया लेखों का ब्यौरा

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम								
	सरकारी कंपनियों के लेखे		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखे		सांविधिक निगमों के लेखे		कुल		
	सा.उ. की संख्या	लेखों की संख्या	सा.उ. की संख्या	लेखों की संख्या	सा.उ. की संख्या	लेखों की संख्या	सा.उ. की संख्या	लेखों की संख्या	
बकाया लेखों की संख्या	54	231	09	10	03	17	66	258	
बकाया की सीमा	33 वर्षों तक		02 वर्ष तक		15 वर्षों तक				
बकाया का ब्यौरा	(i) परिसमापन के अधीन		--	--	--	--	04	76	
	(ii) गैर-कार्यकारी		--	--	01	15	11	44	
	(iii) अप्रस्तुत प्रथम लेखा		05	26	01	01	--	06	27
	(iv) अन्य		35	100	08	09	02	02	45

### 5.13 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निगरानी- लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा

#### 5.13.1 वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची-तीन में निर्धारित प्रारूप में और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। सूचीबद्ध कंपनियों और कंपनियाँ जिनका निवल मूल्य ₹250 करोड़ से ज्यादा है उन्हें भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अलावा उक्त कंपनियों की मूल, सहायक, सहयोजित तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त के दायरे में नहीं आने वाली कंपनियाँ लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेंगी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रम भारतीय लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं जबकि शेष अपने लेखे लेखा मानकों के अनुसार तैयार करते हैं।

सांविधिक निगमों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान में अपने लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है।

### 5.13.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि छः कंपनियों ने अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का पालन नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में वर्णित है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एक अनुपूरक लेखापरीक्षा के द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

## 5.14 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम

### 5.14.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023) के दौरान, 51 वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा (तालिका 5.21) के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 44 पिछले वर्षों से संबंधित है। वित्तीय विवरणों के प्राप्ति, समीक्षा तथा टिप्पणियां जारी किये जाने की स्थिति नीचे तालिका 5.21 में दी गई है:

तालिका 5.21: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरण के ब्योरे	वित्तीय वर्ष 2022-23				पिछले वर्षों का			
	सरकारी कंपनियां	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनियां	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त हुए	07	--	--	07	36	07	01	44
समीक्षा नहीं की गयी	03	--	--	03	09	--	--	09
समीक्षा की गयी	04	--	--	04	27	07	01	35
लेखापरीक्षा प्रगति पर है*	--	--	--	--	07	03	--	10
निरंक टिप्पणी जारी की गयी	01	--	--	01	05	--	--	05
टिप्पणियां जारी की गयी	03	--	--	03	15	04	01	20

\*30 सितम्बर 20230 तक

प्राप्त 51 वित्तीय विवरणों में से, 39 वित्तीय विवरणों की समीक्षा हुई थी एवं अन्य 12 वित्तीय विवरणों के संबंध में गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। आगे, जिन 39 वित्तीय विवरणों की समीक्षा हुई थी, उनमें से 23 वित्तीय विवरणों (परिशिष्ट 5.5) के संबंध में टिप्पणियां जारी की गईं, जबकि छः वित्तीय विवरणों के लिए निरंक टिप्पणियां जारी की गईं

#### 5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के अनुपूरक के रूप में जारी की गयी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात्, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिवेदन अवधि (अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023) के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

#### लाभ प्रदता पर टिप्पणी

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 2018-19	<p>अन्य आय (₹2,530.66 लाख) में लीज रेंट से प्राप्त ₹1,123.01 लाख की राशि शामिल है, जिसमें 2018-19 के दौरान, पर्यटन नीति 2016 के अनुसार निजी पार्टी को पट्टे पर दी गई सरकारी संपत्तियों पर लाइसेंस फीस (लीज प्रीमियम) और लीज रेंट (वार्षिक लाइसेंस फीस) के लिए क्रमशः ₹1,055.81 लाख और ₹33.01 लाख राशि भी शामिल है।</p> <p>पर्यटन नीति 2016 (नीति) के खंड 9.1 और 9.2 के अनुसार, "पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, निजी निवेश के माध्यम से सरकारी भूमि/विरासत संपत्तियों को निःशुल्क पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया जाना चाहिये और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (निगम) को पर्यटन विभाग की ओर से ऐसी भूमि/विरासत संपत्तियों के निपटान के लिए अधिकृत किया जाना चाहिये।"</p> <p>इसके अलावा, नीति के खंड 9.8 के अनुसार, "पट्टे पर दी गई भूमि और वार्षिक पट्टा किराए के विरुद्ध प्राप्त बोली राशि को एक अलग शीर्षक 'सरकारी भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास' के तहत सरकार से प्राप्त राशि के रूप में निगम के पास रखा जाना चाहिये। निगम इस पैसे को पर्यटन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि के सर्वेक्षण, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, बिजली-सड़क-पानी की आपूर्ति, क्षेत्र नियोजन, क्षेत्र विकास, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च कर सकता है। निगम ने 22/09/2018 तक कुल नौ इकाइयों को पट्टे पर दिये थे।</p> <p>पर्यटन नीति 2016 के अनुसार, 2018-19 के दौरान, निगम को सरकारी संपत्तियों पर निजी पार्टी को प्रदान पट्टे में से लाइसेंस शुल्क (लीज प्रीमियम) और लीज रेंट (वार्षिक लाइसेंस शुल्क) के रूप में क्रमशः ₹1,055.81 लाख और ₹33.01 लाख प्राप्त हुए और पर्यटन नीति के खंड 9.8 के उल्लंघन में नोट-18 (ए) - अन्य आय के तहत, उक्त को लीज रेंट से अपनी आय के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप नोट-18 (ए)-अन्य आय को अधिक बताया गया, नोट-5-अन्य दीर्घकालिक देनदारियों को कम बताया गया और परिणामस्वरूप लाभ को ₹1,088.82 लाख से अधिक बताया गया।</p> <p>2. कर्मचारी लाभ व्यय (₹6,438.58 लाख) में अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 की अवधि से संबंधित निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया की भुगतान राशि</p>

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		<p>₹185.70 लाख शामिल नहीं है, जिसका भुगतान जून 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान किया गया था।</p> <p>चूंकि, 2018-19 के लिए, बोर्ड द्वारा दिनांक 01/03/2023 को कंपनी के वित्तीय विवरण को अनुमोदित किया गया था, इसलिए निगम को इस संबंधित राशि के लिए देनदारियां प्रदान करके वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण में विषय प्रमुख के तहत व्यय के रूप में दर्ज करना चाहिए था।</p> <p>'कर्मचारी लाभ व्यय' शीर्ष के तहत व्यय के रूप में इसकी पुस्तांकित न करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय (नोट-21), वर्तमान देनदारियों को कम बताया गया है और ₹185.70 लाख तक लाभ को अधिक बताया गया है।</p> <p>3. अन्य व्यय (₹1,144.00 लाख) उपरोक्त में वर्ष 2018-19 से अर्बन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देय बिलों और अभिषेक जुल्का के संबंधित परामर्श शुल्क के संबंध में (बिल दिनांक 22/03/2019 एवं 08/03/2019) ₹183.18 लाख की राशि शामिल नहीं है, जिनका भुगतान 2019-20 के दौरान किया गया था। लेखा मानक 29 की कंडिका 10.2 के अनुसार, देनदारी पहले की घटनाओं से उत्पन्न इकाई का एक वर्तमान दायित्व है, जिसके निपटान के परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ वाले संसाधनों की इकाई से बहिर्वाह होने की उम्मीद है। वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण में उपरोक्त व्यय को 'अन्य व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दर्ज न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम बताया गया (नोट-22), व्यापार देय को कम बताया गया (नोट-7) और परिणामस्वरूप ₹183.18 लाख का लाभ अधिक बताया गया।</p>
2	<p>मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड</p> <p>2018-19</p>	<p>1. परिचालन से राजस्व (₹23,976.61 करोड़) में दो योजनाओं के तहत गेहूं पर जारी मूल्य अंतर/सब्सिडी के ₹9.82 करोड़ आवंटित मात्रा से अधिक शामिल हैं। डीसीपी स्टॉक से आवंटित मात्रा के बजाय वितरित मात्रा पर सब्सिडी बुक की गई थी। चूंकि भारत सरकार डीसीपी स्टॉक पर दावे को केवल खाद्यान्न की आवंटित मात्रा की सीमा तक सीमित करती है, आवंटित मात्रा से अधिक जारी मात्रा के लिए ₹9.82 करोड़ के मूल्य अंतर/सब्सिडी का पुस्तांकन नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व और भारत सरकार से वसूली योग्य राशि को ₹9.82 करोड़ से अधिक बताया गया (नोट -15) और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ को भी अधिक बताया गया है।</p> <p>उपरोक्त में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (एमपी मार्कफेड) से बकाया राशि ₹195.06 करोड़ (गनी बैग के लिए ₹181.96 करोड़ और उस पर परिवहन व्यय के लिए ₹13.10 करोड़) पर ब्याज के ₹16.91 करोड़ शामिल हैं, जो मप्र मार्कफेड से रबी विपणन सीजन 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के संबंध में नेफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) के लिए पीएसएस योजना (जून 2018 से मार्च 2019) के तहत वसूली योग्य है। अनुबंध के अंतर्गत, कंपनी मार्कफेड के लिए भी बारदानों की व्यवस्था करेगी और इसके लिए कंपनी द्वारा नेफेड को दावा भी प्रस्तुत किया जाएगा और मध्य प्रदेश मार्कफेड और कंपनी द्वारा एक संयुक्त पत्र नेफेड को 04/05/2019 को जारी किया गया था। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश मार्कफेड ने नेफेड से अपना खर्च वसूल किया परंतु उसे कंपनी को नहीं प्रेषित किया। चूंकि बकाया राशि पर ब्याज लगाने के लिए कंपनी और एमपी मार्कफेड के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश मार्कफेड से ब्याज की वसूली हो पाना संदिग्ध है। मध्य प्रदेश मार्कफेड के ब्याज के संदिग्ध दावे के लेखांकन के परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' को अधिक बताया गया, 'व्यापार प्राप्य' को ₹16.91 करोड़ से अधिक बताया गया और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया है।</p> <p>2. वित्त लागत (₹1,697.62 करोड़) में अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए कार्यशील पूंजी मांग ऋण पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देय ब्याज के ₹5.00 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार,</p>

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		बीओआई ने 21/03/19 से 19/04/19 की अवधि के लिए कंपनी पर ₹13.64 करोड़ का ब्याज लगाया था। जिसमें से ₹5.00 करोड़ का ब्याज वित्तीय वर्ष 2018-19 (21/3/2019 से 31/3/2019 तक) से संबंधित था जिसे 'वित्त लागत' के तहत व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था और खातों में उसके लिए देयता भी प्रदान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वित्त लागत (नोट-27) को कम बताया गया और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान (नोट संख्या 11) ₹5.00 करोड़ कम बताई गयी और तदानुसार, उसी सीमा तक लाभ भी अधिक बताया गया।
3	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, अन्य व्यय (₹217.30 करोड़) में बिजली की आपूर्ति के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान उठाए गए पूरक बिलों की राशि ₹3.90 करोड़ शामिल नहीं है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने से पहले बिल प्राप्त किए गए थे, इसलिए उन्हें वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के खातों में शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इसका आंकलन न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारी के साथ-साथ ₹3.90 करोड़ की सीमा तक व्यय को कम बताया गया है।
4	प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 2019-20	<p>1. मध्य प्रदेश शासन की ओर से कंपनी विभिन्न संपत्तियों का रखरखाव करती है, जिनमें से तीन संपत्तियां कंपनी से संबंधित हैं। इसलिए, इन तीन संपत्तियों पर अर्जित आय को लाभ और हानि खाते के विवरण में आय के रूप में दिखाया जाना चाहिये। कंपनी की इन तीन संपत्तियों से संबंधित आय का लेखा न करने के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष की आय को ₹4.65 लाख से कम बताया गया, पूर्व अवधि की आय को ₹412.03 लाख से कम बताया गया, और चालू वर्ष के घाटे को ₹416.68 लाख से अधिक बताया गया है।</p> <p>2. मध्य प्रदेश शासन की ओर से, कंपनी विभिन्न संपत्तियों का रखरखाव करती है, जिनमें से तीन संपत्तियां कंपनी से संबंधित हैं। इसलिए, उपरोक्त तीन संपत्तियों पर किए गए व्यय को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए। कंपनी की इन तीन संपत्तियों से संबंधित खर्चों का चार्ज न लेने के परिणामस्वरूप, पूर्व अवधि के खर्च और चालू वर्ष के घाटे दोनों को ₹4.41 करोड़ कम बताया गया।</p> <p>3. मध्य प्रदेश शासन की ओर से, कंपनी विभिन्न संपत्तियों का रखरखाव करती है, जिनमें से तीन संपत्तियां कंपनी से संबंधित हैं। कंपनी ने पिछले वर्षों में इन तीन संपत्तियों की आय को मध्य प्रदेश शासन के नियंत्रण खाते में दर्ज किया था और इन संपत्तियों पर प्राप्त किराये पर कमीशन को कंपनी की आय के रूप में दर्ज किया गया था। पिछले वर्षों में बुक की गई कंपनी की संपत्तियों के कमीशन से होने वाली आय को पूर्व अवधि के समायोजन के माध्यम से वापस कर दिया जाना चाहिए था। इन तीन संपत्तियों पर कमीशन वापस न करने के परिणामस्वरूप पूर्व अवधि के खर्चों को कम दिखाया गया और आरक्षित और अधिशेष (नोट-3) को ₹12.24 लाख की सीमा तक अधिक बताया गया है।</p> <p>4. अन्य खर्च में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को कोलाबा और मांडलिक रोड मुंबई में पट्टे पर दी गई संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली ₹19.28 करोड़ की राशि है। 1990 के पूर्व पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने (सितंबर 2018) ₹85.57 करोड़ की मांग उठाई, जिसमें ₹19.28 करोड़ की किराये की राशि और ₹66.29 करोड़ की जुर्माना और ब्याज राशि शामिल है। कंपनी द्वारा ₹19.28 करोड़ की देनदारी स्वीकार की गई है। हालांकि, इसकी प्रवृष्टि लेखों में नहीं की गयी है। इस प्रकार, इसको लेखांकित न करने के परिणामस्वरूप खर्चों को कम दिखाया गया है, व्यय के प्रावधान को ₹19.28 करोड़ से कम बताया गया है और परिणामस्वरूप कंपनी के घाटे को उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया।</p>



स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
5	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित 2020-21	<p>1. कंपनी ने लेखांकन वर्ष 2020-21 से संबंधित विभिन्न व्यय के लिए ज्ञात देनदारी के ₹0.20 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को कम करके बताया गया है और अल्पकालिक प्रावधान को ₹0.20 करोड़ से कम दिखाया गया है और उसी सीमा तक नुकसान को भी कम दिखाया गया है।</p> <p>2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर देनदारी का भुगतान जनवरी 2020 से सितंबर 2021 के दौरान किया है। हालांकि, इस संबंध में, जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने जीएसटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए ₹0.23 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दिखाया गया है और अल्पकालिक प्रावधान को ₹0.23 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी कम बताया गया है।</p> <p>3. कर्मचारी लाभ व्यय (₹6.59 करोड़) में 7वें वेतन आयोग के वेतन बकाया की किस्त ₹0.06 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गयी है। यह खर्च, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र के अनुसार, वर्ष 2020-21 से संबंधित है। हालांकि ₹0.06 करोड़ की राशि का भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया है, इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दिखाया गया है और अल्पकालिक प्रावधान को ₹0.06 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी कम बताया गया है।</p> <p>4. पूर्व अवधि समायोजन (₹0.53 करोड़) में 7वें वेतन आयोग के वेतन बकाया की किस्त ₹0.18 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है, लेकिन इसका भुगतान और लेखांकन वर्ष 2020-21 में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय को अधिक बताया गया है और पूर्व अवधि के खर्चों को ₹0.18 करोड़ कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ को उसी सीमा तक कम करके आंका गया है।</p>
6	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित 2021-22	<p>प्रगति में पूंजीगत कार्य (₹31.41 करोड़) में जीडब्ल्यूएसएस बनेधा योजना (ग्रामीण जल आपूर्ति योजना) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी पर कंपनी द्वारा किया गया व्यय ₹21.26 लाख शामिल है। योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। चूंकि, योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित हो गयी है और कंपनी द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कोई उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के बजाय लाभ और हानि खाते में करनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया और ₹21.26 लाख की हानि को कम दिखाया गया।</p>
7	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल 2021-22	<p>2021-22 के दौरान, वित्त लागत (₹1,219.91 करोड़) में एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों और प्रस्तुत किए गए बिलों के लिए ₹5.30 करोड़<sup>74</sup> शामिल नहीं हैं। उपरोक्त को वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगतिरत के तहत शामिल किया गया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत काम पूरा करके बंद कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹5.30 करोड़ से अधिक बताया गया, वित्त लागत को कम बताया गया और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को कम बताया गया।</p>

<sup>74</sup> एकीकृत विद्युत विकास योजना योजना- ₹2.46 करोड़ और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना - ₹2.84 करोड़।

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
8	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर 2021-22	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के माध्यम से बिजली खरीद लागत को (₹9,386.03 करोड़) कम कर दिया था। आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ 08 जुलाई 2021 से लागू था। हालाँकि, कंपनी ने 1 जुलाई 2021 से कम बिजली खरीद लागत की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप बिजली खरीद खर्चों में और वर्तमान देनदारियों में ₹17.18 करोड़ की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान भी हुआ।
9	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड 2021-22	विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के संबंध में मेसर्स स्विफ्ट इंटरमीडिया कन्वर्जेंस प्राइवेट लिमिटेड से व्यापार प्राप्य में ₹116.71 लाख का प्राप्य शामिल हैं। चूंकि, जून 2022 में अनुबंध समाप्त कर दिया गया था और जमा राशि जब्त कर ली गई थी, इसलिए बकाया राशि की वसूली की संभावना संदिग्ध लगती है। अतः इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य (नोट-10) को अधिक बताया गया है और अन्य व्यय (नोट-30) को ₹116.71 लाख से कम बताया गया है।
10	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड 2021-22	अन्य व्यय ₹745.28 लाख) में जनवरी से मार्च, 2022 की अवधि से संबंधित विभिन्न एजेंसियों को देय बिलों की ₹5.35 लाख की राशि शामिल नहीं है, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान नहीं किया गया है। इस व्यय के लिए देनदारी का सृजन न होने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय (नोट-17) और अल्पकालिक प्रावधान (नोट-13) को ₹5.35 लाख से कम बताया गया है।
11	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड 2021-22	कंपनी ने देय गारंटी शुल्क (प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत की दर से) के लिए ₹822.87 लाख की गारंटी शुल्क (वर्ष 2021-22 के लिए ₹576.21 लाख और वर्ष 2020-21 के लिए ₹246.66 लाख) का व्यय दर्ज किया जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने कंपनी द्वारा लिए गए क्रमशः ₹978.60 करोड़ और ₹287.77 करोड़ की ऋण राशि के लिए नाबार्ड को गारंटी प्रदान की।  भारतीय लेखा मानक-23 "उधार लागत" के पैरा 5 के अनुसार उधार लेने की लागत व्याज और अन्य लागतें जो एक इकाई, धन उधार लेने के संबंध में उठाती है, उसे उधार लागत कहते हैं। इसके अलावा, इस मानक के पैरा -8 के अनुसार एक इकाई, उस उधार लेने की लागत का पूंजीकरण करेगी जो सीधे उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में एक योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। चूंकि मध्य प्रदेश शासन को देय गारंटी शुल्क का व्यय, उधार लेने की लागत का एक हिस्सा था और उस संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में अर्हक संपत्ति के निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था, इसके बजाय इसे कंपनी के लेखों में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था सिवाये इसे राजस्व व्यय के रूप में मानने के। इसके परिणामस्वरूप व्यय (नोट-2.20) को ₹822.87 लाख (गारंटी शुल्क ₹576.21 लाख और पूर्व अवधि के खर्चों को ₹246.66 लाख से) अधिक बताया गया है, "गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों" के तहत "प्रगति में पूंजीगत कार्य" को कम बताया गया है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ को उसी सीमा तक कम करके बताया गया है।
12	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 2021-22	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क आदेश के माध्यम से बिजली खरीद लागत को संशोधित किया। आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ 8 जुलाई 2021 से लागू था। हालाँकि, कंपनी ने 1 जुलाई 2021 से अपनी सभी सहायक डिस्कोम के लिए संशोधित बिजली खरीद लागत का हिसाब लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की बिक्री का हिसाब ₹63.12 करोड़ (मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ₹37.28 करोड़, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		₹43.02 करोड़ और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, (–) ₹17.18 करोड़) से अधिक हो गया और संबंधित व्यापार प्राप्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, साथ ही परिणामी हानि को उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया है।
13	मध्य प्रदेश पावर जनरेंटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर 2021-22	उत्पादन की अन्य लागत (₹202.11 करोड़) में राजस्थान राज्य के साथ 2005-06 के अंतर-राज्यीय जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उचित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बकाया राशि ₹16.51 करोड़ शामिल नहीं है। चूंकि पुनर्गठन के बाद, जल विद्युत परियोजनाएं कंपनी की संपत्ति बन गईं, इसलिए, इस दावे के विरुद्ध ₹16.51 करोड़ की देनदारी प्रदान की जानी चाहिए थी। इस गलत गणना के परिणामस्वरूप उत्पादन की अन्य लागत को कम बताया गया और वर्ष के लाभ को ₹16.51 करोड़ से अधिक बताया गया।
14	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन 2021-22	<p>1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, आरसीसी संरचना के अलावा अन्य भवनों का उपयोगी जीवन 30 वर्ष माना जाता है और 9.5 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास भारित किया जाता है। हालांकि, निगम ने आरसीसी फ्रेम संरचना के अलावा गोदाम के उपयोगी जीवन को 60 वर्ष माना और 4.87 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास लगाया। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास को ₹15.60 करोड़ से कम और लाभ को अधिक बताया गया है।</p> <p>2. भंडारण हेतु, निगम आवश्यकतानुसार पक्का सीएपी (कवर्ड एवं प्लिंथ एरिया) का निर्माण करता है। पक्का सीएपी संरचना का जीवन काल पांच वर्ष माना गया था और यही जीवन काल केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा भी अपनाया गया है। हालांकि, निगम ने पांच साल के जीवन पर विचार करते हुए प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से ₹9.16 करोड़ का मूल्यह्रास वसूलने के बजाय अपनी चालू वर्ष की आय से 59 पक्का सीएपी के निर्माण पर किए गए ₹74.96 करोड़ के व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया था। इसके परिणामस्वरूप बट्टे खाते में डाले गए खर्चों को ₹65.80 करोड़ (₹74.96 करोड़-₹9.16 करोड़) से अधिक बताया गया है और लाभ को उसी सीमा तक कम बताया गया है।</p> <p>उपरोक्त में 16 अधूरे सीएपी निर्माण कार्य शामिल हैं जिन पर चालू वर्ष के दौरान ₹20.96 करोड़ खर्च किए गए थे। निगम ने इस व्यय को भी कार्य प्रगति पर मानने के बजाय अपनी वर्तमान आय से बट्टे खाते में डाल दिया है। अपूर्ण कार्यों पर होने वाले व्यय को लेखांकन हेतु आगामी वित्तीय वर्षों में ले जाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, खर्चों को अधिक बताया गया और लाभ को कम दिखाया गया तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹20.96 करोड़ से कम दिखाया गया।</p> <p>निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 16 मार्च 2018 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अपनाई। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 2019-20 से 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर उपरोक्त अवधि के लिए आवश्यक ₹9.99 करोड़ के बजाय ₹2.35 करोड़ खर्च किए। इस प्रकार, निगम ने न तो पर्याप्त व्यय किया और न ही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए प्रावधान बनाये। इसके परिणामस्वरूप लाभ को ₹7.63 करोड़ से अधिक बताया गया है, जबकि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए प्रावधान को ₹7.63 करोड़ से कम बताया गया है।</p>
15	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	1. अन्य आय (₹601.53 करोड़) में सरकारी अनुदान और उपभोक्ता योगदान के विरुद्ध क्रमशः ₹61.57 करोड़ और ₹27.09 करोड़ की परिशोधन राशि शामिल है। अनुदान/उपभोक्ता योगदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की दर को 2022-23 में 5.28 प्रतिशत से संशोधित कर 4.30 प्रतिशत कर दिया गया था। हालांकि, कंपनी ने लेखों पर टिप्पणी के पैरा 2.10 (सरकारी अनुदान) में बताई गई नीति के अनुरूप, मूल्यह्रास की वर्तमान दर के

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
	लिमिटेड, इंदौर 2022-23	<p>साथ परिशोधन की प्रतिशत दर का मिलान नहीं किया। इसके कारण, कंपनी ने सरकारी अनुदान और उपभोक्ता योगदान के विरुद्ध क्रमशः ₹12.87 करोड़ और ₹5.16 करोड़ का अतिरिक्त परिशोधन किया। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-परिचालन आय को अधिक बताया गया है और देनदारियों के तहत आस्थगित आय को ₹18.03 करोड़ से कम बताया गया है, जिससे वर्ष के लिए उसी सीमा तक हानि को अधिक बताया गया है।</p> <p>2. कर्मचारियों को टर्मिनल लाभ के कारण देनदारियों को रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन करवाती है। भारतीय लेखा मानक-19 में प्रावधान है कि शुद्ध देनदारियों के पुनर्मापन को 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता दी जानी है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-19 का उल्लंघन करते हुए, वर्ष 2022-23 के व्यय के विरुद्ध अवकाश नकदीकरण ₹36.85 करोड़ के संबंध में पुनर्मापन लाभ को समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप 'अर्जित अवकाश नकदीकरण' के खर्च के साथ-साथ अन्य व्यापक आय को ₹36.85 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को भी कम बताया गया है।</p>

### वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
1	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड 2018-19	<p>1. 31 मार्च 2019 से पहले, व्यापार देय (₹5.80 करोड़) में, ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्यों और जारी किए गए बिलों में ₹50.62 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जबकि भुगतान अप्रैल 2019 में किया गया था। हालांकि, कंपनी ने निष्पादित कार्य, जो वर्ष 2018-19 से संबंधित है, के लिए लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों (व्यापार देय - नोट 13) को कम बताया गया है और अन्य वर्तमान देनदारियों को नोट 15 (मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त परियोजना निधि का शेष) को ₹50.62 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p> <p>2. व्यापार देय (₹5.80 करोड़) में निष्पादित कार्यों की ₹31.22 करोड़ की राशि (जिस पर ₹1.87 का पर्यवेक्षण शुल्क भी लगता है) और 31 मार्च 2019 से पहले ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए बिल शामिल नहीं हैं, जबकि इसका भुगतान अप्रैल 2019 में किया गया था। हालांकि, कंपनी ने लेखा पुस्तकों में निष्पादित कार्यों, जो कि वर्ष 2018-19 से संबंधित है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों (व्यापार देय - नोट 13) को कम बताया गया है और अन्य वर्तमान देनदारियों को नोट 15 (मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त परियोजना निधि का शेष) को ₹31.22 करोड़ से अधिक बताया गया है। इसके अलावा, निष्पादित कार्यों के पर्यवेक्षण शुल्क का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण, वर्ष के लिए संचालन और लाभ से राजस्व में ₹1.87 करोड़ की कमी आयी।</p>
2	प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 2019-20	<p>1. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट 2 के अनुसार, प्रत्येक 1,000 के 4,966 इक्विटी शेयरों की जारी शेयर पूंजी में से, मध्य प्रदेश शासन की शेयर धारिता 3,645 शेयर थी और नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ की 1,281 शेयर थी लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का हिस्सा हस्तांतरित नहीं किया गया है। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने छत्तीसगढ़ शासन को लाभांश ₹247.40 लाख और शेयर पूंजी राशि ₹12.81 लाख जारी करने हेतु अपनी स्वीकृति (मार्च 2008) जारी की थी। हालांकि, कंपनी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन वर्ष 2000 में किया गया था, इसलिए 2000-01 से 2014-15 तक घोषित कुल लाभांश ₹11.28 करोड़ में से ₹2.93 करोड़ (26 प्रतिशत) का लाभांश छत्तीसगढ़ शासन को भुगतान किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, ₹12.81 लाख की शेयर वितरण राशि भी छत्तीसगढ़ शासन को हस्तांतरित की जानी चाहिए</p>

		<p>थी। उपरोक्त तथ्यों का खुलासा कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में करना था। हालाँकि, इसका खुलासा नहीं किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण उपरोक्त गैर-प्रकटीकरण की सीमा तक अपर्याप्त है।</p> <p>2. अन्य वर्तमान देनदारियों (₹72.78 लाख) में उन चार अधिकारियों के वेतन के लिए ₹43.98 लाख की देनदारी शामिल नहीं है, जो वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी में शामिल हुए थे। वर्तमान में इन अधिकारियों को वेतन का भुगतान कोष एवं लेखा विभाग द्वारा इस शर्त पर किया जा रहा है कि इसकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जायेगी। मार्च 2020 तक इन अधिकारियों को कंपनी की ओर से कोष विभाग द्वारा ₹43.98 लाख रुपये का वेतन भुगतान किया जा चुका है। हालाँकि, कंपनी ने अभी तक वेतन की प्रतिपूर्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी द्वारा लेखों में ₹43.98 लाख की देनदारी अंकित करनी चाहिए थी। हालाँकि, कंपनी ने इसे न तो व्यय के अंतर्गत दर्ज किया है और न ही लेखों में इसके लिए कोई देनदारी बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय और वर्तमान देनदारियों को ₹43.98 लाख से कम बताया गया है और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया है।</p> <p>3. आयकर रिटर्न (आकलन वर्ष 2008-09 से आगे) के अनुसार कराधान का प्रावधान (₹26,01,191), राशि से मेल नहीं खाता है। आयकर रिटर्न के अनुसार कराधान के प्रावधान का आंकड़ा ₹7.70 लाख होना चाहिए था जिससे दोनों आंकड़ों के बीच अंतर पाया गया। इसलिए, कराधान का प्रावधान ₹26.01 लाख का मिलान कंपनी द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न से किया जाना चाहिए।</p> <p>4. कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के भौतिक सत्यापन के अनुसार, 31.03.2019 (नोट 12-खाता 2018-19) को बैलेंस शीट में दिखाए गए नकद शेष के संबंध में ₹5.87 लाख की नकदी कम पाई गई। हालाँकि, चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कम पाई गई नकदी की आज तक वसूली नहीं की गई है। इसलिए, कंपनी द्वारा 31.03.2020 तक नकदी की कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। हालाँकि, कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप नकदी को अधिक बताया गया और चालू वर्ष के प्रावधानों को ₹5.87 लाख तक कम बताया गया और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया है।</p>
3	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 2020-21	<p>नोट्स टू अकाउंट्स के पैरा 22 अनुसार, वार्षिक परियोजना प्रबंधन शुल्क को संयुक्त उद्यम अर्थात् रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड से लिया जा रहा है, लेकिन वर्ष 2020-21 के लिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड बोर्ड द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण आय का आंकलन नहीं किया गया। हालाँकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड से प्राप्त होने वाले पीएमसी शुल्क का कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में लगातार आंकलन किया जा रहा था। इसलिए, कंपनी को लेखांकन के संचय आधार और सुसंगत लेखांकन नीति के आधार पर पीएमसी शुल्क के लिए प्रावधान करना चाहिए था, जिससे वित्तीय वर्ष 2020-21 में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड से ₹97.94 लाख की राशि प्राप्त होने वाली थी। इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक अग्रिमों को 97.94 लाख और अन्य आय को उसी सीमा तक कम बताया गया है।</p>
4	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड 2020-21	<p>अन्य वित्तीय देनदारियों (₹32.67 लाख) में कंपनी के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से मार्च 2018 की अवधि के लिए सातवें वेतन बकाया की तीसरी किस्त के रूप में देय ₹2.80 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित (जून 2018) किया गया था। इसलिए, खातों में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके कारणवश, अन्य वित्तीय देनदारियों को ₹2.80 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया है और उसी सीमा तक बकाया के लिए लाभ को अधिक बताया गया है।</p>
5	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित 2021-22	<p>1. अन्य वर्तमान देनदारियों (₹897.80 करोड़) में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंकों से जल जीवन मिशन निधि पर अर्जित ब्याज की ₹9.87 करोड़ की राशि शामिल है। इसे जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) के प्रावधान के अनुसार सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए था। हालाँकि, अर्जित ब्याज की राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था, बल्कि इसे जल जीवन योजना के तहत सरकार से प्राप्त धनराशि के रूप में माना गया था और</p>

		<p>अन्य वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की अन्य मौजूदा देनदारियों और नकदी और नकदी समकक्षों को ₹9.87 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p> <p>2. नकदी एवं नकदी समकक्ष (₹793.70 करोड़) की राशि में "संचालन और रखरखाव" शुल्क के लिए ₹96.86 लाख शामिल नहीं है, जो कि "बहु ग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव संग्रह" के तहत "अन्य वर्तमान देनदारियों" के तहत शुल्क लिया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने "नकद और नकद समकक्ष" से ₹96.86 लाख की राशि की कटौती समायोजन नहीं किया है और इसके बजाय राशि को "विविध ऋणदाता" के प्रमुख के तहत पुस्तांकित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप "विविध ऋणदाता" को "नकदी और नकदी समकक्ष" को ₹96.86 लाख से अधिक बताया गया।</p> <p>3. नोट-2: लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत नोट-18 (अन्य चालू देनदारियाँ) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि "कंपनी को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के लिए विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए, खनन विकास के अंतर्गत विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु, एनडीबी वित्त पोषित एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु, परियोजनाओं, योजनाओं के निर्माण हेतु कार्य भुगतान पर व्यय हेतु मध्य प्रदेश शासन से जल जीवन मिशन के अंतर्गत धन प्राप्त हुआ है।</p> <p>मध्य प्रदेश शासन की उपरोक्त धनराशि कंपनी की ओर से देय/वापसी योग्य नहीं है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है और किए गए व्यय के कारण प्राप्तियों को प्राप्त कुल निधि से समायोजित किया गया है।</p> <p>कंपनी ने अपनी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के माध्यम से विभिन्न बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग को ₹15.83 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि जमा की है। हालांकि, उपरोक्त राशि को संबंधित योजनाओं में समायोजित करने के बजाय, इसे "वर्तमान संपत्ति" के तहत "अल्पकालिक ऋण और अग्रिम" के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप "वर्तमान परिसंपत्तियों" को अधिक बताया गया है और "अन्य वर्तमान देनदारियों" को ₹15.83 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p>
6	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल 2021-22	<p>1. 31 मार्च 2022 की स्थिति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (₹8,187.33 करोड़) में, सौभाग्य और फीडर पृथक्करण योजना से संबंधित ₹310.32<sup>75</sup> करोड़ के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि सौभाग्य और फीडर पृथक्करण योजना के अंतर्गत कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 तक पूर्ण एवं बंद हो चुके थे, सम्पूर्ण लागत को वित्तीय विवरण में पूंजीगत हो जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹310.32 करोड़ से पूंजीगत कार्य प्रगति को अत्योक्त एवं संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को न्यूनोक्त बताया गया है और वर्ष के मूल्यहास को ₹16.38<sup>76</sup> करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक 2021-22 के लिए हानि को न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p> <p>2. प्रावधानों (₹2,593.23 करोड़) में, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 की स्थिति में अवकाश नकदीकरण प्रावधान के ₹313.58 करोड़ के दायित्वों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया जो कि भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के लिए नुकसान तथा कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को ₹313.58 करोड़ से न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p>
7	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	<p>1. प्रावधानों (₹2,246.99 करोड़) में, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 की स्थिति में अवकाश नकदीकरण के ₹380.17, करोड़ के दायित्वों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया जो कि भारतीय लेखा मानक</p>

<sup>75</sup> सौभाग्य योजना - ₹218.56 करोड़ और फीडर सेपरेशन योजना - ₹918.76 करोड़

<sup>76</sup> सौभाग्य योजना - ₹11.54 करोड़ और फीडर सेपरेशन योजना - ₹4.84 करोड़

	लिमिटेड, जबलपुर 2021-22	<p>19 के अनुसार आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप, ₹313.58 करोड़ की सीमा तक नुकसान तथा कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p> <p>2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (₹7,881.24 करोड़) में, सौभाग्य, फीडर पृथक्करण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण XII योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना योजना 31 मार्च 2022 से संबन्धित ₹1,337.36 करोड़<sup>77</sup> के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि सौभाग्य, फीडर पृथक्करण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण XII योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कार्य वित्तीय विवरण 2020-21 की तिथि तक पूर्ण एवं बंद हो चुके थे, सम्पूर्ण लागत को वित्तीय विवरण में पूंजीगत हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप ₹1,337.36 करोड़ से प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि को अत्योक्त और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को न्यूनोक्त बताया गया है और वर्ष 2021-22 के मूल्यहास को ₹70.60 करोड़<sup>78</sup> से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p>
8	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड 2021-22	<p>1. अन्य गैर चालू देयताएं (₹258.26 करोड़) नगर निगम उज्जैन-प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण (मरेविट्ट) के लिए ₹2.89 करोड़ की कटौती दर्शाती है। चूंकि कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना घरों के निर्माण के बजाय मरेविट्ट परियोजना के लिए महाराजबाड़ा-III में भूमि पार्सल को मंजूरी देने के लिए वर्ष 2019 में ₹2.89 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो कि उज्जैन नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक अलग परियोजना है, व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के तहत मरेविट्ट परियोजना में दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में व्यय को पुस्तांकित न करने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को न्यूनोक्त बताया गया है और अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों के तहत परियोजना अनुदान को ₹2.89 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है।</p> <p>2. व्यापार देय (₹360.61 लाख) में मै० विमल चंद जैन लिमिटेड को भीड़ प्रबंधन सिविल कार्य के लिए देय व्यय का ₹31.91 लाख (बीजक तारीख 09.11.2021) शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त व्यय के दायित्व सृजन न करने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (नोट-3) तथा व्यापार देय (नोट-11) को ₹31.91 लाख से न्यूनोक्त बताया गया है।</p>
9	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2021-22	<p>प्रावधानों (₹364.44 लाख) में मै. सुदर्शन इंजीनियरिंग वर्क्स को सिविल कार्य के बिलों के लिए दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 की समयावधि के लिए देय राशि ₹51.16 लाख को शामिल नहीं किया गया है तथा वर्ष 2021-22 के दौरान मै. आईपीई ग्लोबल को मार्च 2022 के लिए परामर्श शुल्क के लिए देय राशि ₹36.53 लाख जिसका कंपनी ने न तो भुगतान किया है न ही कोई प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों (नोट-11) को ₹87.69 लाख से न्यूनोक्त, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (नोट-2) को ₹51.16 लाख से न्यूनोक्त तथा अन्य व्यय (नोट-14) को ₹36.53 लाख से न्यूनोक्त बताया गया है।</p>
10	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 2021-22	<p>1. प्रावधानों (₹3.83 करोड़) में मै. महिंद्रा रिनूबल प्राइवेट लिमिटेड को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार (24 जनवरी 2021) देय राशि ₹172.75 करोड़ (ब्याज सहित) शामिल नहीं की गयी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार निश्चित दायित्व होने के बावजूद कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण में उपरोक्त निर्णय के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान साथ ही साथ व्ययों को ₹172.75 करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक वर्ष के नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p> <p>2. प्रावधानों (₹3.83 करोड़) में, मै महिंद्रा रिनूबल प्राइवेट लिमिटेड को, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के लागू होने से पूंजीगत लागत में वृद्धि के परिणामी राहत प्रदान करने हेतु, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2021 तथा कंपनी के</p>

<sup>77</sup> सौभाग्य - ₹598.60 करोड़, फीडर सेपरेशन- ₹307.56 करोड़, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण XII योजना - ₹258.24 करोड़, एकीकृत विद्युत विकास योजना - ₹34.85 करोड़ और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना योजना - ₹138.11 करोड़।

<sup>78</sup> सौभाग्य - ₹31.60 करोड़, फीडर सेपरेशन- ₹16.24 करोड़, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण XII योजना - ₹13.63 करोड़, एकीकृत विद्युत विकास योजना - ₹1.84 करोड़ और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना योजना- ₹7.29 करोड़।

		<p>निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन (अगस्त 2022) के अनुपालन के अनुसार देय राशि ₹45.57 करोड़ शामिल नहीं है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार निश्चित दायित्व होने के बावजूद कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण में उपरोक्त निर्णय के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान के साथ-साथ व्ययों को ₹45.57 करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक वर्ष के नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p> <p>3. प्रावधानों (₹3.83 करोड़) में, दो स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को माननीय उच्चतम न्यायालय/मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुपालन के तहत देय राशि ₹115.80 करोड़ शामिल नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय/ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार निश्चित दायित्व होने के बावजूद कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण में उपरोक्त निर्णय के तहत कोई प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रावधान के साथ ही साथ व्ययों को ₹115.80 करोड़ से न्यूनोक्त तथा उसी सीमा तक वर्ष के नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p>
11	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा कार्पोरेशन लिमिटेड 2021-22	<p>1. लागू की गई निष्पादन बैंक गारंटी के विविध देनदारों (₹2.60 करोड़) में रसीद क्रय आदेश संख्या 10281815883 दिनांक 31.03.2018 के तहत 60 MG की एनोक्सापारिन दवा की 81000 मात्रा की पूर्ति न होने से लगे दंड की राशि ₹16.03 लाख शामिल हैं। क्रय आदेश संख्या 10281815883 में 9000 मात्रा के लिए आदेश था किन्तु त्रुटिवश मात्रा 90,000 प्रविष्ट हुई और 81000 मात्रा के लिए दण्ड लगाया गया। अधिक मात्रा के क्रय आदेश को रद्द करने की प्रार्थना 09.04.2018 को की गयी थी और उसे पूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था किन्तु दण्ड राशि को समायोजित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार साथ ही साथ चालू दायित्व को ₹16.03 लाख से अत्योक्त दिखाया गया है।</p> <p>2. कंपनी को ₹215.10 लाख की राशि प्राप्त हुई जो सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज से संबंधित है। कंपनी ने इसे परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया है। ब्याज आय से संबंधित इस राशि को निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, गलत लेखांकन उपचार के परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह को अत्योक्त बताया गया, जबकि निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह को ₹215.10 लाख से न्यूनोक्त बताया गया।</p>
12	मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन 2021-22	<p>1. लेखों पर टिप्पणी (नोट संख्या 16) के अनुसार, निगम ने भंडारण शुल्क से नियमित आय को संचय के आधार पर दर्ज किया है, जबकि दर संशोधन के कारण उत्पन्न बकाया का हिसाब नकद आधार पर किया गया था, जो असंगत और विरोधाभासी है। परिणामस्वरूप, 2008-09 से 2014-15 की अवधि के लिए दर संशोधन के कारण ₹216.51 करोड़ की आय को संबंधित वर्षों में आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों का बकाया ₹216.51 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है और उसी अनुरूप रिजर्व और सरप्लस भी न्यूनोक्त बताया गया है।</p> <p>2. अन्य देनदारों (₹142.07 करोड़) में कमी और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के कारण मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और नाफेड द्वारा कटौती के लिए ₹17.68 करोड़ की राशि शामिल है। उपरोक्त राशि वसूली योग्य नहीं होने के कारण संबंधित वित्तीय वर्षों में परिचालन हानि के रूप में दर्ज की जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर, अन्य देनदारों और रिजर्व तथा अधिशेष को ₹17.68 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है।</p> <p>3. निगम ने भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 के लिए पर्यवेक्षण शुल्क (PEG योजना में) पर वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹65.42 लाख का भुगतान किया। हालाँकि, इसे भारतीय खाद्य निगम से प्राप्ति के रूप में नहीं दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारों को ₹65.42 लाख और आरक्षित एवं अधिशेष को उसी सीमा तक न्यूनोक्त बताया गया है।</p> <p>4. विविध देनदार नान (NAN) (₹10.48 करोड़) में वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए क्षतिग्रस्त स्टॉक के संबंध में बीमा कंपनियों के साथ दर्ज किए गए दावों की ₹4.35 करोड़ की राशि शामिल है, जिन्हें बीमा कंपनियों द्वारा या तो अस्वीकार कर दिया गया था या आंशिक</p>



		रूप से खारिज कर दिया गया था। यदि स्टॉक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो MPSCSC (नागरिक आपूर्ति निगम-NAN) भंडारण शुल्क से नुकसान की कटौती करता है, लेकिन निगम कटौती की गई राशि को विविध देनदार नान (NAN) के रूप में दिखाना जारी रखता है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार नान और आरक्षित एवं अधिशेष को ₹4.35 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है।
13	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2021-22	सरकारी अनुदान (₹412.46 करोड़) राशि में केंद्र सरकार के अनुदान से प्राप्त अनुदान की जमा राशि पर ब्याज के रूप में ₹16.62 करोड़ शामिल हैं। भारत सरकार के आदेश दिनांक 02.02.2022 के अनुसार, अनुदान पर ब्याज भारत की समेकित निधि में प्रेषित किया जाना था। तदनुसार, कंपनी को देय ब्याज के लिए दायित्व बनाना होगा। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप सरकारी अनुदान (नोट-11) को अत्योक्त बताया गया और अन्य गैर-चालू देनदारियों (नोट-12) को ₹16.62 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया।
14	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022-23	<p>1. व्यापार प्राप्य (₹4,812.17 करोड़) में कंपनी द्वारा लगाए गए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम (संशोधन-1) 2021 के अनुसार 2022-23 से जनरेटर पर ट्रांसमिशन शुल्क<sup>79</sup> के कारण ₹5.45 करोड़ की राशि शामिल है। इसके बाद, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, इंदौर द्वारा विषय ट्रांसमिशन शुल्क की प्रयोज्यता पर अगले आदेश तक रोक लगा (12.05.2023) दी गई। कंपनी अभी भी ट्रांसमिशन शुल्क वसूल रही थी और व्यापार प्राप्य के तहत वसूली योग्य ₹5.45 करोड़ की राशि दिखाई। चूंकि, माननीय उच्च न्यायालय ने BOD द्वारा कंपनी के खातों को मंजूरी देने (02.08.2023) से पहले उक्त ट्रांसमिशन शुल्क लगाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए, कंपनी को संबंधित दायित्व बनाना चाहिए था, क्योंकि मामला न्यायालय में था और उपभोक्ताओं पर बिलिंग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य (नोट-9) को अत्योक्त बताया गया है, अन्य वित्तीय देयता (नोट-26) को ₹5.45 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है और उसी सीमा तक कर से पहले लाभ को अत्योक्त बताया गया है।</p> <p>2. ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टू-अप ऑर्डर (07 मार्च 2023) के अनुसार, अन्य वित्तीय देयता (₹4,589.90 करोड़) में 'समानांतर संचालन शुल्क' के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की ₹457.68 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सही आदेश में यह निर्धारित किया कि 'समानांतर संचालन शुल्क' और 'पॉइंट ऑफ कनेक्शन शुल्क' न्यायाधीन हैं और इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी को "समानांतर संचालन शुल्क" और "प्व्वाइंट ऑफ कनेक्शन शुल्क" की प्राप्त राशि को रोकने के लिए निर्देशित किया गया था। हालांकि, कंपनी ने अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत मार्च 2023 तक केवल 'वितरण के लिए लंबित कनेक्शन शुल्क के बिंदु' का हिसाब लगाया। जबकि मार्च 2023 तक ₹457.68 करोड़ के 'समानांतर संचालन शुल्क' का हिसाब नहीं दिया गया था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों (नोट-26) को न्यूनोक्त बताया गया है, परिचालन से राजस्व को ₹457.68 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है (नोट-31) और उसी सीमा तक कर से पहले लाभ को अत्योक्त बताया गया है।</p>
15	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर 2022-23	1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (₹4,473.65 करोड़) में 2022-23 के दौरान पूरे किए गए विभागीय कार्यों और ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के ₹7.41 करोड़ शामिल नहीं हैं। उपरोक्त को वर्ष 2022-23 के लिए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया गया था, हालांकि कार्य 2019-20 तक पूरे हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.61 करोड़ के मूल्यह्रास को न्यूनोक्त बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को न्यूनोक्त बताया गया है और प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को अत्योक्त बताया गया है और अचल संपत्तियों को ₹7.41 करोड़ तक न्यूनोक्त बताया गया है।

<sup>79</sup> मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त उच्च वोल्ट (ईएचवी) उप स्टेशनों पर वितरण प्रणाली (33 केवी वोल्टेज स्तर पर) पर बिजली इंजेक्ट करने वाले जनरेटर और उनके ओपन एक्सेस लामार्थी (एमपीपीएमसीएल/ राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के अलावा) द्वारा बिजली खींचने पर ट्रांसमिशन शुल्क वितरण प्रणाली (33 केवी वोल्टेज स्तर पर) लेकिन किसी अन्य डिस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में।

	<p>2. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में (₹3,415.31 करोड़) वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹4.19 करोड़ की राशि के स्मार्ट मीटर स्थापना (पहले मील के पत्थर की उपलब्धि पर सेवा शुल्क) के लंबित बिल शामिल नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी द्वारा इसका भुगतान और लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मई 2023) में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू दायित्वों तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹4.19 करोड़ से न्यूनोक्त दिखाया गया है।</p> <p>3. अन्य चालू दायित्वों (₹245.43 करोड़) में 31.03.2023 तक की अवधि के लिए जनशक्ति आपूर्ति के लंबित बिल और आईटी प्रणाली के एएमसी बिल ₹21.29 करोड़ शामिल नहीं हैं। हालाँकि, इसका भुगतान और लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से जून 2023) में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को न्यूनोक्त बताया गया है और खर्चों को ₹21.29 करोड़ तक न्यूनोक्त बताया गया है और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी न्यूनोक्त बताया गया है।</p> <p>4. 01.03.2023 की तिथि से आदेश दिनांक 25.07.2023 द्वारा महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाने पर अन्य चालू देयताओं (₹245.43 करोड़) में ₹4.26 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। 01.01.2023 से 30.06.2023 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता बकाया का भुगतान सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 के वेतन के साथ तीन समान किशतों में किया जाना था। चूंकि महंगाई भत्ता बकाया भुगतान का आदेश कंपनी के बीओडी द्वारा खातों का अनुमोदन (11.08.2023) से काफी पहले 25.07.2023 को जारी किया गया था, इसलिए, 01.01.2023 से 31.03.2023 की अवधि के लिए बकाया महंगाई भत्ता की राशि ₹4.26 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2022-23 के खातों में किया जाना चाहिए था। हालाँकि, कंपनी ने खातों में इसकी जानकारी नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को न्यूनोक्त बताया गया है और खर्चों को ₹4.26 करोड़ तक न्यूनोक्त और उसी सीमा तक वर्ष के लिए नुकसान को भी न्यूनोक्त बताया गया है।</p> <p>5. आस्थगित आय (₹2,157.25 करोड़) में आर-एपीडीआरपी योजना के तहत पीएफसी द्वारा ऋण और अतिदेय ब्याज को अनुदान में बदलना शामिल है। रूपांतरण आदेश के अनुसार, ₹88.62 करोड़ की मूल राशि अनुदान में परिवर्तित कर दी गई। हालाँकि, कंपनी ने ₹110.29 करोड़, मूलधन और ब्याज सहित ₹21.67 करोड़ को अनुदान के रूप में माना हुआ है। चूंकि ₹88.62 करोड़ के ऋण की राशि को परिवर्तित कर अनुदान के रूप में माना गया था, कंपनी ने ₹21.67 करोड़ को अतिरिक्त अनुदान के रूप में माना और आस्थगित आय में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप देयताओं के तहत ₹21.67 करोड़ रुपये की आस्थगित आय को अत्योक्त बताया गया है और आय को न्यूनोक्त बताया गया है, जिससे उसी सीमा तक हानि को भी अत्योक्त बताया गया है।</p>
--	--

#### 5.15 लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का गैर अनुपालन

अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 तथा धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक निर्धारित किए। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए। भारतीय लेखांकन मानक 115 तथा 116 की अधिसूचना के पश्चात् तीन भारतीय लेखांकन मानक नामतः भारतीय लेखांकन मानक 11, 17 एवं 18 वापस लिए जा चुके हैं।

अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 के मध्य किये गये अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कंपनियों ने लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं गया था।

लेखांकन मानक / भारतीय लेखांकन मानक	कंपनी का नाम	विचलन
भारतीय लेखांकन मानक 10: रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2021-22	वित्तीय विवरण को मंजूरी और किसके द्वारा मंजूरी दी गई थी, इसकी दिनांक के संबंध में कोई जानकारी कंपनी द्वारा शामिल नहीं की गयी।
भारतीय लेखांकन मानक 3: नकदी प्रवाह विवरण	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, 2021-22	निगम ने अपने नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों का जिक्र नहीं किया है।
भारतीय लेखांकन मानक 12: सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, 2018-19	कंपनी ने सरकारी अनुदान के लेखांकन उपचार के संबंध में लेखांकन नीति का जिक्र नहीं किया है।
भारतीय लेखांकन मानक 20: प्रति शेयर कमाई	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 2019-20	कंपनी ने वर्तमान वर्ष 2019-20 के साथ-साथ पिछले वर्ष 2018-19 के लिए लाभ और हानि के विवरण के आधार पर प्रति शेयर मूल और तरल आय की गणना के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया।
भारतीय लेखांकन मानक 29: प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्तियाँ	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, 2020-21	कंपनी ने आकस्मिक दायित्व के तहत लंबित अदालती मामले का खुलासा नहीं किया।
भारतीय लेखांकन मानक 41: कृषि	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, 2020-21	कंपनी ने वित्तीय विवरणों में वृक्षारोपण की प्रतिबद्धता का खुलासा नहीं किया।

### 5.16 प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षक तथा निर्मित इकाई के शासन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना, वित्तीय लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से एक है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पायी गयी अनियमितताएं अथवा त्रुटियां वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रियाओं में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए “प्रबंधन पत्र” के माध्यम से प्रबंधन को भी सूचित की गयी थी। ये कमियां सामान्यतः लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के आवेदन और व्याख्या से संबंधित हैं, लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं तथा कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा अवधि के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 27 “प्रबंधन पत्र” जारी किए गए। इन प्रबंधन पत्रों में कंपनियों/निगमों के वित्तीय विवरणों में अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति पर प्रकाश डाला गया, जो कि **परिशिष्ट 5.6** में दर्शाया गया है।

## 5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, तीन सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 73 में से 41 उपक्रम निष्क्रिय थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम तीन से 33 वर्षों तक निष्क्रिय थे। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 32 उपक्रमों, जिन्होंने लेखापरीक्षा के लिये जानकारी/लेखे प्रस्तुत किये, पर वित्तीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए विचार किया गया।

2022-23 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के इन 32 उपक्रमों ने ₹95,645.11 करोड़ का कारोबार दर्ज किया, जो कि मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 7.23 प्रतिशत के बराबर था। 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान 98 प्रतिशत से अधिक था।

31 मार्च 2023 के अन्त तक राज्य शासन के अंश पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण के कुल निवेश ₹1,09,259.24 करोड़ के विरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रमों में ₹64,878.90 करोड़ का निवेश था। 31 मार्च 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का बकाया दीर्घावधि ऋण विगत वर्ष की तुलना में ₹31,597.77 करोड़ से ₹32,204.26 करोड़ तक बढ़ गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 2021-22 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹1,797.34 करोड़ के लाभ की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों द्वारा 2022-23 में ₹552.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन (₹208.53 करोड़), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (₹141.66 करोड़) एवं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹59.49 करोड़) द्वारा वृहद् लाभ का योगदान किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों द्वारा किए गए कुल हानि ₹1,940.50 करोड़ में से मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा भारी नुकसान किया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए, 73 में से 66 कंपनियों/निगमों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया (54 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी नौ अन्य कंपनियां तथा तीन निगम) थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 66 उपक्रमों के 258 लेखे बकाया थे।

## 5.18 अनुशंसाएं

- मध्य प्रदेश शासन घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करे तथा उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए।
- सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के पृथक-पृथक उपक्रमों के लिए समय पर लेखों को प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और बकाया के समाशोधन की सख्ती से निगरानी करने और लेखों को अन्तिम रूप देने में बकाया राशि को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करे।
- सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की समीक्षा करे तथा उनके पुनरूद्धार/समापन के लिये उचित निर्णय लें।

भोपाल  
दिनांक: 06 मई 2024

(प्रिया पारिख)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)  
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 09 मई 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



---

परिशिष्ट

---





**परिशिष्ट 1.1**  
**राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)**  
(संदर्भ: कडिका 1.1; पृष्ठ 1)

क	सामान्य आंकड़े	विवरण		आंकड़े					
स.क्र.									
1	क्षेत्र			3,08,252 वर्ग कि.मी.					
2	जनसंख्या								
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़					
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार		7.33 करोड़					
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2022 की जनगणना*) (अखिल भारतीय घनत्व = 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		281 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी					
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी					
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)			31.65 प्रतिशत					
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)		63.74 प्रतिशत					
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		69.30 प्रतिशत					
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2022-23)			43 प्रति 1000 जीवित बच्चे					
7	जन्म के समय जीवित रहने की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत वर्ष 2016-20 में = 70 वर्ष)			67.40 वर्ष					
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 वर्तमान मूल्य पर			₹13,22,821 करोड़					
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 स्थिर मूल्य पर			₹6,43,124 करोड़					
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2013 से 2023)	मध्य प्रदेश		11.43 प्रतिशत					
		अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)		9.12 प्रतिशत					
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2013 से 2023)	मध्य प्रदेश		13.02 प्रतिशत					
		अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)		10.34 प्रतिशत					
12	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2013 से 2023)	मध्य प्रदेश		15.29 प्रतिशत					
		अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)		11.68 प्रतिशत					
ख	वित्तीय आंकड़े								
		संवृद्धि दर (प्रतिशत में)							
		2013-14 से 2016-17		2017-18 से 2020-21		2020-21 से 2021-22		2021-22 से 2022-23	
	विवरण	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य
क	राजस्व प्राप्तियाँ	17.63	14.30	2.77	3.41	26.98	25.59	9.74	13.41
ख	स्वयं के कर राजस्व	9.62	8.51	6.72	3.52	21.63	25.62	9.62	19.78
ग	करेत्तर राजस्व	5.65	8.62	3.00	-1.04	54.56	44.81	29.88	12.94
घ	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	26.58	23.21	-2.65	-3.67	48.23	48.60	7.19	7.25
ङ	भारत सरकार से सहायतानुदान	26.72	24.64	5.20	16.10	-0.88	-5.37	6.21	5.49
च	कुल प्राप्तियाँ	21.70	17.81	9.35	9.71	10.49	15.57	13.06	10.83
छ	राजस्व व्यय	19.60	14.85	8.14	8.21	9.91	12.29	10.40	11.45
ज	पूँजीगत व्यय	26.58	28.89	-0.91	1.13	39.18	25.62	6.45	18.93
झ	पूँजीगत परिव्यय	36.15	21.84	-0.60	0.89	34.19	28.23	9.10	14.18
ञ	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	-0.91	72.50	-7.41	3.48	162.43	1.22	-26.90	75.33
ट	कुल व्यय	20.96	17.18	6.46	7.17	14.62	14.00	9.63	12.53
ठ	शिक्षा पर राजस्व व्यय	15.69	12.20	7.12	6.72	2.21	11.47	10.11	13.21
ड	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	17.86	18.84	11.77	12.25	30.83	19.71	6.03	0.88
ढ	वैतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय	4.86	11.04	16.41	7.63	8.81	11.82	13.90	8.52
ण	पेंशन पर राजस्व व्यय	14.02	11.71	16.45	10.39	16.16	11.88	15.54	11.38
त	राजसहायताओं पर राजस्व व्यय	35.98	18.96	11.04	5.92	41.34	18.29	0.00	15.24

स्रोत: आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदाय जानकारी

\* राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

परिशिष्ट 2.1

राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े<sup>80</sup>

(संदर्भ: कंडिकाएं 2.3, 2.6.2, 2.10.1 एवं 2.14.2; पृष्ठ 20, 24, 37 एवं 70)

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>भाग क. प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)</b>	<b>1,48,893</b>	<b>1,47,643</b>	<b>1,46,377</b>	<b>1,85,876</b>	<b>2,03,986</b>
<b>(क) कर राजस्व (i+ii)</b>	<b>1,08,369(73)</b>	<b>1,05,342(71)</b>	<b>1,01,373(69)</b>	<b>1,35,779(73)</b>	<b>1,47,154(72)</b>
<b>(i) स्वयं के कर राजस्व</b>	<b>50,882(34)</b>	<b>55,824(38)</b>	<b>54,459(37)</b>	<b>66,237(49)</b>	<b>72,611(49)</b>
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	18,508(36)	20,448(37)	17,258(32)	22,028(33)	23,397(32)
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	9,903(20)	11,258(20)	13,296(24)	16,185(24)	17,719(24)
राज्य उत्पाद शुल्क	9,542(19)	10,829(19)	9,526(17)	10,334(16)	12,955(18)
वाहन कर	3,008(6)	3,251(6)	2,749(5)	3,029(5)	4,028(6)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,278(10)	5,569(10)	6,817(13)	8,098(12)	8,812(12)
भू-राजस्व	384(1)	562(1)	504(1)	733(1)	956(1)
माल तथा यात्री कर	118(0)	145(0)	75(0)	64(0)	59(0)
अन्य कर	4,141(8)	3,762(7)	4,234(8)	5,766(9)	4,685(6)
<b>(ii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश</b>	<b>57,487(53)</b>	<b>49,518(47)</b>	<b>46,914(46)</b>	<b>69,542(51)</b>	<b>74,543(51)</b>
<b>(ख) करेतर राजस्व</b>	<b>11,899(8)</b>	<b>10,349(7)</b>	<b>9,902(7)</b>	<b>15,305(8)</b>	<b>19,878(10)</b>
<b>(ग) भारत सरकार से सहायतानुदान</b>	<b>28,625(19)</b>	<b>31,952(22)</b>	<b>35,102(24)</b>	<b>34,792(19)</b>	<b>36,954(18)</b>
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1,598</b>	<b>47</b>
<b>2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>	<b>0</b>	<b>(-)0.25</b>	<b>(-)0.02</b>	<b>1.14</b>	<b>(-)0.78</b>
<b>3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>1,458</b>
<b>4. कुल राजस्व तथा ऋणरेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)</b>	<b>1,48,976</b>	<b>1,47,703</b>	<b>1,46,449</b>	<b>1,87,537</b>	<b>2,05,490</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>32,497</b>	<b>34,364</b>	<b>65,171</b>	<b>46,285</b>	<b>58,867</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	25,325	29,496	54,242	33,671	48,202
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	3,376	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	3,796	4,868	10,929 <sup>81</sup>	12,614 <sup>82</sup>	10,665
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>1,81,473</b>	<b>1,82,067</b>	<b>2,11,620</b>	<b>2,33,822</b>	<b>2,64,357</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>1,86,344</b>	<b>2,00,611</b>	<b>2,35,479</b>	<b>2,29,353</b>	<b>2,63,707</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>3,67,817</b>	<b>3,82,678</b>	<b>4,47,099</b>	<b>4,63,175</b>	<b>5,28,064</b>
<b>भाग ख. व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>1,42,149(82)</b>	<b>1,50,444(83)</b>	<b>1,64,733(84)</b>	<b>1,81,061(80)</b>	<b>1,99,895(81)</b>
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	38,112(27)	39,827(26)	47,885(29)	49,461(27)	54,807(27)
सामाजिक सेवाएं	58,707(41)	64,224(43)	68,757(42)	71,644(40)	82,084(41)
आर्थिक सेवाएं	37,658(27)	40,493(27)	42,191(25)	52,831(29)	55,127(28)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	7,672(5)	5,900(4)	5,900(4)	7,125(4)	7,877(4)
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>29,424(17)</b>	<b>29,241(16)</b>	<b>30,356(15)</b>	<b>40,733(18)</b>	<b>44,438(18)</b>
सामान्य सेवाएं	723(3)	982(3)	974(3)	989(2)	1,165(3)

<sup>80</sup> कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्षक के कुल योग के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

<sup>81</sup> ₹4,542 करोड़ का वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

<sup>82</sup> ₹7,011 करोड़ का वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामाजिक सेवाएं	5,719(19)	6,922(24)	8,132(27)	14,352(36)	14,632(33)
आर्थिक सेवाएं	22,982(78)	21,337(73)	21,250(70)	25,392(62)	28,641(64)
<b>12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>1,090(1)</b>	<b>987(1)</b>	<b>1,230(1)</b>	<b>3,229(1)</b>	<b>2,360(1)</b>
<b>13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>	<b>1</b>	<b>(-0.62)</b>	<b>(-0.25)</b>	<b>1</b>	<b>(-0.95)</b>
<b>14. कुल व्यय (10+11+12+13)</b>	<b>1,72,664</b>	<b>1,80,672</b>	<b>1,96,319</b>	<b>2,25,024</b>	<b>2,46,692</b>
<b>15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>13,524</b>	<b>10,934</b>	<b>12,757</b>	<b>15,162</b>	<b>22,007</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	8,999	9,713	11,315	13,376	19,788
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	3,376	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,149	1,221	1,442	1,786	2,219
<b>16. आकस्मिकता निधि में विनियोग</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)</b>	<b>1,86,188</b>	<b>1,91,606</b>	<b>2,09,076</b>	<b>2,40,186</b>	<b>2,68,699</b>
<b>18. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>1,83,377</b>	<b>1,89,401</b>	<b>2,27,522</b>	<b>2,23,811</b>	<b>2,57,491</b>
<b>20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)</b>	<b>3,69,565</b>	<b>3,81,007</b>	<b>4,36,598</b>	<b>4,63,997</b>	<b>5,26,190</b>
<b>भाग ग. घाटे</b>					
21. राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	6,744	-2,801	-18,356	4,815	4,091
22. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-23,688	-32,970	-49,870	-37,487	-41,202
23. प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष(+) (22+24)	-10,992	-18,753	-33,952	-19,041	-21,749
<b>भाग घ. अन्य आंकड़े</b>					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	12,696	14,217	15,918	18,446	19,453
25. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	36,735	28,659	30,101	28,645	31,980
26. लिया गया अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	25	--	--	--	--
— लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	25	--	--	--	--
— लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	1.16	0.41	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>83</sup>	8,29,805	9,27,855	9,61,643	11,36,137	13,22,821
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,94,309	2,30,572	2,89,298 <sup>84</sup>	3,23,218 <sup>85</sup>	3,63,952
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	30,763	30,930	37,010	35,006	39,788
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	55,640	43,017	54,464	60,634	67,624
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	55	81	72	1,345	792
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	2,951	29,606	15,461	6,564	12,049
<b>भाग ड राजकोषीय स्थिति संकेतक</b>					

<sup>83</sup> वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिये शासन द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

<sup>84</sup> ₹4,542 करोड़ का वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

<sup>85</sup> ₹11,553 (₹7,011+₹4,542) करोड़ का वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>I संसाधन संग्रहण</b>					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.13	6.01	5.67	5.83	5.49
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.43	1.12	1.03	1.35	1.50
केन्द्रीय अंतरण <sup>86</sup> /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.38	8.78	8.53	9.18	8.43
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.77	-0.09	0.35	1.25	1.01
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.80	19.47	20.41	19.81	18.65
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	115.97	122.37	134.12	121.06	120.94
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	82.33	83.27	83.91	80.46	81.03
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	22.49	22.59	24.88	22.42	22.68
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	37.31	39.38	39.17	38.22	39.20
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	35.12	34.22	32.32	34.76	33.96
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.04	16.18	15.46	18.10	18.01
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	16.62	15.64	14.97	17.66	17.54
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन</b>					
राजस्व घाटा(-)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	0.81	-0.30	-1.91	0.42	0.31
राजकोषीय घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.85	-3.55	-5.19	-3.30	-3.11
प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.32	-2.02	-3.53	-1.67	-1.64
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	NA	0.08	0.37	NA	NA
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.60	14.68	15.48	14.31	13.64
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन</b>					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.41	24.85	30.08	28.45	27.51
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	130.50	156.17	197.64	173.89	178.42
<b>V अन्य राजकोषीय संकेतक</b>					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	347.26 (0.99)	475.96 (1.31)	288.44 (0.74)	138.73 (0.34)	159.58 (0.37)

<sup>86</sup> केन्द्रीय अंतरण में संघीय करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

**परिशिष्ट 3.1**  
**पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक**  
(संदर्भ: कडिका 3.3.2; पृष्ठ 82)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल + अनु.+ पुनर्वि.)	व्यय
<b>उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन</b>				
1	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	0.98	0.52
2	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	24.94	9.44
3	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	32.98	32.94
4	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	98.63	98.71
5	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	5.60	5.59
6	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	58.18	58.22
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन)</b>			221.31	205.42
<b>उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी</b>				
7	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	732.33	717.20
8	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	24.92	17.45
9	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	28.39	29.48
10	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4.97	4.97
11	23	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.39	0.49
12	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	37.14	37.11
13	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4.06	4.03
14	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	11.42	11.42
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी)</b>			843.62	822.15
<b>उद्देश्य शीर्ष 13—पेंशन और पेंशन लाभ</b>				
15	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.06	0.06
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 13—पेंशन और पेंशन लाभ)</b>			0.06	0.06
<b>उद्देश्य शीर्ष 16—वेतन भत्ते—अखिल भारतीय सेवाएं</b>				
16	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	0.95	0.18
17	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.29	1.29
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 16—वेतन भत्ते—अखिल भारतीय सेवाएं)</b>			2.24	1.47
<b>उद्देश्य शीर्ष 19—भारित/आकस्मिक कार्य के कर्मचारी का वेतन</b>				
18	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	43.11	30.84
19	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	11.73	10.66
20	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2.41	2.29
21	23	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1.84	1.73
22	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	34.04	33.97
23	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1.87	1.87
24	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.37	4.35
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 19—भारित/आकस्मिक कार्य के कर्मचारी का वेतन)</b>			99.37	85.71
<b>उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता</b>				
25	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.25	0.01
26	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.09	0.09
27	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.60	0.60
28	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.04	0.04
29	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.36	0.36

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल + अनु.+ पुनर्वि.)	व्यय
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 21-यात्रा भत्ता)</b>			<b>1.34</b>	<b>1.10</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय</b>				
30	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	11.60	9.67
31	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.26	0.20
32	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	0.15
33	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.20
34	24	5054-सड़कें और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5.05	2.07
35	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.43	1.43
36	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	0.06
37	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.78	2.78
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय)</b>			<b>21.54</b>	<b>16.56</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 24-परीक्षण और प्रशिक्षण</b>				
38	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	10.50	5.04
39	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.07
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 24-परीक्षण और प्रशिक्षण)</b>			<b>10.57</b>	<b>5.11</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 26-संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन</b>				
40	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.20
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 26-संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन)</b>			<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 27-मेक्रो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली</b>				
41	52	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	7.33	2.01
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 27-मेक्रो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली)</b>			<b>7.33</b>	<b>2.01</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ</b>				
42	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	105.57	77.82
43	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.10
44	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.85	5.85
45	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.25
46	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.96	5.96
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ)</b>			<b>117.73</b>	<b>89.98</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 33-अनुरक्षण कार्य</b>				
47	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.25
48	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 33-अनुरक्षण कार्य)</b>			<b>0.26</b>	<b>0.26</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 34-सामग्री और आपूर्ति</b>				
49	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	328.85	266.44
50	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 34-सामग्री और आपूर्ति)</b>			<b>328.88</b>	<b>266.47</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 35-विज्ञापन एवं प्रचार</b>				
51	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	0.04
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 35-विज्ञापन एवं प्रचार)</b>			<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान</b>				
52	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	45.00	40.45
53	19	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	26.33	26.33
54	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	189.40	189.40
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान)</b>			<b>260.73</b>	<b>256.18</b>

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल + अनु.+ पुनर्वि.)	व्यय
<b>उद्देश्य शीर्ष 43—अंशदान</b>				
55	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	22.00	22.00
56	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.75	7.75
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 43—अंशदान)</b>			<b>29.75</b>	<b>29.75</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 44—राजसहायताएं</b>				
57	24	5054-सड़कें और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	4.10	4.10
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 44—राजसहायताएं)</b>			<b>4.10</b>	<b>4.10</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 45—पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान</b>				
58	13	4401-कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	25.00	25.00
59	22	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	390.00	390.00
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 45—पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान)</b>			<b>415.00</b>	<b>415.00</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 50—क्षतिपूर्ति का भुगतान</b>				
60	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	20.57	14.57
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 50—क्षतिपूर्ति का भुगतान)</b>			<b>20.57</b>	<b>14.57</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 51—अन्य प्रभार</b>				
61	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	7.00	6.67
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 51—अन्य प्रभार)</b>			<b>7.00</b>	<b>6.67</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष—53—डिक्रीटल राशि का भुगतान</b>				
62	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	28.60	27.95
63	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.20
64	24	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	35.00	17.76
65	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.96	0.96
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष—53—डिक्रीटल राशि का भुगतान)</b>			<b>64.76</b>	<b>46.87</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 54—क्षतिपूर्ति</b>				
66	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	112.87	111.85
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 54—क्षतिपूर्ति)</b>			<b>112.87</b>	<b>111.85</b>
<b>महायोग</b>			<b>2,569.27</b>	<b>2,381.53</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

**परिशिष्ट 3.2**  
**राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.2; पृष्ठ 82)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+ अनु.+ पुनर्वि.)	व्यय
<b>उद्देश्य शीर्ष 23-वाहन खरीद</b>				
1	9	2014-न्याय प्रशासन	0.92	0.92
2	1	2015-चुनाव	0.19	0.18
3	9	2015-चुनाव	0.10	0.10
4	5	2029-भू राजस्व	0.15	0.06
5	6	2041-वाहन कर	0.23	0.08
6	1	2051-लोक सेवा आयोग	0.10	0.10
7	1	2052-सचिवालय – सामान्य सेवाएं	0.71	0.71
8	9	2052-सचिवालय – सामान्य सेवाएं	0.10	0.10
9	8	2053-जिला प्रशासन	4.10	2.33
10	6	2054-कोषालय और लेखा प्रशासन	1.04	0.51
11	3	2055-पुलिस	12.66	12.66
12	1	2062-सतर्कता	0.06	0.06
13	3	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.21	1.21
14	6	2075-विविध सामान्य सेवाएं	0.10	0.10
15	7	2204-खेल तथा युवा सेवाएं	0.21	0.21
16	2	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.10	0.10
17	2	2217-शहरी विकास	0.18	0.15
18	50	2401-फसल कृषि कर्म	0.10	0.10
19	14	2403-पशु पालन	64.96	64.96
20	10	2406-वन	0.69	0.42
21	17	2425-सहकारिता	0.10	0.10
22	31	3454-जनगणना सर्वेक्षण और ऑकड़े	0.10	0.10
23	11	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.07	0.07
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 23-वाहन खरीद)</b>			<b>88.18</b>	<b>85.33</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 61—सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय</b>				
24	9	2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2.22	1.01
25	25	2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.10	0.09
26	54	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण	0.28	0.11
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 61—सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय)</b>			<b>2.60</b>	<b>1.21</b>
<b>उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनरी</b>				
27	22	2217-शहरी विकास	3.17	2.71
<b>योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनरी)</b>			<b>3.17</b>	<b>2.71</b>
<b>महायोग</b>			<b>93.95</b>	<b>89.25</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी



**परिशिष्ट 3.3**  
**अनुपूरक बजट की आवश्यकता**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3; पृष्ठ 83)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द. / पूंजी.द. / पूंजी.भा. / राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/बचत	वास्तविक अनुपूरक की आवश्यकता
1	2	विमानन	राज.द.	51.91	36.15	88.06	82.40	5.66	30.49
2	3	गृह	पूंजी.द.	697.43	400.20	1,097.63	993.28	104.35	295.85
3	7	वाणिज्यिक कर	राज.द.	1,813.50	292.14	2,105.64	1,867.45	238.19	53.95
4	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज.भा.	3.92	89.06	92.98	89.83	3.16	85.91
5	10	वन	राज.भा.	0.83	0.80	1.63	1.39	0.23	0.57
6	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राज.द.	1,251.78	550.00	1,801.78	1,493.41	308.37	241.63
7	12	ऊर्जा	राज.द.	9,957.19	6,984.44	16,941.63	16,716.63	225.00	6,759.44
8	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	15,690.34	6,710.51	22,400.85	19,196.05	3,204.80	3,505.71
9	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	पूंजी.द.	15.00	10.00	25.00	25.00	0.00	10.00
10	18	श्रम	राज.द.	931.69	936.09	1,867.78	1,793.55	74.24	861.85
11	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.द.	9,472.28	1,676.90	11,149.18	9,875.56	1,273.62	403.28
12	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज.द.	958.68	151.00	1,109.68	991.98	117.70	33.30
13	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.द.	9,299.24	2,832.37	12,131.62	10,913.23	1,218.38	1,613.99
14	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी.द.	2,795.05	400.52	3,195.57	3,120.16	75.41	325.11
15	23	जल संसाधन	पूंजी.द.	4,585.31	1,050.00	5,635.31	5,444.76	190.55	859.45
16	23	जल संसाधन	पूंजी.भा.	1.20	28.00	29.20	28.15	1.05	26.95
17	24	लोक निर्माण कार्य	राज.द.	1,960.57	807.50	2,768.07	2,147.04	621.03	186.47
18	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी.द.	5,312.45	2,319.60	7,632.05	7,350.90	281.15	2,038.45
19	25	खनिज साधन	राज.द.	271.35	125.00	396.35	373.15	23.20	101.80
20	25	खनिज साधन	राज.भा.	700.05	113.05	813.10	813.05	0.05	113.00
21	25	खनिज साधन	पूंजी.द.	301.00	375.00	676.00	674.93	1.07	373.93
22	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज.द.	195.51	97.88	293.39	265.88	27.52	70.36
23	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	पूंजी.द.	488.17	171.98	660.15	623.04	37.11	134.87
24	32	जनसंपर्क	राज.द.	504.27	157.00	661.27	647.89	13.39	143.61

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द. / पूंजी.द. / पूंजी.भा. / राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/बचत	वास्तविक अनुपूरक की आवश्यकता
25	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज.द.	3,744.23	353.31	4,097.54	4,009.61	87.93	265.38
26	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज.द.	520.73	677.33	1,198.06	906.20	291.86	385.47
27	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी.द.	133.20	2.82	136.02	136.01	0.01	2.81
28	37	पर्यटन	राज.द.	116.62	51.85	168.47	143.38	25.09	26.76
29	41	प्रवासी भारतीय	राज.द.	0.83	20.00	20.83	9.45	11.38	8.62
30	43	खेल और युवा कल्याण	राज.द.	180.56	78.01	258.57	235.73	22.85	55.17
31	43	खेल और युवा कल्याण	पूंजी.द.	166.79	51.00	217.79	216.95	0.84	50.16
32	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज.द.	13.79	60.00	73.79	28.58	45.21	14.79
33	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राज.द.	151.85	20.00	171.85	171.84	0.01	20.00
34	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी.द.	105.12	229.15	334.27	334.27	0.00	229.15
35	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज.द.	1,124.50	354.74	1,479.24	1,220.34	258.90	95.84
36	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी.द.	413.44	49.00	462.44	424.25	38.19	10.81
37	48	नर्मदा घाटी विकास	राज.द.	260.56	205.70	466.26	450.98	15.28	190.43
38	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी.द.	3,001.73	4,304.89	7,306.62	7,159.36	147.26	4,157.63
39	52	चिकित्सा शिक्षा	राज.द.	1,490.94	294.47	1,785.41	1,707.03	78.38	216.09
40	53	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी.द.	78.00	85.79	163.79	163.79	0.00	85.79
41	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज.द.	987.76	598.42	1,586.18	1,335.13	251.05	347.37
42	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी.द.	162.10	27.44	189.54	177.96	11.58	15.86
<b>योग</b>				<b>79,911.47</b>	<b>33,779.11</b>	<b>1,13,690.58</b>	<b>1,043,59.57</b>	<b>9,331.01</b>	<b>24,448.10</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

**परिशिष्ट 3.4**  
**अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3; पृष्ठ 83)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूँजी.द./ पूँजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
1	1	सामान्य प्रशासन	राज.द.	924.47	90.82	748.24	90.82
2	1	सामान्य प्रशासन	राज.भा.	75.50	15.23	49.86	15.23
3	1	सामान्य प्रशासन	पूँजी.द.	65.31	0.13	48.46	0.13
4	2	विमानन	राज.द.	51.91	36.15	82.40	5.66
5	3	गृह	राज.द.	8,745.19	66.34	7,665.84	66.34
6	3	गृह	पूँजी.द.	697.43	400.20	993.28	104.35
7	5	जेल	राज.द.	491.41	0.50	465.27	0.50
8	6	वित्त	राज.द.	21,783.12	1,980.42	19,916.98	1,980.42
9	7	वाणिज्यिक कर	राज.द.	1,813.50	292.14	1,867.45	238.19
10	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा पर राहत व्यय	राज.द.	7,444.52	136.24	5,218.26	136.24
11	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा पर राहत व्यय	राज.भा.	3.92	89.06	89.83	3.16
12	10	वन	राज.द.	1,995.37	13.71	1,710.72	13.71
13	10	वन	राज.भा.	0.83	0.80	1.39	0.23
14	10	वन	पूँजी.द.	1,398.80	8.00	1,286.69	8.00
15	11	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन	राज.द.	1,251.78	550.00	1,493.41	308.37
16	12	ऊर्जा	राज.द.	9,957.19	6,984.44	16,716.63	225.00
17	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	15,690.34	6,710.51	19,196.05	3,204.80
18	14	पशुपालन और डेयरी	राज.द.	1,433.00	6.12	1,098.25	6.12
19	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राज.द.	30.51	0.35	16.30	0.35
20	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज.द.	250.10	4.00	120.99	4.00
21	17	सहकारिता	राज.द.	903.34	126.00	841.13	126.00
22	18	श्रम	राज.द.	931.69	936.09	1,793.55	74.24
23	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.द.	9,472.28	1,676.90	9,875.56	1,273.62
24	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूँजी.द.	907.17	118.61	550.52	118.61
25	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज.द.	958.68	151.00	991.98	117.70
26	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूँजी.द.	7,781.52	20.00	6,728.35	20.00
27	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज.द.	74.21	7.96	70.50	7.96
28	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.द.	9,299.24	2,832.37	10,913.23	1,218.38
29	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.भा.	947.02	220.29	870.40	220.29
30	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूँजी.द.	2,795.05	400.52	3,120.16	75.41
31	23	जल संसाधन	राज.द.	1,419.49	80.00	1,192.53	80.00
32	23	जल संसाधन	पूँजी.द.	4,585.31	1,050.00	5,444.76	190.55
33	23	जल संसाधन	पूँजी.भा.	1.20	28.00	28.15	1.05
34	24	लोक निर्माण कार्य	राज.द.	1,960.57	807.50	2,147.04	621.03
35	24	लोक निर्माण कार्य	पूँजी.द.	5,312.45	2,319.60	7,350.90	281.15

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूँजी.द./ पूँजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
36	24	लोक निर्माण कार्य	पूँजी.भा.	305.00	35.00	260.12	35.00
37	25	खनिज साधन	राज.द.	271.35	125.00	373.15	23.20
38	25	खनिज साधन	राज.भा.	700.05	113.05	813.05	0.05
39	25	खनिज साधन	पूँजी.द.	301.00	375.00	674.93	1.07
40	26	संस्कृति	राज.द.	293.14	23.26	258.91	23.26
41	26	संस्कृति	पूँजी.द.	377.50	1.00	54.55	1.00
42	27	स्कूल शिक्षा	राज.द.	26,332.47	3.25	23,515.07	3.25
43	28	राज्य विधान मण्डल	राज.द.	103.68	0.10	92.34	0.10
44	29	विधि और विधायी कार्य	राज.द.	1,804.60	120.48	1,474.21	120.48
45	30	ग्रामीण विकास	राज.द.	17,498.92	2,121.51	14,797.70	2,121.51
46	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज.द.	195.51	97.88	265.88	27.52
47	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	पूँजी.द.	488.17	171.98	623.04	37.11
48	32	जनसंपर्क	राज.द.	504.27	157.00	647.89	13.39
49	33	जनजातीय कार्य	राज.द.	8,860.64	451.22	7,992.31	451.22
50	33	जनजातीय कार्य	पूँजी.द.	1,493.11	15.00	1,096.71	15.00
51	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज.द.	3,744.23	353.31	4,009.61	87.93
52	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज.द.	520.73	677.33	906.20	291.86
53	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूँजी.द.	133.20	2.82	136.01	0.01
54	36	परिवहन	राज.द.	111.39	21.25	91.85	21.25
55	37	पर्यटन	राज.द.	116.62	51.85	143.38	25.09
56	38	आयुष	राज.द.	563.35	37.31	524.97	37.31
57	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज.द.	1,155.45	0.07	944.23	0.07
58	40	पंचायत	राज.द.	6,536.12	1,472.00	5,461.92	1,472.00
59	41	प्रवासी भारतीय	राज.द.	0.83	20.00	9.45	11.38
60	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज.द.	129.44	0.14	116.85	0.14
61	43	खेल और युवा कल्याण	राज.द.	180.56	78.01	235.73	22.85
62	43	खेल और युवा कल्याण	पूँजी.द.	166.79	51.00	216.95	0.84
63	44	उच्च शिक्षा	राज.द.	2,833.58	87.16	2,256.63	87.16
64	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज.द.	13.79	60.00	28.58	45.21
65	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूँजी.द.	150.00	50.00	67.03	50.00
66	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज.द.	1,124.50	354.74	1,220.34	258.90
67	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूँजी.द.	413.44	49.00	424.25	38.19
68	48	नर्मदा घाटी विकास	राज.द.	260.56	205.70	450.98	15.27
69	48	नर्मदा घाटी विकास	पूँजी.द.	3,001.73	4,304.89	7,159.36	147.26
70	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज.द.	1,385.50	210.39	1,315.52	210.39
71	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज.द.	88.24	20.36	87.55	20.36
72	52	चिकित्सा शिक्षा	राज.द.	1,490.94	294.47	1,707.03	78.38

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूँजी.द./ पूँजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
73	53	अल्प संख्यक कल्याण	राज.द.	14.43	0.04	9.11	0.04
74	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज.द.	987.76	598.42	1,335.13	251.05
75	55	महिला एवं बाल विकास	राज.द.	5,715.17	1,077.86	5,583.23	1,077.86
76	55	महिला एवं बाल विकास	पूँजी.द.	162.10	27.44	177.96	11.58
77	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज.द.	120.04	0.20	91.03	0.20
<b>योग</b>				<b>2,12,103.32</b>	<b>42,076.49</b>	<b>2,18,355.80</b>	<b>17,973.35</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

**परिशिष्ट 3.5**  
**निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.4; पृष्ठ 84)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूल: मूल अनु: अनुपूरक पुनर्वि: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
1	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-111.6835-केन्द्रीय सरकार की अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(मूल) 3,300.00 (पुनर्वि.) 763.89	4,063.89	4,485.74	(+) 421.85
2	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01.123.5042-भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	(मूल) 2,550.00 (पुनर्वि.) 235.05	2,785.05	3,176.91	+ 391.86
3			2049-01.101.9897-7.08 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2029	(मूल) टोकन (पुनर्वि.) 141.60	141.60	70.80	(-) 70.80
4	1	सामान्य प्रशासन	4059-01.051.0101.7213-मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	(मूल) 7.00 (पुनर्वि.) 16.58	23.58	19.50	(-) 4.08
5	3	गृह	2235-60.200.0686-साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ितों को सहायता	(मूल) 0.10 (पुनर्वि.) 2.00	2.10	0.92	(-) 1.18
6	5	जेल	4059-01.051.0101.2374-वर्कशाप/बैरक का निर्माण	(मूल) 6.00 (पुनर्वि.) 4.00	10.00	8.93	(-) 1.07
7	7	वाणिज्यिक कर	2039-001.0101.1470-जिला कार्यपालिका स्थापना	(मूल) 176.16 (पुनर्वि.) 1.50	177.66	142.24	(-) 35.42
8	10	वन	2406-01.101.0101.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	(मूल) 1,086.31 (पुनर्वि.) 6.67	1,092.98	944.34	(-) 148.64
9			2406-02.110.0702.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 0.80	0.80	0.77	(-) 0.03
10			2406-02.110.0703.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 0.80	0.80	0.77	(-) 0.03
11			2406-02.110.0705.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 0.53	0.53	0.52	(-) 0.01
12			2406-02.110.0706.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 0.53	0.53	0.52	(-) 0.01
13			4406-01.102.0102.6397-नर्सरियों में पौधा तैयारी	(मूल) 12.00 (पुनर्वि.) 11.15	23.15	19.91	(-) 3.24
14			17	सहकारिता	2425-107.0704.1081-प्राथमिक कृषि साख	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 6.01	6.01

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
			सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र)				
15			2425-107.0705.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र)	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 2.13	2.13	3.08	(+) 0.95
16			2425-107.0706.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र)	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 1.55	1.55	2.24	(+) 0.69
17	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01.110.0701.5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	(मूल) 1,427.40 (पुनर्वि.) 396.50	1,823.90	1,228.16	(-) 595.74
18			2210-01.110.0702.5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	(मूल) 538.20 (पुनर्वि.) 149.50	687.70	445.03	(-) 242.67
19			2210-03.103.0101.5507-मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	(मूल) 16.03 (पुनर्वि.) 5.00	21.03	19.88	(-) 1.15
20	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01.102.0101.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(मूल) 30.50 (पुनर्वि.) 18.30	48.80	48.27	(-) 0.53
21			4215-01.102.0101.4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय प्रदाय	(मूल) 91.50 (पुनर्वि.) 57.70	149.20	147.15	(-) 2.05
22			4215-01.102.0102.4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय प्रदाय	(मूल) 34.50 (पुनर्वि.) 16.10	50.60	50.24	(-) 0.36
23			4215-01.800.1401.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	(मूल) 280.60 (पुनर्वि.) 167.50	448.10	404.03	(-) 44.07
24			4215-01.800.1403.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	(मूल) 73.60 (पुनर्वि.) 45.00	118.60	117.92	(-) 0.68
25	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093.5379- लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना (5379)	(मूल) 3.71 (पुनर्वि.) 0.78	4.49	4.21	(-) 0.28
26			2053-094.9079- म. प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना (9079)	(मूल) 6.00 (पुनर्वि.) 0.60	6.60	6.63	(+) 0.03
27	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05.800.0701.7839-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 30.50	30.50	30.42	(-) 0.08
28			2217-05.800.0704.7839-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 23.50	23.50	23.33	(-) 0.17
29	23	जल संसाधन	4700-69.800.0103.2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 0.10 (पुनर्वि.) 0.21	0.31	0.32	(+) 0.01
30			4701-48.800.0102.3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(मूल) 5.00 (पुनर्वि.) 7.00	12.00	12.01	(+) 0.01

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
31	24	लोक निर्माण कार्य	5054.04.337.1901.2457- ग्रामीण सड़कों का निर्माण	(मूल) 310.00 (अनु.) 497.99 (पुनर्वि.) 35.00	842.99	1,066.84	(+) 223.85
32	5054-02.102.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा		(मूल) 5.00 (पुनर्वि.) 201.13	206.13	206.12	(-) 0.01	
33	26	संस्कृति	2205-102.6379- संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय	(मूल) 3.60 (पुनर्वि.) 0.13	3.73	2.40	(-) 1.33
34	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02.103.4009- विधान सभा सचिवालय	(मूल) 45.15 (अनु.) 0.10 (पुनर्वि.) 0.38	45.63	39.95	(-) 5.68
35	2011-02.103.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य		(मूल) 2.75 (पुनर्वि.) 3.55	6.30	6.22	(-) 0.08	
36	30	ग्रामीण विकास	4515-800.0420.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	(मूल) 50.00 (पुनर्वि.) 100.00	150.00	107.54	(-) 42.46
37	40	पंचायत	4515-800.0420.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	(मूल) 30.50 (पुनर्वि.) 50.00	80.50	74.25	(-) 6.25
38	3604-197.0102.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान		(मूल) 11.50 (पुनर्वि.) 20.00	31.50	21.66	(-) 9.84	
39	44	उच्च शिक्षा	2202-03.103.0103.8855- पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता	(मूल) 0.56 (पुनर्वि.) 1.72	2.28	2.21	(-) 0.07
40	4202-01.203.0102.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि		(मूल) 24.10 (पुनर्वि.) 15.00	39.10	55.21	(+) 16.11	
41	4202-01.203.0102.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि		(मूल) 16.80 (पुनर्वि.) 10.00	26.80	32.12	(+) 5.32	
42	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-66-800-0102- 5091-लोअर गोई परियोजना	(मूल) 2.50 (अनु.) 10.00 (पुनर्वि.) 53.60	66.10	72.10	(+) 6.0
<b>योग</b>					<b>13,258.75</b>	<b>13,110.09</b>	<b>(-) 1,218.01</b> <b>(+) 1,069.35</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23



**परिशिष्ट 3.6**  
**सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत एवं अधिक**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.1; पृष्ठ 84)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
1	1	सामान्य प्रशासन	2070-105-4079-विशेष जांच आयोग	(मूल) 0.91	0.91	100.00
2	3	गृह	2055-109-0707-5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना	(अनु.) 59.29	41.83	70.55
			2055-115-0701-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 7.50	4.81	64.13
			2055-115.0704.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 5.00	3.21	64.20
			2055-116.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.40	1.40	100.00
			2055-800.0101.1418-आंतरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण	(मूल) 2.61	1.64	62.84
			2070-107.0701.7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण	(मूल) 0.90	0.90	100.00
			2235-60.200.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.40	1.34	95.71
			4055-207.0701.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 10.80	5.94	55.00
			4055-207.0704.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 7.20	5.24	72.78
			4055-207.1309-उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था	(मूल) 0.40	0.40	100.00
			4055-207.3680-पुलिस मुख्यालय	(मूल) 7.00	5.57	79.57
			4055-207.8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	(मूल) 20.00	18.94	94.70
			4055-208.0101.7185-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	(मूल) 2.86	2.86	100.00
			4055-800.0101.7186-बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन	(मूल) 8.00	7.35	91.88
			4055-800.0101.7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(मूल) 30.00	17.49	58.30
3	7	वाणिज्यिक कर	4059-01.051.0101.1267-वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	(मूल) 15.00	13.77	91.80

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)			
4	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-01.101.6422-सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	(मूल) 6.62	6.60	99.70			
			2245-01.102.6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	(मूल) 11.00	10.90	99.09			
			2245-02.122.0989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	(मूल) 50.00	50.00	100.00			
			2245-80.001-9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.00	1.00	100.00			
			2245-80.102.6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	(मूल) 105.00 (अनु.) 136.24 241.24	144.59	59.94			
			2245-80.102.6374-आपदा प्रबंधन का प्रचार प्रसार	(मूल) 1.05	1.05	100.00			
			2245-80.800.8030-पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	(मूल) 5.25	5.25	100.00			
			4250-101.6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	(मूल) 890.00	498.48	56.01			
			4250-101.7667-15वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मूल) 157.30	110.33	70.14			
			4250-101.8030-पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	(मूल) 105.00	105.00	100.00			
			4250-800.6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	(मूल) 1.50	1.50	100.00			
			5	11	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन	2852-80.102.0101.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	(मूल) 6.10	6.10	100.00
						2852-80.102.0102.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	(मूल) 2.30	2.30	100.00
2852-80.102.0103.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	(मूल) 1.60	1.60				100.00			
6	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102.0102.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(अनु.) 77.00	77.00	100.00			
			2401-102.0103.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(अनु.) 56.00	56.00	100.00			
			2401-102.0701.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 142.10	112.61	79.25			

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2401-102.0702.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 53.13	43.85	82.53
			2401-102.0703.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 36.96	28.49	77.08
			2401-102.0704.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 94.73	75.07	79.25
			2401-102.0705.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 35.42	29.23	82.52
			2401-102.0706.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 24.64	19.00	77.11
			2401-105.0701.1227-परंपरागत कृषि विकास योजना	(मूल) 16.63	13.60	81.78
			2401-105.0701.1229-स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना	(मूल) 3.93 (अनु.) 14.06 17.99	16.83	93.55
			2401-108.0704.7500-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन	(मूल) 15.07	11.77	78.10
			2401-109.0101.9529-मांग आधारित कृषि हेतु कृषि विविधीकरण योजना	(मूल) 12.40	12.22	98.55
			2401-109.0101.9530-जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु	(मूल) 18.60	18.10	97.31
			2401-109.0101.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	(मूल) 6.20	6.20	100.00
			2401-109.0103.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	(मूल) 2.10	2.10	100.00
			2401-109.0101.9532-म.प्र. की विशिष्ट फसलों/किस्मों की जी. आई. टैग योजना	(मूल) 3.10	3.10	100.00
			2401-109.0101.9533-म.प्र. राज्य मिलेट मिशन	(मूल) 6.20	6.20	100.00
			2401-109.0103.9533-म.प्र. राज्य मिलेट मिशन	(मूल) 2.10	2.10	100.00
			2401-109.0101.9534-कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन	(मूल) 6.20	6.20	100.00
			2401-109.0103.9534-कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन	(मूल) 2.10	2.10	100.00
			2401-109.0101.9537-कृषि अधोसंरचना निधि का संचालन	(मूल) 3.10	3.10	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2401-109.0101.9538-निर्यात प्रोत्साहन योजना	(मूल) 6.82	6.82	100.00
			2401-109.0103.9538-निर्यात प्रोत्साहन योजना	(मूल) 2.31	2.31	100.00
			2401-109.0701.7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	(मूल) 31.85	16.52	51.87
			2401-109.0704.7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	(मूल) 21.23	12.33	58.08
			2401-113.0701.7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 2.10	2.10	100.00
			2401-113.0701.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 7.32	7.32	100.00
			2401-113.0702.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 2.76	2.76	100.00
			2401-113.0704.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल) 4.88	4.88	100.00
			2401-113.0704.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 18.00	12.14	67.44
			2408-01.102.7847-मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना	(मूल) 1,500.00	1,199.82	80.00
			2401-113.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 27.00	18.21	67.44
7	17	सहकारिता	2425-107.0101.2352-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण	(अनु.) 38.00	38.00	100.00
			2425-800.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 10.98	10.98	100.00
			2425-800.0702.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 4.14	4.14	100.00
			2425-800.0703.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 2.88	2.88	100.00
			2425-800.0704.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 7.32	7.32	100.00
			2425-800.0705.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 2.76	2.76	100.00
			2425-800.0706.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 1.92	1.92	100.00
			2425-800.0910.6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	(मूल) 5.89	5.89	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			4425-107.0101.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल) 800.00	800.00	100.00
			4425-107.0102.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल) 115.00	115.00	100.00
			4425-107.0103.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल) 85.00	85.00	100.00
			4425-107.0910.6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	(मूल) 9.80	9.80	100.00
			6425-107.0910.6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	(मूल) 9.82	9.82	100.00
8	21	लोक सेवा प्रबंधन	4059-01.051.6783-लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	(मूल) 0.25	0.25	100.00
9	23	जल संसाधन	2700-13.101.0102.2894-बांध तथा नहर	(मूल) 3.01	1.66	55.15
			2700-38.101.0101.2894-बांध तथा नहर	(मूल) 0.40	0.40	100.00
			2700-39.101.0101.2894-बांध तथा नहर	(मूल) 0.40	0.40	100.00
			2702-80.800.0103.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(मूल) 4.00	2.50	62.50
10	27	स्कूल शिक्षा	2202-01.001.0101.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुगूज	(मूल) 6.10	6.10	100.00
			2202-01.001.0102.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुगूज	(मूल) 2.30	2.30	100.00
			2202-01.001.0103.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुगूज	(मूल) 1.60	1.60	100.00
			2202-01.104.0701.9675-स्टार्स परियोजना	(मूल) 15.01	15.01	100.00
			2202-01.104.0702.9675-स्टार्स परियोजना	(मूल) 5.66	5.66	100.00
			2202-01.104.0703.9675-स्टार्स परियोजना	(मूल) 3.94	3.94	100.00
			2202-01.104.0704.9675-स्टार्स परियोजना	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			2202-01.104.0705.9675-स्टार्स परियोजना	(मूल) 3.77	3.77	100.00
			2202-01.104.0706.9675-स्टार्स परियोजना	(मूल) 2.62	2.62	100.00
			4202-01.202.0704.5330-समग्र शिक्षा अभियान	(मूल) 41.48	41.48	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			4202-01.202.0705.5330-समग्र शिक्षा अभियान	(मूल) 15.64	15.64	100.00
11	29	राज्य विधान मण्डल	2014-102.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 16.00	11.62	72.63
			2014-103.0707.9634-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(अनु.) 42.87	29.12	67.93
			2014-105.0101.1486-स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	(मूल) 3.50	3.50	100.00
			2014-105.5315-विशेष न्यायालय एम.पी. एवं एम.एल.ए.	(मूल) 3.78	3.18	84.13
			2014-105.6211-केन्द्रीय जॉच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय	(मूल) 7.36	4.17	56.66
			2015-102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 2.09	1.46	69.86
			2225-01.800.0707.5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना	(अनु.) 42.27	29.09	68.82
			2235-60.200.0101.1489-ए.डी. आर. सेंटर्स का निर्माण	(मूल) 5.00	3.96	79.20
			2235-60.200.0101.5104-स्थायी लोक अदालत	(मूल) 0.90	0.63	70.00
			2014-102.7702-उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन	(मूल) 15.00	8.85	59.00
			2014-102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 8.00	5.35	66.00
			4059-01.051.0101.9073-महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			4216-01.106.0701.6222-न्यायाधीशों के आवास गृहों का निर्माण	(मूल) 33.00	33.00	100.00
			2014-102.0101.0573-उच्च न्यायालय (भारित)	(मूल) 8.00	4.20	52.50
12	30	ग्रामीण विकास	2215-02.198.0701.5206-निर्मल भारत अभियान	(मूल) 146.40	87.50	59.77
			2501-06.198.0101.9567-महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	(अनु.) 51.06	51.06	100.00
			2501-06.198.0102.9567-महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	(अनु.) 19.25	19.25	100.00
			2501-06.198.0103.9567-महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	(अनु.) 13.39	13.39	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2501-06.198.0701.9526-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाय.)	(मूल) 25.62	25.24	98.52
			2501-06.198.0702.9526-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाय.)	(मूल) 9.66	9.52	98.55
			2501-06.198.0703.9526-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाय.)	(मूल) 6.72	6.62	98.51
			2501-06.198.0704.9526-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाय.)	(मूल) 17.08	16.82	98.48
			2501-06.198.0705.9526-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाय.)	(मूल) 6.44	6.34	98.45
			2501-06.198.0706.9526-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाय.)	(मूल) 4.48	4.41	98.44
			2501-06.198.0801.9527-रूरल सेल्फ इम्प्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट-(आर.सी.टी.)	(मूल) 25.00	25.00	100.00
			2515-198.0701.0656-किचन शेड डिवाइजेज	(मूल) 3.00	3.00	100.00
			2515-198.0701.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन	(मूल) 7.32	7.32	100.00
			2515-198.0702.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन	(मूल) 2.76	2.76	100.00
			2515-198.0703.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन	(मूल) 1.92	1.92	100.00
			2515-198.0704.0656-किचन शेड डिवाइजेज	(मूल) 2.00	2.00	100.00
			2515-198.0704.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन	(मूल) 4.88	4.88	100.00
			2515-198.0705.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन	(मूल) 1.84	1.84	100.00
			2515-198.0706.0660-श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन	(मूल) 1.28	1.28	100.00
			4515-800.0101.7251-विकास भवन	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			2505-01.198.0701.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 1,601.25	847.82	52.95
			2505-01.198.0702.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 603.75	323.30	53.55

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2505-01.198.0703.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 420.00	224.91	53.55
			2505-01.198.0704.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 533.75	275.41	51.60
			2505-01.198.0705.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मूल) 201.25	104.53	51.94
13	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-092.0101.9602-शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	(मूल) 5.00	5.00	100.00
14	33	जनजातीय कार्य	2225-01.800.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.00	1.00	100.00
			2225-02.001.0102.9843-अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां	(मूल) 1.08	0.62	57.41
			2225-02.102.0102.2321-नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	(मूल) 1.12	1.12	100.00
			2225-02.102.0102.2324-आकांक्षा योजना	(मूल) 10.35	7.96	76.91
			2225-02.102.0102.4719-अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	(मूल) 0.50	0.45	90.00
			2225-02.102.0102.7826-कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना	(मूल) 7.50	7.50	100.00
			2225-02.102.0102.9604-अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	(मूल) 60.00	42.00	70.00
			2225-02.102.0102.9819-विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह अभिकरण	(मूल) 1.00	0.83	83.00
			2225-02.102.0802.6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	(मूल) 100.00	78.16	78.16
			2225-02.102.0802.7881-अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1)	(मूल) 123.87	123.16	99.43
			2225-02.277.0102.5205-अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	(मूल) 1.00	0.63	63.00
			4225-02.800.0802.3728-अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्द्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	(मूल) 9.00	9.00	100.00



स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
15	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2851-108.0102.7690-अखिल भारतीय अनुसूचित पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	(मूल) 1.84	1.84	100.00
			2851-108.0103.7690-अखिल भारतीय अनुसूचित पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	(मूल) 1.28	1.28	100.00
16	38	आयुष	2210-02.101.0702.1277-राष्ट्रीय आयुष मिशन	(मूल) 10.07	9.04	89.77
			2210-02.101.0703.1277-राष्ट्रीय आयुष मिशन	(मूल) 7.01	5.73	81.74
			2210-02.101.0705.1277-राष्ट्रीय आयुष मिशन	(मूल) 6.72	6.03	89.73
			2210-02.101.0706.1277-राष्ट्रीय आयुष मिशन	(मूल) 4.67	3.82	81.80
17	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	4210-01.110.0101.0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	(मूल) 3.00	1.72	57.33
			4235-01.201.0101.3171-भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	(मूल) 0.10	0.10	100.00
18	44	उच्च शिक्षा	2202-03.103.0101.9574-शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	(मूल) 7.61	7.61	100.00
			2202-03.103.0102.9574-शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	(मूल) 2.86	2.86	100.00
			2202-03.103.0103.9574-शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	(मूल) 2.00	2.00	100.00
			2202-03.103.1201.7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	(मूल) 37.60	18.85	50.13
			2202-03.103.1202.7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	(मूल) 18.64	10.25	55.99
			2202-03.107.0101.5766-प्रोत्साहन योजना	(मूल) 0.50	0.50	100.00
			4202-01.203.0701.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 45.40	25.33	55.79
			4202-01.203.0702.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 17.12	15.01	87.68

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			4202-01.203.0704.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 30.27	16.89	55.80
			4202-01.203.0705.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 11.41	10.00	87.64
			4202-01.203.0706.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 7.94	5.12	64.48
19	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-112.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 6.05	4.13	68.26
			2230-02.101.0101.0724-जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	(मूल) 4.40	4.39	99.77
			2230-03.003.0701.1232-आई.टी. आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	(मूल) 7.00	7.00	100.00
			2230-03.003.0702.1232-आई.टी. आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	(मूल) 0.70	0.70	100.00
			2230-03.003.0703.1232-आई.टी. आई. का मॉडल आई.टी.आई.के रूप में उन्नयन	(मूल) 0.70	0.70	100.00
			2230-03.003.0704.1232-आई.टी. आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	(मूल) 3.00	3.00	100.00
			2230-03.101.0801.5392-स्ट्राइव योजना	(मूल) 32.00	25.30	79.06
			2230-03.101.0802.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	(मूल) 9.03	9.03	100.00
			2230-03.101.0803.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	(मूल) 7.98	7.98	100.00
			4202-02.104.0801.2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	(मूल) 0.83	0.67	80.72
20	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01.001.0603.9094-समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	(मूल) 1.00	1.00	100.00
			2225-01.196.0703.0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	(मूल) 3.15	3.15	100.00
			2225-01.196.0706.0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	(मूल) 2.10	2.10	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2225-01.277.0803.7765-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	(मूल) 8.00	8.00	100.00
			2225-01.793.0703.0326-अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	(मूल) 9.60	5.75	59.90
			2225-01.793.0703.5191-अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	(मूल) 66.40	39.24	59.10
			4225-01.190.0103.3185-म.प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम	(मूल) 2.00	2.00	100.00
			4225-01.800.0703.1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन	(मूल) 0.60	0.60	100.00
			2225-01.227.0103.2324-आकांक्षा योजना	(मूल) 10.00	7.60	76.00
			4225-01.277.0103.4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	(मूल) 100.00	70.00	70.00
21	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-109.0701.7692-राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	(मूल) 3.00	3.00	100.00
			2401-109.0704.7692-राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	(मूल) 2.00	2.00	100.00
			2401-119.0101.2816-फसल बीमा योजना	(मूल) 27.45	27.45	100.00
			2401-119.0102.2816-फसल बीमा योजना	(मूल) 10.35	10.35	100.00
			2401-119.0102.6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत शृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	(मूल) 2.30	2.30	100.00
			2401-119.0102.6497-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना	(मूल) 0.46	0.46	100.00
			2401-119.0103.2816-फसल बीमा योजना	(मूल) 7.20	7.20	100.00
			2401-119.0103.6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत शृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	(मूल) 1.60	1.60	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2401-119.0701.1482-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो इरिगेशन योजना	(मूल) 58.56	45.06	76.95
			2401-119.0701.5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	(मूल) 18.30	10.67	58.31
			2401-119.0701.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	(मूल) 40.26	40.26	100.00
			2401-119.0702.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	(मूल) 15.18	15.18	100.00
			2401-119.0703.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	(मूल) 10.56	10.56	100.00
			2401-119.0704.1482-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो इरिगेशन योजना	(मूल) 39.04	30.04	76.95
			2401-119.0704.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	(मूल) 26.84	26.84	100.00
			2401-119.0705.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	(मूल) 10.12	10.12	100.00
			2401-119.0706.7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	(मूल) 7.04	7.04	100.00
			4401-119.0701.5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	(मूल) 3.00	3.00	100.00
			4401-119.0704.5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	(मूल) 2.00	2.00	100.00
22	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02.001.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 84.01	43.54	51.83
			2235-02.102.0701.0851-राष्ट्रीय झूलाघर योजना (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	(मूल) 0.60	0.60	100.00
			2235-02.102.0704.0851-राष्ट्रीय झूलाघर योजना (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	(मूल) 0.40	0.40	100.00
			2235-02.102.0707.1291-पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	(अनु.) 0.52	0.52	100.00
			2235-02.103.0101.5033-जाबाली योजना	(मूल) 0.50	0.50	100.00
			2235-02.103.0101.9601-घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिये सहायता	(मूल) 5.41	5.00	92.42
			2235-02.103.0101.9614-महिलाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	(मूल) 50.00	50.00	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2235-02.103.0701.1326-स्वधार योजना (मिशन शक्ति संबल)	(मूल) 1.50	1.50	100.00
			2235-02.103.0701.2367-महिला शक्ति केन्द्र	(मूल) 4.21	4.21	100.00
			2235-02.103.0701.2375-सेफ सिटी कार्यक्रम	(मूल) 1.05	1.05	100.00
			2235-02.103.0704.1326-स्वधार योजना (मिशन शक्ति संबल)	(मूल) 1.00	1.00	100.00
			2235-02.103.0704.2367-महिला शक्ति केन्द्र	(मूल) 2.81	2.81	100.00
			2235-02.103.0707.2367-महिला शक्ति केन्द्र	(अनु.) 5.00	5.00	100.00
			2235-02.103.0707.6917-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हीवाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य)	(अनु.) 43.61	43.56	99.89
			2235-02.102.0101.6442-अटल बाल आरोग्य मिशन	(मूल) 15.52	13.44	86.60
			<b>योग</b>	<b>10,357.23</b>	<b>7,391.48</b>	<b>71.37</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

**परिशिष्ट 3.7**  
**समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.2; पृष्ठ 85)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नमावली	राज.द. / पूंजी.द. / पूंजी.भा. / राज.भा.	बचतें	कुल समर्पण	समर्पित नहीं की गई बचतें
1	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	पूंजी. भा.	2,107.86	1.71	2,106.15
2	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	2,713.17	0.74	2,712.43
3	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.	267.05	236.70	30.35
4	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	40.86	22.29	18.57
5	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.	16.99	11.41	5.58
6	2	विमानन	राज. द.	5.66	0.00	5.66
7	2	विमानन	पूंजी. द.	120.92	0.00	120.92
8	3	गृह	राज. द.	1,145.70	1,128.68	17.02
9	3	गृह	राज. भा.	1.07	0.03	1.04
10	4	पर्यावरण	राज. द.	7.94	0.00	7.94
11	5	जेल	राज. द.	26.64	0.00	26.64
12	5	जेल	पूंजी. द.	32.84	0.00	32.84
13	6	वित्त	राज. द.	3,846.55	8.22	3,838.33
14	6	वित्त	राज. भा.	101.88	0.01	101.87
15	6	वित्त	पूंजी. द.	1,325.91	0.00	1,325.91
16	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.	238.19	62.04	176.15
17	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी. द.	16.45	13.77	2.68
18	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज. द.	2,362.50	1,269.48	1,093.02
19	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज. भा.	3.16	0.00	3.16
20	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	पूंजी. द.	868.73	721.11	147.62
21	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.	8.11	0.00	8.11
22	10	वन	राज. द.	298.36	2.43	295.93
23	10	वन	पूंजी. द.	120.10	0.00	120.10
24	12	ऊर्जा	राज. द.	225.00	0.00	225.00
25	12	ऊर्जा	पूंजी. द.	4,771.71	0.00	4,771.71
26	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज. द.	3,204.80	3,204.41	0.39
27	14	पशुपालन एवं डेयरी	राज. द.	340.87	0.00	340.87
28	14	पशुपालन एवं डेयरी	पूंजी. द.	2.15	0.00	2.15
29	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राज. द.	14.55	0.65	13.90
30	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	पूंजी. द.	2.57	0.00	2.57
31	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.	133.11	0.00	133.11
32	17	सहकारिता	राज. द.	188.21	188.15	0.06
33	18	श्रम	राज. द.	74.24	69.08	5.16
34	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.	1,273.62	0.00	1,273.62

स.क्र.	अनुदान संख्या	नमावली	राज.द./ पूँजी.द./ पूँजी.भा./ राज.भा.	बचतें	कुल समर्पण	समर्पित नहीं की गई बचतें
35	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूँजी. द.	475.26	0.00	475.26
36	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. द.	117.70	0.00	117.70
37	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. भा.	3.24	0.00	3.24
38	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूँजी. द.	1,073.17	70.13	1,003.04
39	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.	11.67	3.35	8.32
40	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.	1,218.38	4.04	1,214.34
41	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. भा.	296.91	0.00	296.91
42	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूँजी. द.	75.41	0.29	75.12
43	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूँजी. भा.	10.00	0.00	10.00
44	23	जल संसाधन	राज. द.	306.97	295.27	11.70
45	23	जल संसाधन	पूँजी. द.	190.55	173.73	16.82
46	23	जल संसाधन	पूँजी. भा.	1.05	0.40	0.65
47	24	लोक निर्माण कार्य	राज. द.	621.03	0.00	621.03
48	24	लोक निर्माण कार्य	राज. भा.	1.82	0.00	1.82
49	24	लोक निर्माण कार्य	पूँजी. द.	281.15	4.91	276.24
50	24	लोक निर्माण कार्य	पूँजी. भा.	79.88	0.00	79.88
51	25	खनिज साधन	राज. द.	23.20	0.00	23.20
52	25	खनिज साधन	पूँजी. द.	1.07	0.00	1.07
53	26	संस्कृति	राज. द.	57.49	12.22	45.27
54	26	संस्कृति	पूँजी. द.	323.95	0.00	323.95
55	27	स्कूल शिक्षा	राज. द.	2,820.65	2,812.68	7.97
56	28	राज्य विधान मण्डल	राज. द.	11.44	0.73	10.71
57	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.	450.87	445.17	5.70
58	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	46.37	46.26	0.11
59	30	ग्रामीण विकास	राज. द.	4,822.73	4,790.66	32.07
60	30	ग्रामीण विकास	पूँजी. द.	298.13	255.67	42.46
61	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.	27.52	25.48	2.04
62	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	पूँजी. द.	37.11	12.03	25.08
63	32	जनसंपर्क	राज. द.	13.39	0.00	13.39
64	32	जनसंपर्क	पूँजी. द.	2.11	0.00	2.11
65	33	जनजातीय कार्य	राज. द.	1,319.55	1,311.11	8.44
66	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.	87.93	42.88	45.05
67	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.	291.86	56.25	235.61
68	36	परिवहन	राज. द.	40.79	0.05	40.74
69	36	परिवहन	पूँजी. द.	8.25	0.00	8.25
70	38	आयुष	राज. द.	75.69	57.28	18.41
71	38	आयुष	पूँजी. द.	2.35	0.04	2.31
72	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.	211.29	6.12	205.17
73	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूँजी. द.	31.36	0.28	31.08
74	40	पंचायत	राज. द.	2,546.20	0.00	2,546.20
75	41	प्रवासी भारतीय	राज. द.	11.38	0.12	11.26
76	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.	12.73	12.30	0.43

स.क्र.	अनुदान संख्या	नमावली	राज.द./ पूँजी.द./ पूँजी.भा./ राज.भा.	बचतें	कुल समर्पण	समर्पित नहीं की गई बचतें
77	43	खेल और युवा कल्याण	राज. द.	22.85	20.10	2.75
78	44	उच्च शिक्षा	राज. द.	664.10	639.29	24.81
79	44	उच्च शिक्षा	पूँजी. द.	119.47	88.53	30.94
80	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज. द.	45.21	0.00	45.21
81	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूँजी. द.	132.97	0.00	132.97
82	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.	258.90	233.46	25.44
83	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूँजी. द.	38.19	35.81	2.38
84	48	नर्मदा घाटी विकास	राज. द.	15.27	15.26	0.01
85	48	नर्मदा घाटी विकास	पूँजी. द.	147.26	145.22	2.04
86	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.	280.37	280.42	(-) 0.05
87	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.	374.63	364.49	10.14
88	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज. द.	21.05	0.00	21.05
89	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.	78.38	0.00	78.38
90	52	चिकित्सा शिक्षा	पूँजी. द.	32.33	15.88	16.45
91	53	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.	5.36	0.00	5.36
92	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.	251.05	0.00	251.05
93	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूँजी. द.	11.34	0.00	11.34
94	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.	1,209.80	1,209.57	0.23
95	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.	29.21	0.00	29.21
<b>योग</b>				<b>50,403.81</b>	<b>68,413.2</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23



## परिशिष्ट 3.8

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) थी, परन्तु उनका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया, का विवरण पत्रक

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.2; पृष्ठ 85)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नमावली	राज. द./पूँजी.द./ पूँजी.भा./राज. भा.	बचतें
1	2	विमानन	राज. द.	5.66
2	2	विमानन	पूँजी. द.	120.92
3	4	पर्यावरण	राज. द.	7.94
4	5	जेल	राज. द.	26.64
5	5	जेल	पूँजी. द.	32.84
6	6	वित्त	पूँजी. द.	1,325.91
7	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज. भा.	3.16
8	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.	8.11
9	10	वन	पूँजी. द.	120.10
10	12	ऊर्जा	राज. द.	225.00
11	12	ऊर्जा	पूँजी. द.	4,771.71
12	14	पशुपालन और डेयरी	राज. द.	340.87
13	14	पशुपालन और डेयरी	पूँजी. द.	2.15
14	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	पूँजी. द.	2.57
15	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.	133.11
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.	1,273.62
17	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूँजी. द.	475.26
18	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. द.	117.70
19	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. भा.	3.24
20	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. भा.	296.91
21	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूँजी. भा.	10.00
22	24	लोक निर्माण कार्य	राज. द.	621.03
23	24	लोक निर्माण कार्य	राज. भा.	1.82
24	24	लोक निर्माण कार्य	पूँजी. भा.	79.88
25	25	खनिज साधन	राज. द.	23.20
26	25	खनिज साधन	पूँजी. द.	1.07
27	26	संस्कृति	पूँजी. द.	323.95
28	32	जनसंपर्क	राज. द.	13.39
29	32	जनसंपर्क	पूँजी. द.	2.11
30	36	परिवहन	पूँजी. द.	8.25
31	40	पंचायत	राज. द.	2,546.20
32	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज. द.	45.21
33	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूँजी. द.	132.97
34	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज. द.	21.05
35	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.	78.38
36	53	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.	5.36

स.क्र.	अनुदान संख्या	नमावली	राज. द./पूंजी.द./ पूंजी.भा./राज. भा.	बचतें
37	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.	251.05
38	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.	11.34
39	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.	29.21
योग				<b>13,498.89</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

**परिशिष्ट 3.9**  
**प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये समर्पण आदेश**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.4; पृष्ठ 86)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	अनियमितता का विवरण
1	8	1, 19, 22, 30, 32, 47, 54, 57	2,020.29	वित्त वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2023 के बाद स्वीकृति का जारी होना।
2	6	5, 16, 23, 24, 26, 33	1,253.34	नियत दिनांक अर्थात् 10 मई 2023 के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की प्राप्ति में देरी होना।
3	2	25, 53	25.12	स्वीकृति आदेशों में पूर्ण विवरण का प्राप्त न होना।
<b>योग</b>			<b>3,298.75</b>	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

**परिशिष्ट 3.10**  
**योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान ₹10 करोड़ एवं अधिक अप्रयुक्त रहा**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.3.5.5 पृष्ठ 86)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.स. / भा.	कुल बजट	व्यय	बचत
1	भारित विनियोग-I	6003		101		0716	66	भा.	76.46	0.00	76.46
2	भारित विनियोग-I	6003		110		0637	66	भा.	736.11	0.00	736.11
3	भारित विनियोग-I	6003		110		0779	66	भा.	2,000.00	0.00	2,000.00
4	भारित विनियोग-II	2049	01	101		5025	52	भा.	200.00	0.00	200.00
5	भारित विनियोग-II	2049	01	101		5437	52	भा.	78.98	0.00	78.98
6	भारित विनियोग-II	2049	01	101		9898	52	भा.	157.00	0.00	157.00
7	भारित विनियोग-II	2049	01	200		7824	52	भा.	550.00	0.00	550.00
8	भारित विनियोग-II	2049	60	701		0716	52	भा.	776.88	0.00	776.88
9	भारित विनियोग-II	2049	60	701		6971	52	भा.	70.00	0.00	70.00
10	भारित विनियोग-II	2049	60	701		6972	52	भा.	80.00	0.00	80.00
11	1	2070		800		9608	42	द.स.	15.00	0.00	15.00
12	2	5053	80	800	0101	6592	23	द.स.	120.00	0.00	120.00
13	6	2054		095		5329	51	द.स.	1,983.00	0.00	1,983.00
14	6	2054		095		5329	53	भा.	100.00	0.00	100.00
15	6	2070		800	0101	0224	51	द.स.	82.00	0.00	82.00
16	6	4425		107	0101	1005	65	द.स.	20.00	0.00	20.00
17	6	6075		800		6787	66	द.स.	793.13	0.00	793.13
18	6	6075		800		6788	66	द.स.	10.00	0.00	10.00
19	12	2801	80	101	0101	7837	44	द.स.	1,860.00	0.00	1,860.00
20	12	2801	80	101	0102	7837	44	द.स.	660.00	0.00	660.00
21	12	2801	80	101	0102	7861	44	द.स.	25.00	0.00	25.00
22	12	2801	80	101	0103	7837	44	द.स.	480.00	0.00	480.00
23	12	4801	05	190	0101	7837	64	द.स.	1,767.00	0.00	1,767.00
24	12	4801	05	190	0102	7837	64	द.स.	627.00	0.00	627.00
25	12	4801	05	190	0103	7837	64	द.स.	456.00	0.00	456.00
26	12	4801	05	190	0410	9654	65	द.स.	100.00	0.00	100.00
27	12	4801	05	190	0701	9542	64	द.स.	930.00	0.00	930.00
28	12	4801	05	190	0702	9542	64	द.स.	330.00	0.00	330.00
29	12	4801	05	190	0703	9542	64	द.स.	240.00	0.00	240.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.स. /भा.	कुल बजट	व्यय	बचत
30	12	4801	05	190	0704	9542	67	द.स.	62.00	0.00	62.00
31	12	4801	05	190	0705	9542	67	द.स.	22.00	0.00	22.00
32	12	4801	05	190	0706	9542	67	द.स.	16.00	0.00	16.00
33	12	4801	05	190	1901	9542	67	द.स.	558.00	0.00	558.00
34	12	4801	05	190	1902	9542	67	द.स.	198.00	0.00	198.00
35	12	4801	05	190	1903	9542	67	द.स.	144.00	0.00	144.00
36	12	6801		190	0101	5336	65	द.स.	12.74	0.00	12.74
37	12	6801		205	1201	9655	67	द.स.	100.00	0.00	100.00
38	14	2403		101	0701	9570	42	द.स.	32.61	0.00	32.61
39	14	2403		101	0704	9570	42	द.स.	21.74	0.00	21.74
40	14	2403		800	0701	5626	42	द.स.	10.83	0.00	10.83
41	19	4210	01	110	1301	9922	63	द.स.	117.00	0.00	117.00
42	19	4210	01	110	1301	9922	64	द.स.	130.00	0.00	130.00
43	19	4210	01	110	1302	9922	63	द.स.	35.00	0.00	35.00
44	19	4210	01	110	1302	9922	64	द.स.	39.00	0.00	39.00
45	20	4215	01	001	0102	9551	64	द.स.	43.00	0.00	43.00
46	20	4215	01	001	0103	9551	64	द.स.	35.00	0.00	35.00
47	20	4215	01	102	1701	5468	64	द.स.	30.00	0.00	30.00
48	20	4215	01	102	1702	5468	64	द.स.	11.00	0.00	11.00
49	22	2217	05	800	0701	1238	42	द.स.	16.84	0.00	16.84
50	22	3604		191		1425	45	भा.	128.00	0.00	128.00
51	22	3604		191		9611	42	द.स.	14.03	0.00	14.03
52	22	3604		191	0101	9578	42	द.स.	30.00	0.00	30.00
53	22	4217	01	050	0101	3115	62	भा.	10.00	0.00	10.00
54	22	4217	01	051	0101	7715	64	द.स.	10.00	0.00	10.00
55	22	4217	03	190	0703	7705	65	द.स.	84.00	0.00	84.00
56	22	6217	60	191	0101	7913	67	द.स.	10.00	0.00	10.00
57	22	6217	60	800	0101	9619	67	द.स.	400.00	0.00	400.00
58	22	6217	60	800	1202	1262	67	द.स.	10.00	0.00	10.00
59	22	6217	60	800	1203	7336	67	द.स.	67.00	0.00	67.00
60	24	2059	80	800		9587	42	द.स.	10.00	0.00	10.00
61	24	5054	03	337	1901	9609	62	भा.	30.00	0.00	30.00
62	24	5054	03	337	1902	9609	62	भा.	20.00	0.00	20.00
63	24	5054	04	337	0101	9876	64	द.स.	12.00	0.00	12.00
64	24	5054	04	337	0101	9892	64	द.स.	12.00	0.00	12.00
65	26	4202	04	800		9571	64	द.स.	18.00	0.00	18.00
66	39	2408	01	102	0702	1299	44	द.स.	59.23	0.00	59.23
67	39	2408	01	102	0703	1299	44	द.स.	41.20	0.00	41.20
68	39	2408	01	102	0705	1299	44	द.स.	59.23	0.00	59.23
69	39	2408	01	102	0706	1299	44	द.स.	41.20	0.00	41.20
70	40	2515		198	0702	0647	42	द.स.	26.59	0.00	26.59
71	40	2515		198	0703	0647	42	द.स.	18.50	0.00	18.50
72	40	2515		198	0705	0647	42	द.स.	12.51	0.00	12.51

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.स. /भा.	कुल बजट	व्यय	बचत
73	40	2515		198	1302	9638	42	द.स.	498.36	0.00	498.36
74	40	2515		198	1303	9638	42	द.स.	346.69	0.00	346.69
75	40	3604		198	0101	9611	42	द.स.	48.19	0.00	48.19
76	40	3604		198	0102	9611	42	द.स.	18.17	0.00	18.17
77	40	3604		198	0103	4610	42	द.स.	14.00	0.00	14.00
78	40	3604		198	0103	9611	42	द.स.	12.64	0.00	12.64
79	47	2230	03	003	0101	9617	42	द.स.	15.25	0.00	15.25
80	51	2250		800	0101	7227	42	द.स.	20.00	0.00	20.00
81	54	2225	03	800	0101	9607	42	द.स.	50.00	0.00	50.00
<b>योग</b>									<b>19,105.10</b>	<b>0.00</b>	<b>19,105.10</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

## परिशिष्ट 3.11

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ एवं अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.9; पृष्ठ 91)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./पूँजी.द./पूँजी. प्रभा./राज.प्रभा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)	
<b>प्रकरण जहाँ बचतें ₹10 करोड़ एवं ₹100 करोड़ के मध्य थी</b>							
1	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	90.73	49.86	40.86	45.04
2	1	सामान्य प्रशासन	पूँजी. द.	65.45	48.46	16.99	25.95
3	5	जेल	पूँजी. द.	87.50	54.66	32.84	37.54
4	7	वाणिज्यिक कर	पूँजी. द.	18.00	1.55	16.45	91.41
5	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राज. द.	30.86	16.30	14.55	47.16
6	24	लोक निर्माण कार्य	पूँजी. भा.	340.00	260.12	79.88	23.49
7	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	223.20	176.83	46.37	20.78
8	36	परिवहन	राज. द.	132.64	91.85	40.79	30.75
9	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूँजी. द.	102.56	71.20	31.36	30.58
10	41	प्रवासी भारतीय	राज. द.	20.83	9.45	11.38	54.64
11	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज. द.	73.79	28.58	45.21	61.27
12	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूँजी. द.	17.70	6.36	11.34	64.08
13	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.	120.24	91.03	29.21	24.29
<b>योग</b>				<b>1,323.50</b>	<b>906.25</b>	<b>417.23</b>	<b>31.52</b>
<b>प्रकरण जहाँ बचतें ₹100 करोड़ एवं ₹500 करोड़ के मध्य थी</b>							
14	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.	1,015.30	748.24	267.05	26.30
15	2	विमानन	पूँजी. द.	121.00	0.08	120.92	99.93
16	6	वित्त	राज. भा.	111.74	9.86	101.88	91.18
17	14	पशुपालन एवं डेयरी	राज. द.	1,439.12	1,098.25	340.87	23.69
18	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.	254.10	120.99	133.11	52.39
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूँजी. द.	1,025.78	550.52	475.26	46.33
20	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. भा.	1,167.31	870.40	296.91	25.44
21	23	जल संसाधन	राज. द.	1,499.49	1,192.53	306.97	20.47
22	26	संस्कृति	पूँजी. द.	378.50	54.55	323.95	85.59
23	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.	1,925.08	1,474.21	450.87	23.42
24	33	जनजातीय कार्य	पूँजी. द.	1,508.11	1,096.71	411.41	27.28
25	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.	1,198.06	906.20	291.86	24.36
26	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूँजी. द.	200.00	67.03	132.97	66.48
27	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूँजी. द.	200.00	91.84	108.16	54.08
28	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.	662.86	288.23	374.63	56.52
<b>योग</b>				<b>12,706.45</b>	<b>8,569.64</b>	<b>4,136.82</b>	<b>32.56</b>
<b>प्रकरण जहाँ बचतें ₹500 करोड़ एवं अधिक थी</b>							
29	6	वित्त	पूँजी. द.	1,373.83	47.92	1,325.91	96.51
30	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज. द.	7,580.76	5,218.26	2,362.50	31.16
31	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा	पूँजी. द.	1,422.01	553.28	868.73	61.09

अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./पूंजी.द. /पूंजी. प्रभा. /राज.प्रभा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)	
	राहत पर व्यय						
32	12	ऊर्जा	पूंजी. द.	6,476.94	1,705.23	4,771.71	73.67
33	17	सहकारिता	पूंजी. द.	1,020.12	0.08	1,020.05	99.99
34	24	लोक निर्माण कार्य	राज. द.	2,768.07	2,147.04	621.03	22.44
35	27	स्कूल शिक्षा	पूंजी. द.	1,459.30	918.82	540.48	37.04
36	30	ग्रामीण विकास	राज. द.	19,620.43	14,797.70	4,822.73	24.58
37	40	पंचायत	राज. द.	8,008.12	5,461.92	2,546.20	31.80
38	44	उच्च शिक्षा	राज. द.	2,920.74	2,256.63	664.10	22.74
<b>योग</b>				<b>52,650.32</b>	<b>33,106.88</b>	<b>19,543.44</b>	<b>37.12</b>
<b>महायोग</b>				<b>66,680.27</b>	<b>42,582.77</b>	<b>24,097.49</b>	<b>36.14</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23



**परिशिष्ट 3.12**  
**तदर्थ आधार पर बजट अनुमान**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.12; पृष्ठ 96)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
1	1	सामान्य प्रशासन	2052-800-7660	100	100
2			4059-01-051-0101-1343	1,000	1,000
3			4059-01-051-0101-6375	1,000	1,000
4			4059-01-051-0101-7376	1,000	1,000
5	3	गृह	2055-109-7822	1,000	1,000
6			2055-109-0702-9953	100	100
7			2055-109-0705-9953	100	100
8			2070-107-0704-7867	1,000	1,000
9			4055-109-0702-9953	200	200
10			4055-109-0705-9953	200	200
11			4055-207-0702-6919	1,000	1,000
12			4055-207-0704-8333	1,000	1,000
13			4055-207-0801-5430	1,000	1,000
14	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-80-103-6949	1,000	1,000
15			2245-80-103-7024	1,000	1,000
16	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-001-0101-5669	1,000	1,000
17			2401-001-0101-7660	100	100
18			2401-103-0102-5081	100	100
19			2401-103-0102-8769	100	100
20			2401-105-0101-6410	1,000	1,000
21			2401-105-0102-6410	1,000	1,000
22			2401-105-0103-6410	1,000	1,000
23			2401-109-0101-9901	100	100
24			2401-109-0701-9920	100	100
25			2401-109-0702-9920	100	100
26			2401-109-0703-9920	100	100
27			2401-109-0704-9920	100	100
28			2401-109-0705-9920	100	100
29			2401-109-0706-9920	100	100
30			2401-113-0101-6674	1,000	1,000
31			2401-113-0101-9598	1,000	1,000
32			2401-113-0102-6674	1,000	1,000
33			2401-113-0102-9598	1,000	1,000
34			2401-113-0102-9599	1,000	1,000
35	2401-113-0103-6674	1,000	1,000		
36	2401-113-0103-9598	1,000	1,000		

37			2401-113-0103-9599	1,000	1,000
38			2401-113-0801-0903	1,000	1,000
39			2401-113-0802-5907	1,000	1,000
40			2401-113-0803-5907	1,000	1,000
41			2401-800-1920	1,000	1,000
42			2401-800-0101-5319	1,000	1,000
43			2401-800-0101-5321	1,000	1,000
44			2401-800-0102-5319	1,000	1,000
45			2401-800-0103-5319	1,000	1,000
46			4401-103-6287	1,000	1,000
47	17	सहकारिता	2425-107-0101-9134	1,000	1,000
48			2425-107-0102-9134	1,000	1,000
49			2425-107-0103-9134	1,000	1,000
50	23	जल संसाधन	2700-21-101-0102-2894	1,000	1,000
51			2701-80-001-0101-5669	1,000	1,000
52			4700-23-800-0101-2884	1,000	1,000
53			4700-23-800-0101-6596	1,000	1,000
54			4700-54-800-0101-2884	1,000	1,000
55			4700-56-800-1401-2884	1,000	1,000
56			4700-56-800-1402-2884	1,000	1,000
57			4700-56-800-1403-2884	1,000	1,000
58			4700-68-800-0101-2884	1,000	1,000
59			4700-68-800-0801-2884	1,000	1,000
60			4700-68-800-1901-2897	1,000	1,000
61			4700-83-800-0801-2884	1,000	1,000
62			4700-83-800-1901-2897	1,000	1,000
63			4700-84-800-1901-2897	1,000	1,000
64			4700-86-800-0801-2897	1,000	1,000
65			4700-B4-800-0801-2897	1,000	1,000
66			4700-B9-800-0801-2897	1,000	1,000
67			4700-C1-800-0801-2897	1,000	1,000
68			4700-C8-800-0101-2897	1,000	1,000
69			4700-C8-800-1901-2897	1,000	1,000
70			4700-C9-800-0101-2897	1,000	1,000
71			4700-C9-800-1901-2897	1,000	1,000
72			4701-48-800-0802-3366	1,000	1,000
73			4701-80-800-0101-5591	1,000	1,000
74			4701-98-800-0802-2897	1,000	1,000
75			4701-99-800-0801-2897	1,000	1,000
76			4701-A5-800-0801-2884	1,000	1,000
77			4701-A7-800-0801-2884	1,000	1,000
78			4701-B1-800-1901-2884	1,000	1,000

79			4701-B2-800-0801-2884	1,000	1,000
80			4701-B8-800-0101-2884	1,000	1,000
81			4701-B8-800-0101-2894	1,000	1,000
82			4701-B9-800-0101-2884	1,000	1,000
83			4701-B9-800-0101-2894	1,000	1,000
84			4701-B9-800-1901-2884	1,000	1,000
85			4701-C1-800-0101-2884	1,000	1,000
86			4701-C1-800-0101-2894	1,000	1,000
87			4701-C1-800-1901-2884	1,000	1,000
88			4701-C2-800-0101-2884	1,000	1,000
89			4701-C2-800-0101-2894	1,000	1,000
90			4701-C2-800-1901-2884	1,000	1,000
91			4701-C3-800-0101-2884	1,000	1,000
92			4701-C3-800-0101-2894	1,000	1,000
93			4701-C3-800-1901-2884	1,000	1,000
94			4701-C4-800-0101-2884	1,000	1,000
95			4711-01-103-0101-9553	1,000	1,000
96	26	संस्कृति	2205-102-0101-8001	1,000	1,000
97			2205-102-0102-7876	1,000	1,000
98			2205-102-0103-7876	1,000	1,000
99			2205-107-0701-4283	1,000	1,000
100			2205-107-0704-4283	1,000	1,000
101			4202-04-800-0101-8001	1,000	1,000
102			4202-04-800-0102-7011	1,000	1,000
103	27	स्कूल शिक्षा	2202-01-001-7300	1,000	1,000
104			2202-01-102-0101-6344	1,000	1,000
105			2202-01-102-0801-6344	1,000	1,000
106			2202-01-102-0802-6344	1,000	1,000
107			2202-01-102-0803-6344	1,000	1,000
108			2202-01-107-0701-9678	1,000	1,000
109			2202-01-107-0702-9678	1,000	1,000
110			2202-01-107-0703-9678	1,000	1,000
111			2202-01-107-0704-9678	1,000	1,000
112			2202-01-107-0705-9678	1,000	1,000
113			2202-01-107-0706-9678	1,000	1,000
114			2202-02-101-0101-1233	1,000	1,000
115			2202-03-103-0101-2071	1,000	1,000
116			2202-03-103-0101-7618	1,000	1,000
117			2202-80-001-0101-4065	100	100
118			2202-80-001-0101-5669	1,000	1,000
119			2202-80-001-0101-7660	100	100
120			4202-01-201-0101-7617	1,000	1,000

121			4202-01-202-1701-6970	1,000	1,000
122			4202-01-202-1702-6970	1,000	1,000
123			4202-01-202-1703-6970	1,000	1,000
124			4202-02-103-0101-5732	1,000	1,000
125			4202-02-105-0101-0067	1,000	1,000
126			4202-04-105-0101-5473	1,000	1,000
127			4202-04-105-0102-5473	1,000	1,000
128			4202-04-105-0103-5473	1,000	1,000
129	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02-103-5669	1,000	1,000
130			2011-02-103-9545	1,000	1,000
131	29	विधि एवं विधायी कार्य	2052-090-5669	1,000	1,000
132			2235-60-200-0101-7209	1,000	1,000
133	30	ग्रामीण विकास	2501-06-198-0101-2372	1,000	1,000
134			2501-06-198-0103-5127	1,000	1,000
135			2501-06-198-0701-9528	1,000	1,000
136			2501-06-198-0702-9528	1,000	1,000
137			2501-06-198-0703-9528	1,000	1,000
138			2501-06-198-0704-9528	1,000	1,000
139			2501-06-198-0705-9528	1,000	1,000
140			2501-06-198-0706-9528	1,000	1,000
141			2505-01-198-0101-2368	1,000	1,000
142			2505-01-198-0801-1072	100	100
143			2505-01-198-0801-1073	100	100
144			2505-01-198-0801-6923	100	100
145			2505-01-198-0802-6923	100	100
146			2505-01-198-0803-6923	100	100
147			2515-001-0101-5669	1,000	1,000
148			2515-198-0801-0656	1,000	1,000
149			4515-103-0101-5129	1,000	1,000
150			4515-103-0102-5129	1,000	1,000
151			4515-103-0103-5129	1,000	1,000
152			4515-198-0701-6099	1,000	1,000
153			4515-198-0702-6099	1,000	1,000
154			4515-198-0703-6099	1,000	1,000
155			4515-198-0704-6099	1,000	1,000
156			4515-198-0705-6099	1,000	1,000
157			4515-198-0706-6099	1,000	1,000
158			4515-800-0550-5129	1,000	1,000
159			4515-800-0551-5129	1,000	1,000
160			4515-800-0552-5129	1,000	1,000
161	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	2401-102-1501-6080	1,000	1,000
162			2401-102-1503-6080	1,000	1,000

163			2515-102-0701-6109	1,000	1,000
164			2515-102-0704-6109	1,000	1,000
165			3454-02-001-5669	1,000	1,000
166			3454-02-800-0801-6612	1,000	1,000
167			4401-102-0701-6080	1,000	1,000
168			4401-102-0703-6080	1,000	1,000
169			4401-102-1501-6080	1,000	1,000
170			4401-102-1503-6080	1,000	1,000
171	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-0102-7831	1,000	1,000
172			2202-01-102-0101-7828	1,000	1,000
173			2225-01-001-0102-5669	1,000	1,000
174			2225-01-102-0102-8861	1,000	1,000
175			2225-02-001-0102-6130	100	100
176			2225-02-102-0102-6462	1,000	1,000
177			2225-02-102-0102-7829	1,000	1,000
178			2225-02-102-0102-9900	100	100
179			2225-02-102-0702-9771	1,000	1,000
180			2225-02-102-0705-9771	1,000	1,000
181			2225-02-277-0102-9952	100	100
182			4225-02-277-0102-0978	1,000	1,000
183			4225-02-277-0702-6502	1,000	1,000
184			4225-02-277-0705-6502	1,000	1,000
185	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-02-001-0101-5669	1,000	1,000
186			2235-02-101-0101-2083	1,000	1,000
187			2235-02-101-0102-2083	1,000	1,000
188			2235-02-101-0103-2083	1,000	1,000
189			2235-02-800-0101-5389	1,000	1,000
190			2235-02-800-0101-6677	1,000	1,000
191	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2851-001-0101-5669	1,000	1,000
192			2851-102-0101-7064	1,000	1,000
193			2851-800-0101-7623	1,000	1,000
194			4851-800-0101-7623	1,000	1,000
195			4851-800-0101-7624	1,000	1,000
196	37	पर्यटन	3452-80-001-0101-2529	1,000	1,000
197			3452-80-001-0101-5669	1,000	1,000
198	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	3475-106-0101-6113	1,000	1,000
199	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	2235-02-001-0101-3171	1,000	1,000
200			2210-01-001-0101-5669	1,000	1,000
201			2235-02-001-0101-6735	1,000	1,000
202			2235-02-001-0101-7187	1,000	1,000
203			2235-02-001-0102-6735	1,000	1,000

204			2235-02-001-0103-6735	1,000	1,000
205			4235-01-201-0101-4889	1,000	1,000
206			4235-01-201-0701-6281	1,000	1,000
207			4235-01-201-0704-6281	1,000	1,000
208	44	उच्च शिक्षा	2202-03-107-0102-5766	1,000	1,000
209			2202-03-107-0103-5766	1,000	1,000
210	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-60-200-0102-5525	1,000	1,000
211			3425-60-200-0103-5525	1,000	1,000
212			3425-60-600-0101-5669	1,000	1,000
213			3425-60-600-0101-9522	1,000	1,000
214			3425-60-600-0701-7615	1,000	1,000
215			3425-60-600-0704-7615	1,000	1,000
216	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-001-0101-5669	1,000	1,000
217			2203-104-0101-2376	1,000	1,000
218			2203-104-0101-5700	1,000	1,000
219			2230-03-003-0101-7303	1,000	1,000
220			2230-03-101-0101-2376	1,000	1,000
221			2230-03-101-0102-2376	1,000	1,000
222			2230-03-101-0103-2376	1,000	1,000
223			4202-02-104-0801-5392	1,000	1,000
224			4202-02-104-1401-6952	1,000	1,000
225			4250-201-0102-6952	1,000	1,000
226	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-3561	1,000	1,000
227			2801-01-001-0101-5669	1,000	1,000
228			2801-01-001-0101-6818	1,000	1,000
229			4700-80-001-0101-5781	1,000	1,000
230			4700-80-001-0101-9539	1,000	1,000
231			4700-80-001-0101-9540	1,000	1,000
232			4700-80-001-0101-9541	1,000	1,000
233			4700-80-001-0101-9552	1,000	1,000
234			4700-80-001-1901-5011	1,000	1,000
235			4700-80-001-1901-9552	1,000	1,000
236			4700-80-800-0801-1001	1,000	1,000
237			4700-80-800-0801-1406	1,000	1,000
238			4700-80-800-0801-2332	1,000	1,000
239			4801-01-205-0101-9133	1,000	1,000
240			4801-01-205-0102-9133	1,000	1,000
241			4801-01-205-0103-9133	1,000	1,000
242	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-001-0103-5669	1,000	1,000
243			2225-01-196-0103-5133	1,000	1,000
244			2225-01-196-0803-5133	1,000	1,000
245			2225-01-277-0703-0538	1,000	1,000

246			2225-01-277-0703-7765	1,000	1,000
247			2225-01-277-0706-0538	1,000	1,000
248			2225-01-793-0703-1213	1,000	1,000
249			2225-01-793-0703-2040	1,000	1,000
250			2225-01-793-0706-1213	1,000	1,000
251			2225-01-793-0706-2040	1,000	1,000
252			2225-01-800-0703-5635	1,000	1,000
253			2225-01-800-0706-5635	1,000	1,000
254			4225-01-190-0703-3185	1,000	1,000
255			4225-01-190-0706-3185	1,000	1,000
256			4225-01-277-0103-2294	1,000	1,000
257			4225-01-277-0103-7912	1,000	1,000
258			4225-01-800-0103-1032	1,000	1,000
259			4225-01-800-0103-6101	100	100
260			4225-01-800-0703-4722	1,000	1,000
261			4225-01-800-0703-5635	1,000	1,000
262			4225-01-800-0706-4722	1,000	1,000
263			4225-01-800-0706-5635	1,000	1,000
264	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101-5669	1,000	1,000
265			4401-119-0101-5116	1,000	1,000
266			4401-119-0101-5474	1,000	1,000
267			4401-119-0102-5474	1,000	1,000
268			4401-119-0103-5474	1,000	1,000
269	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-001-0101-5669	1,000	1,000
270			2235-02-102-0102-6442	1,000	1,000
271			2235-02-102-0103-6442	1,000	1,000
272			2235-02-102-0707-9647	500	500
273			2235-02-103-0102-5033	1,000	1,000
274			2235-02-103-0707-9632	100	100
275			2235-02-103-0707-9646	500	500
276			2236-02-101-0701-7854	1,000	1,000
277			2236-02-101-0702-6392	1,000	1,000
278			2236-02-101-0703-6392	1,000	1,000
279			2236-02-101-0704-7854	1,000	1,000
280			4235-02-102-0702-0658	1,000	1,000
281			4235-02-102-0703-0658	1,000	1,000
282			4235-02-102-0705-0658	1,000	1,000
283			4235-02-102-0706-0658	1,000	1,000
284			4235-02-800-0701-9646	1,000	1,000
285			4235-02-800-0704-9646	1,000	1,000
<b>योग</b>				<b>2,59,900</b>	<b>2,59,900</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

**परिशिष्ट 3.13**  
**आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.13; पृष्ठ 97)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (भारित): 23 पूंजीगत (भारित): 23	
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2 पूंजीगत (दत्तमत): 10	34.31
	01 विनियोग	पूंजीगत (भारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूंजीगत (दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (भारित): 24, 67 पूंजीगत (भारित): 41	
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
2018-19	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 4	1,028.62
	01 विनियोग	पूंजीगत (भारित): लोक ऋण	
2020-21	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 20	9.92
<b>योग</b>	<b>12 अनुदान और 07 विनियोग</b>		<b>1,678.00</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे



## परिशिष्ट 3.14

एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ समर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹50 करोड़ से अधिक और कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था)

(संदर्भ: कंडिका 3.4.3; पृष्ठ 100)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
1	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-02.122.0989-क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यो की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	(मू.) 50.00	50.00	100.00
2			2245-80.102.6276-आपदा प्रबंधन योजना	(मू.) 105.00 (अनु.) 136.24 241.24	144.59	59.94
3			4250-101.6276-आपदा प्रबंधन योजना	(मू.) 890.00	498.48	56.01
4			4250-101.7667-15वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मू.) 157.30	110.33	70.14
5			4250-101.8030-पुनः स्थापना एवं अन्य कार्य हेतु सहायता	(मू.) 105.00	105.00	100.00
6	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102.0102.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(अनु.) 77.00	77.00	100.00
7			2401-102.0103.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(अनु.) 56.00	56.00	100.00
8			2401-102.0701.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मू.) 142.10	112.61	79.25
9			2401-102.0704.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मू.) 94.73	75.07	79.25
10	17	सहकारिता	4425-107.0101.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मू.) 800.00	800.00	100.00
11			4425-107.0102.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मू.) 115.00	115.00	100.00
12			4425-107.0103.5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मू.) 85.00	85.00	100.00
13	30	ग्रामीण विकास	2215-02.198.0701.5206-निर्मल भारत अभियान	(मू.) 146.40	87.50	59.77

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
14			2501-06.198.0101.9567- महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	(अनु.) 51.06	51.06	100.00
15			2505-01.198.0701.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मू.) 1,601.25	847.82	52.95
16			2505-01.198.0702.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मू.) 603.75	323.30	53.55
17			2505-01.198.0703.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मू.) 420.00	224.91	53.55
18			2505-01.198.0704.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मू.) 533.75	275.41	51.60
19			2505-01.198.0705.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(मू.) 201.25	104.53	51.94
20	33	जनजातीय कार्य	2225-02.102.0802.6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	(मू.) 100.00	78.16	78.16
21			2225-02.102.0802.7881- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1)	(मू.) 123.87	123.16	99.43
22	49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01.277.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	(मू.) 100.00	70.00	70.00
23	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02.103.0101.9614- महिलाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	(मू.) 50.00	50.00	100.00
<b>योग</b>				<b>6,744.70</b>	<b>4,464.93</b>	<b>66.20</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

**परिशिष्ट 3.15**  
**व्यय की अधिकता**  
(संदर्भ: कंडिका 3.4.5; पृष्ठ 105)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च 2023
1	भारित विनियोग I-लोक ऋण	9927	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	भारित विनियोग I-लोक ऋण	9930	4,473.00	4,473.00	4,473.00	100.00	100.00
3	भारित विनियोग I-लोक ऋण	9032	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00
4	भारित विनियोग I-लोक ऋण	9497	736.00	736.00	736.00	100.00	100.00
5	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9623	71.30	71.30	71.30	100.00	100.00
6	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9326	116.10	116.10	116.10	100.00	100.00
7	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9835	50.17	50.17	50.17	100.00	100.00
8	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7824	288.50	288.50	288.50	100.00	100.00
9	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6587	15.54	15.54	15.55	99.91	99.91
10	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9318	102.43	102.43	102.43	100.00	100.00
11	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9324	286.15	286.15	403.33	70.95	70.95
12	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9821	17.78	17.78	35.55	50.00	50.00
13	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9125	86.40	86.40	86.40	100.00	100.00
14	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9321	41.25	41.25	41.25	100.00	100.00
15	भारित विनियोग II-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9897	70.80	70.80	70.80	100.00	100.00
16	3-गृह	1416	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
17	6-वित्त	6857	15.72	15.72	15.72	100.00	100.00
18	7-वाणिज्यिक कर	8808	14.72	13.09	26.10	56.41	50.17
19	7-वाणिज्यिक कर	2360	396.81	396.81	396.81	100.00	100.00
20	7-वाणिज्यिक कर	2359	178.28	178.28	178.28	100.00	100.00
21	8-भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	9597	992.23	992.23	992.23	100.00	100.00
22	10-वन	8859	25.00	25.00	25.10	99.61	99.60
23	11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	5531	28.61	23.61	41.61	68.76	56.74
24	11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2123	938.00	888.00	1,686.00	55.63	52.67
25	12-ऊर्जा	7900	440.78	440.78	647.83	68.04	68.04
26	12-ऊर्जा	0700	35.96	35.96	39.13	91.90	91.90
27	12-ऊर्जा	3218	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
28	12-ऊर्जा	7254	38.53	38.53	38.53	100.00	100.00

स.क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च 2023
29	12-ऊर्जा	7861	14.18	14.18	14.18	100.00	100.00
30	12-ऊर्जा	6929	415.00	415.00	547.89	75.75	75.75
31	12-ऊर्जा	7253	55.50	55.50	55.50	100.00	100.00
32	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7498	44.42	44.42	51.57	86.14	86.14
33	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7717	30.07	30.07	34.84	86.31	86.31
34	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7847	300.05	300.02	300.18	99.96	99.95
35	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7450	33.33	33.06	65.13	51.18	50.76
36	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	0715	57.55	51.28	76.38	75.35	67.13
37	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	6673	108.61	105.17	116.19	93.48	90.52
38	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	9576	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
39	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	8768	2,516.38	1,608.63	3,206.50	78.48	50.17
40	14-पशुपालन एवं डेयरी	5418	20.19	20.19	20.19	100.00	100.00
41	14-पशुपालन एवं डेयरी	2087	32.95	31.64	38.20	86.27	82.83
42	14-पशुपालन एवं डेयरी	9570	64.96	64.96	64.96	100.00	100.00
43	17-सहकारिता	1081	35.02	24.25	35.02	100.00	69.25
44	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2315	690.24	636.90	903.57	76.39	70.49
45	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9548	91.10	78.12	151.99	59.94	51.40
46	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7659	25.83	25.15	25.83	100.00	97.34
47	22-नगरीय विकास एवं आवास	9886	99.00	67.76	99.00	100.00	68.44
48	22-नगरीय विकास एवं आवास	9882	99.00	74.00	99.00	100.00	74.75
49	22-नगरीय विकास एवं आवास	7838	387.36	387.36	581.36	66.63	66.63
50	22-नगरीय विकास एवं आवास	9492	32.00	32.00	32.00	100.00	100.00
51	22-नगरीय विकास एवं आवास	8333	11.50	11.50	11.50	100.00	100.00
52	22-नगरीय विकास एवं आवास	9488	353.25	350.00	361.79	97.64	96.74
53	22-नगरीय विकास एवं आवास	9880	99.00	71.30	99.00	100.00	72.02
54	23-जल संसाधन	3368	37.69	35.33	43.77	86.11	80.72
55	24-लोक निर्माण कार्य	6841	450.00	400.00	530.00	84.91	75.47
56	24-लोक निर्माण कार्य	1316	54.57	47.34	93.18	58.56	50.80
57	25-खनिज साधन	6606	813.05	813.05	813.05	100.00	100.00
58	27-स्कूल शिक्षा	2267	92.64	92.64	101.74	91.06	91.06
59	27-स्कूल शिक्षा	5133	13.16	8.95	13.45	97.87	66.54
60	27-स्कूल शिक्षा	6813	121.00	105.22	125.00	96.80	84.17
61	30-ग्रामीण विकास	6084	76.72	61.67	107.73	71.22	57.25
62	30-ग्रामीण विकास	7660	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
63	32-जनसंपर्क	7660	43.72	39.10	57.99	75.39	67.43
64	33-जनजातीय कार्य	6175	147.20	97.20	148.05	99.43	65.65
65	33-जनजातीय कार्य	9853	39.09	34.34	48.91	79.93	70.21
66	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2124	515.67	457.64	700.13	73.65	65.37
67	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	7690	43.65	42.87	46.77	93.32	91.65
68	37-पर्यटन	1271	60.99	56.27	86.90	70.18	64.75
69	38-आयुष	1277	28.60	28.60	39.33	72.72	72.72
70	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1299	361.80	361.80	361.80	100.00	100.00
71	40-पंचायत	0647	23.33	23.33	24.89	93.75	93.75

स.क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी-मार्च 2023 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2023	मार्च 2023
72	40-पंचायत	7668	1,375.86	1,331.44	1,884.44	73.01	70.65
73	40-पंचायत	6093	30.80	30.80	55.00	56.00	56.00
74	44-उच्च शिक्षा	4699	36.34	34.87	42.54	85.42	81.98
75	44-उच्च शिक्षा	6916	59.50	43.30	71.13	83.65	60.87
76	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	3837	27.20	27.20	27.20	100.00	100.00
77	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	9848	48.06	48.06	48.06	100.00	100.00
78	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7608	24.11	23.71	25.68	93.87	92.34
79	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	9891	185.00	165.00	185.00	100.00	89.19
80	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2377	27.93	27.93	31.54	88.56	88.56
81	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	0820	208.33	202.83	369.49	56.38	54.89
82	48-नर्मदा घाटी विकास	9540	45.00	25.00	45.00	100.00	55.56
83	48-नर्मदा घाटी विकास	8825	49.46	49.46	49.48	99.96	99.96
84	48-नर्मदा घाटी विकास	9539	27.17	27.17	27.17	100.00	100.00
85	48-नर्मदा घाटी विकास	8824	17.46	17.46	17.48	99.90	99.89
86	48-नर्मदा घाटी विकास	9663	30.58	30.58	30.58	100.00	100.00
87	48-नर्मदा घाटी विकास	9838	891.60	541.46	1,047.42	85.12	51.69
88	48-नर्मदा घाटी विकास	5012	44.44	44.42	44.49	99.88	99.84
89	48-नर्मदा घाटी विकास	5177	22.00	22.00	22.00	100.00	100.00
90	49-अनुसूचित जाति कल्याण	8805	39.22	25.09	39.22	100.00	63.96
91	49-अनुसूचित जाति कल्याण	5133	40.00	40.00	40.00	99.99	99.99
92	49-अनुसूचित जाति कल्याण	5191	31.82	31.82	57.42	55.42	55.42
93	49-अनुसूचित जाति कल्याण	8844	21.43	21.43	21.43	100.00	100.00
94	49-अनुसूचित जाति कल्याण	7765	38.39	38.39	38.39	100.00	100.00
95	49-अनुसूचित जाति कल्याण	0671	34.37	33.56	54.88	62.63	61.16
96	49-अनुसूचित जाति कल्याण	3185	11.74	10.87	21.71	54.08	50.07
97	50-उद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	1482	33.33	33.33	59.57	55.96	55.96
98	54-पिछड़ा वर्ग कल्याण	6175	222.00	147.63	222.00	100.00	66.50
99	55-महिला एवं बाल विकास	7660	23.02	23.02	23.02	100.00	100.00
100	55-महिला एवं बाल विकास	5067	904.64	797.78	922.57	98.06	86.47
101	55-महिला एवं बाल विकास	9586	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
102	55-महिला एवं बाल विकास	4065	10.51	10.51	10.51	100.00	100.00
103	55-महिला एवं बाल विकास	9499	73.91	73.91	73.91	100.00	100.00
<b>योग</b>			<b>25,355.15</b>	<b>23,341.77</b>	<b>29,241.01</b>	<b>86.71</b>	<b>79.83</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

**परिशिष्ट 3.16**  
**2022-23 के दौरान सभी अनुदानों/विनियोगों के लिए तिमाही-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण**  
(संदर्भ: कडिका 3.4.5; पृष्ठ 105)

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय
1	1	सामान्य प्रशासन	1,171.47	188.64	250.11	188.44	219.38	102.33	846.57	25.91	12.09
2	2	विमानन	209.06	25.90	17.67	10.04	28.87	8.78	82.48	35.00	10.65
3	3	गृह	9,910.71	2,311.23	2,026.65	2,320.80	2,000.91	703.69	8,659.59	23.11	8.13
4	4	पर्यावरण	22.15	0.00	0.00	0.00	14.21	14.21	14.21	100.00	100.00
5	5	जेल	579.46	142.49	112.54	124.23	140.66	45.78	519.92	27.05	8.81
6	6	वित्त	25,249.10	5,199.10	5,152.57	5,164.94	4,458.15	1,474.69	19,974.76	22.32	7.38
7	7	वाणिज्यिक कर	2,123.76	125.42	131.93	119.66	1,491.99	648.31	1,869.00	79.83	34.69
8	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	9,095.76	810.71	905.63	2,034.70	2,110.32	705.73	5,861.36	36.00	12.04
9	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	61.86	27.85	0.19	7.92	17.79	17.49	53.75	33.10	32.54
10	10	वन	3,417.50	634.39	694.54	678.98	990.90	490.78	2,998.81	33.04	16.37
11	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2,746.78	428.68	239.96	287.80	1,481.97	1,102.12	2,438.41	60.78	45.20
12	12	ऊर्जा	23,418.58	3,065.50	2,865.04	2,723.50	9,767.83	5,900.21	18,421.87	53.02	32.03
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	22,426.30	3,839.82	2,477.61	4,830.53	8,073.33	6,303.09	19,221.29	42.00	32.79
14	14	पशुपालन एवं डेयरी	1,449.59	262.52	212.48	252.16	379.33	255.25	1,106.49	34.28	23.07
15	15	घुमन्तु और	36.53	2.20	2.47	6.35	8.37	4.16	19.39	43.17	21.45

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय
		अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग									
16	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	254.20	15.83	22.19	47.44	35.56	9.35	121.02	29.38	7.73
17	17	सहकारिता	2,049.58	35.58	297.93	67.31	440.39	165.02	841.21	52.35	19.62
18	18	श्रम	1,867.85	61.12	395.62	332.87	1,003.94	656.18	1,793.55	55.98	36.59
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12,175.36	2,115.00	2,403.17	2,138.33	3,769.76	2,003.77	10,426.26	36.16	19.22
20	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	8,914.45	348.96	3,125.11	587.11	3,659.18	506.61	7,720.36	47.40	6.56
21	21	लोक सेवा प्रबंधन	82.42	19.16	8.46	13.37	29.51	13.77	70.50	41.86	19.53
22	22	नगरीय विकास एवं आवास	16,588.50	3,533.85	2,928.87	2,983.84	5,541.24	3,241.81	14,987.80	36.97	21.63
23	23	जल संसाधन	7,164.00	1,642.94	1,538.79	1,699.24	1,784.45	836.15	6,665.42	26.77	12.54
24	24	लोक निर्माण कार्य	10,742.12	2,404.94	1,471.39	2,131.65	3,750.25	1,692.92	9,758.23	38.43	17.35
25	25	खनिज साधन	1,885.45	173.46	277.62	242.76	1,167.30	919.84	1,861.14	62.72	49.42
26	26	संस्कृति	694.90	45.73	30.27	91.73	145.73	56.83	313.46	46.49	18.13
27	27	स्कूल शिक्षा	27,795.42	5,274.92	5,338.06	5,522.49	8,298.43	2,232.16	24,433.90	33.96	9.14
28	28	राज्य विधान मंडल	104.51	29.80	19.74	20.40	22.74	9.02	92.68	24.54	9.73
29	29	विधि और विधायी कार्य	2,385.78	445.80	527.83	425.81	471.20	169.90	1,870.64	25.19	9.08
30	30	ग्रामीण विकास	23,510.49	3,389.60	6,868.89	4,401.37	3,729.71	1,861.18	18,389.57	20.28	10.12
31	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	953.55	89.31	124.15	212.58	462.87	289.52	888.91	52.07	32.57
32	32	जनसंपर्क	664.28	78.73	135.13	111.86	323.06	214.30	648.78	49.79	33.03
33	33	जनजातीय कार्य	10,820.06	2,075.51	2,068.26	2,201.15	2,744.09	1,136.57	9,089.01	30.19	12.50
34	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन	4,097.55	965.27	943.70	1,165.82	934.82	398.83	4,009.61	23.31	9.95

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय
		कल्याण									
35	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1,334.08	193.75	78.92	122.60	646.94	550.94	1,042.21	62.07	52.86
36	36	परिवहन	146.49	16.82	25.33	26.48	28.82	15.36	97.45	29.57	15.76
37	37	पर्यटन	296.47	41.82	16.04	96.59	116.93	78.78	271.38	43.09	29.03
38	38	आयुष	624.24	136.22	130.43	126.92	152.55	86.25	546.12	27.93	15.79
39	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,258.08	110.96	96.61	210.96	596.90	478.67	1,015.43	58.78	47.14
40	40	पंचायत	8,008.12	320.68	1,081.63	1,478.62	2,580.99	2,371.54	5,461.92	47.25	43.42
41	41	प्रवासी भारतीय	20.83	0.01	0.00	0.00	9.44	0.44	9.45	99.89	4.66
42	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	132.73	33.70	27.30	26.40	30.73	14.46	118.13	26.01	12.24
43	43	खेल और युवा कल्याण	476.37	57.32	51.09	53.50	290.77	137.95	452.68	64.23	30.47
44	44	उच्च शिक्षा	3,600.03	790.42	632.52	630.73	762.76	324.40	2,816.43	27.08	11.52
45	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	273.79	2.24	17.04	0.06	76.27	75.37	95.61	79.77	78.83
46	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	506.12	60.71	52.23	74.56	318.60	212.91	506.10	62.95	42.07
47	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,941.78	312.72	335.13	374.48	622.27	440.48	1,644.60	37.84	26.78
48	48	नर्मदा घाटी विकास	7,773.88	1,305.95	1,115.00	1,466.63	3,723.73	1,795.27	7,611.31	48.92	23.59
49	49	अनुसूचित जाति कल्याण	1,795.99	216.57	314.03	302.08	574.68	404.39	1,407.36	40.83	28.73
50	50	उद्योगिकी तथा	667.87	46.75	94.59	56.65	90.24	58.70	288.23	31.31	20.37



स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय
		खाद्य प्रसंस्करण									
51	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	108.61	10.55	26.20	17.14	33.66	9.34	87.55	38.45	10.67
52	52	चिकित्सा शिक्षा	2,852.86	501.91	1,199.21	444.38	596.64	314.01	2,742.14	21.76	11.45
53	53	अल्प संख्यक कल्याण	178.26	1.76	80.23	87.64	3.27	0.17	172.90	1.89	0.10
54	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,603.89	90.99	104.17	269.11	877.22	373.80	1,341.49	65.39	27.86
55	55	महिला एवं बाल विकास	6,982.62	541.62	1,074.59	632.11	3,512.88	1,765.66	5,761.20	60.97	30.65
56	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	120.50	35.51	17.71	16.97	20.90	10.28	91.09	22.94	11.28
57	57	आनंद	5.00	0.00	2.64	0.00	1.58	1.58	4.22	37.44	37.44
58	CH-I	भारत विनियोग-लोक ऋण	24,114.09	1,880.16	3,688.43	2,380.96	14,056.69	8,589.37	22,006.24	63.88	39.03
59	CH-II	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	22,166.43	3,000.18	5,695.34	3,083.96	7,673.79	4,450.85	19,453.27	39.45	22.88
		<b>योग</b>	<b>3,21,658.21</b>	<b>49,519.28</b>	<b>59,570.98</b>	<b>55,126.71</b>	<b>1,06,897.49</b>	<b>56,751.32</b>	<b>2,71,114.46</b>	<b>39.43</b>	<b>20.93</b>

स्रोत: मासिक विनियोग लेखे

**परिशिष्ट 3.17**  
**बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण**  
(संदर्भ: कंडिका 3.4.6; पृष्ठ 106)

स.क्रं.	अनुदान संख्या	नामावली	उप-शीर्षों की कुल संख्या	उप-शीर्षों की संख्या जहां स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	उप-शीर्षों की संख्या जहां स्पष्टीकरण प्राप्त हुये थे
1	CH-I	भारित विनियोग-लोक ऋण	32	15	3
2	CH-II	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	157	29	0
3	1	सामान्य प्रशासन	77	15	9
4	2	विमानन	6	3	0
5	3	गृह	135	34	25
6	4	पर्यावरण	15	5	2
7	5	जेल	15	7	3
8	6	वित्त	75	28	0
9	7	वाणिज्यिक कर	37	12	4
10	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	78	23	18
11	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	21	6	0
12	10	वन	102	25	4
13	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	22	5	2
14	12	ऊर्जा	67	13	0
15	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	237	39	30
16	14	पशुपालन एवं डेयरी	129	29	5
17	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	40	6	0
18	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	39	9	9
19	17	सहकारिता	49	19	18
20	18	श्रम	21	0	0
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	183	40	0
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	75	28	1
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	11	7	6
24	22	नगरीय विकास एवं आवास	232	27	2
25	23	जल संसाधन	342	22	4
26	24	लोक निर्माण कार्य	158	21	1
27	25	खनिज साधन	17	3	1
28	26	संस्कृति	77	13	4
29	27	स्कूल शिक्षा	242	44	37
30	28	राज्य विधान मंडल	13	6	6
31	29	विधि और विधायी कार्य	57	26	14
32	30	ग्रामीण विकास	164	44	44
33	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	52	5	1
34	32	जनसंपर्क	62	1	0
35	33	जनजातीय कार्य	115	37	32
36	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	147	0	0
37	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	41	6	6
38	36	परिवहन	15	6	0

स.क्रं.	अनुदान संख्या	नामावली	उप-शीर्षों की कुल संख्या	उप-शीर्षों की संख्या जहां स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	उप-शीर्षों की संख्या जहां स्पष्टीकरण प्राप्त हुये थे
39	37	पर्यटन	20	5	5
40	38	आयुष	60	14	7
41	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	71	21	1
42	40	पंचायत	72	20	0
43	41	प्रवासी भारतीय	1	1	0
44	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	20	6	1
45	43	खेल और युवा कल्याण	55	7	7
46	44	उच्च शिक्षा	109	19	19
47	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	8	5	0
48	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	55	0	0
49	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	125	25	10
50	48	नर्मदा घाटी विकास	245	16	12
51	49	अनुसूचित जाति कल्याण	82	26	25
52	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	65	24	23
53	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	19	5	0
54	52	चिकित्सा शिक्षा	105	0	0
55	53	अल्प संख्यक कल्याण	25	8	0
56	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	28	10	0
57	55	महिला एवं बाल विकास	130	31	29
58	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	51	11	0
59	57	आनंद	2	1	0
<b>योग</b>			<b>4,705</b>	<b>913</b>	<b>430</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

**परिशिष्ट 3.18**  
**बजट आवंटन के विरुद्ध अधिक व्यय**  
(संदर्भ: कंडिका 3.4.6; पृष्ठ 107)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
1	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-111.6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(मूल) 3,300.00 (पुनर्वि.) 763.89 4,063.89	4,485.74	421.85
2			6004-02.101.9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेंक टू बेंक ऋण	(मूल) 700.00 (पुनर्वि.) 500.00 1,200.00	1,583.38	383.38
3			6003-101.65- 9.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1999	(अनु.) 0.00	0.05	0.05
4			6004-02.101.3052-ब्लॉक कर्जे	(मूल) 260.00	268.75	8.75
5	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01.123.5042-भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	(मूल) 2,550.00 (पुनर्वि.) 235.05 2,785.05	3,176.91	391.86
6			2049-01.200.0845-उदय बान्डस का ब्याज भुगतान	(मूल) 565.25	585.41	20.16
7			2049-01.101.9319- 8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	(मूल) 35.60	71.20	35.60
8			2049-03.104.0095-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	(मूल) 8.73	10.87	2.14
9			2049-03.104.4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	(मूल) 80.00	107.31	27.31
10			2049-04.101.3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	(मूल) 800.00	949.95	149.95
11	1	सामान्य प्रशासन	2052-090.4327-सचिवालय	(मूल) 156.10 (पुनर्वि.) (-) 49.62 106.48	111.03	4.55
12	3	गृह	2055-109.4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(मूल) 4,873.61 (अनु.) 1.50 (पुनर्वि.) (-) 519.23 4,355.88	4,359.40	3.52
13			2070-107.4670-स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	(मूल) 1.73 (पुनर्वि.) (-) 1.09 0.64	0.66	0.02
14	6	वित्त	2071-01.101.9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 2,050.00 (अनु.) 980.00 3,030.00	4,653.17	1,623.17

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्राक्धान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
15			2071-01.102.9999-एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 30.00	85.55	55.55
16			2071-01.104.9999-एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 120.00	861.08	741.08
17			2071-01.111.9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 6.00	14.70	8.70
18			2071-01.115.9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 600.00	766.97	166.97
19			2071-01.200.5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	(मूल) 0.02	25.09	25.07
20			2071-01.106.9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 5.00	6.55	1.55
21			2071-01.106.9999-एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 0.80	1.64	0.84
22			2071-01.105.9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 660.00	1,514.42	854.42
23	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-02.101.2018-बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	(मूल) 550.00 (पुनर्वि.) (-)189.02 360.98	360.99	0.01
24	12	ऊर्जा	4801-05.190.1201.0700-ग्रीन कॉरीडोर	(मूल) टोकन	16.96	16.96
25			6801-190.0704.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	(अनु.) टोकन	62.00	62.00
26			6801-190.0705.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	(अनु.) टोकन	22.00	22.00
27			6801-190.0706.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	(अनु.) टोकन	16.00	16.00
28			6801-190.1901.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	(अनु.) टोकन	93.00	93.00
29			6801-190.1902.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	(अनु.) टोकन	33.00	33.00
30			6801-190.1903.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	(अनु.) टोकन	24.00	24.00
31			6801-205.1201.0700-ग्रीन कॉरीडोर	(अनु.) टोकन	22.17	22.17

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)	
32	17	सहकारिता	2425-107.0704.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केंद्र प्रवर्तित)	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 6.01 6.01	8.68	2.67	
33	2425-107.0705.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केंद्र प्रवर्तित)		(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 2.13 2.13	3.08	0.95		
34	2425-107.0706.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केंद्र प्रवर्तित)		(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 1.55 1.55	2.24	0.69		
35	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01.001.0101.2283-निदेशन और प्रशासन	(अनु.) 100.76 (पुनर्वि.) 0.49 101.25	120.36	19.11	
36	2210-01.001.0103.7834-स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था		(मूल) 9.73	12.71	2.98		
37	2210-01.110.0703.5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		(मूल) 194.40 (अनु.) 104.00 298.40	666.86	368.46		
38	2210-01.110.0706.5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		(मूल) 129.60	247.33	117.73		
39	2210-03.103.0103.7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन		(मूल) 9.49 (अनु.) 0.06 9.55	11.34	1.79		
40	2210-03.197.0103.5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		(मूल) 10.63	11.93	1.30		
41	2211-198.0802.0621-उप स्वास्थ्य केन्द्र		(मूल) 96.47	108.88	12.41		
42	4210-01.110.0101.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण		(मूल) 54.77 (अनु.) 25.00 79.77	99.32	19.55		
43	4210-01.110.0102.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण		(मूल) 12.38 (अनु.) 5.00 17.38	22.82	5.44		
44	4210-01.110.0103.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण		(मूल) 21.23 (अनु.) 25.00 46.23	69.43	23.20		
45	4210-02.104.0101.5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण		(मूल) 52.94 (अनु.) 5.00 57.94	64.58	6.64		
46	4210-02.104.0102.5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण		(मूल) 58.93 (अनु.) 3.00 61.93	68.93	7.00		
47	21		लोक सेवा प्रबंधन	2053-094.9079-म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	(मूल) 6.00 (पुनर्वि.) 0.60	6.63	0.03

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्राक्धान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)	
				6.60			
48	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05.800.0702.1237-हाउसिंग फॉर आल	(मूल) 207.00	252.74	45.74	
49			2217-05.800.0704.1237-हाउसिंग फॉर आल	(मूल) 366.00 (अनु.) 400.32 766.32	858.45	92.13	
50			2217-05.800.0705.1237-हाउसिंग फॉर आल	(मूल) 138.00	292.84	154.84	
51			4217-03.190.0705.9880-जबलपुर स्मार्ट सिटी	(अनु.) टोकन	10.75	10.75	
52			4217-03.190.0705.9882-ग्वालियर स्मार्ट सिटी	(अनु.) टोकन	50.00	50.00	
53			4217-03.190.0706.9880-जबलपुर स्मार्ट सिटी	(अनु.) टोकन	39.25	39.25	
54			4217-03.190.0706.9886-सतना स्मार्ट सिटी	(अनु.) टोकन	50.00	50.00	
55			4217-60.051.0101.9631-नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण	(मूल) 20.00	195.09	175.09	
56			6217-60.191.0101.9935-नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण	(मूल) 200.00	400.00	200.00	
57	23		जल संसाधन	4700-19.800.0101.6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	(मूल) 30.00 (पुनर्वि.) (-) 12.46 17.54	17.73	0.19
58				4701-48.800.0102.3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(मूल) 5.00 (पुनर्वि.) 6.99 11.99	12.01	0.02
59	24	लोक निर्माण कार्य	3054-03.337.0102.0134-अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत	(मूल) 23.00	108.00	85.00	
60			3054-03.337.0103.0134-अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत	(मूल) 18.00	28.00	10.00	
61			5054.04.337.1901.2457-ग्रामीण सड़कें	(मूल) 310.00 (अनु.) 497.99 (पुनर्वि.) 35.00 842.99	1,066.84	223.85	
62			5054.04.337.1903.2457-ग्रामीण सड़कें	(मूल) 80.00 (अनु.) 64.00 144.00	179.04	35.04	
63			5054.05.337.1201.7368-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण)	(मूल) 320.15	365.11	44.96	
64			5054.05.337.1202.7368-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण)	(मूल) 112.45	127.45	15.00	

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्राक्धान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
65	29	विधि और विधायी कार्य	2014-103.0707.9634-पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	(अनु.) 42.87 (पुनर्वि.) (-) 29.12 13.74	13.81	0.07
66			2225-01.800.0707.5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना	(मूल) 42.26 (पुनर्वि.) (-) 29.08 13.18	13.20	0.02
67	33	जनजातीय कार्य	2225-02.001.0102.9843-अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां	(मूल) 1.08 (पुनर्वि.) (-) 0.62 0.46	0.47	0.01
68			4225-02.277.0102.0494-आश्रम	(मूल) 10.00 (पुनर्वि.) (-) 8.86 1.14	1.24	0.10
69	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01.102.0701.1299-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशलन व्यय की प्रतिपूर्ति	(मूल) 157.07	180.90	23.83
70			2408-01.102.0704.1299-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशलन व्यय की प्रतिपूर्ति	(मूल) 157.07	180.90	23.83
71	43	खेल और युवा कल्याण	2204-103.0101.2304-निर्देशन और प्रशासन	(मूल) 18.87 (पुनर्वि.) (-) 3.08 15.79	15.89	0.10
72			2204-800.0101.6239-खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	(मूल) 2.05 (पुनर्वि.) (-) 0.95 1.10	1.15	0.05
73			2204-800.0101.8841-मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु – स्टेडियम आदि	(मूल) 8.46 (अनु.) 0.38 (पुनर्वि.) (-) 1.49 7.35	7.36	0.01
74	44	उच्च शिक्षा	4202-01.203.0102.7643-शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	(मूल) 24.10 (पुनर्वि.) 15.00 39.10	55.21	16.11
75			4202-01.203.0103.7643-शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	(मूल) 16.80 (पुनर्वि.) 10.00 26.80	32.11	5.31
76	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-105.0102.2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	(मूल) 40.24 (पुनर्वि.) (-) 14.38 25.86	25.92	0.06
77	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-41.800.1901.2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	(मूल) 190.00 (अनु.) 202.73 (पुनर्वि.) (-) 164.80 227.93	232.45	4.52
78			4700-66.800.0102.5091-लोअर गोई परियोजना	(मूल) 2.50 (अनु.) 10.00	72.10	6.00



स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
				(पुनर्वि.) 53.60 66.10		
79			4700-80.001.0101.3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	(मूल) 15.00 (पुनर्वि.) (-) 5.69 9.31	9.67	0.36
80			4700-80.001.1401.1002-भीकनगांव बिन्जलवाड़ा उद्दहन सिंचाई योजना	(मूल) 25.00 (अनु.) 40.00 (पुनर्वि.) (-) 3.47 61.53	87.53	26.00
81			4700-80.800.0101.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(मूल) 3.50 (पुनर्वि.) (-) 0.33 3.17	3.54	0.37
82			4700-80.800.0101.7665-सांवेर माइक्रा उद्दहन सिंचाई योजना	(मूल) 0.50 (पुनर्वि.) (-) 0.48 0.02	0.96	0.94
83	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01.277.0803.7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	(मूल) 102.74 (पुनर्वि.) (-) 33.67 69.07	69.35	0.28
84	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02.102.0102.5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	(मूल) 30.34 (पुनर्वि.) (-) 8.36 21.98	24.44	2.46
<b>योग</b>				<b>23,748.70</b>	<b>30,896.57</b>	<b>7,147.87</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23

**परिशिष्ट 4.1**  
**लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभाग-वार स्थिति**  
(संदर्भ: कंडिका 4.6; पृष्ठ 136)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
1	संसदीय कार्य	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	सामान्य प्रशासन	2013	मंत्री परिषद	37	0.74
		2014	न्याय प्रशासन	375	1.55
		2015	निर्वाचन	02	0.16
		2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	93	87.72
		2053	जिला प्रशासन	02	5.08
3	राजस्व विभाग	2029	भू-राजस्व	104	1.20
4	वाणिज्यिक कर	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	वित्त	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
		2075	विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
6	स्कूल शिक्षा विभाग	2202	सामान्य शिक्षा	06	8.19
7	खेल एवं युवक कल्याण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	91	21.04
8	संस्कृति	2205	कला एवं संस्कृति	21	20.54
9	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	552	441.97
10	नगरीय विकास एवं आवास	2216	आवास	14	2,534.81
		2217	शहरी विकास	35	422.30
11	जन संपर्क	2220	सूचना एवं प्रचार	35	1.50
12	अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	83	306.62
13	श्रम	2230	श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
14	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,081	744.50
15	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401	फसल कृषि-कर्म	3,138	450.27
		4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
16	पशुपालन	2403	पशुपालन	527	256.79
17	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405	मछली पालन	3,359	10.49
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	1,453	2,186.80
19	सहकारिता	2425	सहकारिता	722	278.69
20	ग्रामीण विकास	2505	ग्रामीण विकास	16	1,155.78
		2501	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	32	386.49
		2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	16	1798.20
21	जल संसाधन	2702	लघु सिंचाई	280	12.55
22	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	34	30.77
23	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	686	218.44
24	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2852	उद्योग	2,988	191.07
25	खनिज संसाधन	2853	अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग	871	234.49
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	02	2.24
27	पर्यटन	3452	पर्यटन	188	84.54
28	पंचायती राज विकास	3604	स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1272	8,737.55
<b>योग</b>				<b>19,965</b>	<b>20,685.36</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

**परिशिष्ट 4.2**  
**31 मार्च 2023 को अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण**  
(संदर्भ: कंडिका 4.8.1; पृष्ठ 139)

			(₹ लाख में)
स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1	अलीराजपुर	2	3.46
2	अनूपपुर	1	0.24
3	अशोकनगर	1	13.01
4	बैतूल	10	-121.72
5	भोपाल	5	331.92
6	बुरहानपुर	2	0.46
7	छतरपुर	12	-191.08
8	छिंदवाड़ा	8	936.80
9	दतिया	3	183.77
10	धार	3	147.72
11	डिंडोरी	2	16.05
12	गुना	2	3.33
13	हरदा	7	47.06
14	इंदौर शहर	16	17,091.44
15	इंदौर	1	2.61
16	जबलपुर शहर	4	119.88
17	जबलपुर	6	140.74
18	झाबुआ	4	179.72
19	खरगौन	6	2,819.29
20	खण्डवा	3	-359.23
21	मंडला	1	55.12
22	मंदसौर	6	75.78
23	मुरैना	5	28.14
24	नरसिंहपुर	9	53.75
25	राजगढ़	7	-40.33
26	रतलाम	4	67.83
27	रीवा	7	73.66
28	रायसेन	11	252.18
29	सागर	5	53.68
30	शाजापुर	2	-0.95
31	सतना	7	17.07
32	सीहोर	1	10.30
33	सिवनी	7	33.38
34	शहडोल	7	194.98
35	सीधी	3	3.29
36	सिंगरौली	4	18.80
37	टीकमगढ़	2	32.76
38	उज्जैन	2	11.52
39	उमरिया	1	35.57
40	वल्लभ भवन	1	-2,044.66
41	विदिशा	3	308.66
42	विन्ध्याचल	6	833.07
<b>योग</b>		<b>199</b>	<b>21,439.07</b>

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

**परिशिष्ट 4.3**  
**लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत पुस्तांकन**  
(संदर्भ: कंडिका 4.9; पृष्ठ 140)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्ति	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्ति	प्रतिशत
1	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00*	0.00*	100
2	0059	लोक निर्माण कार्य	53.35	53.54	99.63
3	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	95.47	179.78	53.11
4	0211	परिवार कल्याण	0.22	0.22	100
5	0217	शहरी विकास	35.98	36.91	97.49
6	0220	सूचना तथा प्रचार	0.42	0.42	99.56
7	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	12.53	12.58	99.67
8	0401	फसल कृषि कर्म	2,210.25	2,221.62	99.49
9	0404	डेयरी विकास	0.04	0.04	99.87
10	0408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	0.48	0.44	109.5
11	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.45	2.51	97.72
12	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	18.14	20.36	89.05
13	0700	मुख्य सिंचाई	105.44	136.06	77.49
14	0702	लघु सिंचाई	331.25	331.97	99.78
15	0801	बिजली	329.07	329.07	100
16	0802	पेट्रोलियम	0.00*	0.00*	96.54
17	0852	उद्योग	0.06	0.06	100
18	1452	पर्यटन	0.00*	0.00*	100
19	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	6,171.26	2,00,660.60	3.07
<b>योग</b>			<b>9,366.41</b>	<b>2,03,986.19</b>	<b>4.59</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

\* नगण्य

**परिशिष्ट 4.4**  
**लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन**  
(संदर्भ: कंडिका 4.9; पृष्ठ 140)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1	2075	विविध सामान्य सेवाएं	36.97	53.33	69.33
2	2217	शहरी विकास	4,303.82	5,518.53	77.99
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	88.88	88.88	100
4	2702	लघु सिंचाई	209.50	212.47	98.61
5	2705	कमान क्षेत्र विकास	7.18	7.18	100
6	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	704.95	1,002.26	70.34
7	2852	उद्योग	1,487.21	1,491.57	99.71
8	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	92.30	150.48	61.33
9	4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	25.00	25.00	100
10	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	568.36	981.69	57.90
11	4408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.79	0.79	100
12	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,648.44	10,562.18	81.88
13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,254.64	1,279.12	98.09
14	4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3.89	3.89	100
15	4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	674.93	674.93	100
16	4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	600.00	695.00	86.33
17	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.22	1.22	100
18	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	18,004.12	2,21,280.11	8.14
<b>योग</b>			<b>36,879.90</b>	<b>2,44,333.63</b>	<b>15.09</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

परिशिष्ट 4.5

लघु शीर्ष 800 के बजाय उपयुक्त लघु शीर्ष खोजने के लिए मैनुअल रूप से और यादृच्छिक रूप से चुने गए प्रमाणकों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 4.9; पृष्ठ 141)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार लघु शीर्ष का उपयोग किया जाना
1	02_2235_ वल्लभ भवन_111_24/02/2023	34-2235-02-800-0101-6693-44-001-V	2.42	6693- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना	104- वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण
2	04_2235_ वल्लभ भवन_72_06/04/2022	34-2235-02-800-0101-6693-44-001-V	2.00	6693- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना	104- वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण
3	05_2235_ वल्लभ भवन_93_04/05/2022	34-2235-02-800-0101-6693-44-001-V	2.00	6693- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना	104- वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण
4	06_2235_ वल्लभ भवन_61_01/06/2022	34-2235-02-800-0101-6693-44-001-V	1.37	6693- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना	104- वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण
5	11_2235_ वल्लभ भवन_61_04/11/2022	34-2235-02-800-0101-6693-44-001-V	2.26	6693- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना	104- वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण
		<b>योग</b>	<b>10.05</b>		
6	04_4202_ वल्लभ भवन_17_18/04/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
7	06_4202_ वल्लभ भवन_4_06/06/2022	43-4202-03-800-0102-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास
8	06_4202_ वल्लभ भवन_7_10/06/2022	43-4202-03-800-0103-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
9	07_4202_ वल्लभ भवन_12_04/07/2022	43-4202-03-800-0101-5159-63-002-V	1.34	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
10	10_4202_ वल्लभ भवन_5_27/10/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	2.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
11	10_4202_ वल्लभ भवन_6_27/10/2022	43-4202-03-800-0102-5159-64-002-V	1.50	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
12	10_4202_ वल्लभ भवन_7_27/10/2022	43-4202-03-800-0103-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
13	10_4202_ वल्लभ भवन_11_31/10/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
14	10_4202_ वल्लभ भवन_13_31/10/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.99	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
15	04_4202_ वल्लभ भवन_17_18/04/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
16	06_4202_ वल्लभ भवन_4_06/06/2022	43-4202-03-800-0102-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार लघु शीर्ष का उपयोग किया जाना
17	06_4202_ वल्लभ भवन_7_10/06/2022	43-4202-03-800-0103-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
18	10_4202_ वल्लभ भवन_7_27/10/2022	43-4202-03-800-0103-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम
19	10_4202_ वल्लभ भवन_11_31/10/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101- युवा छात्रावास
20	10_4202_ वल्लभ भवन_13_31/10/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.99	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	102- खेल स्टेडियम
21	10_4202_ वल्लभ भवन_6_27/10/2022	43-4202-03-800-0102-5159-64-002-V	1.50	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	102- खेल स्टेडियम
22	10_4202_ वल्लभ भवन_5_27/10/2022	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	2.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	102- खेल स्टेडियम
23	11_4202_ वल्लभ भवन_3_04/11/2022	43-4202-03-800-0101-5159-63-002-V	1.36	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	102- खेल स्टेडियम
		<b>योग</b>	<b>23.68</b>		
24	02_4202_ वल्लभ भवन_46_25/02/2023	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
25	02_4202_ वल्लभ भवन_37_25/02/2023	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
26	10_4202_ वल्लभ भवन_10_31/10/2022	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
27	07_4202_ वल्लभ भवन_9_04/07/2022	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
28	07_4202_ वल्लभ भवन_8_04/07/2022	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
29	07_4202_ वल्लभ भवन_7_04/07/2022	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
30	07_4202_ वल्लभ भवन_6_04/07/2022	43-4202-03-800-0103-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
31	04_4202_ वल्लभ भवन_16_18/04/2022	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
32	06_4202_ वल्लभ भवन_9_16/06/2022	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम
33	06_4202_ वल्लभ भवन_5_06/06/2022	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
		<b>योग</b>	<b>10.00</b>		
34	04_4515_विंध्याचल भवन_1_13/04/2022	30-4515-800-1201-0654-64-001-V	61.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
35	04_4515_विंध्याचल भवन_2_13/04/2022	30-4515-800-1202-0654-64-001-V	23.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
36	04_4515_विंध्याचल भवन_3_13/04/2022	30-4515-800-1203-0654-64-001-V	16.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
37	05_4515_विंध्याचल	30-4515-800-1201-	61.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम	103- ग्राम विकास

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार लघु शीर्ष का उपयोग किया जाना
	भवन_8_18/05/2022	0654-64-001-V		सड़क योजना	
38	05_4515_विध्याचल भवन_5_18/04/2022	30-4515-800-1202- 0654-64-001-V	23.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
39	09_4515_विध्याचल भवन_10_28/09/2022	30-4515-800-1201- 0654-64-001-V	61.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
40	09_4515_विध्याचल_11 _28/09/2022	30-4515-800-1202- 0654-64-001-V	23.00	0654-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
41	09_4515_विध्याचल भवन_12_28/09/2022	30-4515-800-1203- 0654-64-001-V	16.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
42	12_4515_विध्याचल भवन_5_16/12/2022	30-4515-800-1202- 0654-64-001-V	23.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
43	12_4515_विध्याचल भवन_6_16/12/2022	30-4515-800-1203- 0654-64-001-V	16.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
44	12_4515_विध्याचल भवन_4_16/12/2022	30-4515-800-1201- 0654-64-001-V	61.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
		<b>योग</b>	<b>384.00</b>		
45	05_4055_विध्याचल भवन_9_25/05/2022	03-4055-800-0103- 7352-64-001-V	3.60	7352- प्रशासकीय भवनों का निर्माण	207- राज्य पुलिस अथवा 211- पुलिस आवास
46	05_4055_विध्याचल भवन_7_25/05/2022	03-4055-800-0101- 7352-64-001-V	13.95	7352- प्रशासकीय भवनों का निर्माण	207- राज्य पुलिस अथवा 211- पुलिस आवास
47	05_4055_विध्याचल भवन_8_25/05/2022	03-4055-800-0102- 7352-64-001-V	4.95	7352- प्रशासकीय भवनों का निर्माण	207- राज्य पुलिस अथवा 211- पुलिस आवास
48	11_4055_विध्याचल भवन_8_29/11/2022	03-4055-800-0102- 7352-64-001-V	4.12	7352- प्रशासकीय भवनों का निर्माण	207- राज्य पुलिस अथवा 211- पुलिस आवास
49	11_4055_विध्याचल भवन_7_29/11/2022	03-4055-800-0101- 7352-64-001-V	11.62	7352- प्रशासकीय भवनों का निर्माण	207- राज्य पुलिस अथवा 211- पुलिस आवास
50	12_4055_विध्याचल भवन_11_08/12/2022	03-4055-800-0103- 7352-64-001-V	3.00	7352- प्रशासकीय भवनों का निर्माण	207- राज्य पुलिस अथवा 211- पुलिस आवास
51	12_4055_विध्याचल भवन_9_08/12/2022	03-4055-800-0101- 7352-64-001-V	11.62	7352- प्रशासकीय भवनों का निर्माण	207- राज्य पुलिस अथवा 211- पुलिस आवास
		<b>योग</b>	<b>52.86</b>		
52	05_2401_ग्वालियर _69_13/05/2022	13-2401-800-0101- 6345-44-001-V	260.00	6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115- लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
53	05_2401_ग्वालियर _65_13/05/2022	13-2401-800-0102- 6345-44-001-V	112.00	6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115- लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
54	05_2401_ग्वालियर _70_13/05/2022	13-2401-800-0101- 6345-44-001-V	279.00	6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115- लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
55	05_2401_ग्वालियर _71_13/05/2022	13-2401-800-0101- 6345-44-001-V	260.00	6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115- लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना



स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार लघु शीर्ष का उपयोग किया जाना
56	05_2401_ग्वालियर _72_13/05/2022	13-2401-800-0103- 6345-44-001-V	250.00	6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115- लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
57	05_2401_ग्वालियर _67_13/05/2022	13-2401-800-0101- 6345-44-001-V	260.00	6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115- लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
58	05_2401_ग्वालियर _68_13/05/2022	13-2401-800-0102- 6345-44-001-V	250.00	6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115- लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
		<b>योग</b>	<b>1,671.00</b>		
59	02_2053_वल्लभ भवन_23_11/02/2023	21-2053-800-0101- 5722-42-002-V	5.00	5722- कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
60	06_2053_वल्लभ भवन_51_24/06/2022	21-2053-800-0101- 5722-42-002-V	5.00	5722- कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
61	12_2053_वल्लभ भवन_10_01/12/2022	21-2053-800-0101- 5722-42-002-V	3.00	5722- कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
		<b>योग</b>	<b>13.00</b>		
62	04_2403_वल्लभ भवन_124__29/04/2022	14-2403-800-0101- 2087-44-001-V	2.20	2087- आचार्य विद्यासागर गऊ संवर्धन योजना	102- पशु तथा भैंस विकास
63	10_2403_वल्लभ भवन_148__22/10/2022	14-2403-800-0101- 2087-44-001-V	1.00	2087- आचार्य विद्यासागर गऊ संवर्धन योजना	102- पशु तथा भैंस विकास
		<b>योग</b>	<b>3.20</b>		

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

**परिशिष्ट 5.1**

**मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची**

(सन्दर्भ: कंडिका 5.4; पृष्ठ 151)

स. क्र.	स. क्र.	सरकारी कंपनियाँ
<b>इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र</b>		
1	1	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
2	2	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
3	3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
4	4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
5	5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
6	6	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
7	7	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
<b>कृषि तथा संबद्ध</b>		
8	1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
9	2	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन
<b>सेवा</b>		
10	1	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11	2	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
<b>अधोसंरचना</b>		
12	1	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13	2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
14	3	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15	4	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16	5	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17	6	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18	7	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	8	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	9	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	10	बी-नेस्ट फाउंडेशन
<b>निर्माण</b>		
22	1	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड
23	2	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
24	3	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चुरिंग पार्क लिमिटेड
25	4	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चुरिंग पार्क लिमिटेड
26	5	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड
27	6	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड
28	7	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
29	8	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
30	9	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
31	10	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
<b>वित्त</b>		
32	1	मध्य प्रदेश वित्त निगम
<b>इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके पहले खाते बकाया थे</b>		
33	1	मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
34	2	सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड
35	3	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड
36	4	रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम
37	5	मध्यप्रदेश भवन विकास निगम
38	6	इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन

स. क्र.	स. क्र.	सरकारी कंपनियाँ
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके नवीनतम खाते उपलब्ध थे परन्तु पिछले तीन या अधिक वर्षों से शून्य टर्नओवर थे
39	1	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
40	2	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एस.एस.पी.पी.एल.)
41	3	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
42	4	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड
43	5	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड
44	6	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड
45	7	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड
46	8	मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड
47	9	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड
48	10	मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड
49	11	मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड
50	12	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
51	13	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
52	14	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो निष्क्रिय हैं या तीन से 33 वर्षों से अधिक समय से लेखें बकाया हैं
53	1	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
54	2	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
55	3	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
56	4	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
57	5	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
58	6	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
59	7	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड
60	8	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
61	9	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड
62	10	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
63	11	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
64	12	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
65	13	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
66	14	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
67	15	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
68	16	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड
69	17	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड
70	18	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड
71	19	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड
72	20	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
73	21	मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड

परिशिष्ट 5.2

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या, जिनके लेखे 30 सितम्बर 2023 तक बकाया थे, को दर्शाने वाला विवरण

(सन्दर्भ: कंडिका 5.5; पृष्ठ 153)

स. क्र.	कंपनी का नाम	तक प्राप्त लेखे	बकाया लेखों की संख्या
<b>(अ) सरकारी कंपनियाँ</b>			
1	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1
2	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2021-22	1
3	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2021-22	1
4	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2021-22	1
5	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2021-22	1
6	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2021-22	1
7	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
8	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
9	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
10	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
11	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	2021-22	1
12	मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड	2021-22	1
13	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
14	मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड	2021-22	1
15	मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2021-22	1
16	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
17	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेंटिंग कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
18	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
19	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
20	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
21	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
22	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	1
23	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1
24	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2021-22	1
25	मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	(2022-23 से प्रथम लेखे बकाया)	1
26	मध्यप्रदेश भवन विकास निगम	(2022-23 से प्रथम लेखे बकाया)	1
27	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
28	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2
29	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2
30	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2
31	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2
32	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	2019-20	3
33	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2019-20	3

स. क्र.	कंपनी का नाम	तक प्राप्त लेखे	बकाया लेखों की संख्या
34	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2019-20	3
35	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2019-20	3
36	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2019-20	3
37	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड	2019-20	3
38	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2019-20	3
39	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	3
40	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	3
41	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4
42	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2018-19	4
43	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4
44	रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2017-18 से बकाया)	6
45	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2015-16	7
46	सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2014-15 से बकाया)	9
47	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2014-15 से बकाया)	9
48	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13	10
49	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009-10	13
50	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009-10	13
51	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005-06	17
52	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	19
53	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड	2001-02	21
54	मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड	1989-90	33
<b>(अ) सरकारी कंपनियों का योग</b>			<b>231</b>
<b>(ब) सांविधिक निगम</b>			
1	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	2021-22	1
2	मध्य प्रदेश वित्त निगम	2021-22	1
3	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	15
<b>(ब) सांविधिक निगमों का योग</b>			<b>17</b>
<b>(स) सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनिया</b>			
1	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
2	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
3	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
4	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
6	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
7	बी-नेस्ट फाउंडेशन	2021-22	1

स. क्र.	कंपनी का नाम	तक प्राप्त लेखे	बकाया लेखों की संख्या
8	इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन	(2022-23 से प्रथम लेखे बकाया)	1
9	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2
	(स) सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का योग		10
	महायोग (अ+ब+स)		258

## परिशिष्ट 5.3

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ पर जानकारी  
(सन्दर्भ: कंडिका 5.9.1; पृष्ठ 159)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया</b>	
1	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन
2	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
3	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
5	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया</b>	
1	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
2	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
3	जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
4	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
5	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

**परिशिष्ट 5.4**

**सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित अनिवार्य लेखा मानकों/ भारतीय लेखा मानक का अनुपालन न करना**

(सन्दर्भ: कंडिका 5.13.2; पृष्ठ 169)

स. क्र.	कंपनी का नाम	भारतीय लेखा मानक/ लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक/ लेखा मानक पर संक्षिप्त टिप्पणी
1	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (2020-21)	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' का पालन न करना, क्योंकि कंपनी ने दिनांक 19.02.2010 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान किया है, जो भारतीय लेखा मानक 19 के अनुरूप नहीं है।
2	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी (2020-21)	भारतीय लेखा मानक	योग्यता के आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय लेखा मानक 36 के प्रावधानों का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं। कंपनी ने न तो इसमें शामिल राशि निर्धारित की है और न ही भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार आकस्मिक देयता के संबंध में कोई प्रावधान किया है। भारतीय लेखा मानक 109 और भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार कंपनी के पास हानि के लिए सहायक कंपनियों में निवेश के परीक्षण के लिए कोई उचित नियंत्रण प्रणाली नहीं है।
3	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (2019-20)	लेखा मानक	कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के संबंध में लेखा मानक 15 का अनुपालन न करना। अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव न करने के संबंध में संशोधित लेखा मानक 10 का अनुपालन न करना। लीजहोल्ड संपत्तियों के संबंध में लेखा मानक 19 का अनुपालन न करना। परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में लेखा मानक 28 का अनुपालन न करना। लेखा मानक 2 के अनुपालन में कंपनी के स्टॉक का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर नहीं है।
4	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2020-21)	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 8: लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और पूर्व अवधि की त्रुटियों के संबंध में त्रुटियां। भारतीय लेखा मानक 16: तुलन पत्रक शीट की तारीख तक, कंपनी के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कमीशन की गई अपनी सभी संपत्तियों को पंजीकृत नहीं किया गया है। भारतीय लेखा मानक 19: कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और कंपनी ने प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है। भारतीय लेखा मानक 20: सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी ने सरकारी ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा, कंपनी ने न तो इसके खिलाफ कोई प्रावधान किया है और न ही कोई आकस्मिक देनदारी दर्ज की है। इसके अलावा, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक की प्रकटीकरण आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। भारतीय लेखा मानक 21: विदेशी मुद्रा के लाभ या हानि के संबंध में लेखांकन कंपनी ने विदेशी मुद्रा के कारण लाभ/हानि के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया है।



स. क्र.	कंपनी का नाम	भारतीय लेखा मानक / लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक / लेखा मानक पर संक्षिप्त टिप्पणी
			<p>भारतीय लेखा मानक 23: उधार लेने की लागत के संबंध में।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 36: वर्ष के दौरान, परिसंपत्तियों की क्षति के अंतर्गत कंपनी ने यह आकलन नहीं किया है कि क्या कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। चूंकि हानि के लिए कोई टीप नहीं है इसलिए वैधानिक लेखापरीक्षक इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 105: कंपनी के संबंध में बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों और बंद परिचालनों को भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकता के अनुसार बिक्री के लिए रखे गए अनुपयोगी / क्षतिग्रस्त / अप्रचलित पूंजी भंडार को नहीं मापा गया है।</p>
5	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	भारतीय लेखा मानक	परिसमापन की स्थिति में, कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर क्रेडिट से हानि हो सकती है और कंपनी द्वारा विकसित और हस्तांतरित सभी परियोजनाओं की लागत में इसके हस्तांतरण मूल्य में वस्तु एवं सेवा कर क्रेडिट शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह गैर-वापसी योग्य कर क्रेडिट है जिसे भारतीय लेखा मानक-16 के अनुसार, परिसंपत्तियों की लागत में शामिल करने की आवश्यकता है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-16 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
6	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (2018-19)	भारतीय लेखा मानक	ग्रेच्युटी प्रावधान और अवकाश नकदीकरण के मामले में 'कर्मचारी लाभ' से संबंधित भारतीय लेखा मानक 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है।

**परिशिष्ट 5.5**  
**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी टिप्पणियां**  
(सन्दर्भ: कंडिका 5.14.1; पृष्ठ 170)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	टिप्पणी जारी करने की अवधि
1	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19
2	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2018-19
3	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2018-19
4	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2019-20
5	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2019-20
6	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2020-21
7	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2020-21
8	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2021-22
9	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	2021-22
10	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	2021-22
11	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2021-22
12	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22
13	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
14	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2021-22
15	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2021-22
16	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
17	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर	2021-22
18	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	2021-22
19	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
20	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2022-23
21	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	2022-23
22	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	2022-23
23	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2020-21

**परिशिष्ट 5.6**  
**प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई व्यापक प्रकृति की अनियमितताएं**  
 (सन्दर्भ: कंडिका 5.16; पृष्ठ 183)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	लेखों की अवधि
1	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19
2	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2018-19
3	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2018-19
4	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2019-20
5	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2019-20
6	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2020-21
7	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2020-21
8	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2021-22
9	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	2021-22
10	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	2021-22
11	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2021-22
12	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22
13	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
14	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2021-22
15	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2021-22
16	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	2021-22
17	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	2021-22
18	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
19	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2022-23
20	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	2022-23
21	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	2022-23
22	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
23	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2021-22
24	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2020-21
25	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2021-22
26	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2021-22
27	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2020-21





© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in)